अष्टम माला, खंड 7, अंक 4 शुक्रवार, 26 जुलाई, 1985/4 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(तीसरा सत्र)

(आठवीं लोक सभा)

Acc. No. 54
Date 18/2/86

(खंड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 7, तीसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 4, शुक्रवार, 26 जुलाई, 1985/4 श्रावण, 1907 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	...	1-18
*तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 63	...	1-18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	...	18-155
तारांकित प्रश्न संख्या 64 से 80	...	18-27
अतारांकित प्रश्न संख्या : 604 से 666, 668 से 687 और 689 से 818	...	27-155
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	...	155-159
राज्य सभा से संदेश	...	160
कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक, 1985	...	160-162
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	...	162-186
कृषि उपज के मूल्यों में हाल ही में आई गिरावट तथा किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु सरकार द्वारा की गई कार्यवाही		
श्री धर्मपाल सिंह मलिक	...	162-163, 164-166
सरदार बूटा सिंह	...	163-164, 166-168
श्रीमती गीता मुखर्जी	...	168-173
श्री अजित कुमार साहा	...	173-178
श्री इन्द्रजीत गुप्त	...	178-183
श्री सत्यगोपाल मिश्र	...	183-186
सभा का कार्य	...	186-190
विधेयक—पुर : स्थापित	...	190-191
बालक नियोजन (संशोधन) विधेयक	...	190-191
अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1985-86 (जारी—असमाप्त)	...	191
श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव	...	191-192
श्री आर० जीवरत्न	...	192-193
श्री एन० वी० एन० सोमू	...	193-194
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों, तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति पहला प्रतिवेदन	...	194
विधेयक पुर: स्थापित	...	194-201

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उ प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
(1) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1985 (अनुच्छेद 248 और सप्तम अनुसूची में संशोधन) श्रीमती गीता मुखर्जी	...	194
(2) संविधान (संशोधन) विधेयक, (नये अनुच्छेद 326क का अन्तःस्थापन) श्रीमती गीता मुखर्जी	...	194-195
(3) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 117 और 207 में संशोधन) श्री मूल चन्द डागा	...	195
(4) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक श्री मूल चन्द डागा	...	195
(5) काय-चिकित्सकों और शल्य-चिकित्सकों का संरक्षण विधेयक दीवानी और फौजदारी कार्यवाही से उन्मुक्ति श्री मूल चन्द डागा	...	195-196
(6) पब्लिक और प्राइवेट स्कूल (उन्मूलन) विधेयक प्रो० सैफुद्दीन सोज	...	196
(7) कृषि कर्मकार (न्यूनतम मजदूरी और कल्याण विधेयक श्री सत्यगोपाल मिश्र	...	196
(8) भवन तथा निर्माण कार्य कर्मकार (नियोजन की शर्तें) विधेयक श्री सत्यगोपाल मिश्र	...	196-197
(9) सरकार क्षेत्र और निजी क्षेत्र की सेवाओं में (समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए) पदों का आरक्षण विधेयक श्री बाला साहेब विखे पाटिल	...	197
(10) असंगठित श्रमिक कल्याण निधि विधेयक श्री बालासाहेब विखे पाटिल	...	197
(11) छोटा परिवार (अभिवृद्धि तथा अभिप्रेरणा) विधेयक श्री बालासाहेब विखे पाटिल	...	197-198
(12) राजनीतिक दल (वित्तीय सहायता) विधेयक श्री बालासाहेब विखे पाटिल	...	198
(13) लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आस्तियों और दायित्वों की घोषणा विधेयक श्री राजेश पाइलट	...	198-199
(14) कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक श्री वसुदेव आचार्य	...	199
(15) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 79 में संशोधन) श्री एन० वेंकट रत्नम	...	199

विषय		पृष्ठ
(16) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक		
श्री शरद दिघे	...	199
(17) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 79 में संशोधन)		
श्री एन० वेंकट रत्नम	...	199-200
(18) बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक (नये अनुच्छेद 342क का अन्त:स्थापन)		
श्री जी० एम० बनातवाला	...	200
(19) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 342क का अन्त:स्थापन)		
श्री जी० एम० बनातवाला	...	200
(20) विवाह विधियां (संशोधन) विधेयक		
श्री दिग्विजय सिंह	...	200-201
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	...	201-227
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
श्री जी० एम० बनातवाला	...	201-210
श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद	...	210-211
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी	...	211-213
श्री शरद दिघे	...	213-219
श्री अजीज सेट	...	219-223
श्री मूल चन्द डागा (भाषण अपूर्ण)	...	223-227
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...	228

—•—

लोक सभा

शुक्रवार, 26 जुलाई 1985/ 4 श्रावण, 1907 (शक)
लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 61-श्री सत्यगोपाल मिश्र ।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : महोदय, लोक सभा सचिवालय की प्रश्न शाखा ने मुझे सूचित किया है कि यह प्रश्न रसायन मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है इसलिए इसकी बारी बाद में आएगी । लेकिन मेरे पास इस समय कागजात हैं । क्या किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न करिये ।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : ठीक है । प्रश्न संख्या 61 ।

(व्यवधान)

हल्दिया पेट्रो-रसायन परियोजना

*61. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित हल्दिया पेट्रो-रसायन परियोजना के संयुक्त क्षेत्र में निर्माण को ध्यान में रखते हुए सरकार राज्य योजना (पश्चिम बंगाल) में उपर्युक्त वृद्धि के द्वारा समुचित व्यवस्था करने को सहमत है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य सरकार के उद्यम के लिये अपेक्षित समर्थन उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय संस्थाओं को अनुदेश जारी करने का है;

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अपनी निजी अग्रताओं के बारे में निर्णय लेना और राज्य के अनुमोदित योजनागत परिव्यय के अंतर्गत हल्दिया पेट्रो-कैमिकल की आवश्यक निधियों के लिए व्यवस्था करने का काम पश्चिम बंगाल सरकार का है । योजना आयोग ने राज्य सरकार को पहले सूचित कर दिया है कि यदि राज्य द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाते हैं तो वे राज्य की योजना में समायोजन करने पर विचार करने के इच्छुक होंगे ।

(ख) राज्य सरकार के इस उद्यम को आवश्यक सहायता देने के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं को अनुदेश देने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि प्रत्येक मामले के गुणदोष के

आधार पर ऋण के आवेदन-पत्रों पर संस्थाओं को स्वयं अपना निर्णय लेना होता है। परियोजना प्राधिकारी सहायता के लिये वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क करने के लिये स्वतंत्र हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री सत्य गोपाल मिश्र : सात से भी अधिक सालों के लम्बे समय के काफी विवाद के बाद अन्त में अब हल्दिया का पेट्रो रसायन समूह आरम्भ हो रहा है। इसके लिये हमें प्रसन्न होना चाहिए। माननीय मंत्री ने बताया है कि यदि राज्य अतिरिक्त संसाधन जुटाता है तो योजना आयोग राज्य योजना में समायोजन पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है। सातवीं योजना के अन्तर्गत आवंटन को अभी अन्तिम ठोस रूप नहीं दिया गया है। राज्य सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लिए ही धनराशि आवंटित करने के लिए सहमत हुआ है। इस तथ्य को देखते हुए कि राज्य सरकार ने हल्दिया में पेट्रो-रसायन समूह के स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम का निर्णय लिया है, क्या भारत सरकार पश्चिम बंगाल राज्य को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित राशि आवंटित करने पर पुनर्विचार करके इस संबंध में केन्द्रीय सहायता की राशि में वृद्धि करेगी ?

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, जहां तक पश्चिम बंगाल राज्य की सातवीं परियोजना का संबन्ध है, 4,125 करोड़ रुपए के योजना परिव्यय को मंजूरी दी गई है जहां तक केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध अतिरिक्त संसाधनों का संबध है, जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं कि हमारी अपनी सीमाएं हैं और हमारे पास संसाधनों की भी कमी है। अत: राज्य सरकार को चाहिये कि वह प्राथमिकताओं का पुर्ननिर्धारण करके हल्दिया पेट्रो-रसायन परियोजना को समायोजित करें अथवा उसे अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी। तभी यह परियोजना चालू हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि योजना आयोग ने मंजूरी दी है और केन्द्र सरकार सातवीं योजना के लिए एक करोड़ रुपये तथा चालू योजना के लिये 10 लाख रुपए दे चुकी है।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : महोदय, यह सत्य है कि बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये कुछ प्रक्रियात्मक कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ इस संबंध में केन्द्र सरकार का रवैया भी बहुत महत्व रखता है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि हल्दिया पेट्रो-रसायन समूह स्थापित करने के लिए ऋण मंजूर करने या संबधित ऋण आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान के लिये बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को निदश देने के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

श्री जनार्दन पुजारी : प्रस्ताव पर विचार करना वित्तीय संस्थाओं का काम है। मुझे बताया गया है कि अभी तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या किसी वित्तीय संस्था को प्रस्ताव नहीं भेजे गए हैं अगर उनके पास प्रस्ताव भेजे जाएंगे। तो वे आवेदन पत्र पर कार्यवाही करके निर्णय लेंगे। ऐसा करते समय वे सभी पहलुओं पर तथा सभी उपलब्ध संसाधनों पर विचार करेंगे और तब निर्णय लेंगे। वे स्वयं निर्णय लेते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें मालूम है कि हल्दिया पेट्रो-रसायन परियोजना, जो कि बहुत समय से विचाराधीन है और पश्चिम बंगाल की जनता को अभी इस बात का पता चला है कि इस परियोजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है, संयुक्त क्षेत्र परियोजना है, अर्थात् इसमें पश्चिम बंगाल सरकार तथा एक एकाधिकारी

व्यापारिक घराना आर० पी० गोयनका, संजीव गोयनका तथा उनके सहयोगी शामिल हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कभी उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार से इस राज्य सरकार तथा गोयनका की इस परियोजना में वास्तविक भागीदारी तथा इसकी शर्तों तथा शेयरों या अन्य मामलों में वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से भारत सरकार की जिम्मेदारियों का कभी पता लगाया है। अभी तक हमें पता लगा है कि आर० पी० गोयनका से 3.33, पश्चिम बंगाल सरकार से 3.33, या सार्वजनिक शेयरों से 3.34 या 3.34 तथा शेष रकम सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से प्राप्त होगी। जब यह प्रस्ताव आपके समक्ष रखा जाएगा तो क्या आप परियोजना की शर्तों तथा प्रस्तावों के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से पता करेंगे अन्यथा समूची स्थिति अस्पष्ट है। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि केन्द्र उसे सहायता नहीं दे रहा है। यहां हमें बताया गया है कि सरकार को प्रस्ताव ही प्राप्त नहीं हुआ है। यह सब क्या है? पश्चिम बंगाल में बहुत राजनीतिक दाव पेंच चल रहे हैं। हमें स्थिति को स्पष्ट करना होगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राजनीति को समाप्त कर हल्दिया परियोजना का निर्माण करिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हल्दिया के मामले में राजनीति घुस गई है।

श्री जनार्दन पुजारी : करार में इस बात का उल्लेख है कि पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम का हिस्सा 26% होगा। आर० पी० गोयनका, संजीव गोयनका तथा उनके सहयोगियों का हिस्सा 25% होगा। जहां तक सार्वजनिक निगम का सम्बन्ध है उन्होंने वित्तीय संस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने केवल सार्वजनिक निगम का उल्लेख किया है जो कि लगभग 49% है। ये शर्तें हैं। यह स्पष्ट करना राज्य सरकार का काम है कि क्या वह समस्त 49% वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त करना चाहती है।

अब आई० डी० बी० आई० को एक पत्र मिला है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि परियोजना को 500 करोड़ रुपए के ऋण की आवश्यकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पत्र किसने लिखा है?

श्री जनार्दन पुजारी : पत्र हल्दिया पेट्रो-रसायान पश्चिम बंगाल औद्योगिक-विकास निगम से प्राप्त हुआ है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, कुछ दिनों पहले अखबारों में खबर छपी थी कि कांग्रेस (आई) दल के विधानमंडल सदस्यों की बैठक हुई थी जिसमें संसद सदस्य तथा वित्त मन्त्री ने भी भाग लिया था।

प्रो० मधु दण्डवते : कांग्रेस (आई) का नाम न लें। यह असंसदीय है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर ऐसा है तो मैं कोई और नाम लूंगी। लेकिन तथ्य तो यही है। समाचारों पत्रों में यही खबर छपी थी कि इस विशेष बैठक में वित्त मन्त्री जी से इस परियोजना के लिये गोयनका को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता न देने का अनुरोध किया गया था।

अब जहां तक मेरा सम्बन्ध है मेरे लिए तो वे सभी अच्छे हैं और बुरे भी। मैं यहां गोयनका की सिफारिश नहीं कर रही हूं। लेकिन मेरी दिलचस्पी यह जानने में है कि क्या यही दृष्टिकोण गोयनका की अन्य परियोजनाओं के प्रति भी अपनाया जाएगा। क्योंकि उनकी परियोजनाएं तो देश भर में होंगी। अथवा क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस (आई) विधानमण्डल ने इस प्रश्न को इस समय उठाना उचित समझा जब पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सर-

कार ने उक्त परियोजना के संयुक्त क्षेत्र में निर्माण की मन्जूरी न मिलने पर गोयनका के साथ करार कर लिया ? मैं माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाहती हूं ······

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : हमें केन्द्र से और धनराशि चाहिये

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय , उन्हें उत्तर देने दीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप चिल्ला क्यों रहे हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी : उनके किन-किन से संपर्क हैं इसकी कलई खुल गई तो अब वे···

(व्यवधान)

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय : देखिये, आप सुनिये मेरी बात सुनिये, आप क्या कर रहे हैं ? आप सारे लोग क्यों बोल रहे है, मिनिस्टर इस बात का जवाब देंगे ।

[अनुवाद]

हमने सुन लिया है ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मेरा पहला मुद्दा था कि······(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

[अनुवाद]

इस बात को लेकर आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं ? उन्होंने सुन लिया है ।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं तीन प्रश्न पूछना चाहती हूं । (क) क्या समाचार पत्रों में छपी यह खबर सही है । (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री को उत्तर देने दीजिए ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : गुप्त जी आप मत बोलिये, इनको बोलने दो मैं इनको कह रहा हूं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं । मैं अपने आप बोलूंगा आप क्यों बोल रहे हैं ।

(व्यवधान)

गुप्ता जी, आप बीच में फिर बोल रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : (ख) इस पर वित्त मंत्री की क्या प्रतिक्रिया हुई जिन्होंने आश्वासन दिया है कि यह किया जाएगा; तथा

(ग) यदि हां, तो क्या यह दृष्टिकोण गोयनका, टाटा तथा बिड़ला के साथ हर मामले में अपनाया जायेगा ?

श्रीमती फूलरेणु गुहा : मैं उस बैठक में उपस्थित थी ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को जवाब देने दीजिये । आप उनकी जिम्मेदारी कब से संभालने लगीं ?

श्री जनार्दन पुजारी : हमने कभी भी नहीं कहा है कि हम वित्तीय संस्थाओं से पैसा नहीं देंगे । हमने ऐसा नहीं कहा है । हमने कहा है कि वित्तीय कठिनाईयां हैं ।

श्री आर० पी० गोयनका के साथ साझेदारी करने तथा आपके साथ किये जाने वाले व्यवहार के बारे में आप ही बेहतर जानते होंगे और आप ही लोगों ने कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें साझेदार बनाया है।

जहां तक उन्हें अनुमति देने का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार को अनुमति देनी ही है, क्योंकि वह एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार कंपनी है।

अब मैं इस प्रश्न पर आता हूं कि क्या उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, अथवा इसमें राजनीति घुस आई है और पश्चिम बंगाल सरकार को क्या सहायता दी गई है। हमें यह समझ लेना चाहिये कि क्या हुआ है तथा क्या अपेक्षित संसाधन सप्लाई किए गए हैं अथवा नहीं।

(व्यवधान)

यह आपकी जानकारी के लिये भी है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल के लिये योजना परिव्यय 3,500 करोड़ रुपए था। राज्य सरकार ने 2,178 करोड़ रुपये का योगदान करने का वायदा किया था। लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसने कितनी धनराशि जुटायी ? 2,178 करोड़ रुपये की बजाय इसने केवल 302 करोड़ रुपए ही जुटाए। केन्द्र सरकार ने क्या आश्वासन दिया है ? इसने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 680 करोड़ रुपए देने का वायदा किया था और वास्तव में हमने 761 करोड़ रुपए दिये हैं। यही नहीं हमने मध्यम अवधि ऋण के रूप में भी उन्हें 414 करोड़ रुपए दिए हैं। हमने कुल मिलाकर छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 500 करोड़ रुपए अधिक दिए हैं। अन्ततः उसका परिणाम क्या रहा है ? वह कितना काम कर सकी है ? 3500 करोड़ रुपए के योजना परिव्यय की बजाय……

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री बता रहे हैं कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है या नहीं आप क्यों व्यवधान डाल रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका ठीक नहीं है। वह वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए वह उन्हें अपने उत्तर से खुश नहीं कर सकते। उन्हें तथ्यों का उल्लेख करना है। वही तो वह कर रहे हैं। अगर वह तथ्यों से विमुख होंगे तो मैं उनकी खिचाई करूंगा। श्रीमती गीता मुखर्जी ने उनसे पूछा है कि क्या वह सौतेला व्यवहार कर रही है। इसी का वे जवाब दे रहे हैं उन्हें जवाब देना ही होगा। वह आपको खुश करने के लिये जवाब नहीं दे सकते। उन्हें तथ्य बताने ही होंगे। सीधी सी बात है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कितना भी जोर से चिल्लाएं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह ठीक नहीं है। बिलकुल ठीक नहीं है। अमल दत्त जी मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप लगातार ऐसा कर रहे हैं। अगर वह दूसरे भाग का उत्तर नहीं देंगे तो मैं उनसे जवाब देने के लिए कहूंगा। उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? शांत रहिए।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा है उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, आप क्यों खलल डाल रहे हैं। आप बैठिए······

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, उन्हें अनुशासन सिखाइए।

अध्यक्ष महोदय : आप इस जिम्मेवारी को अपने ऊपर क्यों लेते हैं ? आपको यह जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्ता ऐसा करना ठीक नहीं है। आपके द्वारा ऐसा करना उचित नहीं है। ऐसा करने का यह कोई तरीका नहीं है।

आप इस तरह से आदेश नहीं दे सकते। यह सर्वथा अनुचित है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सभा का समय बरबाद क्यों कर रहे हैं ? क्या आप समझते हैं कि इससे आपका लाभ होगा ? कृपया बैठ जाइए। बहुत बुरी बात है। यह सर्वथा अनुचित तथा अनावश्यक है। आप इस तरह बीच में बोल नहीं सकते।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी, कृपया बैठ जाइए। मुझे खेद है कि शिक्षित लोग भी इस तरह का व्यवहार करते हैं। इससे मैं बहुत क्षुब्ध हुआ हूं। यह नितान्त अनुत्तरदायित्वपूर्ण है। यह बहुत ही खेदजनक बात है। यह बहुत ही ज्यादा हो रहा है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बहुत से अन्य राज्य भी हैं। यह प्रश्न काल है वाद-विवाद नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बाहर जाने के लिए कहने जा रहा हूं। आप सीमा से बाहर जा रहे हैं। आपने अब सभी तरह की शालीनता समाप्त कर दी है। आप अपने को रोकते क्यों नहीं ? बहुत अनुचित बात है। मैंने सदा आपको समय दिया है। माननीय सदस्य जो कुछ भी कह रहे हैं उसे कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, क्योंकि वह सब मेरी अनुमति के बिना कहा गया था।

मंत्री महोदय।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं अपनी बात कह रहा था ······

अध्यक्ष महोदय : श्री गोयनका के बारे में श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा पूछे गये प्रश्न के दूसरे भाग का भी उत्तर दें। मैं उनसे भी कह रहा हूं कि उसका उत्तर भी दें।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने कभी भी सौतेली मां जैसे व्यवहार के बारे में नहीं पूछा था······

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उनको सौतेली मां जैसे व्यवहार का आरोप लगाया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं, उन्होंने कभी यह प्रश्न नहीं पूछा।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ मैं कर रहा हूं उसे मैं जानता हूं।

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं रिकार्ड को ठीक करना चाहती हूं······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदस्य का यह रवैया खेद जनक है······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बैठा हुआ हूं। मैं यह जानता हूं। कृपया बैठ जाइए।

प्रो० के० के० तिवारी : अगला प्रश्न अत्यन्त महत्व पूर्ण है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जो कुछ कर रहा हूं उसे जानता हूं। मैं समझता हूं मैं सभा में ही था कहीं गया हुआ नहीं था। उस बात को मैंने भी सुना है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी भी दावे के साथ कहता हूं कि यह अत्यन्त खेदजनक व्यवहार है।

श्री जनार्दन पुजारी : यदि आप बुरा न मानें तो कृपया बतायें कि प्रश्न का कौन-सा भाग

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा था···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। शोर मत मचाइए। मैं पहले ही आपकी तरफ से पूछ चुका हूं तथा मैं अभी भी पूछ रहा हूं कि क्या···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे भी कुछ कहने दें। क्या बात है? मैं नहीं जानता कि ऐसे व्यवहार से आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? मैं इसकी निन्दा करता हूं।

केवल एक प्रश्न है—क्या गोयनका द्वारा भाग लिए जाने के बारे में कोई सौतेली मां जैसा व्यवहार हुआ है, अथवा नहीं, अथवा क्या उनके साथ अन्य लोगों के समान व्यवहार किया गया था।

श्री जनार्दन पुजारी : किसी भी व्यक्ति के प्रति सौतेली मां जैसा व्यवहार नहीं किया जायेगा तथा सभी के साथ न्याय किया जायेगा, यह मैं सभा में पहले ही बता चुका हूं। इसीलिए मैंने पूछा है कि प्रश्न के कौनसे भाग का उत्तर मैं पहले दूं। अब मैंने उसका उत्तर दे दिया है।

अब मैं दूसरे भाग को लेता हूं···।

श्रीमती गीता मुखर्जी : उस बैठक का क्या हुआ। यदि वह नहीं जानते तो ऐसा ही कह दें।

अध्यक्ष महोदय : उनका इससे क्या सम्बन्ध है? जहां तक केंद्रीय सरकार का संबंध है वह उसी का उत्तर दे सकते हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इधर ध्यान दें। राज्य विधान मंडल दल का कार्य तथा केन्द्रीय सरकार का कार्य दो पूर्णतया विभिन्न बातें हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गीता जी, कृपया बैठ जाइए। उनका केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी से संबंध है राज्य सरकार के बारे में नहीं। पश्चिम बंगाल का कांग्रेस विधान मंडल दल क्या कार्य करता है, इससे उनका संबंध नहीं है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं आपसे यह जानना चाहता था कि प्रश्न के कौनसे भाग का उत्तर मैं पहले दूं, क्योंकि उन्होंने बहुत सी अन्य बातें भी पूछी हैं। मैंने यह तो नहीं कहा कि मैं जानता नहीं हूं। मैंने आपसे जानना चाहा था···

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया आप उत्तर दें। पहले ही बहुत सा समय अनावश्यक रूप से ले लिया गया है। यह बड़ी खेदजनक बात है। श्री अमल दत्त, मैं आज के आपके व्यवहार की प्रशंसा नहीं कर सकता।

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक हल्दिया पेट्रो-रसायन परियोजना को सहायता देने के बारे में वित्त मंत्री से निवेदन का प्रश्न है, मैं इस बात की जांच करूंगा कि वित्त मंत्री के साथ क्या वार्ता हुई है· अन्यथा कल यह कहा जायेगा कि मैंने गुमराह किया है। मैं जांच करूंगा तथा वित्त मंत्री को दिये गए ज्ञापन पर विचार करूंगा।

संसाधनों के बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार का इरादा परियोजना को बन्द करने या ऐसी ही कोई कार्यवाही करना नहीं है हमने तो यह बताया है कि संसाधनों की कमी है। यदि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिक धनराशि उपलब्ध होती है—छठी योजना में भी हमने अधिक धन दिया है—तो यह राज्य सरकार को दे दी जायेगी। यह बात मैंने अच्छी तरह से स्पष्ट कर दी है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : बिना उनके योगदान के ?

अध्यक्ष महोदय : इस एक प्रश्न पर इतना अधिक समय अनावश्यक रूप से व्यय हो गया है जिसके न तो कोई समुचित कारण हैं और न ही इसमें कोई शालीनता है।

काले धन का अनुमान

***62. श्री उत्तम राठौड़**
प्रो० के० के० तिवारी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार चोर बाजारियों की गतिविधियों पर रोक लगाने तथा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ख) देश में लगभग कितना काला धन प्रचलन में है; और

(ग) गत वित्तीय वर्ष में और चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कितने काले धन का पता लगाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) काले धन के चलन को रोकने और उसके और आगे होने वाले प्रसार के निवारण के लिए समय-समय पर सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में प्रशासनिक, विधायी और संस्थानिक उपाय भी शामिल हैं।

(ख) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान ने "भारत में अवैध अर्थ-व्यवस्था के पहलू" पर हाल ही में दी गई अपनी रिपोर्ट में वर्ष 1983-84 के लिए 31,584 से 36,786 (करोड़ रुपयों) के सकल घरेलू उत्पादों पर 18 से 21% तक की अवैध आय की उत्पत्ति का अनुमान लगाया है। तथापि, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उनके निष्कर्ष बहुत सी धारणाओं और अनुमानों पर आधारित हैं जिनमें से प्रत्येक को चुनौती दी जा सकती है।

(ग) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अर्थात् *1-4-1984* से *31-3-1985* तक तथा 1-4-1985 से 30-6-1985 तक पता लगाये गए काले धन की रकम इस प्रकार है :—

वित्तीय वर्ष	पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य (लाख रुपयों में)
1984-85	2507.59
1985-86 (30-6-1985 तक)	653.93

श्री उत्तम राठौड़ : महोदय, स्वैच्छिक घोषणाओं तथा धारक बांडों के माध्यम से काले धन का पता लगाने के लिए हमारे द्वारा किए गए प्रयत्न फलदायक सिद्ध नहीं हुए हैं। वर्ष 1984-85 में पता लगाये गये धन की राशि केवल 2507.59 लाख रुपए है। अत: मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि काले धन का पता लगाने और उसे पकड़ने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री जनार्दन पुजारी : हमने काले धन का पता लगाने के लिए छापे मारने की गतिविधि तेज कर दी है तथा इसका पता लगाने वाले तंत्र को भी सुदृढ़ कर दिया है। इतना ही नहीं भारत सरकार के वित्त मंत्री स्वयं इस कार्य की निगरानी कर रहे हैं। सभा की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री स्वयं कई स्थानों पर गये। उन्होंने पहली बार आयकर अधिकारियों की बैठक में भाग लिया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वित्त मंत्री ने आयकर अधिकारियों की बैठक में भाग लिया हो। उन्होंने उनकी दिल्ली बम्बई, कलकत्ता तथा अहमदाबाद की बैठकों में भाग लिया। बंबई में मुझे भी जाने का अवसर मिला। मैंने भी आयकर अधिकारियों को परामर्श दिया। उसमें 800 से कुछ अधिक अधिकारी थे। हमने उनसे भली प्रकार स्पष्ट कर दिया है कि जहां तक बड़े-बड़े कर-अपवंचक हैं हमें अपने प्रयत्न बढ़ाने पड़ेंगे तथा जहां तक लोगों का संबंध है चुनिन्दा आधार पर जांच की जानी चाहिए।

इसके अलावा हम शीघ्र ही आयकर, सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा अन्य विभागों जैसे कि बैंक इत्यादि के कार्यों में समन्वय लाने के लिए आर्थिक आसूचना ब्यूरो की स्थापना करने जा रहे हैं। इस संगठन का उद्देश्य काले धन का पता लगाने के लिए समन्वित प्रयत्न करना है। पहले यदि आयकर विभाग द्वारा कोई छापे मारे जाते थे, और उनमें सीमा शुल्क के सम्बन्ध में यदि कोई संदेहास्पद दस्तावेज मिलता था तो आयकर अधिकारियों को उसे जब्त करने की कोई शक्ति नहीं थी। अब यह संगठन इस बारे में समन्वय करेगा। हम इस संगठन के सम्बन्ध में ब्यौरा तैयार कर रहे हैं। जहां तक केवल सीमा-शुल्क का सम्बन्ध है हमने जो कदम उठाये हैं, उनके परिणामस्वरूप हम सीमा-शुल्क सम्बन्धी छापे मार कर माल जब्त करके पूरे वर्ष में लगभग 101.89 करोड़ रुपये जुटा सके हैं इस बार 6½ महीनों के दौरान तस्करी विरोधी कार्यवाहियों से 102.25 करोड़ रुपए मात्र सीमाशुल्क से जुटा सके हैं।

प्रो० मधु दंडवते : आप तरीके नहीं बता रहे हैं। काले धन को निकालने के ये तरीके नहीं हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : हमने आयकर अधिकारियों, सीमा-शुल्क तथा उत्पाद-शुल्क अधिकारियों को भी बहुत स्पष्ट कर दिया है। अब माननीय सदस्य कह सकते हैं कि जहां तक छापों,

तलाशियों तथा काला धन सफाया किये जाने का सम्बन्ध है, यह राशि बहुत बड़ी नहीं है। परन्तु प्रश्न उस राशि का नहीं है जो कि माल पकड़े जाने के समय तुरन्त एकत्र की जा रही है। बात की जा रही कठोर कार्यवाही की भी नहीं है परन्तु माल पकड़ने से हमें अन्य मामलों का पता लगाने की जानकारी मिलती है। हमने ये प्रयत्न किये हैं। महोदय, सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क के माध्यम से वसूली के लिए 1985-86 के लिए बजट अनुमान 20,426 करोड़ रुपए है। परन्तु हमारा प्रयास इस वर्ष के बजट अनुमान से 3,000 करोड़ रुपये अधिक वसूल करने का है। जहां तक प्रत्यक्ष कराधान का सम्बन्ध है, हम अधिक धन प्राप्त करने वाले हैं। बजट अनुमान से 1000 करोड़ रुपये अधिक एकत्र किये जायेंगे। ये कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। व्यापक अभि-यान तथा उठाए जा रहे अन्य कदमों से हमें उम्मीद है कि अच्छे परिणाम निकल सकेंगे तथा हमने उन सभी अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि सरकार कार्य चाहती है तथा यदि वे अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो हम निष्क्रियता, भ्रष्टाचार तथा अकुशलता को बरदाश्त नहीं करेंगे। बाधाएं हटाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री उत्तम राठौड़ : महोदय, मंत्री महोदय द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण काफी संतोषजनक लगता है। परन्तु मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या वह देश की अर्थ-व्यवस्था के समानान्तर चल रहे 36,000/- करोड़ रुपये के काले धन को समाप्त कर सकेंगे। इस दर से काले धन को समाप्त करने में सरकार को कितना समय लग जाएगा? क्या सरकार विमुद्रीकरण पर विचार करेगी?

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, प्रतिवेदन के पृष्ठ 341 में उन्होंने स्पष्ट किया है कि यथार्थ तथा सही आंकड़े नहीं बताए जा सकते। प्रतिवेदन में दिये गये आं ड़े अनुमानों तथा परिकल्प-नाओं पर आधारित हैं। यदि मैं यह कहूं कि देश में काले धन की इतनी राशि है तो मेरे विचार में यह तो संसद को गुमराह करना होगा। मैं समझता हूं इस बारे में किसी को भी पता नहीं हो सकता कि काला धन कितना है। परन्तु जहां तक विमुद्रीकरण का प्रश्न है सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। काले धन को समाप्त करने के बारे में मेरा निवेदन है कि इसके लिए निष्ठा एव राजनीतिक संकल्प अपेक्षित है तथा हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तथा राजनीतिक संकल्प से हम काले धन को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, बेशक पूरी तरह नहीं, परन्तु हम शुरूआत करने आ रहे हैं और उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कार्यों से भी यह पता चल जाएगा कि काले धन को समाप्त करने में हम कुछ सीमा तक सफल होंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, काले धन को समाप्त करने तथा भविष्य में इसे और न बढ़ने देने की यह सारी बात एक लीक पीटने वाली बात है। हम इस दिशा में हुई सफलता की बात सुनते आ रहे हैं परन्तु इस दिशा में अभी तक कुछ भी उपलब्धि हुई नहीं लगती। राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान ने इस मामले का अध्ययन किया है। मुझे सन्देह है कि क्या उस अध्ययन का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा। उन्होंने काले धन के प्रचलन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है तथा मेरी राय है कि आगे से काले धन को "प्रभावी धन" कहा जाना चाहिए, क्योंकि यह अधिक प्रभावी है तथा कभी-कभी प्रियोक्ति के रूप में इसे समाना-न्तर अर्थ-व्यवस्था भी कहा जाता है।

मेरे विचार में यह वैध अर्थव्यवस्था से बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और काले धन की मात्रा बहुत अधिक है। यद्यपि इसकी गणना करने के तरीकों के बारे में भी विशेषज्ञों की भिन्न-भिन्न

राय है, यह पूरा प्रतिवेदन ही अनन्तिम है। कोई भी व्यक्ति इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता कि इस समय देश में कुल कितना काला धन प्रचलन में है।

महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाने आरम्भ कर दिये हैं। किंतु ये कदम ही पर्याप्त नहीं हैं। पता चला है कि भारत से विदेशों को काला धन चोरी छिपे बड़े पैमाने पर भेजा जाता है। काला धन भारत से विदेशों में जाता है और उसे श्वेत धन बनाकर पुन: वापिस लाया जाता है तथा बड़ी-बड़ी कम्पनियों में लगाया जाता है। इस प्रकार काले धन से लाभ उठाया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, जैसा कि मंत्री महोदय ने दावा किया है कि क्या हाल के कुछ सप्ताहों में कुछ छापे मारे गये हैं। मुझे पता चला है कि दो बड़ी कम्पनियों के परिसर में—एक संचालन श्री मनु छाबड़िया द्वारा किया जाता है और दूसरी यूनाइटेड ब्रेवरीज है जिसके अध्यक्ष कोई विजय माल्या हैं—छापा मारा गया था और मुझे यह कहा गया है कि वहां करोड़ों रुपये का काला धन प्राप्त हुआ है। इसलिये, इसको देखते हुए सरकार और अधिक कठोर उपाय करेगी, जिससे कि काले धन का उत्पादनकर्त्ता तथा तस्कर हल्की सजा पाकर छूट न जायें? और काले धन को पुन: वापिस लाकर बड़ी कम्पनियों में निवेश करने की गतिविधियों के बारे में क्या सरकार और भी जांच कराने का आदेश देगी?

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य की तरह मुझे भी चिन्ता है। महोदय, वास्तव में यह एक ऐसी चुनौती है, जिसका मुकाबला हमें करना है। उसके लिये माननीय सदस्य ने भी कुछ सुझाव दिये हैं और वास्तव में हम लोग एक व्यापक (संशोधन) विधेयक ला रहे हैं। हम यथा शीघ्र एक संशोधन विधेयक पेश करने वाले हैं। जिसमें कठोर दण्ड की व्यवस्था है। इतना ही नहीं; इससे कर-अपवंचकों का मुकाबला करने में मदद मिलेगी।

जहां तक वादों का संबंध है, यह निर्णयाधीन हैं। इतना ही नहीं, श्री छाबड़िया का पासपोर्ट वापस दे दिया गया है और इसलिए मैं इसके बारे में कोई ब्यौरा या टिप्पणी देने की स्थिति में नहीं हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : सभा यह जानना चाहती है कि कितना काला धन बरामद किया जा चुका है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं इसे सभा को बताऊंगा और इसे छिपाने का कोई प्रश्न नहीं है। मेरे पास इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं है।

प्रो० के० के० तिवारी : उनके मंत्रालय के पास इस राशि का लेखा-जोखा अवश्य होगा।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि वह सभा में सूचित कर देंगे।

प्रो० मधु दंडवते : मेरे पास राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के प्रतिवेदन की प्रति है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 1975-76 से 1983-84 तक काला धन निरंतर बढ़ता रहा है, इसका विभिन्न तरीकों से अनुमान लगाया जा चुका है। मैं एक साधारण सा और छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब श्री वेंकटरामन ने अपना पहला बजट पेश किया था, तब उन्होंने विशेष धारक बाण्ड जारी करने के सिद्धांत का सूत्रपात किया था और विशेष धारक बांड का प्रयोजन काले धन का पता लगाना था, दूसरे शब्दों में इसका प्रयोजन काले धन को श्वेत धन में परिवर्तित करना था। माननीय मंत्री महोदय से मैं दो विशिष्ट प्रश्न, अथवा यों कहिये कि एक ही प्रश्न (क) और (ख) भागों में पूछना चाहता हूं। विशेष धारक बांड जारी किये जाने के बाद कितना काला धन श्वेत धन में परिवर्तित किया गया है? और इसके बाद, चूंकि विशेष धारक

बांड स्वयं ही सामानान्तर मुद्रा बन गई (बांड काला बाजारों में बेचे गये थे), मैं यह जानना चाहता हूं कि विशेष धारक बांडों में परिणामस्वरूप कितना श्वेत धन काले धन में परिवर्तित हुआ था।

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य श्री मधु दण्डवते जी तीखे प्रश्न पूछने के लिए विख्यात हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर): केवल छोटे ही नहीं, बल्कि तीखे भी।

श्री जनार्दन पुजारी : वह मुझसे यह पूछना चाहते हैं कि इन धारक बांडों के लिए कितना काला धन दिया गया है। मेरे विचार में इसका सही अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता।

प्रो० मधु दंडवते : यह बहुत सरल है, वह श्री वेंकटरामन से परामर्श कर सकते हैं। वह बता सकते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : धारक बांडों में लगभग 962 करोड़ रुपया लगाया गया है। अब माननीय सदस्य यह पूछ कर कि कितने बांड काले धन से और कितने श्वेत धन से खरीदे गये हैं, इस बात में वह पृथक्-पृथक् रूप से जानना चाहते हैं। यह बताना बहुत कठिन है…

प्रो० मधु दंडवते : वह मेरा प्रश्न समझ नहीं पाये। मैं अपना प्रश्न उन्हें स्पष्ट करूंगा।

श्री जनार्दन पुजारी : यह बताना बहुत ही कठिन होगा।

प्रो० मधु दंडवते : क्या मैं अपना प्रश्न स्पष्ट करूं ? शायद मैंने अपना प्रश्न खराब अंग्रेजी में कहा था, इसीलिये वह उसे समझ नहीं पाये हैं। क्या मैं उनसे हिन्दी में पूछूं ?

[हिन्दी]

मेरा सवाल यह है कि स्पेशल बियरर बाण्ड…

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह हिन्दी नहीं समझ पायेंगे।

[हिन्दी]

प्रो० मधु दंडवते : मेरी अंग्रेजी खराब है, इसलिये हिन्दी में पूछ रहा था।

[अनुवाद]

मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि जब विशेष धारक बांड जारी किये गये थे; तब सभी अर्थ शास्त्रियों ने यह टिप्पणी की थी और अप्रत्यक्ष रूप से मन्त्री महोदय ने भी यह स्वीकार किया था—यह सच भी है—कि इन बांडों का मूल्य चाहे जो भी रहा हो; वास्तव में ये बांड काले बाजार में अधिक मूल्य में, देश में और विदेश में बेचे गये थे। इसीलिये मैं, यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने अन्य काले धन का अनुमान लगाया है, क्या उन्होंने इस काले धन का भी अनुमान लगाया है अर्थात् विशेष धारक बांडों की बढ़ी हुई कीमत के कारण कितना श्वेत धन काले धन में परिवर्तित हो गया है ?

अध्यक्ष महोदय : वही बता सकते हैं, मैं नहीं।

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने उसी का उत्तर दिया है। कुछ ईमानदार लोगों ने भी धारक बांड खरीदे हैं। हम यह नहीं कह सकते—बेईमान व्यक्तियों ने धारक बांड खरीदे हैं—कि उन्होंने कितने काले धन से धारक बांड खरीदे हैं, और कितने श्वेत धन से उन्होंने धारक बांड खरीदे हैं, इन सब बातों का उत्तर देना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं यही कह सकता हूं।

श्री मधु दंडवते द्वारा जिस अच्छी भाषा का प्रयोग किया गया है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। मैंने यह कदापि नहीं कहा कि उनकी भाषा खराब है वस्तुतः मेरी अंग्रेजी भाषा से उनकी भाषा अच्छी है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और मैं स्वीकार करता हूं कि वह अच्छी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री महोदय को अपनी भाषा के लिये क्षमा माँगने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि न वह और न ही प्रो० दंडवते दून स्कूल में पढ़े हैं। इसलिये आप से उसे जानने की आशा नहीं की जाती।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने प्रो० मार्क्स से अंग्रेजी सीखी है, न कि विमान परिचारिकाओं से।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आमतौर से बैंक अपने खातों का रहस्य नहीं बताते किन्तु हाल ही में, मैंने एक वक्तव्य देखा है जिसे एसोसियेटिड चेम्बर आफ कामर्स के अध्यक्ष ने जारी किया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ देशों, जो काले धन की बुराई से बहुत अधिक ग्रसित हैं, की सरकारें स्विटज़रलैंड की बैंकों से बातचीत कर रही है जिससे कि इन स्विस बैंकों में अवैध खातों के बारे में कुछ सूचना प्राप्त हो सके। एसोसिऐटिड चेम्बर आफ कामर्स के अध्यक्ष ने यह भी सुझाव दिया है कि भारत सरकार भी स्विस बैंकों के साथ बात-चीत करने की चेष्टा करे जिससे कि वहां के अवैध खातों के बारे में कुछ सूचना प्राप्त हो सके। जैसा कि सभी जानते हैं कि वे खाते ऐसे व्यक्तियों के हैं जिन्होंने काला धन इस देश से अन्तरित कर दिया है। क्या सरकार का विचार इस दिशा में कोई प्रयत्न करने का है।

श्री जनार्दन पुजारी : यह सुझाव कार्यवाही हेतु है। मुझे कोई जानकारी नहीं है और मेरे पास जो भी जानकारी हैं, उसे मैं सभा को अथवा माननीय सदस्य को दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि देश के अन्दर बहुत सा काला धन है। इस काले धन को निकालने के लिए इन्होंने काफी छापे भी मारे हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की गई है। मैं भी मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं, 1980 से 1984 तक कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई है और कितने लोगों के खिलाफ मामले न्यायालय में चल रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : ये स्टैटिक्स तो वे बता देंगे।

श्री राम भगत पासवान : किन लोगों के विरुद्ध न्यायालय में मामले चल रहे हैं, अभी तक कोर्ट में सरकार के पक्ष में कितने फैसले हुए हैं, कितने ब्लैक मनी रखने वालों के पक्ष में हुए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास जानकारी है तो दे दें, अन्यथा बाद में दे देना।

[अनुवाद]

यदि अभी आपके पास उपलब्ध नहीं है; तो आप बाद में दे सकते हैं। क्या आपके पास आंकड़े उपलब्ध हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : वर्ष 1984-85 के दौरान 2111 मुकदमें चलाये थे और इस अवधि के दौरान गत 6½ महीनों में 1243 छापे मारे गये और 6½ महीनों की इसी अवधि के दौरान 17 मामलों में हमने सजा दिलवाई थी। शेष सूचना मैं माननीय सदस्य को बाद में दे दूंगा।

श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव : माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है; उसमें उस बात का जरा भी उल्लेख नहीं किया गया है कि काले-धन को रोकने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं। अतः क्या सरकार का विचार काले धन को और बढ़ने से रोकने के लिये प्रभावशाली उपाय के रूप में 100 रुपये के नोट का प्रचलन बंद करने का है ?

श्री जनार्दन पुजारी : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि

*63. श्री बनवारी लाल पुरोहित†
श्री आर० एम० भोये } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पिछले दिनों बैंकों में होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं में निरन्तर और अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि प्रतिवर्ष विभिन्न धोखाधड़ी के तरीकों से करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है; और

(ग) सरकार ने स्थिति में सुधार लाने और इस प्रकार की धोखाधड़ी में शामिल अपराधियों को दण्ड दिलाने हेतु क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी सूचना के अनुसार बैंकों में 1982 में धोखाधड़ी के 2065 मामले हुए। यह संख्या बढ़कर 1983 में 2360 और 1984 में 2410 हो गई।

(ख) धोखाधड़ियों में अन्तर्ग्रस्त राशि 1982 में 19.44 करोड़ रुपए था और 1983 में बढ़कर 29.62 करोड़ रुपए और 1984 में 38.39 करोड़ रुपए हो गई जो क्रमश: 0.029%, 0.038% और 0.041 प्रतिशत वृद्धि की द्योतक है। अलबत्ता, ये राशियां बैंकों को हुई वास्तविक हानि की परिचायक नहीं हैं।

(ग) सरकार भारतीय रिजर्व बैंक धोखाधड़ियों की बढ़ती हुई संख्या को गम्भीरता से ले रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अपने सतर्कता और लेखा-परीक्षा तंत्र को मजबूत करने और बड़ी-बड़ी रकमों के बैंकिंग लेन-देनों पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय किए गए हैं कि विभिन्न स्तरों पर प्रत्यायोजित प्राधिकार का सामान्यत: अतिक्रमण न किया जाए और गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमों के अनुसार कठोरतम कार्रवाई की जाय। जहां आवश्यक समझा गया वहां जांच का काम केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है और सरकार ऐसे मामलों के बारे में लगातार कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्प है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, बैंकों का काम बिलकुल ठीक तरह से नहीं चल रहा है। बैंकों का नैशनलाइजेशन इस उद्देश्य से किया गया था कि जो बहुत गरीब लोग हैं या एजुकेटेड अनएम्पलायड हैं, उनको बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ मदद मिलेगी। मेरे पास नागपुर से दो चिट्ठियां आई हैं। एक बेरोजगार नवयुवक की है। वह लिखता है कि एक मेटाडोर खरीदने के लिए बैंक ने मुझ से 25 परसेंट मारजिन मनी मांगी। मारजिन मनी जमा करने के लिए मैंने अपनी दो एकड़ जमीन बेचकर वह रुपया बैंक के पास जमा करा दिया, लेकिन जब मैं बैंक के पास बाकी रुपयों के लिये गया तो बैंक ने कह दिया कि हमारा कोटा खत्म हो गया है।

दूसरी चिट्ठी मेरे पास मछुआरों की तरफ से आई है। उनको कर्जा दिलाने के लिये वसंत राव नायक विमुक्त जाति तथा नामेडिक ट्राइब डवेलपमेंट कारपोरेशन, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट अण्डरटेकिंग है, ने स्टेट बैंक को लिखा कि वे 25 परसेंट मारजिन मनी देने को तैयार हैं। उन्होंने

कुछ केसेज को रिकमेंड किया और कहा कि उनको पांच-पांच हजार रुपये के कर्जे दे दिए जाएं। लेकिन स्टेट बैंक आफ इण्डिया नागपुर की सेंट्रल-एवेन्यू ब्रांच ने उनको रुपया देने से इन्कार कर दिया।

मंत्री महोदय ने कहा है कि बैंकों में फ्रॉड के केसेज बढ़े हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं कि डा० जेम्स ने, जिन्होंने क्रिमॉनॉलोजी का अध्ययन किया है, अपने सर्वे में कहा है कि बैंकों में सौ करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि :

[अनुवाद]

"डा० जेम्स वदकेमथुरी का अनुमान है कि ठगी, जालसाजी, चोरी, आपराधिक दुर्विनियोजन, झूठे दावों आदि सहित धोखा-धड़ी के विभिन्न तरीके अपनाये जाने के कारण बैंकों को हर वर्ष 100 करोड़ रुपये की हानि होती है।"

[हिन्दी]

अपनी रिपोर्ट के दूसरे भाग में वे लिखते हैं—

[अनुवाद]

"1980 से 1985 तक के बेतरतीब 26 महीनों की अवधि के दौरान 100 रुपये के नोट के 370 सीरीज के, 50 रुपये के नोट 64 सीरीज में, 20 रुपये के नोट 56 सीरीज में, 10 रुपये के नोट 209 सीरीज में, 5 रुपये के नोट 38 सीरीज में और 2 रुपये के नोट 73 सीरीज में जाली थे और प्रचलन में लाए गए।

[हिन्दी]

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, वे फोरजरी को कैसे बन्द करेंगे? इसमें बैंक कर्मचारी पूरी तरह से लिप्त हैं। इसी लोक सभा में जो जवाब उन्होंने पहले दिया था, आज भी उन्होंने वैसा ही जवाब दिया है। मैं जानना चाहता हूं, वे ऐसी कौनसी कार्यवाही करेंगे, जिससे फोरजरी और चिटिंग बन्द हो, ताकि देश की इकानॉमी बच सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपकी समझ में कोई बात आ गई है।

श्री जनार्दन पुजारी : यह धोखाधड़ी से संबन्धित प्रश्न है और उन्होंने इन मामलों में शिक्षित बेरोजगारों, स्व-नियोजन कार्यक्रम, आदि के बारे में पूछा है। यदि आप चाहते हैं कि मैं, उत्तर दूं, तो मैं उत्तर दूंगा। जहां तक शिक्षित बेरोजगारों से संबंधित योजनाओं का संबंध है, उनके लिए अतिरिक्त धन की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : एक व्यवस्था का प्रश्न है, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : इस अनुपूरक प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह कैसे संभव है?

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न के बारे में कुछ भी नहीं समझ पाया हूं।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : वास्तव में हमें सुसंगत अनुपूरक प्रश्न उठाने से भी रोका जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आपको कभी भी नहीं रोका गया है। आप पूछ सकते हैं। यदि नए व्यक्ति अधिक समय ले लेते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या कह सकता हूं?

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी : आप प्रश्नों को नामंजूर कर सकते हैं । मंत्री महोदय को उत्तर नहीं देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : तो वे लोग निराश हो जाते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पुरोहित, आप कोई ऐसा प्रश्न पूछिये, जिसका सीधा उत्तर दिया जा सकता है । आप अपने ही प्रश्न में खो गए । आप कोई छोटा सा प्रश्न पूछिए ।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मेरा सीधा प्रश्न यह है ।

अध्यक्ष महोदय : सीधा प्रश्न पूछ लेते, तो जवाब पहले मिल जाता ।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : कितने फ्रॉड हुए और उन में कितनों को सजा हुई ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसे पूछ लेते, तो अच्छा होता । आधा घंटा आपने लगा दिया ।

[अनुवाद]

अब उन्हें यह बताइए कि धोखा-धड़ी के इन मामलों में कितने व्यक्तियों को सजा दी गई है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आगे है, पढ़ तो लिया करो । आप पढ़ते क्यों नहीं क्वश्चन लिस्ट आप के सामने है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप पूछने का मौका नहीं देते ।

अध्यक्ष महोदय : सभी को मौका देता हूं बारी बारी । 544 माननीय सदस्य हैं । सभी को मौका देता हूं ।··· (व्यवधान) ···

कोई बात नहीं कसरत हो रही है ।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : 1982 में 528 मामलों में सजायें दी गई थीं । 1983 में 609 मामलों में तथा 1984 में 338 मामलों में सजायें दी गई थीं ।

अध्यक्ष महोदय : कितने व्यक्तियों को सजा दी गई थी ?

श्री जनार्दन पुजारी : 1984 में धोखाधड़ी के 2410 मामले थे और इससे 38 करोड़ तथा 39 करोड़ रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त थी ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि कितने व्यक्तियों को सजा दी गई है ?

श्री जनार्दन पुजारी : यह मामलों की संख्या है, जिनमें सजा दी गई है । जहां तक दण्डित किए गए व्यक्तियों की संख्या का संबंध है, नवीनतम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : तब हमें उसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी ।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मेरा प्रश्न यह है कि बैंक के जो एम्पलाईज इस कार्य में लगे हुए हैं, उनमें से कितने एम्पलाईज के ऊपर आपने कोर्ट में कैसेज किये हैं और उनमें से कितनों को सजा हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कह तो दिया है कि उनके पास इस समय इन्फार्मेशन नहीं है । कितनों को सजा हुई, यह इन्फार्मेशन वे आपको दे देंगे ।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि नेशनलाइज्ड बेंक्स में इतने सारे फ्राड हुए हैं और माननीय विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य बोलते हैं कि इस प्रश्न का इससे संबंध नहीं है। इसके बारे में स्टडी की गई है और रिसर्च स्कालर बोलते हैं कि 100 करोड़ रुपये का फ्राड है और माननीय मंत्री महोदय ने जो फिगर दिया है, वह बहुत कम है। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने किस आधार पर ये फिगर दिये हैं। कई तो ऐसे फ्राड हैं, जिनके बारे में मंत्री महोदय को मालूम नहीं है। क्या मंत्री महोदय इसके बारे में मालूमात करेंगे और उसके लिए कोई यंत्रणा तैयार करेंगे क्योंकि इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए एक यंत्रणा की जरूरत है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए कुछ उपाय खोजने होंगे।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, अन्तर-शाखा खातों का मिलान किया जा रहा है और सभी खाते मिलाए जा रहे हैं। तथा अन्य कदम भी उठाए गए हैं। जहां तक सतर्कता अनुभाग का संबंध है, हमने बैठक बुलाई भी और उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया था कि जैसे ही धोखाधड़ी का पता लगे उसकी रिपोर्ट वहीं करा दी जाए। वे सी० बी० आई० अथवा स्थानीय पुलिस के पास रजिस्टर कराए जायेंगे और पुलिस मुकद्दमे चलाएगी और जहां तक पता लगाने का संबंध है, हम ऐसे लोगों का पता लगा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको और अधिक कड़ा होना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं यह जानना चाहता हूं कि डिपार्टमेंटली कितने लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया, कितने लोगों के खिलाफ इन्क्वायरी की गई ? कितने केसिज में आपने लोगों को सजाएं दीं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, बेंकों के सम्बन्ध में पब्लिक अकाऊंटस कमेटी में हमें जानकारी हासिल करने का अधिकार नहीं है। इसका नतीजा यह होता है कि बेंकों में जितनी गड़बड़ियां होती हैं वह सामने नहीं आती हैं। बेंकों के अन्दर इतने फ्राड हो रहे हैं, हर साल फ्राड में कितना पैसा बेंकों का चला जाता है। आप यह बता दीजिए कि डिपार्टमेंटली कितने लोगों के खिलाफ इन्क्वायरी करके, कितने लोगों के खिलाफ चालान दर्ज करवाये गये, कितनों को गिरफ्तार करवाया गया ?

अध्यक्ष महोदय : पता करके यह सब खबर इनको भिजवा दीजिए।

श्री राम प्यारे पनिका : मान्यवर, एक कहावत है कि ज्यों-ज्यों दवा की त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता गया। उत्तरोत्तर यह मामला सदन में आता रहा है और उत्तरोत्तर बेंकों में गड़बड़ियां बढ़ती जा रही हैं जिसमें उच्च अधिकारियों का भी हाथ पाया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने कितने केसिज अब तक कोर्ट में भेजे हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या एक यूनियन के लोग ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : मामलों में बढ़ोत्तरी का एक कारण यह है कि पहले मामले तो होते थे परन्तु उनका पता नहीं लगाया जा रहा था। अब अन्तर-शाखा खातों के मिलान के लिए कार्यवाही किए जाने के फलस्वरूप और वरिष्ठ अधिकारियों की सतर्कता के कारण धोखाधड़ी होते ही पता चल जाता है। इसी कारण मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है। केवल यही नहीं। जैसा कि आप

जानते हैं, हमने किसी को बख्शा नहीं है। जहां तक सरकार का संबंध है राजनीतिक हस्तक्षेप को बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। हमने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कड़ी कार्यवाही की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

श्री अमल दत्त : यद्यपि संसद की वित्तीय समितियां विभिन्न सरकारी विभागों और सरकारी उपक्रमों के कार्यों की जांच करती है परन्तु बैंकों के कार्यकरण की जांच करने वाली कोई समिति नहीं है। इसी कारण बैंकों पर कोई संसदीय नियन्त्रण नहीं है सिवाए इसके कि प्रश्न पूछे जाएं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे जाएं और नियम 193 के अधीन चर्चा की जाए। यह पर्याप्त नहीं है। क्या सरकार एक संसदीय समिति द्वारा बैंकों का निरीक्षण किए जाने के बारे में निर्णय लेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं।

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक निजी व्यक्तियों के बैंक खातों का संबंध है, कानूनी प्रावधानों के कारण कोई सूचना प्रकट नहीं की जा सकती। कानूनी प्रावधानों के कारण किसी व्यक्ति के खाते के बारे में कोई सूचना नहीं दी जा सकती। यदि अधिनियम में संशोधन होगा तो कोई आपत्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : हम ऐसा कुछ अवश्य कर सकते है जिससे धोखाधड़ी को रोका जा सके। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

देश में नशीले पदार्थों का अधिक मात्रा में लाया जाना

*64. श्री जी० जी० स्वैल
श्री एस० एम० भट्टम } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लाए जाने वाले नशीले पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है;

(ख) क्या 14 जून, 1985 को इन पदार्थों के एक कुख्यात तस्कर से राजधानी में 3 करोड़ रुपए मूल्य की "हीरोइन" पकड़ी गई थी; और

(ग) इस वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान ऐसे पदार्थों के पकड़े जाने के कितने मामले हुए और पकड़े गए पदार्थों का रुपयों में मूल्य कितना था ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार के पास उपलब्ध रिपोर्टों से यह पता चलता है कि निकट और मध्य पूर्व क्षेत्रों से विशेषतया हेरोइन का देश में तस्कर-आयात 1983 से बढ़ रहा है जिसका गन्तव्य स्थान मुख्यतः पश्चिमी देश होते हैं।

(ख) दिल्ली पुलिस (उत्तर) के विशेष स्टाफ ने उत्तरी दिल्ली में दिनांक 14-6-1985 को 12.700 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी थी।

(ग) वर्ष 1985 के पूर्वार्ध में हीरोइन पकड़ने के 52 मामले हुए हैं, जिनमें कुल 70.676 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी गई। चूंकि मादक-द्रव्यों के अभिग्रहण के समय और स्थान, उनकी शुद्धता, स्थानीय मांग और पूर्ति विषयक स्थिति, आदि के कारण उनके गैर-कानूनी बाजार मूल्यों में बहुत अधिक अन्तर आ जाता है, इसलिए उक्त मादक-द्रव्य का कोई सुनिश्चित मूल्य नहीं बताया जा सकता है।

आर्थिक अपराधों और अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही

*65. श्री बल्लभ पाणिग्रही
श्री अमर राय प्रधान } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए विभिन्न कार्यवाहियों के समन्वयन और आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध अभियान को तेज करने के लिए हाल ही में क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ख) अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने कुछ दिन पूर्व आर्थिक अपराधों से निपटने के निमित्त, जिनके लिए इस समय अन्य अलग-अलग संगठन विद्यमान हैं, एक केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो गठित करने का फैसला किया है। संगठन का ब्यौरा तथा कार्य प्रणाली अभी निर्धारित की जानी है अत: इस समय किसी परिणाम का कोई प्रश्न नहीं उठता है। सरकार को आशा है कि इस ब्यूरो का शीघ्र ही गठन कर दिया जाएगा।

सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा उत्पादों का निर्यात

*66. श्री हरि कृष्ण शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान वर्ष-वार सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया गया; और

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के एककों के निर्यात कार्य में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा कोई उपाय किए गए थे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा 1983-84 के दौरान 4062.06 करोड़ रुपये और 1982-83 के दौरान 3404.43 करोड़ रुपए मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया गया है।

(ख) जी, हां।

धारक बांड योजना

*67. श्री एच० जी० रामुलू
डा० गौरी शंकर राजहंस } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में काला धन की उत्पत्ति का एक प्रमुख कारण धारक बांड योजना है;

(ख) क्या सरकार ने इस पहलू की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

लघु उद्योग निर्यात गृहों को मान्यता देने के लिये पंजीकरण संख्या की अनिवार्यता की शर्त

*68. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग निर्यात गृहों की मान्यता देने के लिये इस प्रकार की कोई शर्त है कि आवेदक के पास आयात नीति 1985-86 के अन्तर्गत उनके आवेदनों के सम्बन्ध में राज्य उद्योग निदेशक द्वारा पहली अप्रैल, 1985 से पहले का दिया गया स्थायी पंजीकरण नम्बर होना चाहिए;

(ख) क्या उपर्युक्त स्थायी पंजीकरण नम्बर रखने वाले आवेदकों के अपने द्वारा निर्मित माल के 1-4-1983 या 1-4-1984 या 1-4-1985 से पहले किये गये निर्यात पर पिछले तीन साल के औसत के रूप में 75 लाख रुपये की न्यूनतम निर्धारित सीमा की संगणना के लिये विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं विशेषकर उस स्थिति में जबकि स्वयं निर्मित उत्पादों को बेहतर किस्म और प्रतिस्पर्धा मूल्य का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र की अपेक्षा 1-4-85 से लागू की गई है और उससे अपने द्वारा निर्मित माल के पूर्ववर्ती निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

घाटे को पूरा करने के लिये केंद्र द्वारा राज्यों को मध्यावधि ऋण

*69. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
श्री बालासाहिब विखे पाटिल } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को घाटा पूरा करने के लिए मध्यावधि ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 28-1-85 की स्थिति के अनुसार राज्यों के ओवरड्राफ्टों के 90% के बराबर मध्यावधि ऋण प्रदान करने का निर्णय किया है। राज्यों को शेष 10% ओवरड्राफ्टों को 1 अक्तूबर, 1985 तक निपटाने की सलाह दी गई है। मध्यावधि ऋणों की वसूली आगामी चार वर्षों में बराबर-बराबर किस्तों में की जाएगी और उन पर 8% की दर से ब्याज लगेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रुग्ण कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

*70. श्री मूल चन्द डागा
श्री थम्पन थामस } : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत आने वाली रुग्ण कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण पर अगस्त, 1984 तक 266 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे लेकिन उनका कार्य निष्पादन अभी भी असन्तोषजनक है और सितम्बर, 1984 तक उनकी संचित हानि बढ़कर 750 करोड़ रु० हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त रुग्ण मिलों की संचित हानि कितनी है तथा मार्च, 1985 तक इन मिलों के आधुनिकीकरण पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या उक्त भारी हानि का कारण पुरानी मशीनें और श्रमिकों की आवश्यकता से अधिक संख्या का होना है;

(ङ) यदि हां, तो मशीनों को बदलने तथा फालतू श्रमिकों को अन्य कारखानों में स्थानान्तरित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) क्या घाटा उठाने वाली मिलों को परस्पर मिलाकर घाटे की राशि में कमी लाने का कोई प्रस्ताव है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) अगस्त, 1984 के अन्त तक एन० टी० सी० के अन्तर्गत वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण/नवीकरण पर लगभग 291 करोड़ रु० की राशि खर्च की गई थी। एन० टी० सी० तथा इसके 9 अनुषंगी निगमों द्वारा सितम्बर, 1984 तक उठाई गई संचयी हानियां 534.13 करोड़ रु० की थीं।

(ख) इन मिलों में सतत हानियों के प्रमुख कारण निम्नोक्त प्रकार हैं :

(1) बिजली की भारी कमी, आरक्षित बिजली की ऊंची लागत, रुई की अपर्याप्त सप्लाई के कारण मिलों की स्थापित क्षमता का कम उपयोग।

(2) रुई तथा अन्य अन्तर्निविष्ट साधनों की ऊंची कीमतें।

(3) बिजली, कोयले, पेट्रोलियम उत्पादों आदि की लागत में वृद्धि।

(4) भूतपूर्व मालिकों से प्राप्त पुरानी तथा अप्रचलित मशीनें।

(5) अधिक श्रमिक बल।

(6) वेतन/महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण मजदूरी/वेतनों में बराबर वृद्धि।

(7) वस्त्र उद्योग में कुल मिलाकर भारी बाजार मंदी।

(ग) एन० टी० सी० और उसके 9 अनुषंगी निगमों की मार्च, 1985 तक संचयी हानि 618.19 करोड़ रु० बैठती है। मार्च, 1985 तक एन० टी० सी० मिलों के आधुनिकीकरण पर 301 करोड़ रु० की राशि खर्च की गई है।

(घ) इन हानियों के बहुत से कारण हैं जिनमें मशीनों का पुराना पड़ जाना तथा अधिक श्रमिकों का होना शामिल है।

(ङ) 31 मार्च, 1985 को 301 करोड़ रु० की आधुनिकीकरण योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। आधुनीकीकरण कार्यक्रम सातवीं योजना के दौरान जारी रहेगा। श्रमिकों का सुव्यवस्थीकरण एक सतत प्रक्रिया है। एन० टी० सी० के अन्तर्गत लगभग सभी मिलों में बेशी श्रमिक हैं। इसलिए एन०टी०सी० ने अभी तक अन्त: एकक स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया है।

(च) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

रुग्ण तथा बन्द पड़े चाय बागानों का अधिग्रहण

*71. **श्री आनन्द पाठक :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुग्ण तथा बन्द पड़े चाय बागानों का अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इन चाय बागानों के अधिग्रहण के लिए बराबर मांग की जाती रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ङ) समय-समय पर चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण और साथ ही रुग्ण/बन्द बागानों के प्रबंधग्रहण के लिए सुझाव प्राप्त

हुए हैं। तथापि, कुल मिलाकर चाय उद्योग ठीक चल रहा है और रुग्णता को कम करके निम्न स्तर पर लाया गया है। वास्तव में 1982 से बन्द होने के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है। तथापि सरकार ने 8 अप्रैल, 1985 को चार रुग्ण चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण किया है जिनके प्रबंध का अभिग्रहण अनेक वर्षों पूर्व किया गया था।

[हिन्दी]

बैंकों द्वारा सूखाग्रस्त जिलों के किसानों को ऋण

*72. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सूखा ग्रस्त जिलों में कार्यरत बैंकों को किसानों को आसान शर्तों पर ऋण देने के निदेश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन किसानों को दी जाने वाली अन्य किस्म की सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न बैंकों को सूखा, बाढ़, बवंडर आदि जैसी प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों को राहत देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में अन्य बातों के अलावा विकास प्रयोजनों के लिए विविध प्रकार की ऋण सुविधाएं देना, ऋण की किस्तों के पुनर्निर्धारण करना, मार्जिन में अन्तर को माफ करना और जमानत के मानदण्डों में छूट देना शामिल है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे ऋणकर्ताओं की कठिनाइयों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें और सूखा-पीड़ित किसानों को रियायतें दें।

उत्तर प्रदेश में पोस्त की खेती में कमी

*73. श्री राजकुमार राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो या तीन वर्षों (1983-85) के दौरान उत्तर प्रदेश में पोस्त की खेती में बहुत कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार पोस्त उगाने वाले क्षेत्रों में खेती रोटेशन से कराने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उत्तर प्रदेश में अफीम पोस्त की काश्त का रकबा वर्ष 1982-83 में, 7,206.50 हेक्टेयर से कम होकर वर्ष 1983-84 में 5,742.69 हेक्टेयर और वर्ष 1984-85 में 5,668.45 हेक्टेयर रह गया है।

(ख) भारत में अफीम का उत्पादन अनिवार्यत: निर्यातोन्मुखी है। विश्वभर में स्वापक कच्ची सामग्री की अत्यधिक सप्लाई की वजह से, भारतीय अफीम को वैकल्पिक कच्ची सामग्री और खासकर पोस्त की भूसी के सांद्रण से अधिकाधिक मुकाबला करना पड़ रहा है। इसके कारण सरकारी कारखानों में बड़ा स्टाक जमा हो गया है। अत: सरकार को पोस्त की काश्त करने वाले तीन राज्यों में, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, पिछले तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पोस्त की काश्त के रकबे को कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

(ग) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा अमेरिका को अवैध निर्यात किये जा रहे सिले-सिलाये सूती वस्त्रों का पकड़ा जाना

*74. श्री वी० तुलसी राम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने दिल्ली हवाई अड्डों पर लाखों रुपयों के मूल्य के सिले सिलाए सूती वस्त्र पकड़े हैं, जिनका अवैध रूप से अमरीका को निर्यात किया जाना था;

(ख) क्या इस बारे में कुछ गिरफ्तारियाँ की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पकड़े गये माल का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 का उल्लंघन करने और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत गलत घोषणा किए जाने के कारण सीमाशुल्क अधिकारियों ने अप्रैल, 1985 के दौरान दिल्ली हवाई अड्डे पर स्थित कार्गो वेअरहाउस से तैयार पोशाकों, जैसे स्कर्ट, ब्लाउज, टॉप और स्त्रियों एवं पुरुषों के अन्य कपड़ों की 73 खेपें पकड़ी हैं जिनका कुल मूल्य 78.74 लाख रुपए आंका गया है। इन मामलों में कोई गिरफ्तारियां नहीं की गई है।

निजी क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत बैंकों का राष्ट्रीयकरण

*75. श्री ए० एन० नंजे गौडा
श्री जी० एस० बासवराजू } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय निजी क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत कुछ और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

अल्पकालिक जमाराशियों के लिये ब्याज दर

*76. श्री कमला प्रसाद सिंह
श्री वी० बी० रमैया } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की आपत्तियों की उपेक्षा करते हुए उनको अल्पकालिक जमाराशियों पर ब्याज दर में वृद्धि करने के लिए कोई निदेश जारी किया है;

(ख) इस वृद्धि के फलस्वरूप बैंकों पर कितना अतिरिक्त लागत भार पड़ने की सम्भावना है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने ब्याज दरों में वृद्धि के गुण दोषों का अध्ययन किया है;

(घ) क्या यह योजना देश में विदेशी बैंकिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु चलाई गई थी; और

(ङ) इस योजना को इसके लागू किए जाने के लगभग एक महीने के भीतर ही अकस्मात समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) और (ङ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अनुसार बैंकों की जमाराशियों पर ब्याज की दरें तय करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक में निहित है। जब कभी जरूरी होता है भारतीय रिजर्व बैंक के

गवर्नर ऋण और ब्याज दरों की नीतियों के संबंध में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए बैंकों के मुख्य कार्यपालकों की बैठकें करते हैं। दिनांक 6 अप्रैल, 1985 को बड़े-बड़े अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यपालकों की बैठक के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने 1985-86 की पहली छमाही के लिए ऋण नीति संबंधी उपायों की घोषणा की। इन उपायों के परिणामस्वरूप, 8 अप्रैल, 1985 से, अलग-अलग बैंकों को 15 दिन से अधिक लेकिन एक वर्ष से कम की परिपक्वता अवधियों की जमाराशियों के लिए 8% की निर्धारित उच्चतम सीमा के अन्दर अन्दर ब्याज की दरें तय करने की छूट दे दी गई।

धनराशियों की कुल लागत नई जमाराशियों के परिपक्वता स्वरूप, दीर्घावधिक जमाराशियों का अल्पकालिक जमाराशियों में और अल्पकालिक जमाराशियों का दीर्घावधिक जमाराशियों में परिवर्तन, विभिन्न परिपक्वताओं के ब्याज की दरों आदि पर निर्भर करता है। इसलिए 6 अप्रैल, 1985 को घोषित उपायों के परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त लागत आई है तो उसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं।

इन उपायों को लागू करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने यह नोटिस किया कि उपर्युक्त योजना परिकल्पित दिशाओं में नहीं जा रही है। इस योजना का प्रयोजन बैंकिंग प्रणाली से बाहर के साधनों को इस प्रणाली के अन्तर्गत लाना और जमाराशियों के पहले से बेहतर प्रबन्ध के लिए बैंकों को कुछ हद तक लचीलापन प्रदान करना था। कुछ बैंकों ने 15 दिन की परिपक्वताओं के लिए ही 8% की दर की पेशकश शुरू कर दी और अन्य बैंकों ने सीधे ही उसका अनुकरण कर लिया। इसलिए रिजर्व बैंक ने समीक्षा के बाद बैंकों को दिए गए इस विकल्प को वापस ले लिया और पूर्वनिर्धारित 8% की उच्चतम सीमा के अन्दर-अन्दर एक वर्ष से कम के पांच परिपक्वता अन्तरालों के लिए विशिष्ट ब्याज दरें निर्धारित कर दीं।

मुद्रा और ऋण संबन्धी नीतियों तथा ब्याज दर ढांचे से सम्बद्ध मामलों में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच आवश्यकतानुसार विचार-विमर्श किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

उन्नत प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिये जापान के साथ समझौता

*77. श्री बृजमोहन महन्ती : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्नत प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिये जापान के साथ किसी समझौते पर बातचीत चल रही है और क्या इसमें ईंधन की क्षमता के क्षेत्र में जापान में विकसित नई तकनीक और प्रौद्योगिकी और हमारे देश के इस्पात और उर्वरक संयंत्रों की उत्पादन लागत को कम करने की प्रौद्योगिकी भी शामिल है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रौद्योगिकी के आयात के लिये जापान द्वारा की गई 600 करोड़ रुपये की सहायता की पेशकश का उपयोग करने का है; और

(ग) क्या भारत सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि जापान से आयात की जाने वाली प्रौद्योगिकी का कन से क्षेत्रों में उपयोग किया जायेगा और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) उच्च प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए भारत सरकार तथा जापान के बीच किसी करार पर बातचीत नहीं हो रही है।

(ग) जी नहीं।

[हिन्दी]

राजस्थान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

*78. श्री शांति धारीवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रीयकृत बैंक की कुछ शाखाएं खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इनके खोले जाने की संभावना है तथा उन बैंकों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि बैंकों की उक्त शाखाएं खोलने का प्रस्ताव नहीं है, तो उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त करते हैं जो इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं । मार्च, 1985 के अन्त में राजस्थान राज्य में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास शाखाएं खोलने के लिए 26 लाइसेंस/प्राधिकार पत्र लंबित पड़े थे जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । इन बैंकों को शाखाएं खोलने के लिए लम्बित पड़े लाइसेंसों/प्राधिकार पत्रों का 30.9.1985 तक उपयोग करने का समय दिया गया है ।

विवरण

बैंक का नाम	जिला	केन्द्र का नाम
1. भारतीय स्टेट बैंक	बिकानेर	1. कामासर
2. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर		2. तारासुमा
		3. बलीपुर
		4. सवालना
		5. पस्ता
		6. सेमली
	कोटा	7. मोरक
3. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	बाड़मेर	8. बलोत्रा (औद्योगिक क्षेत्र)
4. सिंडिकेट बैंक	भरतपुर	9. भरतपुर-मट-टाउन
	गंगानगर	10. श्री गंगानगर रविन्द्रपथ रिहायसी कालोनी
5. यूनियन बैंक आफ इंडिया	जयपुर	11. चन्द्राना
		12. गणद्वारा
		13. बेराबंडा
6. पंजाब नेशनल बैंक	जयपुर	14. करनसर
		15. मांडवा
		16. बेजूपारा
		17. बिचाई
7. बैंक आफ इण्डिया	जयपुर	18. दन्तिल
		19. चिमोई
8. बैंक ऑफ बड़ौदा	सवाई माधोपुर	20. कटकर
		21. नरोली
		22. उपदखुर्द
		23. गरमोरा
9. न्यू बैंक ऑफ इण्डिया	धोलपुर-जयपुर	24. धोलपुर
		25. मंडोर
10. सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	कोटा	26. भवांडा

[अनुवाद]

लक्ष्मी कमर्शियल बैंक

*79. डा० वी० वेंकटेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यवहार्यता पर विस्तार से विचार करने के बाद पहले यह निर्णय किया गया था कि लक्ष्मी कमर्शियल बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा क्या लक्ष्मी कमर्शियल बैंक का अब किसी अन्य बैंक के साथ विलय करने का विचार है; और

(ग) पंजाब नेशनल बैंक या किसी अन्य बैंक से भी इस बैंक का अन्तिम रूप से विलय किए जाने से पूर्व तथ्यों को महत्व देने तथा इस पर उचित रूप में विचार करने के बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (ग) सरकार ने लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि० को पंजाब नेशनल बैंक में मिलाने का कोई निर्णय नहीं लिया था। अलबत्ता, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया गया था। सभी सम्बन्धित मुद्दों को देखते हुए लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि० का केनरा बैंक में मिलाने का निर्णय लिया गया।

2. विलय की ड्राफ्ट योजना जारी कर दी गई है। अंतरक बैंक और जमाकर्ताओं/ऋण-कर्ताओं और जनता से सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। विलय की योजना को अन्तिम रूप देने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी सुझावों/आपत्तियों पर ध्यान पूर्वक विचार किया जाएगा।

नियंत्रित कपड़े और जनता कपड़े का उत्पादन लक्ष्य बढ़ाना

*80. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नियंत्रित कपड़े और जनता कपड़े का उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने हेतु एक नई नीति के बारे में निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो नई कपड़ा नीति का ब्योरा क्या है तथा समाज के कमजोर वर्गों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिये क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कंट्रोल के कपड़े तथा जनता कपड़े के उत्पादन लक्ष्य को 650 मिलियन वर्गमीटर से बढ़ाकर 700 मिलियन वर्गमीटर करने का विनिश्चय किया है।

नई वस्त्र नीति में यह व्यवस्था है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कंट्रोल के कपड़े के कुल उत्पादन के उत्तरदायित्व को हथकरघा क्षेत्र को अंतरित कर दिया जाएगा। कंट्रोल के कपड़े तथा जनता कपड़े की मात्रा को, जो कि 650 मिलियन वर्गमीटर निर्धारित की गई थी, उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा ताकि जनसंख्या के कमजोर वर्गों को वहन की जा सकने वाली कीमतों पर कपड़े की अधिक मात्रा उपलब्ध हो सके। कपड़े की क्वालिटी में सुधार करने और

यह सुनिश्चित करने के भी उपाय किए जाएंगे कि वह लक्ष्य समूह तक पहुंचे। कंट्रोल के कपड़े के लिए सार्वजनिक वितरण को मजबूत तथा सुव्यवस्थित किया जाएगा।

कंट्रोल के कपड़े का वितरण का उत्तरदायित्व प्रमुख रूप से राज्य सरकारों का है। तथापि, राज्य सरकारों से कंट्रोल के कपड़े के संबंध में वितरण प्रबंधों को सुव्यवस्थित तथा मजबूत बनाने का अनुरोध किया गया है ताकि दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक कवरेज की जा सके और कदाचारों को रोका जा सके। हथकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादित जनता कपड़े के उत्पादन में राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं कि वे यह देखें कि वितरण का प्रबंध इस प्रकार से हो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के कमजोर वर्गों द्वारा अधिकतम उठान किया जाए।

[अनुवाद]

हल्दिया में जहाज तोड़ने का यार्ड स्थापित करने का प्रस्ताव

604. श्री अमल दत्त : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में जहाज तोड़ने का यार्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह संयुक्त उद्यम परियोजना होगी या कोई अन्य; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (च) भारत सरकार द्वारा अथवा संयुक्त उद्यम के रूप में हल्दिया में जहाज तोड़ने का यार्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एंग्लो-फ्रेंच टैक्सटाइल मिल्स पांडिचेरी को पुनः चालू करने के लिये जांच समिति

605. श्री अजित कुमार साहा
श्री रेणुपद दास } : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एंग्लो-फ्रेंच टैक्सटाइल मिल्स, पांडिचेरी को पुनः चालू करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक जांच समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका गठन कब किया गया था;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने एंग्लो-फ्रेंच टैक्सटाइल लि०, पांडिचेरी को पुनः चालू करने के अपने प्रयास करते हुए एंग्लो-फ्रेंच टैक्सटाइल लि०, पांडिचेरी को पुनः चालू करने की संभाव्यता की जांच करने के लिये

उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 15-क के अन्तर्गत एक समिति गठित की है देखिए अधिसूचना सं० का० आ० 299-ई० दिनांक 11 अप्रैल, 1985। समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 9 मई, 1985 को प्रस्तुत कर दी है। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ इस उपक्रम को पुन: चालू करने के लिये वैकल्पिक कार्यवाही करने पर भी विचार किया। समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा पन्ने का व्यापार

606. श्री जुझार सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने पन्ने का व्यापार शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अपरिष्कृत एवं तराशे हुए दोनों प्रकार के पन्ने के आयात, बिक्री और लाभ के आंकड़े क्या हैं;

(ग) इन वस्तुओं का उद्गम देश कौन सा है;

(घ) क्या कुछ समान खनिज एवं धातु व्यापार निगम के इस आश्वासन पर जयपुर की एक पार्टी को बेचा गया था कि परिष्कृत माल उसके द्वारा वापस खरीद लिया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो कितना माल वापस खरीद लिया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने 1984-85 में पन्नों का व्यापार आरम्भ किया है। आयातों, बिक्रियों तथा लाभों के ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं :

(1) अपरिष्कृत पन्ने	
आयात	22,58,876 रु०
बिक्रियां (मूल्य)	23,27,555 रु०
लाभ	27,000 रु०
(2) पालिश किए हुए पन्ने	
आयात	—
बिक्रियां (मूल्य)	11,41,832 रु०
लाभ	8,587 रु०
	(अन्य मूल्यवान मूल्यों सहित)

(ग) ब्राजील तथा जिम्बावे।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रुग्ण एककों को पुन: चालू करना

607. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के अधिकारियों के साथ रुग्ण एककों के लिए व्यवहारिक कार्यक्रमों और काम चलाऊ पूंजी हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करने तथा उक्त रुग्ण एककों को पुन: चालू करने हेतु प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण तथा दर्जा बढ़ाने के संबंध में विचार विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) औद्योगिक एककों से प्राप्त आवेदनों के संबंध में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (आई० आर० बी० आई०) अर्थक्षम रुग्ण एककों के लिए एक मिलाजुला उपयुक्त पुनरुद्धार सहायता कार्यक्रम तैयार करता है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक मामले पर गुण-दोषों के आधार पर कई रियायतें हो सकती हैं जैसे ब्याज दर में कटौती, देय राशियों का पुनर्निर्धारण, अदायगियों पर अधिस्थगन, ब्याज का निधीकरण आदि जैसी है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अलग-अलग मामले में आधुनिकीकरण और टेक्नालाजी का स्तर ऊंचा करने के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी पर भी विचार करता है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ने जून, 1985 के अन्त तक 379.20 करोड़ रुपए मंजूर किए और 262.80 करोड़ रुपए का संवितरण किया।

[हिन्दी]

काले धन के स्रोत रूप में विशेष धारक बांड

608. श्री सी० जंगा रेड्डी
डा० ए० के० पटेल
श्री सनत कुमार मंडल
श्री काली प्रसाद पांडेय
: क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काले धन के प्रभाव को कम करने के लिए 1981 में जारी किए गए 10,000 रुपए के विशेष धारक बांड स्वयं काले धन का स्रोत बन गए हैं और हाल ही में प्रत्येक का बाजार मूल्य 16,300 रुपए तक पहुंच गया है;

(ख) इस संबंध में पूर्ण तथ्य क्या हैं और काले धन को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या बिना बिके सभी धारक बांडों का विधिवत् लेखा जोखा किए जाने के बाद उन्हें नष्ट कर दिया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) धारक बांडों का कोई सरकारी लेन-देन नहीं होता है। काले धन के चलन को रोकने तथा उसके और आगे होने वाले प्रसार के निवारण के लिए समय-समय पर सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में प्रशासनिक, कानूनी और संस्थानिक उपाय शामिल हैं। बिना बिके हुए सभी बांडों को भारतीय रिजर्व बैंक की सुरक्षा में रखने के लिए वापस कर दिया गया है और बांडों को नष्ट करने के लिए मिलान, सत्यापन, आदि जैसी निर्धारित पद्धति का अनुपालन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

कपड़ा उत्पादों का निर्यात

609. श्री चिन्तामणि जेना : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान कितने मूल्य के कपड़ा उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान कपड़ा उत्पादों में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) हमारे उत्पादों का आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं तथा और अधिक विदेशी बाजार खोजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वृति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) 1984-85 के दौरान वस्त्र उत्पादों के निर्यातों को प्रस्तुत करने वाला विवरण एक संलग्न है।

(ख) 1985-86 के लिए लक्ष्यों को प्रस्तुत करने वाला विवरण दो संलग्न है।

वस्त्र उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए सुलभ ऋण योजना उपलब्ध है।

(2) देश में न बनने वाली आधुनिक वस्त्र मशीनों के आयात की खुले सामान्य लाइसेंस पर अनुमति दी गई है।

(3) विस्तृत अर्ज वाले शटल रहित करघों तथा रोटर कताई मशीनों के आयात की अनुमति निर्यात दायित्व के साथ रियायती आयात शुल्क पर है।

(4) परिधान तथा होजरी बनाने वाली 114 मशीनों को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है। इनमें से 97 मशीनों के आयात की अनुमति रियायती शुल्क का भुगतान करने पर दी गई है।

(5) 1 जनवरी, 1984 से वस्त्र मदों की कई श्रेणियों के लिए नकद मुआवजा सहायता (सी सी एस) की दरों में संशोधन करके उन्हें बढ़ाया गया है। 4 जुलाई, 1984 से सिलाई/कढ़ाई धागे भी नकद मुआवजा सहायता के लिए पात्र बना दिए गए हैं। यह नीति 1985 के लिए भी लागू की गई है।

(6) 100% निर्यात अभिमुख एककों की एक नीति योजना चालू है जिसमें विभिन्न वस्त्र मदें शामिल हैं। 100% निर्यात अभिमुख एकक तथा मुक्त व्यापार जोनों के एकक विभिन्न सुविधाओं के पात्र हैं जैसे पूंजीगत माल, कच्चा माल, संघटकों आदि का शुल्क मुक्त आयात।

(7) सरकार उत्पादों तथा क्षेत्रों के रूप में हमारे निर्यातों को बढ़ाने तथा उनका विविधीकरण करने के लिए संवर्धनात्मक गतिविधियों को प्रायोजित तथा आर्थिक सहायता प्रदान करती रही है जैसे बाजार अध्ययन, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(8) भारत से वस्त्रों के निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से आयात-निर्यात नीति को और उदार बनाया गया है।

(9) हमारे निर्यात प्रयास को और बढ़ावा देने की दृष्टि से नई वस्त्र नीति की घोषणा की गई है।

(ग) जिन प्रमुख देशों को भारत वस्त्र उत्पादों का निर्यात करता है, वे हैं : सं० रा० अमरीका, सोवियत संघ, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्य, स्वीडन, नार्वे, फिनलैंड, आस्ट्रिया, कनाडा, जापान, स्विट्जरलैंड तथा आस्ट्रेलिया। उपर्युक्त भाग (ख) में सूचीबद्ध उपायों के अतिरिक्त, सरकार नए बाजारों में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देती रही है।

विवरण-1

1984-85 के दौरान भारत से वस्त्र उत्पादों का निर्यात

(करोड़ रु० में)
(अनन्तिम)

क्रमांक मद	निर्यात 1984-85
1. सूती वस्त्र तथा मैड-अप्स (एम एम/पी एल) हथकरघा वस्त्र तथा मैड-अप्स सहित सूती धागा।	681.08
2. सिले-सिलाये परिधान	943.73
3. ऊन तथा ऊनी माल	88.20
4. रेशम	129.06
5. मानव-निर्मित वस्त्र	60.92
6. हस्तशिल्प की वस्तुएं	360.16 (परियोजना)

स्रोत : निर्यात संवर्धन परिषद/वस्तु बोर्ड।

विवरण-2

1985-86 के लिये वस्त्र उत्पादों के लिये निर्यात लक्ष्य

(करोड़ रु० में)

क्रमांक मद	लक्ष्य 1985-86
1. सूती वस्त्र तथा मैड-अप्स (एम एम/पी एल) हथकरघा वस्त्र तथा मैड-अप्स सहित सूती धागा।	610.00
2. सिले-सिलाए परिधान	1000.00
3. ऊन तथा ऊनी माल	110.00
4. रेशम	135.00
5. मानव निर्मित वस्त्र	75.00
6. हस्तशिल्प की वस्तुएं	440.00

मैसर्स इंडियन टुबैको कम्पनी लिमिटेड से वसूल किया गया उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क

610. श्री राम भगत पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1985 के दौरान मैसर्स इण्डियन टुबैको कम्पनी लिमिटेड से उत्पादन शुल्क अथवा सीमा शुल्क की कोई वसूली की है जिसकी वसूली लम्बित थी; और

(ख) यदि हां, तो मैसस इण्डियन टुबैको कंपनी लि० से वर्ष 1985 के दौरान वसूल की गई लम्बित वसूली का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की विपणन प्रणाली को सरल और कारगर बनाया जाना

611. श्री के० प्रधानी : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय कपड़ा निगम की विपणन प्रणाली को सरल और कारगर बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या बिचौलियों की भूमिका को कम करने के सम्बन्ध में भी कुछ कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) लाभ को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने और मिश्रित कपड़ों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) सरकार राष्ट्रीय वस्त्र निगम की विपणन प्रक्रिया सहित उसके कार्यों की समय-समय पर समीक्षा करती है। हाल ही में एन० टी० सी० के विपणन ढांचे को पुनर्संरचित किया गया है ताकि एकल निविदा प्रणाली के अन्तर्गत सरकार को सप्लाइयां पूरी की जा सकें और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों व राज्य सरकारों, संस्थाओं को बिक्रियां बढ़ाने के लिये प्रयास किये जा सकें तथा निर्यातों को बढ़ाया जा सके।

(ख) और (ग) केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बिक्रियां, एन०सी०सी०एफ० तथा उसकी अपनी खुदरा दुकानों के जरिए वितरित नियंत्रित कपड़े की बिक्रियां बिना बिचौलियों के सीधे ही की जाती हैं।

एन० टी० सी० मिलों द्वारा ब्लैंडिड वस्त्रों का उत्पादन 1989-1990 तक कुल कपड़े के उत्पादन के 4.6% से बढ़ाकर 19.7% करने का प्रस्ताव है। एन०टी०सी० ने नियंत्रित कपड़ा योजना के भाग के रूप में काटन पोलिस्टर ब्लैंडिड शटिंग का उत्पादन पहले ही आरम्भ कर दिया है।

उत्कृष्ट किस्मों के चावल का निर्यात

612. श्री सोभनाद्रीसवरा राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय खाद्य निगम के पास चावल का भारी भंडार जमा होने और 1983-84 में खाद्यान्नों की रिकार्ड पैदावार को देखते हुए सरकार का विचार बासमती चावलों की तरह, जिनका कि थोड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है, बढ़िया और उत्कृष्ट बढ़िया किस्म के चावल का भी विदेशों को निर्यात करने का है जिससे कि विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सके और किसानों को अपने धान का अच्छा मूल्य मिल सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): जी नहीं।

कोयला खानों को दोषपूर्ण विद्युत सप्लाई

613. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की सभी प्रमुख खानों में कोयले के कम उत्पादन का मुख्य कारण उनको दोषपूर्ण विद्युत सप्लाई है;

(ख) क्या सरकार ने कोयला खानों विद्युत सप्लाई की जांच करने के लिए कोई समिति नियुक्त की है;

(ग) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत होने की आशा है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) त्रुटिपूर्ण बिजली की सप्लाई से मुख्य रूप से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० के कोयले के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है।

(ख) सचिव (समन्वय), मंत्रिमंडल सचिवालय, की अध्यक्षता में दिनांक 27-5-1985 को एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति पूर्वी क्षेत्र-विशेषकर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० की खानों में बिजली की सप्लाई की समस्या पर विचार करेगी।

(ग) और (घ) यह संभावना है कि समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही दे देगी।

सरकार के खर्च पर नियंत्रण

614. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा केन्द्र तथा राज्य स्तर पर योजना तथा गैर योजना क्षेत्रों में सरकार के खर्च पर निगरानी तथा नियंत्रण रखने के लिए कोई कार्यवाही योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो मोटे तौर पर उसकी रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हाँ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के व्यय-योजनागत और योजना-भिन्न दोनों—की देखभाल नियमित अन्तरालों पर की जाएगी ताकि जहां कहीं आवश्यक हो उपचारात्मक उपाय किए जा सकें। जहां तक राज्य का सम्बन्ध है, केन्द्र ओवर-ड्राफ्ट की स्थिति पर निकट से निगरानी रखे हुए हैं।

गुजरात में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबन्धाधीन कपड़ा मिलें

615. श्री रणजीत सिंह गायकवाड : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितनी और कौन-कौन सी कपड़ा मिलों का प्रबन्ध राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड के हाथ में है;

(ख) सरकार/बैंक द्वारा उनमें से प्रत्येक में कितनी कार्यचालन पूंजी का निवेश किया गया है;

(ग) 31 मार्च, 1985 को शुद्ध हानि/लाभ की स्थिति क्या थी;

(घ) जिन मिलों को लगातार घाटा हो रहा है, उनके कार्यपाल को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (गुजरात) के प्रबन्ध के अन्तर्गत इस समय 11 राष्ट्रीयकृत वस्त्र मिले हैं। एन०टी०सी० के अन्तर्गत मिलों के नाम संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) प्रत्येक वस्त्र मिल में सरकार/बैंक द्वारा कार्यशील पूंजी निवेश की राशि दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

(ग) वर्ष 1984-85 के लिए एन० टी० सी० (गुजरात) के अन्तर्गत प्रत्येक एकक द्वारा अर्जित किए गए लाभ/हानि दर्शाने वाला विवरण-3 संलग्न है।

(घ) एन०टी०सी० (गुजरात) के अन्तर्गत मिलों के कार्य विष्पादन में सुधार के लिये उठाए गए / जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नोक्त प्रकार हैं :

(1) विभिन्न उपलब्ध माध्यमों से रुई की समय पर अधिप्राप्ति के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं;

(2) कार्यशील पूंजी की प्रतिपूर्ति की गई है ताकि नकद हानियों को पूरा किया जा सके;

(3) पावर कमी पर काबू पाने के उद्देश्य से स्वत: पैदा करने की क्षमता को बढ़ाया गया है;

(4) सभी स्तरों पर लागतों में कमी के लिए लागत नियन्त्रण विधियां शुरू की गई है;

(5) उपलब्ध स्रोतों के बेहतर प्रबन्ध के लिए आर्थिक सहायता के प्रबन्ध को सुदृढ़ बनाया जा रहा है;

(6) मिलों के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी योजना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(7) गैर संचालन संबंधी खर्चों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण-1

एन०टी०सी० (गुजरात) लि० के अंतर्गत वस्त्र मिलों के सम्बंध में सरकार/ बैंकों द्वारा किये गये कार्यशील पूंजी निवेश की राशि दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु० में)

मिल का नाम	सरकार द्वारा निवेश की गई कार्यशील पूंजी	बैंकों द्वारा निवेश की गई कार्यशील पूंजी
1. अहमदाबाद ज्यूपीटर टैक्सटाइल मिल्स	539.07	95.95
2. अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल मिल्स	108.41	83.88
3. हिमदारी टैक्सटाइल मिल्स	48.61	26.22
4. जहांगीर टैक्सटाइल मिल्स	259.97	65.48
5. न्यू मानकचौक टैक्सटाइल मिल्स	73.69	22.33
6. राजनगर टैक्सटाइल मिल्स (सं० 1) 7. राजनगर टैक्सटाइल मिल्स (सं० 2)	433.09	90.88
8. महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स	113.86	122.25
9. पैटलैंड टैक्सटाइल मिल्स	105.96	74.13
10. राजकोट टैक्सटाइल मिल्स	34.48	41.65
11. वीरमगाम टैक्सटाइल मिल्स	80.89	64.04
योग	1818.03	685.81

विवरण-2

राष्ट्रीय वस्त्र निगम गुजरात लि० के अंतर्गत वस्त्र मिलों के नाम

1. राजकोट टैक्सटाइल मिल्स, राजकोट ।
2. महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स, भावनगर ।
3. पैटेलैंड टैक्सटाइल मिल्स, पैटेलैंड ।
4. अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद ।
5. अहमदाबाद ज्यूपीटर टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद ।
6. जहांगीर टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद ।
7. राजनगर टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद (नं० 1)
8. राजनगर टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद (नं० 2)
9. वीरमगांव टैक्सटाइल मिल्स, वीरमगांव ।
10. न्यू मानकचौक टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद ।
11. हिमदारी टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद ।
12. *फाइन निटिंग टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद ।

*एक न्यायाधीन मामले के कारण कब्जा नहीं लिया जा सका ।

विवरण-3

राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड

लाभ/हानि स्थिति (अनन्तिम)
(लाख रु० में)

अनुषंगी निगम : एन०टी०सी० (गुजरात) लि०

मिल का नाम	1984-85
1. राजकोट टैक्सटाइल मिल्स, राजकोट	77.41
2. महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स, भावनगर	193.52
3. पेटलैंड टैक्सटाइल मिल्स, पेटलैंड	161.12
4. अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	247.62
5. अहमदाबाद ज्यूपीटर टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	319.98
6. जहांगीर टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	277.74
7. राजनगर टैक्सटाइल मिल्स, सं० 1 8. राजनगर टैक्सटाइल मिल्स, सं० 2	332.32
9. वीरमगांव टैक्सटाइल मिल्स, वीरमगांव	138.29
10. न्यू मानकचौक टैक्सटाइल्स मिल्स, अहमदाबाद	151.40
11. हिमाद्वारी टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	89.31
12. फाइन निटिंग मिल्स, अहमदाबाद	आरम्भ नहीं हुई

सब : एच०ओ० समायोजन ।

सिक्कों और छोटे नोटों की भारी कमी

616. **श्री सैयद मसुदल हुसैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्कों और छोटे नोटों की निरन्तर भारी कमी के कारण मूल्य स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो कुल मूल्य वृद्धि में इसका कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ऐसी स्थिति में जहां सिक्कों की भारी कमी हो, वास्तविक व्यवहार में, विक्रेताओं और क्रेताओं की लेनदेनों को पूर्णांकित करने की प्रवृत्ति रहती है। पूर्णांकन किसी भी ओर हो सकता है और इसलिए यह स्वतः एक दूसरे को निष्प्रभाव कर देता है। सिक्कों और नोटों की कमी और सामान्य मूल्य वृद्धि में ज्ञात रूप में कोई संबंध नहीं है।

(ख) इसलिए सिक्कों की कमी से मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का निर्धारण करना संभव नहीं है।

पटसन की बिक्री

617. **श्री रेणुपद दास :** क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान मौसम में बाजार में बिक्री के लिए कुल कितनी मात्रा में पटसन आया;

(ख) पटसन मिल मालिकों ने इसमें से कितनी मात्रा में पटसन की खरीद की;

(ग) भारतीय पटसन निगम के अलावा अन्य एजेंसियों ने कितना पटसन खरीदा; और

(घ) इन एजेंसियों के बारे में सरकार के क्या विचार हैं और इसका ब्योरा क्या है?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह): (क) चालू पटसन मौसम 1985-86 के दौरान अब तक बाजार में पटसन की कुल आवक का 1 लाख से 2 लाख गांठों के बीच होने का अनुमान है। आवक इस समय असम, उत्तरी बंगाल और उत्तरी बिहार के अगेती बुआई वाले क्षेत्रों वाले बाजारों तक ही सीमित है।

(ख) और (ग) बताया जाता है कि उद्योग तथा व्यापार सभी देहाती बाजारों में पटसन की खरीद कर रहा है।

(घ) आवश्यक होने पर कारगर मूल्य समर्थन सुनिश्चित करने के लिए मूल्य पर नियमित निगरानी रखी जा रही है।

वस्त्र उद्योग आधुनिकीकरण कोष

618, **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र उद्योग आधुनिकीकरण कोष के बारे में सरकारी नीति को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ द्वारा कोई सुझाव दिए गए हैं। अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) नई वस्त्र नीति के अन्तर्गत एक वस्त्र आधुनिकीकरण कोष सृजित करने का विनिश्चय किया गया है ताकि उद्योग आधुनिकीकरण के लिए घरेलू संसाधन बना सकें। ठीक-ठीक कार्य-पद्धतियों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना में निजी निगमित क्षेत्र की वित्त व्यवस्था के बारे में योजना आयोग द्वारा नियुक्त अध्ययन समूह की प्रश्नावली के अपने उत्तरों में भारतीय रुई मिल्स फैडरेशन ने अन्य बातों के साथ-साथ वस्त्र उद्योग की आधुनिकीकरण आवश्यकताओं की वित्त व्यवस्था के लिए संसाधन अन्तर को पूर्ति के लिए एक वस्त्र आधुनिकीकरण कोष का सृजन करने का सुझाव दिया था। उनके सुझाव के अनुसार कोष निम्नोक्त प्रकार से सृजित किया जा सकता है :

(क) मिलों से एकत्र किए गए उत्पादन शुल्क में से लगभग 20 प्रतिशत की वापसी; और

(ख) मिलों को इस बात की अनुमति देना कि वे इस शर्त के आधार पर कि इस प्रकार निर्धारित की गई राशि का उपयोग केवल आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित मशीनों के भुगतान के लिए किया जाएगा, मूल्यह्रास से पहले का पूर्व लाभों के 30% तक राशि का विनियोग कर सकेंगे और उसे अलग रख सकेंगे। इस प्रकार से व्यवस्थित राशि विनियोग वर्ष में फिर से भुगतान किए गए कर के लिए पात्र होनी चाहिए।

सिले-सिलाये कपड़ों का निर्यात

619. डा० ए० के० पटेल : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री वस्त्रों के निर्यात के बारे में 27 जुलाई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 894 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपरोक्त प्रश्न के वक्तव्य में उल्लिखित वर्ष 1981 से 1983 के दौरान (1) कोटे की वस्तुएं (2) गैर-कोटे की वस्तुएं प्रत्येक देश (ई०ई०सी० देश सहित) प्रत्येक श्रेणी की कुल कितनी मात्रा तथा मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया;

(ख) वर्ष 1980 से 1983 के दौरान प्रत्येक वर्ष में निर्यात की कुल मात्रा तथा मूल्य दर्शाते हुए प्रत्येक नियंत्रित देश की कौनसी प्रमुख गैर-कोटे की वस्तुओं का निर्यात किया गया; और

(ग) उपरोक्त प्रश्न के भाग (ख) के पैरा (6) में दिए गए उत्तर तथा परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् (ए०ई०पी०सी०) के तारीख 4-6-1984 के नीति परिपत्र संख्या 84/18 के संदर्भ में, क्या 1985 की कोटा नीति के लिए व्यापार परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् के सदस्यों द्वारा भरी रचित प्रश्नावली में दिए गए सुझाव की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1238/85]

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1238/85] वर्ष 1980 के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) 1985 के लिए निर्यात हकदारी वितरण नीति के बारे में व्यापारी वर्ग द्वारा दिए गये स्वीकृत सुझावों का सारांश अपरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल द्वारा यथा प्रस्तुत सभा-पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1238/85]

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

620. श्री वसुदेव आचार्य : क्या इस्पात खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त आधुनिकीकरण इस बीच प्रारम्भ हो गया है; और

(ग) यदि नहीं तो, आधुनिकीकरण का कार्य प्रारम्भ न करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सरकार ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने का प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा आधुनिकीकरण करने के लिए प्रारम्भिक तथा समर्थकारी कार्य करने के लिए 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। सातवीं योजना के अन्तर्गत इस्पात क्षेत्र को धन का आवंटन करने के कार्य को अन्तिम रूप देने के पश्चात् ही इस योजना पर पूंजी-निवेश सम्बन्धी निर्णय लिया जाएगा।

बिहार में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं खोलना

621. श्री प्रकाश चन्द्र : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की जिलेवार कितनी शाखाएं खोली गईं;

(ख) क्या वर्ष 1985-86 में बैंकों की शाखाओं में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 में बिहार में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की जिलेवार और कितनी शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों ने बिहार में 777 शाखाएं खोलीं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1985 के शुरू में राज्य में नए कार्यालय खोलने के लिए बैंकों के पास 441 प्राधिकार पत्र थे। जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। बैंकों से लम्बित प्राधिकार पत्रों का जल्दी उपयोग करने के लिए कहा गया है ।

विवरण

जिला	1-1-1982 से 31-12-1984 के बीच खुले कार्यालयों की संख्या	28-2-85 को बैंकों के पास शाखा खोलने के वास्ते लम्बित प्राधिकारी पत्रों की संख्या
1. औरंगाबाद	18	8
2. बेगूसराय	12	5
3. भागलपुर	25	7
4. भोजपुर	10	25
5. दरभंगा	26	8
6. धनबाद	28	2
7. गया	23	23
8. गिरडीह	24	6
9. गुड्डा	5	2
10. गोपालगंज	13	12

1	2	3
11. हजारीबाग	5	19
12. कटिहार	16	15
13. मधेपुरा	6	10
14. मधुबनी	21	12
15. खागरका 16. मुंगेर	29	19
17. मुजफ्फरपुर	21	15
18. नालंदा	23	10
19. नवादा	25	4
20. पलाम	16	2
21. पश्चिम चम्पारन	17	9
22. पटना	36	7
23. पूर्णिया	44	42
24. पूर्वी चम्पारन	20	13
25. रांची	42	14
26. रोहतास	20	13
27. सहरसा	31	24
28. समस्तीपुर	48	12
29. संथाल परगना	41	20
30. सारन	24	24
31. सिवन	48	13
32. सिंह भूम	25	18
33. सीतामढ़ी	20	18
34. वैशाली	15	10
जोड़	777	441

देश में कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण

622. श्री हरिहर सोरन : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश की कुछ कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीयकरण के लिये कौन-कौन सी कपड़ा मिलों का चयन किया गया है; और

(ग) इन कपड़ा मिलों का कब राष्ट्रीयकरण किया जायेगा ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने देश में कुछ वस्त्र मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय नहीं किया है ।

सोवियत संघ द्वारा कपड़े की खरीद

623. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने भारत से कपड़ा खरीदने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) क्या इसके लिये कोई दीर्घावधि खरीद कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सोवियत संघ द्वारा भारत से कुल कितने मूल्य का कपड़ा खरीदे जाने का प्रस्ताव है तथा कब तक ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ने सोवियत संघ के साथ दीर्घावधि व्यापार कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के लिये बातचीत आरम्भ कर दी है।

[हिन्दी]

शिशु मुण्डों का निर्यात

624. श्री लाला राम केन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मानव अस्थि-पिंजर, विशेष रूप से शिशुओं के अस्थि-पिंजर भारत से विदेशों को निर्यात किये जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमती देने का उद्देश्य क्या है; और

(ग) इस व्यापार में कितनी फर्में / व्यक्ति लगे हुए हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस व्यापार से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) मानव कंकालों तथा उनके हिस्सों के निर्यात की अनुमति पत्तन लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा इनके प्रमाण-पत्र पेश करने पर दी जाती है (1) पुलिस प्राधिकारियों का, जो कि सम्बन्धित पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी से कम स्तर के न हों, प्राप्ति के स्रोत के बारे में प्रमाण-पत्र, जिसमें वजन या संख्या के रूप में मात्रा भी बताई जानी चाहिए, और (2) विदेशी खरीदार का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि मानव कंकालों की आवश्यकता केवल जीव वैज्ञानिक तथा चिकित्सा सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये है।

(ग) मानव कंकाल और उसके हिस्से मद को अलग से वर्गीकृत नहीं किया जाता है जिसके आधार पर डी० जी०, सी० आई० एण्ड एस० कलकत्ता द्वारा निर्यात आंकड़े संकलित किये जाते हों। सी० सी० आई० एण्ड ई० के कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार 1984-85 के दौरान 'मानव कंकालों और उसके हिस्सों' के निर्यात 154.39 लाख रु० के हुए। ये मदें प्राय: कलकत्ता पत्तन से निर्यात की जाती हैं तथा कलकत्ता सीमा-शुल्क द्वारा हर रोज जारी की जाने वाली सीमा शुल्क सूची में बताए गये अनुसार इनके छ: प्रमुख निर्यातक हैं।

[अनुवाद]

मौजूदा रिक्त पदों और नये पदों पर भर्ती पर प्रतिबन्ध में छूट

625. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य की ओर ध्यान है कि डाक तथा तार, पर्यटन और नगर विमानन आदि जैसे विभागों में संचालनात्मक पदों पर भर्ती के लिए 1974 में लगाए गए प्रतिबन्ध से छूट दी गयी थी और इन विभागों के केवल प्रशासनिक पद ही इस प्रतिबंध के अन्तर्गत आते थे;

(ख) यदि हां, तो क्या वैसा ही रवैया इस बार अपनाए जाने का विचार है और क्या मौजूदा रिक्त पदों और नए पदों के लिए भर्ती पर 1984 में लगाए प्रतिबन्ध को उपयुक्त ढंग से संशोधित किया जाएगा जिससे कि स्थिति 1974 के प्रतिबंध जैसी हो जाए;

(ग) यदि हां, तो अपेक्षित संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) मुद्रा स्फीति निरोधक उपायों के एक भाग के रूप में जनवरी, 1984 में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को सलाह देते हुए अनुदेश जारी किये गये थे कि जहां रिक्तियों को भरने के लिए पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी गई हो उनको छोड़कर रिक्तियाँ भरी जाएं और तब से परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे इन अनुदेशों में ढील दी जा सके।

सीमा-शुल्क समाहर्ता द्वारा प्रभादेवी भांडागार का खाली किया जाना

626. **श्री नटवर सिंह सोलंकी** : क्या वित्त मन्त्री सीमा शुल्क समाहर्ता कार्यालय बम्बई के भांडागार से चोरी के बारे में 12 अप्रैल, 1985 के तारांकित प्रश्न संख्या 407 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई नगर निगम द्वारा सीमा शुल्क समाहर्ता, बम्बई के कब्जे में प्रभादेवी भाण्डागार के इस्तेमाल में परिवर्तन की ओर ध्यान न दिए जाने के क्या कारण हैं, विशेष रूप से जबकि आवासीय फ्लैटों के निर्माण की योजना निगम द्वारा पास की गई है; और

(ख) क्या सीमा शुल्क समाहर्ता, बम्बई ने 30 जून, 1985 को एक वैकल्पिक स्थान ढूंढ लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बम्बई नगर निगम द्वारा यह सूचित किया गया है कि प्लाट के मामलों को कुछेक शर्तों को पूरा करने के लिए कहा गया था और वे शर्तें पूरी नहीं की गई हैं और इसलिए नगर निगम ने प्रयोग में इस परिवर्तन के लिए कोई ध्यान नहीं दिया।

(ख) समाहर्तालय वैकल्पिक आवास के लिए प्राप्त प्रस्तावों की जांच कर रहा है।

फैरो-सिलिकान की कमी

627. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और अन्य इस्पात कारखानों के लिए फैरो-सिलिकान की कमी है, (बिजनैस स्टैंडर्ड 8-7-1985);

(ख) यदि हां, तो क्या इसका आयात किया जाएगा;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में बिजली की कमी के कारण फैरो-सिलिकान के उत्पादन में कमी हुई है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के कारखाने फैरो सिलिकान की कमी का सामना कर रहे हैं।

(ख) फैरो सिलिकन का आयात करने से संबंधित मामला स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) कर्नाटक और उड़ीसा के संभारकों द्वारा की जाने वाली फैरो-सिलिकान की सप्लाई में कमी की समस्या का सामना कर रही

है। आन्ध्र प्रदेश से "सेल" को फैरो सिलिकान की सप्लाई करने वाले संभारक ने वर्ष 1984-85 के दौरान उन्हें सौंपे गए आर्डरों की आपूर्ति कर दी है।

दिल्ली में बैंक डकैतियां

628. श्री काली प्रसाद पांडे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 15 जुलाई, 1985 तक पिछले छः महीने के दौरान कितनी बैंक डकैतियां पड़ी हैं;

(ख) इन बैंक डकैतियों में कुल कितनी धनराशि लूटी गई है; और

(ग) इन बैंक डकैतियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) चार।

(ख) लगभग 7.66 लाख रुपए।

(ग) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अपनी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कहा है। बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त कार्यकारी दल की रिपोर्ट बैंकों और राज्य सरकारों को भेज दी गई है ताकि वे इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर अमल करें।

[हिन्दी]

फर्मों द्वारा बैंक ऋण लेकर गायब हो जाना

629. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जुलाई, 1985 के "जनसत्ता" (दिल्ली से प्रकाशित) में "80 लाख कर्ज लेने के बाद चार फर्में गायब, शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की इस मामले की जानकारी है और रिजर्व बैंक इस मामले में अन्य बैंकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक को तथाकथित फर्मों के "गायब" होने के बारे में कोई सूचना नहीं है। बैंक आफ बड़ौदा और इलाहाबाद बैंक के बीच मध्यस्थता के प्रश्न पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथारिटी को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना

630. श्री भोला नाथ सेन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथारिटी को स्वायत्त निर्णय लेने वाली संस्था बनाने का कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो (एक) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और (दो) पश्चिम बंगाल में फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से निदेश के प्रस्तावों को समय पर मंजूरी देने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) फाल्टा निर्यात संसाधन क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना इस लिये की गई है ताकि उसे क्षेत्र के शीघ्र विकास करने और सुचारु रूप से कार्य करने के लिये निर्णय लेने के लिये व्यापक अधिकार प्राप्त हो सकें। समय पर क्लियरेंस के लिये एक ही स्थान पर क्लियरेन्स सुविधा के जरिए क्षेत्र के लिये अनुमोदन बोर्ड क्षेत्र में औद्योगिक और विनिर्माण एककों को स्थापित करने हेतु प्रस्तावों पर विचार करता है।

दोहरे कराधान को समाप्त करने के लिये अन्य देशों के साथ करार

631. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों का क्या ब्योरा है जिनके साथ भारत ने दोहरे कराधान को समाप्त करने के लिए करार किया है; और

(ख) दोहरे कराधान को समाप्त करने के रास्ते में क्या कठिनाइयां आ रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें ऐसे देशों की सूची दी गई है, जिनके साथ भारत ने दोहरे कराधान के परिहार के लिए करार किए हैं। अनेक अन्य देशों के साथ ऐसे करारों के निष्पादन के लिए बातचीत चल रही है। ऐसे समझौतों में सम्बन्धित देशों से आपसी हित में राजस्व को बांटने की अपेक्षा होती है तथा इसमें पेचीदा कानून और अन्य मामले भी अन्तर्ग्रस्त होते हैं, इसलिए करार सामान्यतः काफी विचार-विमर्श और बातचीत के बाद ही किया जाता है। इस प्रक्रिया में समय काफी लगता है।

विवरण

व्यापक करार	सीमित करार
1. आस्ट्रिया	1. अफगानिस्तान (वा०)*
2. बैल्जियम	2. आस्ट्रेलिया (वा०)
3. डेनमार्क	3. बुल्गेरियां (ज०)
4. फिनलैंड	4. चेकोस्लोवाकिया (ज०)
5. फ्रांस	5. इथोपिया (वा०)
6. जर्मनी संघीय गणराज्य	6. ईरान (वा०)
7. ग्रीस	7. इटली (वा०)
8. जापान	8. कुवैत (वा०)
9. लीबिया	9. लेबनान (वा०)
10. मलेशिया	10. रूमानियां (वा०ज०)
11. मारीशस	11. स्विट्जरलैंड (वा०)
12. नार्वे	12. यू०एस०एस०आर० (ज०)
13. सिंगापुर	13. संयुक्त राज्य अमेरिका (वा०)
14. श्रीलंका	14. पोलैंड (ज०)
15. स्वीडन	15. यू० के० (सं० शु०)
16. तन्जानियां	16. जर्मन जनवादी गणराज्य (ज०)
17. संयुक्त अरब गणराज्य	17. ओमान (वा०)
18. यू० के०	
19. जाम्बिया	
20. सीरिया	

*वा०	—	वायुयान
ज०	—	जहाजरानी
वा० ज०	—	वायुयान और जहाजरानी
सं० शु०	—	सम्पदा शुल्क

[हिंदी]

पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के बिना निपटाए गए दावे

632. श्री मदन पांडे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों द्वारा दायर किये गए दावों में कितने दावों का अभी तक नहीं निपटाया गया है और उनको तेजी से निपटाने के लिए कार्यवाही की जा रही है;

(ख) बंगलादेश बनने के बाद विस्थापित लोगों द्वारा कितने दावे दायर किये गये और उनमें से कितने दावे अभी निपटाए जाने बाकी हैं; और

(ग) उन मामलों को तेजी से निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) मूलतः शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक, बम्बई के यहां अनुग्रह अदायगी के लिए 3944 ई० जी० दावे पंजीकृत किये गए। इनमें से 43 निपटान के लिए लम्बित हैं। इनका अब संस्थापन भी किया जा रहा है।

(ख) शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक, बम्बई को यहां 53,549 दावे पंजीकृत किये गए। इनमें से 14298 मामलों में अदायगी की गई है। 24,659 मामलों को समाप्त हुआ माना गया क्योंकि 21,820 दावेदारों ने अपूर्ण आवेदन फाइल किये थे और 2839 मामलों में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए थे। लम्बित मामलों की कुल संख्या 14,652 है।

(ग) सरकार लम्बित दावों के निपटाने के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाती रही है जैसे कि अनुग्रह अदायगी के संवितरण के कार्य को बम्बई से कलकत्ता स्थानान्तरित करना, सत्यापन पैनलों की संख्या में वृद्धि करना आदि।

[अनुवाद]

फ्रांस के साथ व्यापार करार

633. श्री ई० अय्यापु रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री के हाल के फ्रांस के दौरे के दौरान फ्रांस के साथ भारत द्वारा किये गये व्यापार करार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या फ्रांस भारत से कुछ खास किस्म की वस्तुएं आयात करने को सहमत हुआ है; और

(ग) नवीनतम करार के बाद भारत और फ्रांस के बीच का व्यापार संतुलन क्या रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जून, 1985 में प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान भारत फ्रांस के साथ किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशों के साथ व्यापार समझौते

634. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान अन्य देशों के साथ किए गए व्यापार समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सोवियत संघ, जर्मन संघीय गणराज्य, जर्मन लोक तंत्रात्मक गणराज्य, अमरीका, यूगोस्लाविया और चीन के साथ व्यापार में क्या प्रगति हुई है तथा उससे भारत को क्या लाभ हुआ है; और

(ग) सरकार का इन देशों को किन-किन वस्तुओं का निर्यात और वहां से किन-किन वस्तुओं का आयात करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) गत एक वर्ष में भारत ने चीन के साथ एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये हैं। करार की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) इन देशों के साथ समग्र व्यापार 1982-83 में 6831 करोड़ रु० से बढ़कर 1983-84 में 7911 करोड़ रु० हो गया है और, निर्यात 1982-83 में 2955 करोड़ रु० से बढ़कर 1983-84 में 3163 करोड़ रु० के हो गए हैं। (देशवार वार्षिक व्यापार आंकड़े केवल 1983-84 तक के लिए उपलब्ध हैं)।

(ग) भारत इन देशों से मुख्यत: पूंजीगत माल तथा औद्योगिक कच्चे माल का आयात करता है और उन्हें कृषि संबंधी वस्तुओं, खनिज अयस्कों, चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित उत्पादों, वस्त्रों, रसायनों, इन्जीनियरी माल, हस्तशिल्प की वस्तुओं आदि का निर्यात करता है।

विवरण

15-8-1984 को भारत और चीन के बीच हस्ताक्षरित व्यापार करार की मुख्य विशेषताएं :—

1. आमुख के अन्तर्गत दोनों देशों व उनके लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाने और साथ ही समानता तथा पारस्परिक लाभ के आधार पर व्यापारिक तथा आर्थिक संबंधों का संवर्धन करने की इच्छा व्यक्त करता है।

2. प्रत्येक देश दूसरे देश के वाणिज्य को परम मित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान करेगा।

3. दोनों में से प्रत्येक देश के माल सहित अथवा माल रहित व्यापारी जहाजों को परम मित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान किया जाएगा।

4. दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए सभी भुगतान दोनों में से प्रत्येक देश में लागू विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अध्यधीन दोनों देशों को स्वीकार्य मुक्त रूप में परिवर्तनीय मुद्राओं में किये जायेंगे।

5. पक्षकारों को अपने विवाद यथासम्भव रूप में मैत्रीपूर्ण वार्ताओं के माध्यम से निपटाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक खण्ड शामिल किया गया है अन्यथा इस करार के उपबन्धों के अनुसार विवाचन का, सहारा लिया जा सकता है।

6. करार के साथ वस्तुओं की एक सूची संलग्न की गई है ताकि उनके आयात/निर्यात में सुविधा रहे। भारतीय सूची में विविध स्वरूप के विनिर्मित माल तथा वस्तुओं पर विशेष बल दिया गया है।

7. दोनों देशों ने यथावश्यक रूप में एक दूसरे के साथ परामर्श करने और बारी-बारी से नई दिल्ली और बीजिंग में बैठक करने की सहमति व्यक्त की है।

8. करार इस पर हस्ताक्षर की तारीख से लागू हुआ है और वह उसकी समाप्ति की तारीख से 6 माह पूर्व दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा एक लिखित सूचना द्वारा समाप्त न किये जाने तक अनुवर्ती अवधियों के लिए स्वत: अवधिवृद्धि के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए रहेगा।

[अनुवाद]

भर्ती पर प्रतिबन्ध

635. श्री ललित माकन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने का है;

(ख) क्या भर्ती पर प्रतिबन्ध से काम में रुकावटें आ रही हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के अनेक विभाग में ऐसे खाली स्थानों को नहीं भरा गया है जो बहुत समय पहले सरकार के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सृजित किए गए थे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) मुद्रा स्फीति निरोधक उपायों के एक भाग के रूप में, जनवरी, 1984 में भारत सरकार के मन्त्रालयों/विभागों को विद्यमान रिक्तियों को न भरने की सलाह दी गई थी। तथापि, अपवाद स्वरूप अनुकम्पा के आधार पर मृत कर्मचारियों के आश्रितों और अपंग व्यक्तियों की नियुक्ति, एक संगठन के फालतू हुए कार्मिकों को दूसरे संगठन में उन्हें रोजगार देने, समूह "घ" रिक्तियों पर नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने, रिक्तियों को केवल मात्र पदोन्नति द्वारा भरने आदि जैसे कुछ चुने हुए मामलों में छूट दी गई है। तथापि, सरकारी सेवाओं की कार्य-कुशलता को ध्यान में रखते हुए अन्य प्रकार की रिक्तियों को भरे जाने के प्रस्तावों पर प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर विचार किया जाता है। वर्तमान अनुदेशों में परिवर्तन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

जहाजों को तोड़ने हेतु हल्दिया में मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन का एक एकक स्थापित करने का प्रस्ताव

636. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन के समक्ष जहाजों को तोड़ने हेतु हल्दिया, पश्चिम बंगाल में अपना एक एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव था और वह गत दो वर्षों से उक्त निगम के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन ने उसकी पूरी तरह जांच कर ली है और वह किसी निष्कर्ष पर पहुंच गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन के कब तक ऐसा करने की संभावना है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग) हल्दिया में जहाज तोड़ने के यंत्रीकृत यार्ड की स्थापना करने के सम्बन्ध में मेटल स्क्रैप ट्रेड का० (एम० एस० टी० सी०) से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया गया था लेकिन इस प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया था क्योंकि सरकार ने यह निर्णय लिया था कि एम० एस० टी० सी० केवल जहाज तोड़ने की गतिविधियों का विकास करने के कार्य तक ही अपनी भूमिका सीमित रखे और स्वयं इस प्रकार की सुविधाओं की स्थापना नहीं करे।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन और सलेम इस्पात संयंत्र का विस्तार

637. श्री के० राममूर्ति : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के कार्य के विस्तार की मंजूरी दे दी गई है;

(ख) क्या सलेम इस्पात संयंत्र के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त (क) और (ख) के संबंध में क्या ब्यौरा है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) नेवेली में, 4.7 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता वाली लिग्नाइट खान-II और और 630 मे० वा० (3 × 210 मे० वा०) क्षमता वाला ताप बिजली घर-II फरवरी, 1978 में स्वीकृत किया गया था। लिग्नाइट खान-II खुल गई है और ताप बिजली घर-II की स्थापना का कार्य काफी आगे बढ़ चुका है। खान-II का विस्तार करके उसकी क्षमता 10.5 मिलियन टन लिग्नाइट प्रतिवर्ष करने और ताप बिजली घर-II का विस्तार करके उसकी क्षमता 1470 मे०वा० (अतिरिक्त 4 × 210 मे०वा०) करने का प्रस्ताव फरवरी, 1983 में स्वीकृत हुआ था। विस्तार योजनाओं के लिए आवश्यक मुख्य उपकरणों के निविदाओं के संसाधन का काम काफी आगे बढ़ चुका है।

इण्डियन टोबैको कम्पनी और हैदराबाद की वजीर सुल्तान कम्पनी द्वारा उत्पाद शुल्क का अपवंचन

638. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि इण्डियन टोबैको कम्पनी और हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश की वजीर सुल्तान कम्पनी उनके द्वारा बनाई गई सिगरेटों का बिक्री मूल्य मुद्रित नहीं कर रही है और उनके द्वारा इस प्रकार पिछले पांच वर्षों के दौरान 500 करोड़ रुपये से अधिक के उत्पाद शुल्क का अपवंचन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) केवल पहली मार्च, 1983 से ही, सिगरेटों पर उत्पादन-शुल्क की दर को मुद्रित बिक्री मूल्य से जोड़ दिया गया था। सिगरेट के पैकेटों पर बिक्री मूल्य मुद्रित किये बिना मैसर्स इण्डियन टोबैको कम्पनी लिमिटेड द्वारा सिगरेटों की निकासी का कोई भी मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है। 15 मार्च से 29 मार्च, 1984 तक की अवधि के दौरान, मैसर्स वजीर सुल्तान टोबैको कम्पनी ने, अलग-अलग पैकेटों पर बिक्री मूल्य छापने के स्थान पर 200 सिगरेटों के बक्सों पर खुदरा मूल्य अंकित करने के पश्चात् सिगरेटों को निकासी की थी। मैसर्स वजीर सुल्तान टोबैको कम्पनी को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को लगभग 17 लाख रुपये की मांग जारी कर दी गई है।

झींगा मछली के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

639. श्री विजय एन० पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983-84 और 1984-85 के दौरान झींगा मछली का कितना निर्यात किया गया तथा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार यदि कोई नीति अपना रही है, तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) झींगा मछली के निर्यात :

	मात्रा (मे० टनों में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1983-84	54513	315.10
1984-85	55507	330.01

(ख) झींगा मछली के उत्पादन तथा मूल्य वर्द्धित मदों के निर्यात को बढ़ावा देकर निर्यात बढ़ाने की नीति सरकार द्वारा अपनायी जा रही है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और विस्तार

640. श्री अजय विश्वास
श्री वी० सोभनाद्रीश्वरा राव } : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विभिन्न इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और तकनीकी रूप से दर्जा बढ़ाने, विस्तार संबंधी योजनाओं की मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इनका संयंत्र वार ब्योरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न इस्पात संयंत्रों में विभिन्न योजनाओं के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है तथा उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में यदि कोई प्रगति हुई है तो उसका ब्योरा क्या है?

इस्पात, विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० (सेल) ने दुर्गापुर, राउरकेला तथा "इस्को" के बनपुर स्थित इस्पात कारखानों का क्रमश: 990 करोड़ रुपए, 690 करोड़ रुपए तथा 930 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से प्रौद्योगिकीय उन्नयन करने की योजनाएं तयार कर ली हैं। सातवीं योजना के अन्तर्गत इस्पात क्षेत्र को धन का आवंटन करने के कार्य को अन्तिम रूप देने के पश्चात् ही इन प्रस्तावों पर पूंजी निवेश सम्बन्धी निर्णय लिया जाएगा।

इन योजनाओं में इस बात की परिकल्पना की गई है कि लागत की दृष्टि से उचित तथा मितव्ययी प्रौद्योगिकियां अपनाकर इन कारखानों की स्थापित क्षमता की पुन: प्राप्ति की जाएगी।

बोकारो तथा भिलाई के इस्पात कारखानों की क्षमता का 40-40 लाख टन तक विस्तार करने का कार्य चल रहा है। इन योजनाओं की नवीनतम अनुमानित लागत क्रमश: 2000 करोड़ रुपए तथा 2300 करोड़ रुपए है। बोकारो इस्पात कारखाने की विस्तार योजना की कुछ सुविधाओं की व्यवस्था कर ली गई है। समग्र योजना की व्यवस्था जनवरी, 1988 तक हो जाने की संभावना है। इसी प्रकार भिलाई इस्पात कारखाने की विस्तार योजना की कुछ सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। समग्र योजना की व्यवस्था सितम्बर, 1987 तक हो जाने की सम्भावना है।

[हिंदी]

बैंक में डाके की घटनाएं

641. श्री सरफराज अहमद
श्री काली प्रसाद पांडेय } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान राज्यवार कितनी बैंक डकैतियां हुई हैं और इनमें जानमाल की कितनी क्षति हुई है;

(ख) बैंक लूटने की घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन घटनाओं की शीघ्र रोकथाम के लिए बैंकों तथा निकट के पुलिस स्टेशन के साथ किसी प्रकार का सम्पर्क स्थापित करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों से, जिन पर मूलत: कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, बैंक लूटपाट/डकैतियों की घटनाओं को रोकने के लिए उचित उपचारात्मक उपाय करने का अनुरोध किया गया था। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को भी अपने-अपने परिसरों में सुरक्षा उपाय मजबूत करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। बैंकों की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर विचार करने के लिए अगस्त, 1982 में सरकार द्वारा गठित उच्च शक्ति प्राप्त कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि पुलिस तुरन्त सम्पर्क के लिए कुछ खास-खास टेलीफोनों का केवल बैंकों द्वारा उपयोग किये जाने के सुझाव पर विचार कर सकती है। बैंक लागत-लाभ को ध्यान में रखते हुये, सुरक्षा सम्बन्धी उन विभिन्न उपायों पर क्रमबद्ध रीति से अमल कर रहे हैं, जिनकी सिफारिश इस कार्यकारी दल द्वारा की गई थी।

कार्यकारी दल की रिपोर्ट गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को भेज दी गई है ताकि राज्य सरकारें रिपोर्ट में दी गई इनसे सम्बन्धित सिफारिशों के संदर्भ में तुरन्त और कारगर कदम उठा सकें।

विवरण

दिनांक पहली अप्रैल, 1985 से 30 जून, 1985 की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा सूचित डकैतियों/लूटपाट की संख्या उनमें अन्तर्गत राशि और मारे गये व्यक्तियों की राज्यवार संख्या

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बैंक लूटपाट/डकैतियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (लाख रुपए)	जान की हानि
1.	असम	1	0.28	1
2.	बिहार	3	5.59	—
3.	दिल्ली	1	—	1
4.	कर्नाटक	2	0.60	—
5.	महाराष्ट्र	1	4.18	—
6.	मध्य प्रदेश	2	2.47	—
7.	नागालैंड	2	11.42	—
8.	पंजाब	4	0.92	—
9.	उत्तर प्रदेश	3	14.81	—
		19	40.17	2

[अनुवाद]

वित्तीय वर्ष में परिवर्तन करने के बारे में झा समिति की सिफारिशें

642. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष में परिवर्तन करने के बारे में झा समिति की सिफारिशों की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इन सिफारिशों पर अपनी राय भेज दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में की गई राज्य-वार टिप्पणियां क्या हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) वित्तीय वर्ष में परिवर्तन सम्बन्धी समिति की सिफारिशों की जांच राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करते हुए की जा रही है। इन सिफारिशों पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विचार अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण

643. श्री चित्त महाता : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पटसन उद्योग के राष्ट्रीयकरण से पटसन उद्योग की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसके स्थान पर सरकार पटसन उद्योग की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं में से प्रत्येक पर कार्यवाही करने के लिए उपाय करती रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों का बकाया होना

644. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की भारी राशि वसूल करने में असफलता के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सही लोगों को ऋण में दिये जाने अथवा बैंक अधिकारियों द्वारा ऋणों की वसूली में उदासीनता दिखाये जाने के कारण बकाया राशि में काफी वृद्धि हो गई है;

(ग) क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन अधिकारियों के नाम क्या हैं, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या उपयुक्त कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों की खराब वसूली के मुख्य कारण ये हैं : ऋण की अदायगी में जान-बूझकर चूक करना, प्राकृतिक विपदायें, नियंत्रण तंत्र की अपर्याप्तता, अग्रिम के बारे में अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई, विशेषज्ञता और कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अभाव, ऋण प्रस्तावों का दोषपूर्ण मूल्यांकन और ऋणकर्ताओं की ऋण प्राप्त करने की क्षमताओं का गलत मूल्यांकन करना। ये वे कारण हैं, जिनकी वजह से विभिन्न बैंकों की बकाया रकमों में विभिन्न सीमाओं में वृद्धि हुई है।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऋणों के उपयोग पर कड़ी नजर रखने और आवश्यकतानुसार उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिये कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को उन सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी परामर्श दिया है जहां अधिकारियों की लापरवाही, अकुशलता अथवा बेईमान पार्टियों के साथ संदिग्ध सांठ-गांठ के कारण अग्रिमों की राशि स्टिकी हो जाए।

बैंक प्राधिकारी निर्धारित नियमों तथा प्रक्रिया के अनुसार संबन्धित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हैं।

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्रों को 1983-84 और 1984-85 के दौरान हुई हानियां

645. श्री गुरुदास कामत : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इस्पात संयंत्रों को 1983-84 और 1984-85 के वर्षों के दौरान भारी हानि हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इन दो वर्षों के दौरान संयंत्रवार कितनी हानि हुई;

(ग) क्या हानि को कम करने के लिए इन संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

इस्पात विभाग में कोयला मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह): (क) और (ख) वर्ष 1983-84 में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की लाभ और हानि की स्थिति निम्नलिखित है :—

(करोड़ रुपए)

इकाई का नाम	(लाभ(+)/हानि(—)
भिलाई इस्पात कारखाना	(—) 2.83
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	(—) 63.73
राउरकेला इस्पात कारखाना	(—) 100.32
बोकारो इस्पात कारखाना	(+) 0.55
मिश्र इस्पात कारखाना	(—) 33.75
सेलम इस्पात कारखाना	(—) 18.08
अन्य इकाइयां	(+) 3.63
कुल (सेल)	(—) 214.53
इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि० (इस्को)	(—) 24.06

लेखों को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही वर्ष 1984-85 के परिणामों का पता चल सकेगा, लेकिन ऐसी आशा है कि इस वर्ष "सेल" को संतुलित लाभ होगा। वर्ष 1984-85 में भिलाई, बोकारो तथा राउरकेला और सेलम के इस्पात कारखानों को लाभ होने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि०, (सेल) ने दुर्गापुर, राउरकेला तथा "इस्को" के बर्नपुर इस्पात कारखानों का क्रमश: 990 करोड़ रुपए, 690 करोड़ रुपए तथा 930 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से प्रौद्योगिकीय उन्नयन करने की योजनाएं तैयार कर ली हैं। सातवीं योजना के अंतर्गत इस्पात क्षेत्र को धन का आवंटन करने के कार्य को अन्तिम रूप देने के पश्चात् ही इन प्रस्तावों पर पूंजी-निवेश सम्बन्धी निर्णय लिया जाएगा।

वर्ष 1985-86 के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए अपने वर्ष 1984-85 के 52·8 लाख टन इस्पात के उत्पादन को वर्ष 1985-86 में बढ़ाकर 59 लाख टन करेंगे। ये कारखाने उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नयन, उपोत्पादों के उत्पादन में वृद्धि और कारखानों से निकलने वाले बेकार तथा गौण पदार्थों की बेहतर प्राप्ति, कार्यकारी पूंजी में कमी, माल सूची में कमी, गृहीत विद्युत संयंत्र के उत्पादन में वृद्धि, बेहतर रख-रखाव तथा अपने प्राडक्ट-मिक्स में विविधता लाकर मांग के अनुरूप माल के उत्पादन में वृद्धि करेंगे। उपयुक्त क्वालिटी के आदानों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किये जा रहे है।

विश्व काफी व्यापार में भारत का हिस्सा

646. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व काफी व्यापार में भारत का कितना हिस्सा है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत के हिस्सों में कुछ वर्षों से कमी आई थी; और

(ग) यदि हां, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) गत सात काफी वर्षों में काफी के विश्व निर्यातों में भारत का भाग नीचे दिए गए अनुसार है :—

(मे० टन में)

काफी वर्ष	विश्व निर्यात	भारत का भाग
1978-79	38,02,320	64,620
1979-80	36,21,000	69,120
1980-81	35,54,280	99,360
1981-82	38,05,800	90,480
1982-83	39,28,380	68,820
198 '-84	41,78,460	66,390
1984-85	उपलब्ध नहीं	96,500 (अनुमानित)

कमियों के पुनर्वितरण सहित तदर्थ कोटा व्यवस्था से वर्ष 1980-81 या 1981-82 में निर्यातों के बेहतर भाग को प्राप्त करने में भारत की मदद मिली। बाद के 2 वर्षों में कम निर्यात मुख्य रूप से सूखे के कारण उत्पादन में कमी होने से हुआ। 1984-85 के लिए संविदा किए गए निर्यातों की मात्रा में अच्छी फसल और गैर-कोटा देशों को ज्यादा बिक्रियों के कारण पर्याप्त सुधार हुआ है।

अपने निर्यात कोटा को बढ़ाने के लिए भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय काफी परिषद् का प्रतिनिधित्व भी किया है।

[हिन्दी]

आयकर अपवंचन को रोकने के लिये उपाय

647. श्री वृद्धि चन्द्र जैन
डा० चंद्र शेखर त्रिपाठी
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
: क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अपवंचन को रोकने के लिये चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये गये हैं;

(ख) आय कर अपवंचकों के विरुद्ध क्या कठोर कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इस वर्ष के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों पर कितने अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गईं और क्या उनके विरुद्ध आपराधिक मामले दायर किये गये और इस संबन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार, कर अपवंचकों और काले धन की वृद्धि के खिलाफ जोरदार उपाय करने के लिए पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। काले धन के चलन को रोकने और उसके आगे होने वाले प्रसार के निवारण के लिए समय-समय पर सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं। इन उपायों में प्रशासनिक, विधायी और सांस्थानिक उपाय शामिल हैं। इस वर्ष में दो अधिकारियों को नौकरी से बरखास्त किया गया।

[अनुवाद]

कंपनियों द्वारा उत्पाद और सीमा-शुल्क के मामले में बेईमानी

648. श्री सोडे रमैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा हाल ही में किये गये कम्प्यूटर के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला है कि बड़ी और छोटी कम्पनियां उत्पाद और सीमा शुल्क के रूप में सरकार से 1700 करोड़ रुपये से अधिक राशि की बेईमानी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस भारी धनराशि को वसूल करने और भविष्य में इस प्रकार की बेईमानी को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इसका प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, सरकार ने उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क के अपवचन को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों के अन्तर्गत, निवारक जांच के कार्य को बढ़ाया जाना, विशेष सैलों द्वारा मूल्यांकन की जांच का कार्य किया जाना और शुल्कय माल का निर्माण करने वाले एककों का विशेष सर्वेक्षण किया जाना सम्बन्धी उपाय भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

इस्पात की उत्पादन क्षमता

649. श्री विष्णु मोदी : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस्पात की मांग और पूर्ति की तुलना में कुल उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात एककों में अलग-अलग कुल कितना इस्पात का उत्पादन हुआ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उनमें कुल कितना उत्पादन हुआ तथा उनकी अधिस्थापित क्षमता कितनी थी और तत्संबंधी विस्तृत ब्योरा क्या है;

(घ) सरकार का विचार, देश में इस्पात की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने का है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) लोहे तथा इस्पात से संबन्धित कार्यकारी दल ने यह परिकल्पना की है कि वर्ष 1985-86 में देश में तैयार इस्पात की मांग 113.5 लाख टन होगी जबकि देशीय स्रोतों से तैयार इस्पात की उपलब्धिता 99 लाख टन होगी। वर्तमान वर्ष के शुरू में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की विक्रेय इस्पात के उत्पादन के लिए निर्धारित क्षमता 09.4 लाख टन थी। देश में लघु इस्पात कारखानों की लाइसेंसीकृत क्षमता लगभग 60 लाख टन है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों में अर्थात् वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की विक्रेय इस्पात की क्षमता तथा उत्पादन निम्नलिखित रहा :—

(लाख टन)

सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने	1982-83		1983-84		1984-85	
	निर्धारित क्षमता	वास्तविक उत्पादन	निर्धारित क्षमता	वास्तविक उत्पादन	निर्धारित क्षमता	वास्तविक उत्पादन
सरकारी क्षेत्र	72	56.7	72	47.7	72	52.8
गैर-सरकारी क्षेत्र	15	16.2	15	16.2	17.4	17.1

(घ) से (ङ) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड बोकारो तथा भिलाई-दोनों कारखानों में से प्रत्येक की इस्पात पिंड के उत्पादन की वार्षिक क्षमता 25 लाख टन से 40 लाख टन तक करने सम्बन्धी विस्तार की दो प्रमुख योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है।

इसको, दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा राउरकेला इस्पात कारखाने का क्रमशः 931.3 करोड़ रुपए, 981.00 करोड़ रुपए तथा 691.2 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पुनरुद्धार तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन करने की योजनाएं भी तैयार कर ली गई हैं। इन योजनाओं से इन कारखानों को अपनी-अपनी निर्धारित क्षमता प्राप्त करने तथा देश में इस्पात की मांग की पूर्ति करने में मदद मिलेगी।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कपास का निर्यात

650. श्री अमर सिंह राठवा : क्या वस्त्र और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की कपास का निर्यात किया गया और प्रत्येक कपास उत्पादक राज्य से कितनी मात्रा में इसका निर्यात किया गया;

(ख) क्या कपास का आयात किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की कपास का आयात किया गया और किस देश से तथा कौन सी किस्म की कपास का आयात किया गया;

(घ) इस आयात के क्या कारण हैं; और

(ङ) आयात की जा रही कपास का देश में ही उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ताकि विदेशी मुद्रा बचाने के लिये आयात को रोका जा सके ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान जून, 1985 तक राज्य वार निर्यातित कपास की मात्रा और मूल्य निम्नोक्त प्रकार है—

राज्य	मात्रा (लाख गांठें)	मूल्य (करोड़ रु०)
महाराष्ट्र	0.63	18.81
गुजरात	0.21	4.91
आन्ध्र प्रदेश	0.15	
तमिलनाडु	0.01	
कर्नाटक	0.19	17.7
गुजरात	0.03	
मध्य प्रदेश	0.03	
असम	0.039	1.0
योग :	1.29	42.42

(ख) से (घ) रुई परामर्शी बोर्ड द्वारा किए अद्यतन मूल्यांकन के अनुसार, चालू रुई मौसम के दौरान छोटे माध्यम स्टेपल रुई की कमी होने की सम्भावना है। इसलिए सरकार ने चालू रुई मौसम के दौरान भारतीय रुई निगम की मार्फत छोटे मध्यम स्टेपल रुई की एक लाख गांठें आयात करने का विनिश्चय किया है। वह देश/विदेश जहां से रुई का आयात किया जाएगा, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त रुई की उपलब्धता कीमत आदि पर निर्भर करेगा।

(ङ) सरकार मामले से अवगत है। 6 जून, 1985 को सरकार द्वारा घोषित नई वस्त्र नीति में यह शर्त है कि रुई की वर्तमान किस्म संबंधी असंतुलन को एक ओर रुई की लम्बी और अति लम्बी किस्मों के बढ़े हुए प्रयोग तथा दूसरी ओर छोटी तथा दरम्याना किस्मों के बेहतर उत्पादन के लिए लक्ष्य की गई नीतियों को मिलाकर ठीक किया जायेगा।

भारतीय सामान के निर्यात हेतु बाजारों का पता लगाया जाना

651. श्री एम० सुब्बा रेड्डी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अति आवश्यक विदेशी मुद्रा के अर्जन हेतु निर्यात में वृद्धि के उपायों पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने इलेक्ट्रानिक्स कम्प्यूटर, साफ्टवेयर, जूतों, भारतीय मसालों आदि जैसे विभिन्न देशीय उत्पादों के लिये बाजारों का पता लगाया है अथवा क्या विदेशों में भारतीय सामान के लिये बाजार तैयार करने के लिये एक अध्ययन किया है; और

(ग) निर्यात में वृद्धि के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। नए उत्पादों और नए बाजारों के लिए समय समय पर बाजार सर्वेक्षण तथा अध्ययन किये जाते हैं।

(ग) भारत के निर्यात बढ़ाने के लिए आयात तथा निर्यात नीति उपायों का बराबर पता लगाया जा रहा है। इनमें उत्पादन बढ़ाने तथा विविधीकरण करने, अपने निर्यातों को अधिक प्रति-योगी बनाने, हमारे उत्पादों के लिए नए बाजारों का पता लगाने तथा अधिक मूल्य अधिप्राप्ति के लिए वस्तुओं का संसाधन करने के उपाय शामिल हैं। इस उद्देश्य के लिए सरकार के उपलब्ध नीति के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जा रहा है और जब कभी आवश्यक होता है समायोजन किया जाता है।

सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते को आयकर से छूट

652. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथा वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते को आयकर से छूट देने के प्रश्न पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार महंगाई भत्ते को आयकर से छूट देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) चौथे वेतन आयोग को कर्मचारियों के कुछ संघों/संस्थाओं से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनमें सुझाव दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों (महंगाई भत्ते सहित) को आयकर से छूट दी जाए। आयोग उसके विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत आने वाले अन्य मामलों के साथ-साथ कर्मचारियों की इस मांग पर भी समुचित विचार करेगा।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

चौथे वेतन आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना

653. **श्री धर्म पाल सिंह मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथे वेतन आयोग द्वारा भारत सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) इसके कब तक प्रस्तुत तथा कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) चौथे वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों के अनुसार आयोग से अपेक्षा की गई थी कि जितनी जल्दी व्यावहारिक हो वह अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें लेकिन यदि आवश्यक हो तो वह किसी भी विषय पर, जब भी सिफारिशों को अन्तिम रूप दे दिया जाए, रिपोर्ट भेजने पर भी विचार कर सकता है। आजकल आयोग सक्रिय रूप से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों और सम्बद्ध मामलों की जांच और समीक्षा करने में व्यस्त है इसके साथ-साथ आयोग कर्मचारी संघों के मौखिक साक्ष्य रिकार्ड करने में व्यस्त हैं—अभी तक आयोग के समक्ष 305 संघ/संस्थाएं उपस्थित हो चुकी हैं। यह कार्य शीघ्र ही पूरा होने की सम्भावना है, इसके बाद आयोग कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों और सरकारी गवाही के साथ विचार विमर्श करेगा।

तथापि, इस स्तर पर यह बताना सम्भव नहीं है कि आयोग कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। और/या कब तक सरकार द्वारा उसको कार्यान्वित किया जाएगा।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आबूधाबी को चावल का निर्यात

654. **डा० जी० रामाराव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने अपने बोर्ड की अनुमति के बिना आबूधाबी को 10,000 मीट्रिक टन चावल सप्लाई करने हेतु करार किये हैं;

(ख) क्या टूना परियोजना के लिए भी इसी तरह की स्थिति पैदा की गई है जिसे स्थगित कर दिया गया है; और

(ग) इस संबन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) एस० टी० सी० ने 6.3.1985 को आबूधाबी नगर, पालिका के साथ मुहरबन्द नमूना सं० 7 के अनुसार ग्रेड बी की भारतीय बासमती चावल के 10,000 मै० टन के निर्यात के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर किए जिसमें 7500 मै० टन की पक्की वचनबद्धता थी तथा 2500 मै० टन के एच्छिक निर्यात प्रथम पोतलदान के 30 दिन के भीतर एस० टी० सी० द्वारा किए जाने थे। संविदा कार्यान्वित नहीं की जा सकी क्योंकि विदेशी खरीदार ने संविदा रद्द कर दी।

(ख) एस० टी० सी० ने टूना मछली पालन के प्रायोजक कार्य के लिए वायरेगी के सोसेटा एसरसीजियों कंनटेरी, इटली के साथ एक करार किया है जो कि एस०टी० सी० बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् ही प्रभावी होगी। एस० टी० सी० बोर्ड ने प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया है तथा करार समाप्त हो गया है।

(ग) आबूधाबी को बासमती के चावल के निर्यात के लिए एस० टी० सी० द्वारा प्रयास जारी हैं।

मानव कंकालों, खोपड़ियों के निर्यात पर रोक

655. श्री मोहम्मद महफूज अली खां, श्री लाला राम केन, श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मानव कंकालों और खोपड़ियों के निर्यात पर प्रतिबन्ध के बावजूद कुछ व्यापारियों द्वारा छोटे बच्चों के कंकालों सहित मानव कंकालों और खोपड़ियों तथा चुनी हुई अस्थियों का निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस अवैध व्यापार को बन्द करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) मानव कंकालों तथा उनके हिस्सों के निर्यात की अनुमति पत्तन लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा इनके प्रमाण पत्र पेश करने पर दी जाती है (1) पुलिस प्राधिकारियों का, जो कि संबन्धित पुलिस थाने से प्रभारी अधिकारी से कम स्तर के न हो; प्राप्ति के स्रोत के बारे में प्रमाण पत्र, जिसमें वजन या संख्या के रूप में मात्रा भी बताई जानी चाहिए, और (2) विदेशी खरीदार का इस आशय का प्रमाण पत्र कि मानव कंकालों की आवश्यकता केवल जीव वैज्ञानिक तथा चिकित्सा संबन्धी प्रयोजनों के लिए है। इस मद के निर्यात को विनियमित करने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय हैं।

संबन्धित राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है कि इस बारे में कोई अनियमितताएं न हों।

थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि

656. श्री एस० जी० घोलप, श्री चिन्तामणी पाणिग्रही, श्री बी० के० गढ़वी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से जुलाई, 1985 तक प्रत्येक महीने के अन्त पर थोक मूल्य सूचकांक क्या था; और

(ख) सूचकांक में वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं और इसमें कमी के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

सप्ताहान्त	थोक मूल्य सूचकांक (1970-71 100)
27.4.1985	358.2
25.5.1985	351.9 (अ)
29.6.1985	357.0 (अ)
6.7.1985 (अद्यतन उपलब्ध)	358.9 (अ)

(अ) = अनन्तिम

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान मूल्य सूचकांक में वृद्धि मौसमी दबावों के कारण हुई। सरकार की मुद्रास्फीति विरोधी नीति का जोर पहले की तरह मांग और पूर्ति के प्रभावी प्रबन्ध पर है जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, राजकोषीय अनुशासन लागू करना और अर्थ-व्यवस्था में समूची नकदी को नियंत्रण में रखना शामिल है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि मुनाफाखोरी, जमाखोरी तथा कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

बैंकों से दोषपूर्ण अथवा कटे फटे करेंसी नोटों को बदलना

657. श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात की जानकारी है कि आम आदमी को बैंकों से दोषपूर्ण अथवा कटे-फटे करेन्सी नोटों को बदलने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गन्दे नोटों को बदलने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंकों की कुछ शाखाओं से मैले/कटे फटे नोट बदलने में आने वाली कठिनाइयों के संबध में जनता से शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं को मैले और कुछ कटे फटे नोट बदलने के अधिकार दिए हैं। बैंकों को प्रदत्त अधिकारों को अधिक कारगर बनाने और इस प्रकार ग्राहक सेवा का और विस्तार करने तथा उसमें सुधार लाने के विचार से भारतीय रिजर्व बैंक ने जून, 1985 में जिला प्रधान कार्यालयों में स्थित सरकारी क्षेत्र के बड़े-बड़े बैंकों की 700 चुनी हुई शाखाओं को नोट प्रत्यर्पण सभी किस्म के मैले और कटे फटे नोट स्वीकार करने तथा बदलने के वे पूरे अधिकार प्रदान कर दिए जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के मुख्य कार्यपालकों को यह सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है कि जहां तक सम्भव हो उनकी शाखाओं में जनता को नोट बदलने की सुविधाएं दी जाएं।

'इलिसिट कायन ट्रेड ऐट सिटी आर० बी० आई० शीर्षक से समाचार'

658. श्री नारायण चौबे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जून, 1985 के 'दि टेलीग्राफ' में इलिसिट कायन ट्रेड एट सिटी आर० बी० आई०' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार रिपोर्ट में लगाये गए उस आरोप की जांच कराने का है कि कुछ बेईमान व्यापारी भारतीय रिजर्व बैंक कलकत्ता के कुछ कर्मचारियों के साथ सांठ गांठ करके प्रतिदिन भारी मात्रा में छोटे सिक्के लेते हैं और उससे काला धन कमा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां,

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने, जो सिक्कों के वितरण के लिए जिम्मेदार हैं, यह सूचित किया है कि उनके कलकत्ता कार्यालय में इस समय प्रतिदिन छोटे सिक्के जारी करने के लिए प्रचलित प्रबन्ध निम्न प्रकार हैं :—

	रुपयों में राशि
1. कलकत्ता राज्य परिवहन निगम	35,000
2. कलकत्ता ट्रामवेज	12,000
3. रेलवे	6,000
4. रेस्तराओं और होटलों सहित व्यापारिक प्रतिष्ठान (बड़े और छोटे)	15,000
5. सरकारी विभाग, फैकटरियां आदि	35,000
6. प्राइवेट और मिनी बस प्रचालक	20,000
7. अलग-अलग आम लोग	10,500
जोड़ :	1,33,500

उपर्युक्त विवरण से यह देखा जा सकता है कि उनके कलकत्ता कार्यालय में जारी किये गये सिक्कों का अधिकांश भाग सिक्कों के सही उपभोक्ताओं को जाता है (जो मद 1 से 6 तक उल्लिखित हैं) जिन्हें अपने प्रतिदिन के लेनदेनों के लिये थोक में सिक्कों की आवश्यकता रहती है। यह देखने के लिए सावधान बरती जाती है कि सिक्के केवल सही पक्षों को ही जारी किए जाएं।

अलग-अलग आम लोगों को एकल मूल्य वर्ग वाले काउण्टरों से प्रतिदिन 20 रुपए प्रति व्यक्ति की सीमा तक छोटे सिक्के जारी किये जाते हैं। प्रति व्यक्ति जारी किये जाने वाले सिक्कों की राशि इसलिए कम रखी गई है जिससे कि बेईमान लोगों को अधिक मूल्य पर सिक्कों की बिक्री से लाभ उठाने से अनुत्साहित किया जाए। जहां तक इस प्रकार के कारोबार में भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता के कर्मचारियों के शामिल होने का संबन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस प्रकार का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है और उसने आश्वासन दिया है कि सिक्कों के काउण्टरों पर निगरानी रखी जाती है।

[हिंदी]

महाराष्ट्र के चन्द्र पुर, नागपुर तथा यवतमाल जिलों में उत्पादन में वृद्धि करने के लिये खान परियोजनाएं

659. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के चन्द्रपुर, नागपुर तथा यवतमाल जिलों में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित की गई खान परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा उनमें कौन-कौन सी परियोजनाओं के लिए भूगर्भीय सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है तथा बाकी परियोजनाओं के बारे में कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ख) उन खानों के नाम क्या हैं जिनके सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है तथा कौन-कौन सी खानों के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्टें अभी तैयार की जानी हैं तथा ये कब तक तैयार हो जाएंगे ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) 7वीं पंचवर्षीय योजना का सरकार द्वारा अभी अंतिम रूप से अनुमोदन नहीं किया गया है इसलिए इस समय यह बताना संभव नहीं होगा कि इस योजना अवधि में किन परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू किया जाएगा ।

[अनुवाद]

दाता देशों के संघ (डोनर-कंट्रीज कंसोर्शियम) द्वारा द्विपक्षीय सहायता में कमी करना

660. श्री शरद दिघे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ की बैठक में भारत को अधिक सहायता का वचन दिए जाने के बाद भी यह गत वर्ष के स्तर तक ही रही और अन्य बातों के अलावा, उनको व्यापार की मनाही करने के कारण कुछ दाता देशों द्वारा द्विपक्षीय सहायता में वास्तव में कमी किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारत को मिलने वाली द्विपक्षीय सहायता, संबंधित दाता देश और भारत के बीच हुए परस्पर समझौते के अनुसार विशिष्ट परियोजनाओं अथवा आयातों के लिए होती है । यह सहायता दाता देशों द्वारा स्वेच्छा से दी जाती है, जो भारत को दी जाने वाली सहायता की मात्रा तय करने के लिए स्वतंत्र हैं । तथापि अभी तक किसी दाता देश ने संघ की बैठक में उसके द्वारा पेश की गई सहायता में किसी प्रकार की कटौती करने से संबंधित कोई भी सूचना भारत सरकार को नहीं भेजी है ।

निर्यात एककों द्वारा उत्पादन

661. श्री मुरलीधर माने : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 दिसम्बर, 1984 को कुल कितने शत प्रतिशत निर्यात एकक थे;

(ख) क्या इन सभी एककों ने उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन एककों ने उत्पादन शुरू करने हेतु सरकारी सहायता मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो उन्होंने किस किस्म की सहायता मांगी और क्या सरकार सहायता देने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ङ) शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के आधार पर 31 दिसम्बर, 1984 तक अनुमोदित 408 एककों में से 57 ने उत्पादन तथा निर्यात आरम्भ कर दिया है । अन्य एकक कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं जिसमें कि आरम्भिक अवधि व भूमि के आबंटन से संबंधित आरम्भिक कार्य तथा सीमेंट, पावर सप्लाई, सीमाशुल्क बन्धक सुविधा, आदि शामिल हैं । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में संबंधित प्राधिकारियों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता है कि इन क्षेत्रों में प्राथ-

मिक आधार आबंटन के जरिए या अन्य क्षेत्रों में इसी प्रकार की सहायता के द्वारा कमियों को शीघ्रता से दूर करने में मदद करे।

[हिन्दी]

बैंकों द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण देना

662. श्री भरत सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने की दृष्टि से बैंकों द्वारा छोटे दुकानदारों, उचित दर दुकान मालिकों, छोटे उद्योगों के मालिकों और कारीगरों को कम ब्याज पर ऋण दिए गए थे;

(ख) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों के दौरान ऐसे लोगों को ऋणों के रूप में काफी धनराशि दी गयी थी लेकिन अब बैंकों ने इस तरह के ऋण देने बन्द कर दिये हैं, यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार निचले स्तर के लोगों के उत्थान के लिए इस प्रकार के ऋणों की राशि बढ़ाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। बैंक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के छोटे ऋणकर्ताओं को, जिनमें खुदरा व्यापारी, अर्थात् छोटे दुकानदार, उचित दर की दुकानों के मालिक आदि शामिल हैं, रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय ऋण सहायता दे रहे हैं।

(ख) और (ग) गत दो वर्षों में इस प्रकार के ऋणकर्ताओं में लगातार वृद्धि हुई है। बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को बराबर सहायता दी जा रही है। मार्च, 1985 के अन्त में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल ऋण का 9.4% कमजोर वर्गों को दिया गया। बैंकों से कमजोर वर्गों को और अधिक अग्रिम देने और इन वर्गों को कुल ऋणों का कम से कम 10% हिस्सा अवश्य दिए जाने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

663. श्री बी० एस० कृष्ण आय्यर
　　श्री हरिहर सोरन } : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण पर कितनी धनराशि खर्च की गई है अथवा करने का विचार है;

(ख) क्या उसके चालू वर्ष के दौरान इस्पात के उत्पादन में वृद्धि होगी; और

(ग) यदि हां, तो उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) राउरकेला इस्पात कारखाने का प्रौद्योगिकीय उन्नयन और आधुनिकीकरण करने के बारे में एक प्रस्ताव तैयार किया गया है और यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस प्रस्ताव के बारे में पूंजी निवेश संबंधी निर्णय सातवीं योजनावधि में इस्पात क्षेत्र के लिए शीघ्र ही धनराशि के आबंटन को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद लिया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियाज बैलेंस आफ पेमेंट पोजिशन अलार्मिंग, शीर्षक से समाचार

664. **श्री सी० माधव रेड्डी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उनका ध्यान 31 मई, 1985 के स्टेट्समैन में इण्डियाज बैलेरा आफ पेमेंन्ट पोजीशन अलार्मिंग शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इस समाचार में किये गये दावे के अनुसार यदि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण और अनिवासियों से धनराशि प्राप्त नहीं होती, तो हमारे देश के पास विदेशी मुद्रा का भण्डार नहीं होता; और

(ग) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा का भण्डार बनाने के लिये निर्यात को प्रोत्साहन देने तथा अनिवासियों से धनराशि जमा करने को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां ।

(ख)और (ग) विदेशी मुद्रा निधि में घटबढ़ आयात और निर्यात सहित देश के सभी बाह्य आर्थिक लेन-देनों का निवल परिणाम होती है और इस प्रकार इस घटाबढ़ी को किसी विशिष्ट संघटक से जोड़ना उपयुक्त नहीं होगा। सरकार इस बात का सुनिश्चय करने के लिए जोरदार प्रयत्न कर रही है कि देश के भुगतान संतुलन की स्थिति मजबूत रहे। केन्द्रीय सरकार के 1985-86 के बजट और आयात निर्यात नीति में, जिसमें, मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि शामिल है, अनेक ऐसे उपाय हैं जो निर्यात को बढ़ावा देने और आयात प्रतिस्थापन की दृष्टि से रखे गये हैं। जहां तक अनिवासी भारतीयों द्वारा धन जमा कराये जाने का सम्बन्ध है, अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में जमा की राशियों पर ब्याज की घटती हुई दरों के वातावरण में, अपरिवर्तनीय ब्याज की दरों की पेशकश, इन खातों में रकमों के अपेक्षाकृत अधिक प्रवाह के लिए एक अतिरिक्त प्रोत्साहन है।

कोयला कंपनियों द्वारा प्रमुख परियोजनाओं का पूरा किया जाना

665. **श्रीमती किशोरी सिंह : क्या इस्पात, खान और कोयला** मन्त्री **यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने कोयला कम्पनियों से कहा है कि वे सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनी प्रमुख परियोजनाओं को पूरा करें, जैसाकि 14 जून, 1985 के "इकनोमिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना अवधि के दौरान पूरा करने हेतु बनाई गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन परियोजनाओं पर 4684 करोड़ रुपए की लागत आएगी;

(घ) क्या इतनी अधिक धनराशि उपलब्ध की जाएगी; और

(ङ) इन परियोजनाओं के परिणामस्वरूप उत्पादन के कितनी प्रस्तावित वृद्धि होगी ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, हां। इन परियोजनाओं में कोयले की ढुलाई की उपयुक्त व्यवस्था भी शामिल है।

राष्ट्रीयकरण से 1984-85 तक स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या 189 थीं। इनमें से 52 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 117 परियोजनाओं की (कुल 169) के सातवीं पंच-वर्षीय

योजना के अंत तक पूरा किए जाने की योजना है। उन परियोजनाओं की कोयला कम्पनीवार संख्या निम्नलिखित है जिनके वर्ष 198९-90 तक पूरा हो जाने की आशा है:—

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	27
भारत कोकिंग कोल लि०	21
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०	38
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	59
सिंग्लेनी कौलियरीज कंपनी लि०	24
कुल	169

(ग) और (घ) इन 169 परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत रु० 3,289 करोड़ है। धनराशि की आवश्यकता पूरी करने के लिए, योजना आयोग के साथ परामर्श करके, वर्ष-प्रति-वर्ष आधार पर समुचित बजट प्रावधान किया जाता है।

(ङ) वर्ष 1984-85 में इस परियोजनाओं से 71.97 मि० टन कोयले का उत्पादन हुआ और उनकी चरम प्राप्य क्षमता 102.84 मि० टन प्रति वर्ष है। इन परियोजनाओं के लिए कोयले के परिवहन प्रबन्ध को पूरी तरह कर दिया गया है।

केरल के लिए निर्यात प्रधान उत्पादक क्षेत्र

666. **श्री वी० एस० विजय राघवन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में निर्यात प्रधान उत्पादक क्षेत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक कर दी जाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) एक निर्यात जोन कोचान के पास थिरवाकारा में स्थापित किया जा रहा है। जोन के परिसर की चारदीवारी करने का काम चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है ताकि जोन की परि-चालन के अन्तर्गत लाने के लिए सीमाशुल्क अधिसूचना जारी की जा सके।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स क्षेत्र में धंसाव, सतही और भूमिगत आग लगने से बचाव के लिये किए गए एहतियाती उपाय

668. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :** क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स क्षेत्र में रहने वाले ग्रामवासियों तथा श्रमिकों के संरक्षण हेतु धंसाव, सतही तथा भूमिगत आग लगने से बचाव के लिए कोई एहतियाती उपाय किए गए हैं; और

(ख) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के क्षेत्र में खनन कार्य करने के कारण "ओपेनकास्ट" खदानों की अनुप्रयुक्त भूमि और धंसे हुए क्षेत्र को कृषि-योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और वर्ष 1982 से वर्षवार कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां। धंसाव और धरातल और भूमिगत आग रोकने के लिए निम्नलिखित एहतियाती उपाय किए गए हैं :—

(1) धरातल के पॉट होलों को भरना और उन्हें बन्द करना।

(2) ऐसे पुराने, त्यक्त, भूमिगत कार्य-स्थलों से पानी निकालने का काम बचाना जिनके खाली होने से धंसाव की समस्या पैदा हो सकती है।

(3) भूमिगत आग के क्षेत्र को अलग-थलग करना।

(4) जिन क्षेत्रों में आग लगी हुई है उनमें जहां साध्य है वहां ओपेनकास्ट खनन करना।

(5) कोयले के स्तंभ/आंशिक खुदाई छोड़ना और रेत भराई करना।

(6) पुराने कार्य-स्थलों को कई भागों में बांटकर उनमें अलगाव अवरोध लगाना।

(ख) नई ओपेनकास्ट खानों की भूमि को सुधार कर फिर ठीक कर देने की योजना बनाई जा रही है।

"सूरत एक्साइज रैड वाज दी प्लान लीक्ड आउट"
शीर्षक से समाचार

669. **प्रो० मधु दण्डवते**
श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री सीडें रमैया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जून, 1985 के "इकोनोमिक टाइम्स" (नई दिल्ली, संस्करण) में "सूरत एक्साइज रैड वाज दी प्लान लोकड आउट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिससे यह बताया गया है कि सूरत, गुजरात में आर्ट सिल्क मैन्यूफैक्चरर्स के परिसरों पर राजस्व आसूचना द्वारा छापा मारने की गुप्त योजना का जानबूझकर पहले से ही पता लगने दिया गया था;

(ख) यदि हां तो क्या 24 मई, 1985 को उत्पाद शुल्क अधिकारियों पर किये गये पूर्व-नियोजित हमले से यह पता लगता है कि शीर्ष स्तर पर इस योजना का पहले से ही पता लगने दिया गया होगा;

(ग) यदि हां, तो क्या इन पहलुओं के बारे में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) परिस्थितियों से इस बात का संकेत नहीं मिलता है कि छापे के बारे में किसी प्रकार की सूचना का भण्डाफोड़ हो गया था।

(ग) और (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पड़ने वाले सिंगरौली कोयला क्षेत्रों
के लिये अलग कम्पनी की व्यवस्था

670. **श्री राम प्यारे पनिका : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पड़ने वाले सिंगरौली कोयला क्षेत्रों के लिए एक अलग कम्पनी स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक लागू किया जाएगा; और

(ग) उक्त कम्पनी का मुख्यालय कहां स्थापित करने का प्रस्ताव है?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० को दो कम्पनियों में विभाजित करने और सिंगरौली कोयला क्षेत्र के लिए एक अलग कोयला कम्पनी बनाने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हुआ है।

आय-कर विभाग को सुव्यवस्थित करना

671. श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने आय-कर विभाग को सुव्यवस्थित करने के लिए हाल में क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या इसका राजस्व की वसूली पर कोई अच्छा प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या इन उपायों का कर-अपवंचन विरोधी अभियान पर कोई स्पष्ट प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) काले धन की वृद्धि पर नियन्त्रण और राजस्व वसूली में सुधार के लिए कर-अपवंचकों के विरुद्ध उपाय करना एक सतत प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में सभी सम्भव उपाय समय-समय पर किए जा रहे हैं।

किसानों को कृषि आयकर से छूट देना

672. श्री राम स्वरूप राम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिक उत्पादन करने के लिए किसानों को कृषि आयकर से छूट दी है; और

(ख) क्या यह सुविधा छोटे किसानों के साथ-साथ बड़े किसानों जिनके पास हजारों हेक्टेयर भूमि है, को भी उपलब्ध होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) कृषि आय पर कर लगाना भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची सूची-II की प्रविष्टि 46 के अनुसार राज्य का विषय है। अतः, केन्द्रीय सरकार इस मामले से सम्बन्धित नहीं है।

आयकर अधिकारियों का स्थानांतरण

673. श्री कमल नाथ : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों तथा इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य अधिकारियों का हाल ही में स्थानांतरण किया गया है;

(ख) बड़े पैमाने पर ये स्थानांतरण करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार की यह नीति है कि किसी भी अधिकारी को एक ही स्थान पर निर्धारित अवधि से अधिक समय तक न रहने दिया जाए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) अधिकारियों के स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर किए गए थे।

(ग) जी, हां। मार्गदर्शी सिद्धान्तों में से यह एक है।

मणिपुर में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

674. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मणिपुर क्षेत्र में वहां पर एक एकक खोल कर भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तेज करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि राज्य के लोगों में व्यापक रूप से यह धारणा है कि इस सम्बन्ध में कोई पर्याप्त प्रयत्न नहीं किये गये हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से किस रूप में और कितनी सहायता प्राप्त हुई है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) मणिपुर राज्य में भूवैज्ञानिक तथा अन्य खोजों के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा (एक निदेशक की देख-रेख में) एक अलग सर्किल कार्यालय खोला गया है। यह सर्किल कार्यालय इस समय राज्य में 16 भूवैज्ञानिक, खनिज तथा भूभौतिकीय खोजों पर कार्य कर रहा है।

(घ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की फील्ड पार्टियों को अपने कार्य में मणिपुर सरकार का पूर्ण सहयोग मिल रहा है।

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के एकक

675. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र के कुल एककों की तुलना में उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के एककों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के कुछ और एकक स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 31-3-1984 को केन्द्रीय सरकार के 210 औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों में से 3 उपक्रमों के पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकारी उद्यमों, जिनके पंजीकृत कार्यालय अन्य राज्यों में हैं, के भी कुछ संयंत्र/कारखाने/खानें आदि उड़ीसा में स्थित हैं।

(ख) और (ग) चूंकि सातवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है, अतः इसके बारे में कोई ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा सोना पकड़ना

676. श्री एस० एम० गुरड्डी
श्री मोहम्मद महफूज अली खां } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने दिल्ली हवाई अड्डों पर 29 मई, 1985 को 10-एयर-कंडीशनरों से भारी मात्रा में सोना पकड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) और (ख) 29 मई, 1985 को, सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने दिल्ली हवाई अड्डे पर 10 वातानुकूलकों की एक खेप की जांच की जो कुवैत से 24 मई, 1985 को प्राप्त हुई थी और अफगानिस्तान के राजदूतावास को भेजी गई थी। जांच करने पर तीन वातानुकूलकों में से 55.68 लाख रु० मूल्य के विदेशी मूल के सोने के 221 बिस्कुट, जिनका कुल वजन 25.76 किलोग्राम था, बरामद किये गये और अभिगृहीत किए गये थे।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों को ऋण देने सम्बंधी दिशा निर्देश

677. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों और शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए निजी रोजगार के लिये नये अग्रिम ऋण देने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 1985-86 के लिये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और शिक्षित बेरोजगार युवकों की योजना को कार्यान्वित करने के लिये निदेश जारी कर दिये हैं। राज्यों को छठी आयोजना अवधि के पहले दो वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों का मौके पर जाकर सर्वेक्षण करने के लिये कहा गया है। उन लाभार्थियों को, जो अपनी बिना किसी गलती के कारण, गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ सके पुन: सहायता दिये जाने पर विचार किया जाएगा। जहाँ तक शिक्षित बेरोजगारों के लिये योजना का संबन्ध है, 1985-86 के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त पहले जैसे ही हैं।

सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क अधिकारियों की नकद पुरस्कार की घोषणा के पश्चात् पकड़े गये तस्करी के सोने आदि में वृद्धि

678. श्री बी० के० गढवी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमाशुल्क और उत्पाद-शुल्क अधिकारियों को नकद पुरस्कार की घोषणा के पश्चात् तस्करी का सोना और अन्य प्रतिबन्धित सामान के पकड़े जाने के मामलों में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का यह पता लगाने के लिये कि नकद पुरस्कार की घोषणा से पूर्व तस्करी के सोने और अन्य प्रतिबन्धित सामान के पकड़े जाने के कम मामले होने के क्या कारण थे, कोई जांच कराने का विचार है; और

(ग) पिछले बजट से अब तक तस्करी का कुल कितना सोना देश में लाये जाने का अनुमान है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) विभिन्न उपायों के परिणामत: जिनमें सूचना देने वालों तथा सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कार की योजना को उदार बनाना भी शामिल है, वर्ष 1985 के पहले छ: महीनों में पकड़े गये निषिद्ध माल के कुल मूल्य की अनन्तिम रकम 83.63 करोड़ रुपये है जबकि वर्ष 1984 की इसी अवधि के दौरान 51.10 करोड़ रुपये मूल्य का माल पकड़ा गया था।

(ख) मांग और पूर्ति सम्बन्धी स्थिति, लाभ की गुंजाइश आदि जैसे विभिन्न कारकों की वजह से पकड़े गये माल का मूल्य समय-समय पर घटता-बढ़ता रहता है। तथापि, यथापेक्षित उचित कार्यवाही हेतु तस्करी और पकड़े जाने वाले माल की प्रवृत्तियों की सतत समीक्षा की जाती है।

(ग) जैसाकि तस्करी के स्वरूप से स्पष्ट है, यह एक चोरी-छिपे किया जाने वाला धन्धा है, इसलिए इस बात का कोई उचित अनुमान लगाना व्यवहार्य नहीं है कि पिछले बजट के बाद से देश में तस्कर आयात किये गये सोने की मात्रा कितनी है।

उड़ीसा की गंधमर्दन बाक्साइट खान परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब

679. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पैकामल में गंधमर्दन बाक्साइट खान परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ख) उक्त बाक्साइट खान परियोजना के कार्यान्वित होने पर कितने लोगों को रोजगार दिया जा सकता है;

(ग) इस परियोजना के कब तक शुरू हो जाने की आशा है; और

(घ) परियोजना के कार्यान्वियन में तेजी लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसन्त साठे): (क) गंधमर्दन बाक्साइट परियोजना के निर्धारित समयसूची के अनुसार कार्यान्वियन में विलम्ब मुख्यतः भूमि अर्जन समस्याओं, पर्यावरण विभाग से पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति मिलने और राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्ग के निर्माण में विलम्ब तथा परियोजना दायरे में कुछ परिवर्तन के कारण हो रहा है।

(ख) परियोजना में कितने लोगों को रोजगार दिया जा सकेगा इसकी जानकारी संगठन में आंतरिक समायोजन के बाद ही हो पाएगी।

(ग) इस परियोजना के फरवरी, 1987 तक चालू होने की आशा है।

(घ) आवश्यक अनुमति दिये जाने, अपेक्षित भूमि प्रदान करने तथा पहुंच मार्ग का निर्माण पूरा करने आदि के लिये केंद्रीय तथा राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों के साथ तत्परता से कार्यवाही की जा रही है।

राज्यों में न्यू बैंक आफ इंडिया की शाखाएं खोलना

680. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में न्यू बैंक आफ इंडिया की कितनी शाखाएं खोली गई हैं;

(ख) उड़ीसा में न्यू बैंक आफ इण्डिया की कितनी शाखाएं खोली गई हैं;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां ये शाखाएं खोली गई हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में न्यू बैंक आफ इण्डिया की कुछ और शाखाएं खोलने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उड़ीसा में ये नई शाखाएं खोलने के लिए किन स्थानों को चुना गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जून, 1985 के अन्त में देश में न्यू बैंक आफ इण्डिया की 528 शाखाएं कार्य कर रही थीं। इन शाखाओं का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) बैंक ने उड़ीसा में 8 शाखाएं खोली हैं। जिलावार और केन्द्रवार विवरण नीचे दिया गया है :—

जिला	केन्द्र
कटक	कटक
कटक	हरि पुरहट
पुरी	भुवनेश्वर
पुरी	पुरी
पुरी	बोरनरसिंहपुर
पुरी	गोपीनाथपुर
ढोलाकनाल	कटांला
ढोलाकनाल	सतमिले

(घ) और (ङ) उड़ीसा में न्यू बैंक ऑफ इण्डिया के और अधिक कार्यालय खोले जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सातवीं पंचवर्षीय आयोजना शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुरूप जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, विचार किया जाएगा।

विवरण

क्रम स०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शाखाओं की संख्या
1. राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	4
2.	असम	4
3.	बिहार	6
4.	गुजरात	17
5.	हरियाणा	68
6.	हिमाचल प्रदेश	14
7.	जम्मू और कश्मीर	9
8.	कर्नाटक	4
9.	महाराष्ट्र	16
10.	मध्य प्रदेश	16
11.	उड़ीसा	8
12.	पंजाब	129
13.	राजस्थान	55
14.	तमिलनाडु	9
15.	उत्तर प्रदेश	88
16.	केरल	4
17.	पश्चिम बंगाल	25
2. संघ राज्य क्षेत्र		
1.	चंडीगढ़	7
2.	दिल्ली/नई दिल्ली	44
3.	गोवा, दमन और द्वीप	1
	कुल	528

कोकिंग कोयले की कमी

681. श्री हरिहर सोरन
श्री राधाकांत डिगाल } : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोकिंग कोयले की भारी कमी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में कोकिंग कोयले की भारी कमी को दूर करने के लिए तालचेर कोयला क्षेत्र में उपलब्ध कम राख देने वाले गैर-काक कोयले का प्रयोग करके न्यून ताप-कार्बनाइजेशन प्रक्रिया द्वारा अर्ध-काक उत्पन्न करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं। इस्पात संयंत्र कोककर कोयले के प्रमुख उपभोक्ता हैं और उनके पास दिनांक 1.7.1985 को 5.30 लाख टन कोयला स्टाक में था। परन्तु देश में कोककर कोयले की मांग और उपलब्धि में मांग थोड़ा अन्तर है अर्थात् उपलब्धि कुछ कम है। यह कमी आयात करके पूरी की जाती है।

(ख) और (ग) दि इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि० ने तालचेर कोयले के आधार पर, एक कम ताप कार्बनीकरण संयंत्र लगाने का प्रस्ताव किया है जिसे विद्युत्-धातुकर्मी भट्ठियों में अपचायक और ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा।

लंबे तथा अधिक लंबे रेशों वाली कपास का समर्थन मूल्य

682. श्री चिन्ता मोहन : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में लम्बे तथा अधिक लम्बे रेशे वाली कपास के मूल्यों में गिरावट आई है और यदि हां, तो क्या सुधारात्मक कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या समर्थन मूल्य देने के अभाव में निर्यात कम्पनियां आगे नहीं आ रही हैं; और

(ग) क्या सरकार बुआई प्रारम्भ करने से पूर्व सभी फसलों के लिए समर्थन मूल्य घोषित करने तथा विवश होकर बिक्री करने को रोकने के लिए खरीद तथा कार्यान्वियन हेतु प्रभावी तंत्र की व्यवस्था करने संबन्धी अपनी पूर्व वचन निभायेगी ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : लम्बी तथा अधिक लंबी स्टेपल किस्मों की कपास की कीमत आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में कुछ हद तक गिरी है। भारतीय रुई निगम इन दो राज्यों में सभी विनियमित बाजारों में समर्थन मूल्यों पर खरीद कर रहा है।

(ख) समर्थन मूल्य अभिकरण के रूप में भारतीय रुई उत्पादकों को समर्थ मूल्य प्रदान करने के लिए बाजार मे मौजूद है।

(ग) आने वाले 1985-86 के रुई मौसम के दौरान विभिन्न किस्मों की रुई के लिए समर्थन मूल्य, जैसे ही और जब भी इन्हें अन्तिम रूप दे दिया जाएगा, सरकार द्वारा घोषित कर दिए जाएंगे।

रुग्ण औद्योगिक एककों को बैंक द्वारा सहायता

683. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक में बेंकों को रुग्ण एककों के लिये "नर्सिंग होम" बनने से रोकने हेतु एक युक्तियुक्त योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बेंक द्वारा समय समय पर जारी किए गये मार्ग दर्शी सिद्धांतों/निदेशों के अलावा, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये निदेश भी शामिल हैं कि बेंकों को रुग्ण एककों के संबन्ध में अर्थक्षमता अध्ययन करना चाहिए और केवल सम्भावित सक्षम एककों को फिर से खड़ा करने के काम को हाथ में लेना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुग्ण औद्योगिक एककों को बेंकों द्वारा दी जा रही सहायता के संबन्ध कोई कठोर योजना तैयार नहीं की है।

[हिन्दी]

जबलपुर में स्टील यार्ड खोलने का प्रस्ताव

684. श्री महेन्द्र सिंह : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर में एक स्टील यार्ड खोलने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो उक्त एजेन्सी किसे दी जाएगी;

(ख) इस संबन्ध में सरकार की नीति क्या है;

(ग) क्या सरकार को "जबलपुर-चैम्बर आफ कामर्स" अथवा अन्य प्रतिष्ठानों की ओर उक्त एजेन्सी के आवंटन हेतु कोई ज्ञापन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां। स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड ने स्टाकयार्ड के लिये प्रेषण अभिकरण का काम मैसर्स एस० ए० ई० (इण्डिया) लिमिटेड को सौंपा है।

(ख) स्टाकयार्ड खोलने से संबन्धित निर्णय स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा लिया जाता है जो वाणिज्यिक तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के आधार पर निर्णय लेती है।

(ग) जी, हां। सरकार को महाकोशल चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री और जबलपुर लघु उद्योग संघ, जबलपुर से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।

(घ) इनमें मोटे तौर पर इस बात का उल्लेख है कि मैसर्स एस० ए० ई० (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा खोला जाने वाला स्टाकयार्ड/प्रेषण-अभिकरण जबलपुर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे लघु उद्योगों और अन्य उपभोक्ताओं को, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रेषण-अभिकरण द्वारा किए जाने की आशा है, लाभ नहीं होगा। ज्ञापन में व्यक्त किया गया यह दृष्टिकोण सही नहीं है। प्रेषण-अभिकरण खोलने का निर्णय जबलपुर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को होने वाली सप्लाई में सुधार करने के लिए लिया गया है। स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड ने मध्यप्रदेश सरकार के एक उपक्रम-मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड-को प्रेषण-अभिकरण का काम करने के लिये प्रोत्साहित करने का प्रयास किया था। लेकिन इस अभिकरण ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं किया। शुरूआत के तौर पर मैसर्स एस० ए० ई० (इण्डिया) लिमिटेड के साथ एक वर्ष के लिये करार किया गया है।

[अनुवाद]

शिक्षित बेरोजगार युवकों को ऋण

685. श्री बी० के० गढ़वी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकों ने शिक्षित बेरोजगार युवकों को ऋण देना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार स्वरोजगार प्राप्ति में शिक्षित बेरोजगार युवकों की अन्य किसी प्रकार से सहायता करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) संभवत: माननीय सदस्य का आशय शिक्षित बेरोजगार युवकों के स्वरोजगार प्रदान करने के लिये 1983-84 से शुरू की गई योजना से है। यह आर्थिक सहायता समर्थित योजना है और इसलिए बैंकों द्वारा प्रति वर्ष केवल निर्धारित संख्या में मामले मंजूर किये जाते हैं। बैंकों को सरकार कभी भी इस योजना के अधीन वित्तीय सहायता बंद करने के निदेश नहीं दिए गए। बैंकों को मंजूर शुदा मामलों में जल्दी भुगतान करने के लिए कहा गया है। शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार में मदद पहुंचाने के विचार से योजना की सक्रिय अवधि चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक बढ़ा दी गयी है।

मध्य प्रदेश में बैंक आफ बड़ौदा की शाखायें खोलना

686. कुमारी पुष्पा देवी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में अब तक बैंक आफ बड़ौदा की कितनी शाखाएं खोली गयी हैं;

(ख) क्या सरकार ने बैंक आफ बड़ौदा की शाखाओं के विस्तार की अनुमति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष, 1985-86 के दौरान मध्य प्रदेश में बैंक आफ बड़ौदा की कितनी नई शाखाएं खोले जाने का विचार है; और

(घ) मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में बैंक आफ बड़ौदा की नई शाखाएं खोलने के लिए किन स्थानों को चुना गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) मार्च, 1985 के अन्त में मध्य प्रदेश में बैंक आफ बड़ौदा की 56 शाखाएं कार्यरत थीं;

(ख) से (घ) राज्य में बैंक आफ बड़ौदा की और शाखाएं खोलने के प्रश्न पर सातवीं पंचवर्षीय आयोजन की अवधि के लिए शाखा लाइसेंसिग नीति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जाएगा। इस नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

कच्चे काजू की खरीद

687. श्री एम० रामचन्द्रन : : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल से कच्चे काजू की खरीद और काजू के निर्यात को बढ़ावा/प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) क्या वर्ष 1984-85 के दौरान इस कार्य के लिए कोई धनराशि आबंटित की गई है और यह धनराशि कितनी है; और

(ग) क्या उक्त धनराशि राज सहायता के रूप में दी गई है अथवा उस धनराशि को वापस किया जाना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) केरल में काजू की अधिप्राप्ति व्यापार के लिए खुली है। इसके अलावा, केरल राज्य काजू विकास निगम भी काजू की अधिप्राप्ति करता है तथा राज्य सरकार काजू उपजकर्ताओं को लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर न्यूनतम कीमत निर्धारित करती रही है। तथापि, इस समय सम्पूर्ण देशीय फसल व्यापार द्वारा खपाई जा रही है तथा घरेलू उत्पादन को कच्चे काजू के आयातों से बढ़ाया जाना चाहिए। काजू की अधिप्राप्ति के संवर्धन के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार द्वारा आयात नीति को उदार बनाया गया है तथा अब आयात ओ० जी० एल० के अधीन केवल इस शर्त के साथ है कि आयातों को आयात संविदा किए जाने से 7 दिन के भीरत भारतीय काजू निगम के पास पंजीकृत कराने हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

चेकोस्लोवाकिया को कुद्रेमुख से लौह अयस्क का निर्यात

689. श्री जगन्नाथ पटनायक, श्री आर०एम० भोये : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख से लौह अयस्क के निर्यात के लिए चेकोस्लोवाकिया के साथ कोई दीर्घावधि व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ख) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड वर्ष 1982-83 से चैकोस्लोवाकिया को कुद्रेमुख से वर्षानुवर्षी आधार पर लौह अयस्क सांद्रण का निर्यात कर रही है। वर्ष 1985-86 के दौरान कुद्रेमुख से चैकोस्लोवाकिया को 125 000 टन लौह अयस्क सांद्रण (खरीददार के अनुरोध पर अतिरिक्त 75,001 टन) का निर्यात करने के लिए कंपनी ने अभी हाल में मैसर्स केरामेट्ल फोरन ट्रेड कम्पनी लिमिटेड, चैकोस्लोवाकिया के साथ एक करार किया है। इस करार के आधार पर पोतलदान शुरू हो गया है।

भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा कटे हुये और तराशे हुये हीरों का निर्यात

690. श्री जुझार सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खनिज एव धातु व्यापार निगम ने कटे और तराशे हुए हीरों का निर्यात शुरू किया है और यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान के निर्यातों का मूल्य क्या है और वर्ष 1985-86 की योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी खर्चों के बाद कुल कितना मुनाफा हुआ है; और

(ग) विदेशी क्रेताओं का किस तरह और किनके द्वारा चयन किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां। खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा गत दो वर्षों में तराशे हुए तथा पालिश किये हुए हीरों के निर्यात का मूल्य निम्नलिखित अनुसार है :

1983-84	:	4.14 करोड़ रु०
1984-85	:	14.75 करोड़ रु०

वर्ष 1985-86 के लिए निगम की याजना 25 करोड़ रु० के बजटबद्ध लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्यात व्यवसाय में अतिरिक्त मात्रा बढ़ाने के प्रयोजनार्थ अपने सप्लाई आधार और विदेशी क्रेताओं की संख्या बढ़ाने की है।

(ख) (i) सभी प्रत्यक्ष व्यय निकाल कर निबल लाभ निम्नलिखित अनुसार हैं :

1983-84	:	0.7 लाख रु०
1984-85	:	4.3 लाख रु०

(ii) निगम अपनी विद्यमान पद्धति के अन्तर्गत अप्रत्यक्ष व्यय का प्रभार इस वस्तु पर नहीं डालता। अत: प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के व्यय को निकाल कर निबल लाभों के पृथक आंकड़े संकलित नहीं किये जाते।

(ग) विदेशी क्रेताओं का चयन खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा बाजार में उनकी साख, वित्तीय स्तर, खनिज तथा धातु व्यापार निगम के साथ और व्यापार में विगत निष्पादन के आधार पर क्रेता की संवीक्षा करने के बाद अपने स्थानीय सहयोगियों के साथ घनिष्ठ परामर्श करके किया जाता है।

1984-85 के दौरान नयी मदों का निर्यात

691. श्री आनन्द पाठक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात की जाने वाली उन प्रमुख मदों के नाम क्या हैं, जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई तथा मद-वार कितनी राशि प्राप्त हुई;

(ख) 1985-86 के निर्यात लक्ष्य क्या है और किन-किन मदों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होने की आशा है; और

(ग) 1985-86 में किन नई मदों का निर्यात किया जाएगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1239/85]

(ख) 1985-86 वर्ष के लिए 11736 करोड़ रु० का निर्यात लक्ष्य निर्धारित है। 1985-86 वर्ष के लिए गैर-तेल निर्यातों के लिए 11266 करोड़ रु० का लक्ष्य निर्धारित है। वे वस्तु समूह, जिनके नियात 1984-85 की तुलना में 1985-86 के दौरान ज्यादा होने की आशा है; काफी, अनाज, अविनिर्मित तम्बाकू, मसाले, काजू गिरिया, अलसी की खली, चपड़ा, संसाधित खाद्य पदार्थ, समुद्री उत्पाद, लोह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, चमड़ा तथा चमड़े का सामान, खेलों का सामान, रत्न एवं आभूषण, रसायन तथा संबद्ध उत्पाद, इंजीनियरिंग का सामान, कंयर तथा जूट से बनी वस्तुओं सहित टैक्सटाइल्स, ऊन से बनी वस्तुओं सहृति हस्तशिल्प और कपास।

(ग) भारत का निर्यात क्षेत्र पर्याप्त विविधीकृत है। इन व्यापक वस्तु समूहों में से नए उत्पादों का बराबर पता लगाया जा रहा है।

मैसर्स इंडियन टोबैको कम्पनी द्वारा उत्पाद शुल्क की चोरी

692. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसर्स इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड अपने डीलरों और एजेंटों की मदद से उत्पाद शुल्क की चोरी कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार चोरी का पता लगाने के लिए इंडियन टोबैको कम्पनी लिमिटेड के डीलरों के सभी परिसरों और इनके गोदामों पर छापे मारने का है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) हाल ही में मै० आई० टी० सी० लिमिटेड द्वारा अपने डीलरों और एजेंटों की मदद से उत्पादन शुल्क की चोरी किए जाने का कोई मामला नोटिस में नहीं आया है। तथापि, सिगरेटों की खुदरा बिक्री के बारे में कुछ रिपोर्टें मिली हैं कि बाट और माप मानक (पैक की हुई जिंसें) नियमावली, 1977 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए सिगरेटों के पैकेटों पर छपी हुई कीमत से अधिक कीमत पर उनकी बिक्री की जाती है।

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

वस्त्रों के कोटा और लाइसेंसों के आबंटन के कार्य का परिधान निर्यात संवर्धन परिषद को अन्तरित किया जाना

693. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्रों के कोटा और लाइसेंसों के आबंटन से सम्बन्धित कार्य मुख्य आयात एवं निर्यात नियन्त्रक के कार्यालय से परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली को अन्तरित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) कार्य और शक्तियों के उपरोक्त आवरण के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार किसी गैर-सरकारी एजेंसी को इस प्रकार का अन्तरण किया जाना अनुचित समझती है और यदि हां, तो क्या शक्तियां पुन: मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात द्वारा ग्रहण की जायेंगी;

(ङ) क्या उक्त परिधान निर्यात संवर्धन परिषद की वस्त्र निर्यातकर्ताओं पर जुर्माने और दंड लगाती हैं;

(च) यदि हां, तो जबसे परिधान निर्यात संवर्धन परिषद को शक्तियां सौंपी गयी हैं, तब से अब तक उसने इस तरह कितनी धनराशि इकट्ठी की है; और

(छ) क्या इकट्ठी की गई धनराशि सरकारी है अथवा परिधान निर्यात संवर्धन परिषद की ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी नहीं परिधान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना के आरम्भ से ही यह कार्य परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के पास रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

(ङ) जी नहीं । सरकार द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचनाओं की शर्तों के अनुसार परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा ई० एम० डी/बी० जी० को जब्त करना कोई दण्ड नहीं है लेकिन निर्यातकों के लिए संविदागत दायित्वों को पूरा न करने पर की गई कार्यवाही का एक स्वरूप मात्र है ।

(च) 31-12-1984 को उपलब्ध जानकारी के अनुसार, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ने ई० एम० डी०/बी० जी० के जब्त करने से 3,12,226,530 रु० एकत्र किए ।

(छ) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा यह धनराशि पृथक रखी जाएगी तथा सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात निर्यात संवर्धन पर खर्च की जाएगी ।

निर्यात गृहों को दिये गये प्रमाण-पत्रों की अवधि समाप्त होना

694. श्री एम० बनातवाला : क्या वाणिज्य मंत्री उन नियात गृहों, जिनके प्रमाण पत्रों की अवधि 30 जून, 1982, 30 जून, 1983, 30 जून, 1984 और 30 जून, 1985 को समाप्त हो गई थी, के नाम और पते तथा इसमें अन्तर्ग्रस्त उत्पाद समूहों के नाम और निर्यातों की मात्रा, जिसके आधार पर निर्माण गृहों को प्रमाणपत्र दिये गये थे; दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : उन निर्यात सदनों के, जिनके प्रमाण-पत्रों की अवधि 30 जून, 1983, 30 जून, 1984 और 30 जून, 1985 को समाप्त हो गई है, नाम और पते दर्शाने वाला विवरण संकलित किया जा रहा है और सभा-पटल पर रख दिया जाएगा । अन्तर्ग्रस्त उत्पाद समूहों तथा निर्यातों की मात्राओं के बारे में जानकारी नहीं रखी जाती और इसलिए इसे प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा ।

उन निर्यात सदनों के, जिनके प्रमाण-पत्रों की अवधि समाप्त हो गई थी और उन्हें 1983 तथा 1984 में नवीकृत नहीं कराया गया, नाम और पते तथा नवीकृत न कराये जाने के कारण दर्शाने वाला विवरण संकलित किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा । उन निर्यात सदन प्रमाणपत्रों के, जिनकी अवधि 30 जून, 85 को समाप्त हो गई है, नवीकरण के अनुरोधों को प्रोसेस किया जा रहा है और गुणा व गुण के आधार पर निर्णय किया जाएगा । चूंकि यह प्रक्रिया अभी चल रही है, इसलिए इस समय कोई जानकारी नहीं दी जा सकती ।

राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा बम्बई में "हवाला" गिरोह का पता लगाना

695. डॉ० गौरी शंकर राजहंस : क्या वित्त मन्त्री यही बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय (डी० आर० आई०) और प्रवर्तन निदेशालय (ई० डी०) ने बम्बई द्वारा हाल ही में 1,000 करोड़ रु० के प्रमुख "हवाला" गिरोह का पता लगाया है, जैसाकि दिनांक 2 जुलाई, 1985 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और उन कंपनियों का पूरा ब्यौरा क्या है जिन पर राजस्व आसूचना निदेशालय तथा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापा मारा गया;

(ग) बरामद हुई नकदी, सोना तथा अन्य दोष-सिद्ध करने वाले दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) "फेरा" का उल्लंघन करने वाले गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं—

1. श्री सेगू जमालुद्दीन
2. श्री कोसे सैयद मोहम्मद साहुल हमीद
3. श्री ए० जलालुद्दीन
4. श्री बाबूलाल एस० देसाई
5. श्री प्रदीप आर० शाह
6. श्री नापूराम जगदाले
7. श्री समसुद्दीन
8. श्री टी० रशीद अब्दुल कादर
9. श्री पी० पी० मूसा
10. श्री एम० डी० एस० अकबर अली
11. श्री मोहम्मद हुसैन मोहम्मद सुलेमान
12. श्री अब्दुल रहीम सेगू अल्लाउद्दीन
13. श्री मोहम्मद ईसाक कपाड़िया।

"हवाला" लेन-देन के सम्बन्ध में बम्बई में 29-6-85 को जिन फर्मों पर छापा मारा गया वे हैं—मै० ओरियन्टल डायमन्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई तथा मै० न्यू बंगाल लाज बम्बई (लॉज के साझेदार श्री अब्दुल रजाक हाजी मोहम्मद का कार्यालय)।

(ग) लगभग 4.40 करोड़ रुपये मूल्य का सामान पकड़ा गया/रोका गया। इसमें मद्रास में पकड़े गए 10 लाख रु० का सोना तथा चोरी छिपे लाए गए सोने की बिक्रय से प्राप्त लगभग 9 लाख रु० की आय शामिल है। इसके अतिरिक्त, "हवाला" लेन-देन, बीजकों में धोखेबाजी आदि का उल्लेख करने वाले कागजातों जिसमें करोड़ों रुपये अन्तर्गस्त है, के साथ-साथ 1,45,210 रु० की भारतीय मुद्रा तथा लगभग 900 रु० मूल्य की विदेशी मुद्रा भी पकड़ी गई थी।

(घ) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के खिलाफ, विभागीय कार्यवाही, अभियोजन विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत निवारक नजरबन्दी आदि, जो भी उचित होगी, वैसी उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

जीवन बीमा निगम की लोक आवासीय योजनायें

696. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में जीवन बीमा निगम को अपनी लोक आवासीय योजनाओं पर कार्य करने की अनुमति दे दी है;

(ख) इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समस्त देश के जीवन बीमा निगम पालिसी होल्डरों को इन योजनाओं में शामिल किया जायेगा; और

(घ) इस योजना के माध्यम से किस सीमा तक पालिसी होल्डरों को बने-बनाए मकान मिलेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। यह योजना पालिसी धारकों के लिए है।

(ख), (ग) और (घ) इस योजना के अधीन, जीवन बीमा निगम, मांग के अनुसार अपने स्वामित्व के भू-खण्डों पर मकानों-फ्लैटों का निर्माण करेगा। यह मकान-फ्लैट पालिसीधारियों को खरीदने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके प्रयोजन के लिए जीवन बीमा निगम अपनी "गिरवी योजना" के अधीन पालिसीधारियों को दीर्घकालीन ऋण भी देगा।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गैर-आयोजना व्यय में वृद्धि के कारण राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट

697. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर राज्यों को छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान गैर आयोजना कार्यों पर अधिक व्यय करना पड़ा और ओवरड्राफ्ट लेने पड़े थे;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त की पुनरावृति को रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(ग) छठी योजना में राज्यों की अपने साधनों की सीमा में ही व्यय करने और केन्द्र द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों का पालन करने में असफलता के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) योजनागत और योजना-भिन्न दोनों पर कुल प्राप्तियों से अधिक व्यय किए जाने के कारण ओवरड्राफ्ट उत्पन्न होते हैं।

(ख) और (ग) ओवरड्राफ्टों के बने रहने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राज्यों को 28.1.1985 को पहुंचे ओवरड्राफ्ट स्तर को पार न करने की सलाह दी थी और यदि कोई राज्य लगातार 7 कार्य दिवसों से अधिक के लिए इस स्तर को पार करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक उनके खातों में अदायगी करना रोक देगा। इसके अतिरिक्त, राज्यों को 1 अक्तुबर, 1985 तक अपने ओवरड्राफ्टों में 10% की कमी करने की सलाह दी गई है और भारत सरकार 28.1.1985 की स्थिति के अनुसार ओवरड्राफ्ट के शेष 90% के बराबर मध्यावधि ऋण प्रदान करेगी। राज्यों को यह भी सूचित कर दिया गया है कि वे ओवरड्राफ्ट विनियमन स्कीम का कड़ाई से पालन करें।

खानों की लाभदायकता के सम्बन्ध में सर्वेक्षण

698. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खानों की विशेषकर कोलार (कर्नाटक) की सोना खानों की लाभदायकता या अन्यथा के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) घटिया ग्रेड और अन्य कारकों के फलस्वरूप घटते हुए स्वर्ण उत्पादन के कारण हो रही भारी परिचालन हानियों को ध्यान में रखकर भारत गोल्ड माइन्स लि० ने इसके लिए विख्यात खनन इंजीनियर तथा कोयला विभाग के सेवा निवृत्त सचिव श्री के० एस० आर० चारी को अपना परामर्शदाता नियुक्त किया है।

यह परामर्शदाता भारत गोल्ड माइन्स लि० के कार्यचालन और इसके भविष्य के समूचे प्रश्न की इस सम्भावना का विस्तृत अध्ययन करेगा कि क्या भारत गोल्ड माइन्स लि० उपलब्ध श्रम-शक्ति, आधारभूत एवं अन्य सुविधाओं के आधार पर किन्ही अन्य कार्य क्षेत्रों में अपनी भूमिका के विस्तार के लिए कोई महत्वपूर्ण उपाय कर सकती है और यदि हां तो ऐसे कार्य क्षेत्र क्या हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में स्वर्ण नीति, स्वर्ण उत्पादन और उसका मूल्य निर्धारण, नई स्वर्ण खानों की खोज एवं विकास तथा अन्य संबंधित पहलुओं पर भी गहराई से विचार किया जायेगा। श्री चारी समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद इस सम्बन्ध में आगे नीति सम्बन्धी दिशा निर्देश तैयार किये जायेंगे।

1984-85 के दौरान निर्यात की गई पूंजीगत वस्तुएं

699. **श्री प्रकाश चन्द** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984-85 (31-3-1985) तक के दौरान पूंजीगत वस्तुओं का कुल कितना निर्यात किया गया; और

(ख) 1983-84 (31-3-84 तक) के दौरान निर्यात की गई कुल पूंजीगत वस्तुओं की तुलना में स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) पूंजीगत माल के सम्बन्ध में 1984-85 के पूर्ण वर्ष के निर्यात आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। तथापि वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन महानिदेशालय से उपलब्ध अनन्तिम वस्तुवार आंकड़ों के अनुसार, पूंजीगत माल का निर्यात (अर्थात धातु विनिर्मित वस्तुएं, मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर, लोहा तथा इस्पात जिनमें इनसे विनिर्मित वस्तुएं शामिल हैं) 1984-85 के प्रथम नौ महीनों के दौरान कुल 590.54 करोड़ का हुआ, जो पिछले वर्ष के दौरान हुए 547.77 करोड़ रु० के तत्सम्बन्धी अनन्तिम आंकड़ों की तुलना में 7.31 प्रतिशत अधिक है।

मुख्य लेखा नियंत्रक संगठन द्वारा वर्ष 1984-85 में बिलों का भुगतान

700. **श्री प्रकाश चन्द** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक संगठन को वर्ष 1984-85 के दौरान भुगतान के लिए कुल कितने बिल प्राप्त हुए थे;

(ख) उन बिलों में से कितने बिलों का भुगतान (एक) एक महीने (दो) छः महीने और (तीन) बारह महीने के अन्दर किया गया था तथा प्रत्येक ग्रुप की अलग-अलग कितनी धनराशि थी;

(ग) कितने बिल अभी तक लम्बित हैं और उनका भुगतान न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1984-85 के दौरान विदेशों से भुगतान के लिए प्राप्त बिलों की धनराशि कितनी है और प्रत्येक मामले में औसतन कितनी देरी होती है?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) वर्ष 1984-85 में पूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्त बिलों की कुल संख्या 5,61,233 थी।

(ख) वर्तमान आदेशों के अनुसार, बिलों का भुगतान 15 दिन में और एक लाख रु० से अधिक के बिलों का भुगतान एक सप्ताह में कर दिया जाना चाहिए। इसलिए बिलों की प्राप्ति और निपटान सम्बन्धी जानकारी पर इस दृष्टि से नजर रखी जाती है ताकि इस बात की जांच की जा सके कि उनका निपटान निर्धारित समय में हो रहा है, और उसी के अनुसार आंकड़े रखे जाते हैं। अपेक्षित जानकारी इकट्ठी करने में लगने वाला समय और परिश्रम, उपलब्ध होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। इसलिए जिस रूप में आंकड़े रखे जाते हैं, उसके अनुसार जानकारी नीचे दी जा रही है :—

(1) एक सप्ताह में निपटाये गए	=	3,09,241
(2) 8 से 11 दिन में निपटाये गए	=	1,21,706
(3) 12 से 20 दिन में निपटाये गए	=	84,740
(4) 20 दिन से बाद निपटाये गए	=	43,867
		5,59,554 *

*इनमें 6788 बिल, वर्ष 1984-85 से पहले की अवधि के हैं।

वर्ष 1984-85 में भुगतान की गई कुल राशि 3592.00 करोड़ रु० है।

(ग) दि० 31-3-85 को लंबित पड़े बिलों की संख्या 8467 थी। इन बिलों को पास न करने के निम्नलिखित में से कोई एक या अनेक कारण हो सकते हैं:—

(1) खरीदकर्ताओं द्वारा सुझाई गई वसूली।

(2) माँगकर्ता/परेषिती द्वारा सुझाई गई वसूली।

(3) जमानत-जमा आदि के अभाव के कारण।

(4) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय/माँगकर्त्ताओं/परेषितियों से दस्तावेजों की प्रतीक्षा।

(5) मुकदमेंबाजी के कारण बिलों को लंबित रखा जाना।

(घ) विदेशों से प्राप्त हुई सप्लाई के मामलों में भुगतान, ठेके जारी किये जाने के उपरांत रिजर्व बैंक/भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से प्रस्तुत किए गए साख-पत्रों के आधार पर किया जाता है। विदेशी पूर्तिकर्ताओं के किसी भी बिल का यहाँ सीधा भुगतान नहीं किया जाता तथा इसलिए विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को वित्तीय सहायता देने के लिए निर्धारित राशि

701. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्ष के दौरान बिहार में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उपभोक्ता ऋण योजना के अधीन वित्तीय सहायता देने के लिए वर्ष-वार कितनी राशि निर्धारित की गई; और

(ख) उस प्रयोजन के लिए बिहार को वर्ष, 1985-86 के लिए कितनी राशि देने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) उपभोग ऋण सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों को अनुसूचित जातियों और जनजातियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए उपभोग ऋण देने के लिए कहा था। ऐसे ऋणों की प्रयोजन-वार राशि प्रति वर्ष 75 रुपये से 250 रुपये के बीच होती है और प्रति वर्ष प्रति परिवार अधिकतम सीमा, 500 रुपये होती है। बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना पद्धति से पूछे गये ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती। इसके अतिरिक्त उपभोग ऋणों के अधीन अग्रिमों के वास्ते बैंकों के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

निर्यात-आयात नीतियों के स्वरूप की पुनरीक्षा करने सम्बन्धी समिति

702. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात-आयात नीतियों के स्वरूप की पुनरीक्षा करने और निर्यात संवर्धन की कारगारता पर विचार करने के लिए गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उपर्युक्त समिति के निर्देश पद क्या हैं और इसके सदस्य कौन-कौन हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) निर्यात तथा आयात नीतियों की संरचना का पुनरीक्षण करने और निर्यात संवर्धन उपायों की कारगरता पर विचार करने के लिए स्थापित व्यापार नीतियों सम्बन्धी समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1984 को सरकार को प्रस्तुत की। आशा की जाती है कि रिपोर्ट की प्रतियाँ चालू सत्र के दौरान संसद पुस्तकालय में रखी जाएंगी।

(ग) समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं: —

(i) निर्यात तथा आयात नीतियों की वर्तमान में संरचना का पुनरीक्षण;

(ii) वास्तविक निर्यात निष्पादन पर निर्यात संवर्धन उपायों के प्रभाव के संदर्भ में उनकी कारगरता पर विचार करना;

(iii) निर्यात नीतियों में यथा आवश्यक रूप में सुव्यवस्थीकरण तथा सुधारों का सुझाव देना; और

(iv) विदेशी मुद्रा के संरक्षण और कुशल आयात प्रतिस्थापन के संवर्धन के लिए आयात नीतियों के समुचित परिवर्तनों तथा सुव्यवस्थीकरण का सुझाव देना।

समिति का गठन निम्नलिखित अनुसार था :

1. श्री आबिद हुसैन, वाणिज्य सचिव	अध्यक्ष
2. श्री पी० के० कौल, वित्त सचिव	सदस्य
3. श्री एस० एस० सिद्धू, सचिव, औद्योगिक विकास	सदस्य

4. डा० अर्जुन सेनगुप्त सदस्य
प्रधानमन्त्री के विशेष सचिव

5. डा० सी० रंगराजन, सदस्य
उप-गवर्नर,
भारतीय रिजर्व बैंक

6. श्री एम० नरसिम्हम सदस्य
प्रधानाचार्य,
भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज,
हैदराबाद।

7. श्री पी० सी० जैन, सदस्य
मुख्यनियंत्रक, आयात तथा निर्यात

8. डा० दीपक नय्यर, सदस्य सचिव
आर्थिक सलाहकार,
वाणिज्य मंत्रालय।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करना

703. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बता । की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन यूनिटों को;

(ग) इन यूनिटों को बन्द करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस निर्णय से कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं, सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए प्रश्न ही पैदा नहीं होते।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए आचार संहिता

704. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कार्य कर रहे बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए कोई आचार संहिता तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में कार्य कर रहे बहुराष्ट्रीय निगमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी नहीं। परन्तु बहुराष्ट्रिक निगमों संबंधी संयुक्त राष्ट्रीय आयोग जिसका भारत भी सदस्य है, बहुराष्ट्रिक नियमों के लिए आचार संहिता बनाने पर विचार कर रहा है ?

(ग) भारत में कार्यरत फेरा कम्पनियाँ की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत शामिल फेरा कम्पनियां

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम
1	2
1.	आडको इंडिया लि० बम्बई
2.	ऐप वेलिस इंडिया लि० कलकत्ता (पहले वेलिस एन्ड मारकान के नाम से जाना जाता था)
* 3.	अपोली चेन जिप्स प्रा० लि०
4.	ऐसोसिएटिड बीयरिंग कं० लि० बम्बई
5	एटिक इंडस्ट्रीज लि० अतुल
6.	अशोक लेलेण्ड लि०, मद्रास
7.	आफ इंवेस्टमेंट लि०, मद्रास
* 8.	आगरा कंपनी लि०, कलकत्ता
9.	दि असम कंपनी प्रा० लि०,कलकत्ता
10.	दि असम कंपनी (इंडिया) लि०, कलकत्ता
11	ब्रेक्स इंडिया लि०, मद्रास
12.	बेयर इंडिया लि०, बम्बई
13.	बाजालोनी ग्रुप लि०, कलकत्ता
14.	बंगाल लि० (इंडस्ट्रियल फर्नेस) लि० कलकत्ता
15.	बरोज वेलकम एण्ड कं० प्रा० लि० कलकत्ता
16.	डा० बैक एण्ड कं० (आइ०) लि०, पूणे
17.	बकाउ बुल्फ न्यू इंडिया वर्क्स लि०, पूणे
18.	बी० ए० एस० एफ० (इंडिया) लि०, बम्बई
19.	बूटस कं० (इंडिया) लि० बम्बई
20.	क्रगमोर प्लांटेशन (इंडिया) लि०
21.	क्लोराइड (इंडिया) लि०, कलकत्ता
22.	कोमिनको बिनानी जिंक लि०, बम्बई
23.	कंसोलिडेटिड न्यूमैटिक टूल्स कं० (इंडिया) लि० बम्बई
24.	सि मिड इंडिया लि०, बम्बई
25.	कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लि०, सिकंदराबाद
*26.	सी० ए० बिलर एण्ड कं० प्रा० लि०, बैंगलोर
27.	सी० डब्ल्यू० एल० (इंडिया) लि०, कोचीन
28.	सीम इंडिया कंपनी लि० बम्बई
29.	ड्रंटन ग्रीव्ज लि०, बम्बई
30.	ड्रूम डूमा इंडिया लि०, कलकत्ता
31.	दार्जिलिंग प्लांटेशन इंडस्ट्रीज लि०, कलकत्ता

1	2
	32. इं० हिल एण्ड कं० प्रा० लि०, मिर्जापुर
	33. इंगलिश इलैक्ट्रिक कंपनी आफ इंडिया लि०, मद्रास
	34. ई० वर्क (इंडिया) लि०, बम्बई
	35. ऐवरेस्ट बिल्डिग प्रोडक्टस लि०. नई दिल्ली (पहले एस्वेस्टोस सीमेंट लि०, के नाम से जानी जाती थी)
	36. इन्नौर फाऊंडरीज लि०, मद्रास
	37. इयर एमेल्टिग प्रा० लि०, कलकत्ता
	38. एम्पायर प्लांटेशन (इंडिया) लि०, कलकत्ता
	39. फेलैंडर मैकिनल गीयर्स लि०, कलकत्ता
	40. फिक इंडिया लि० फरीदाबाद
	41. फलेक्ट इंडिया लि०, कलकत्ता (पहले एस० एफ० इंडिया के नाम से जाना जाता था)
	42. गर्ग एसोसिएटस प्रा० लि०, गाजियाबाद
	43 गेडोर टूल्स (इंडिया) प्रा० लि० नई दिल्ली
	44. ग्रोज वेकटे सबू लि०, चण्डीगढ़
	45. गेस्ट कीन विलियम्स लि०, हावड़ा
	46. जनरल इलैक्ट्रिक कं० आफ इंडिया लि० कलकत्ता
	47. गोटरमेंन पाइपर्स (इंडिया) लि०, कलकत्ता
	48. ग्रीव्जीफास्को लि०, बम्बई
	49. ग्राइडवेल नारटन लि०, बम्बई
	50. गुडईयर इंडिया लि०, नई दिल्ली
	51. गेनन नार्दन मेटल एण्ड डायमेंड डाइस लि०, बम्बई
	52. गुडरिक ग्रुप लि०, कलकत्ता
	53. जार्ज विलियमसन (असम) लि०, कलकत्ता
	54. हिन्दुस्तान फैरोडो लि०, बम्बई
	*55. हालमैन क्लाइमेक्स मेन्यूफेक्चरिंग लि०, कलकत्ता
	56. हेन लेहमेन लि०, कलकत्ता
	57. हरडिलिया केमिकल्स लि०, बम्बई
	58 हिन्दुस्तान लीवर लि०, बम्बई
	59. हिन्दुस्तान गम एण्ड केमिकल्स लि०, भिवानी (हरियाणा)
	60. हिन्दुस्तान डोर आलिवर, बम्बई
	61. इंडियन गम इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई
	62. इंडियन एल्यूमीनियम कं० लि०, कलकत्ता
	63. इंडियन कार्ड क्लोथिंग कं० प्रा० लि०, पूणे
	64. इंडियन एक्सप्लासिव्ज लि०, कलकत्ता
	65. इंगरसोल - रैंड (इंडिया) प्रा० लि०, बम्बई
	66. इंडोफिल केमिकल्स लि०, बम्बई

1	2

67. इंडिया फोएल्स लि०, कलकत्ता
68. इंडियन जेरोग्राफिक सम्टमस प्रा० लि०, बम्बई
69. जानसन एण्ड जानसन लि०, बम्बई
70. जोकाई (इंडिया) लि०, कलकत्ता
71. के० एस० बी० पम्पस लि०, बम्बई
72. किरलोस्कर कुम्मिनस लि०, पूना
73. केरल वेलर्स लि०, केरल
74. लूकास टी० वी० एस० लि०, मद्रास
75. एल० एम० वैन मोप्स डायमण्ड टूल्स इंडिया लि०, कूनूर
76. लक्ष्मन आइसोला लि०, बंगलोर
77. मैस मेजर एरोमेटिक्स (इ) प्रा० लि०, मद्रास
78. मोलिन्स आफ इंडिया लि०, मोहाली
79. नानसेतो केमिकल्स आफ इंडिया प्रा० लि०, बम्बई
80. मोटर इण्डस्ट्रीज कं० लि०, बंगलोर
81. महिन्द्रा सिनटर्ड प्राडक्टस लि०, पूना
82. माथर एण्ड प्लाट (इ) लि०, बम्बई
83. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०, मद्रास
84. माचला प्रापर्टीज लि०, कलकत्ता
85. दी मजूली टी कंपनी (इ) लि०, कलकत्ता
86. मोरन टी कंपनी (इ) लि०, कलकत्ता
87. मोर इंडिया लि०, बम्बई
88. नीरोशजी वाडिया एण्ड सन्स प्रा० लि०, बम्बई
89. नवेली वाडिया प्रा० लि०, बम्बई
90. एन जी ई एफ—ए ई जी इंजीनियरिंग कंपनी लि०, बंगलोर
91. आई ई एन (इंडिया) लि०, कोचीन
92. ओटिसएलिवेटर कं० (इ) लि०, बम्बई
93. पोरीटस एण्ड स्पेन्सर (एशिया) लि०, नई दिल्ली
94. फाईजर लि०, बम्बई
•95. पश्तनी तेजारसी कं० (इ) प्रा० लि०, अमृतसर
96. प्लासर (इ) लि०, नई दिल्ली
97. आर० एच० विंडसर (इ) लि० बम्बई
98. रीछोल्ड कैमिकल्स (इ) लि०, मद्रास
99. रोशे प्राडक्टस लि०, बम्बई
100. रीरोले वर्न लि०, हावड़ा
101. स्टोन प्लेट इलैक्ट्रीकल (इ) लि० कलकत्ता (भूतपूर्व जे० स्टीन एण्ड कं० (इ) लि०)
102. स्पोरेक्स मार्शल लि०, पूना

1	2
103.	सोराष्ट्र सीमेंट एण्ड कैमीकल्स इण्डस्ट्रीज लि०, रानावार
104.	सेडविक एशिया लिमिटेड, पूना
105.	सिंगलो (इंडिया) टी० कं० लि०, कलकत्ता
106.	स्टीपर्ट होल (इंडिया) लि०, कलकत्ता
107.	शराडर स्कोविल डंकन लि०, बम्बई
108.	सीमन्स इण्डिया लि०,बम्बई
109.	संसार मशीन्स लिमिटेड, नई दिल्ली
110.	सेंडोज (इंडिया) लि०, बम्बई
111.	टाटा किलोकनर इंडिस्ट्रियल प्लांटस लि०, बम्बई
112.	त्रिवेणी टी शूज लि०, कलकत्ता
113.	ट्रैक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेंट लि०, मद्रास
114.	ट्रेक्टर इंजीनियर्स लि०, बम्बई
115.	टी इस्टेटस इण्डिया प्रा० लि०, कूनूर
116.	टोयो इंजनीयरिंग इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली
117.	यूनियन कार्बाइड इंडिया लि०, कलकत्ता
* 118.	यूनी-सेक्यो लि०, हैदराबाद
119.	यूह्वदी इंडिया लि०, बम्बई
120.	वीवर्स रूपेरो आफ इंडिया लि०, बम्बई
121.	वेस्टर्न थोम्सन (इ०) लि०, मद्रास
122	विदिया इंडिया लिमिटेड, बंगलोर
123.	पारेन टी लि०, कलकत्ता
124.	वेथ लेवोट्रीप लि०, बम्बई
125.	जुआरी एग्रो केमिकल्स लि०, गोआ
	भागीदारी से सम्बन्धित
1.	मेटालिक्स इंडिया, कलकत्ता
2.	सदबरी लेवोट्री आफ इंडिया, कलकत्ता
*3.	टाटा दिलर्थ सकोर्ड मेजर एंड एसोसिएटस,बम्बई
	शाखाएं
* 1.	एस्केलेव लि०, बंगलोर (पहले स्मिथ क्लीन एंड फ्रेंच (इ०) लि० के नाम से जानी जाती थी)
2.	आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
* 3.	सामनगर जूट फैक्टरी कंपनी लि०, कलकत्ता
4.	ट्रेवल वर्ल्ड आई० एच० सी०
* 5.	टीटागढ़ जूट फैक्टरी कंपनी लि०, कलकत्ता
* 6.	विक्टोरिया जूट कंपनी लि०, कलकत्ता

1	2

पाद टिप्पण : 1. इस सूची में 30 जून, 1985, की स्थिति दी गई है।

2. इस सूची में कंपनियों के निम्नलिखित वर्ग शामिल नहीं है :—

(i) वे कंपनियां जिन्होंने अपना कारवार बन्द कर दिया है और समापन के दौर में है।

(ii) जिन्हें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) 1973 की धारा 29 (2) (घ) के अन्तर्गत पूंजी और आय के और अप्रत्यावर्तन के आधार पर अनुमती दी गई है।

(iii) जिसमें 40 प्रतिशत से अधिक अनिवासी हिताधिकार भारतीय मूल्य के लोगों के पास हैं।

(iv) मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित कंपनियां।

* वे कंपनियां जिन्हें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम ("फेरा") 1973 की धारा 29 (2) (घ) के अन्तर्गत अनिवासी हिताधिकारों को कम करके 40 प्रतिशत तक ले आने के निर्देश दिए गए हैं।

काले धन को समाप्त करने के उपाय

705. श्री सत्य गोपाल मिश्र
श्री जी० जी० स्वेल
श्री मूल चंद डागा
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री जगन्नाथ पटनायक
श्री गिरिधर गोमांगो
श्री वृद्धि चन्द्र जैन
श्री अमल दत्त
डा० ए० के० पटेल
श्री जंगा रेड्डी
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री जी० विजय रामा राव
श्री अजित कुमार साहा
श्री अजय बिश्वास
श्री अमर राय प्रधान
श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री एस० एम० गुरड्डी
श्री ई० अय्यपु रेड्डी
श्री जी० भूपति
श्री आर० एम० भोये
श्री चन्द्र शेखर त्रिपाठी
श्री मोहम्मद महफूज अली खां
श्री चिन्ता मोहन

: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काले धन को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान की सिफारिशों के आधार पर कुछ उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त उपायों का विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त उपाय कब तक तैयार किये जाएंगे ?

वित्त मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) रिपोर्ट पर सार्वजनिक बहस पूरी हो जाने तथा उस पर सुझाव प्राप्त हो जाने के पश्चात।

केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ते की किश्तें जारी करना

706. श्री सत्यगोपाल मिश्र
श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को इस समय महंगाई भत्ते की कितनी कितनी किश्तें देय हैं;

(ख) सरकार देय किश्तें कब तक जारी करेगी; और

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अप्रैल 1985 के अन्त में औसत सूचकांक 584 अंकों को पार कर जाने के परिणामस्वरूप, 1.5.1985 से महगाई भत्ते की एक और किश्त विचार किये जाने योग्य हो गई है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की और पेंशनभोगियों को राहत की प्रत्येक किश्त की अदायगी करने में राजकोष पर प्रति वर्ष क्रमश: लगभग 70 करोड़ रुपये और 8 करोड़ रुपये की लागत आती है। इसलिए, मंहगाई भत्ते की प्रत्येक किश्त की अदायगी के प्रश्न पर आर्थिक स्थिति और बजट पर पड़ने वाले उनके प्रभाव को ध्यान में रखकर सावधानीपूर्वक विचार करना होता है। किश्त की अदायगी की स्वीकृति के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है। तथापि, इस बारे में कोई निर्णय लेने के लिए किसी समय सीमा का उल्लेख करना संभव नहीं है।

इस्पात संयंत्रों की स्थापना और आधुनिकीकरण के प्रस्ताव

707. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नए इस्पात संयंत्र स्थापित करने या इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने के बारे में सरकार के क्या प्रस्ताव हैं; और

(ख) तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) इस्पात क्षेत्र के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। लेकिन सरकार ने कर्नाटक में विजय नगर के स्थान पर तथा उड़ीसा में दैतारी के स्थान पर कारखाने लगाने के संबन्ध में सिद्धान्त रूप से निर्णय ले लिया है। परियोजनाओं का कार्य पूंजी-निवेश सम्बन्धी निर्णय लेने के पश्चात् शुरू किया जाएगा। पूंजी-निवेश सम्बन्धी निर्णय अभी लिया जाना है। आन्ध्रप्रदेश में विशाखापत्तनम में एक इस्पात कारखाना निर्माणाधीन है।

दुर्गापुर, राउरकेला तथा बर्नपुर के इस्पात कारखानों का आधुनिकीकरण करने की योजनाएं तैयार कर ली गई हैं।

पानागढ़, पश्चिम बंगाल में करेंसी की छपाई के लिये टकसाल/प्रेस की स्थापना

708. श्री सत्यगोपाल मिश्र
श्री निर्मल खत्री
: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पानागढ़ पश्चिम बंगाल में करेंसी की छपाई के लिये एक टकसाल/प्रेस स्थापित करने का कोई निर्णय लिया है; और

(ख) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने नोएडा, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में एक नई टकसाल के लिये जमीन प्राप्त कर ली गई है। जनवरी, 1985 में एक विशेष कार्य अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। एक परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है।

सिद्धान्त रूप में, करेंसी नोट छापने के लिए एक नई प्रेस की स्थापना करने का भी निश्चय किया गया है जिसके स्थल के लिए पश्चिम बंगाल में पानागढ़ का सुझाव दिया गया है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के लिये धन का आवंटन

709. श्री बनवारीलाल पुरोहित
श्री पूर्ण चन्द्र मलिक
श्री वी० सोभनाद्रीश्वर राव
: क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जून, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "स्टील प्लांट्स नीड मोर फंड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के लिये कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने यह मामला योजना आयोग के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो योजना आयोग की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सातवीं योजनावधि के लिए इस्पात क्षेत्र के लिये धन के आवंटन को योजना आयोग के परामर्श से शीघ्र हो अन्तिम रूप दिया जायेगा।

सिक्कों और छोटे करेंसी नोटों की कमी

710. श्री बनवारी लाल पुरोहित
श्री आर० एम० भोये
श्री सय्यद मसुदल हुसैन
श्री बी० के० गढ़वी
श्री प्रो० नारायण चंद्र पराशर
: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिदिन नए सिक्के और नये करेंसी नोट जारी किये जाने के बावजूद देश में अब भी सिक्कों और छोटे नोटों की कमी बनी हुई है;

(ख) क्या सरकार ने सिक्के और छोटे करेंसी नोटों के सक्रिय प्रचालन से गायब हो जाने के कारणों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में पूरे तथ्य क्या हैं; और

(घ) देश में छोटे सिक्कों और करेंसी नोटों की कमी को दूर करने के लिये सरकार, द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सिक्कों की, विशेषकर बड़े नगरों/वाणिज्यिक केंद्रों में, जमाखोरी किये जाने और कुछ सिक्कों के पिघलाये जाने तथा अन्य प्रयोजनों के लिए सिक्कों का प्रयोग किये जाने के बारे में रिपोर्ट मिली हैं। तथापि इन रिपोर्टों की सत्यता स्थापित नहीं की जा सकी। अधिक मूल्य पर एक रुपए के नोटों की बिक्री किये जाने के संबन्ध में भी समय-समय पर रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। तथापि नोटों की जमाखोरी के बारे में कोई रिपोर्टें नहीं हैं। सिक्कों की पूर्ति मे कमी और इनकी जमाखोरी तथा नोटों की पूर्ति में कमी जनता द्वारा महसूस की जाने वाली कमी के प्रधान कारण हैं।

(घ) सरकार ने नोट प्रेसों और टकसालों में नोटों और सिक्कों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय शुरू किये हैं। इनमें उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रेसों और टकसालों में विद्यमान सुविधाओं का आधुनिकीकरण और विस्तार, काम के घन्टों में वृद्धि और प्रोत्साहन योजनाएं लागू किया जाना शामिल हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश में एक नई टकसाल स्थापित करने का निश्चय भी किया गया है। इसके अतिरिक्त, एक नई बैंक नोट प्रेस स्थापित करने का फैसला किया गया है। सिक्कों की पूर्ति में तत्काल वृद्धि करने के लिए, 200 करोड़ अदद सिक्कों का आयात किया जा रहा है।

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट लेने की प्रणाली को समाप्त करने का प्रस्ताव

711. श्री बनवारी लाल पुरोहित
श्री नरसिंह मकवाना
श्री चित्त महाटा
प्रो० पी० जे० कुरियन
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
श्री अनन्त प्रसाद सेठी
श्री के० प्रधानी

: क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट लेने की प्रणाली को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव केंद्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित होगा;

(ग) इस समय प्रत्येक राज्य ने कितना ओवर ड्राफ्ट ले रखा है; और

(घ) इस प्रणाली से किस सीमा तक मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि 28.1.1985 को उनके ओवर-ड्राफ्ट का जो स्तर था उसे वे 1.10.1985 को 10% घटा लें। भारत सरकार ओवरड्राफ्ट के शेष 90 प्रतिशत के बराबर मध्यावधि ऋण प्रदान करेगी जिसकी वापसी 1986-87 से शुरू करके चार बराबर-बराबर की वार्षिक किश्तों में की जाएगी तथा इस पर 8 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा। राज्यों को यह भी सूचित किया गया है कि वे ओवरड्राफ्ट विनियम योजना का कड़ाई से पालन करें।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है।

(घ) ओवर-ड्राफ्ट की पद्धति को समाप्त करने से राज्यों द्वारा घाटे की वित्त व्यवस्था रुक जाएगी।

विवरण

19.7.1985 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों की ओवर-ड्राफ्ट की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र ।

(करोड़ रुपये)

राज्य	ओवर ड्राफ्ट राशि
1. आन्ध्र प्रदेश	85.59
2. गुजरात	3.09
3. हरियाणा	50.80
4. कर्णाटक	170.81
5. केरल	155.74
6. उड़ीसा	14.97
7. पंजाब	50.69
8. उत्तर प्रदेश	205.31
9. पश्चिम बंगाल	149.65
जोड़ :	886.65

अमेरिका के साथ व्यापार

712. **श्री जी०जी० स्वैल :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य राज्य मंत्री अमेरिका को भारतीय निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से विभागीय भंडार गृहों और व्यापार संवर्द्धन फर्मों से सीधे बात करने के लिए अमेरिका की यात्रा पर गए थे;

(ख) उस यात्रा के परिणाम स्वरूप कितने अधिक रुपए का व्यापार हुआ; और

(ग) क्या अमेरिका के साथ चीन द्वारा, जो इस मामले में नया है, किये गये व्यापार के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) जी, हां, मैंने अभी हाल में सं०रा० अमरीका में आयोजित किए जा रहे मोटे तौर पर भारत मेले के अवसर पर वहां नियोजित निर्यात संवर्धन तथा वाणिज्यिक प्रचार कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न लोगों तथा संस्थाओं के साथ विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए स०रा० अमरीका का दौरा किया था। दौरे के दौरान मैंने सं०रा० अमरीका में आधारित भारतीय संगठनों, जैसे इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद, व्यापार विकास प्राधिकरण, भारतीय निवेश केन्द्र, चाय बोर्ड, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, भारतीय शिपिंग निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारत इलैक्ट्रानिक्स लि० आदि के प्रतिनिधियों से मिला तथा लागत प्रभावी निर्यात संवर्धन तथा वाणिज्यिक प्रचार कार्यक्रम के तत्वों पर सं०रा० अमरीका में भारतीय मूल के निवासियों की एसोसिएशनों तथा विभागीय भण्डारों के प्रतिनिधियों के साथ भी विचारों का आदान-प्रदान किया। विचारों के इस आदान-प्रदान से निर्यात संवर्धन कार्यक्रम तथा वाणिज्यिक प्रचार में सहायता मिलेगी जो कि तैयार किया जा रहा है ।

(ग) 1981, 1982, 1983 तथा 1984 वर्षों के दौरान सं०रा० अमरीका को चीन के कुल निर्यात क्रमश. 1900 मिलियन, 2284 मिलियन, 2244 मिलियन तथा 3400 मिलियन अमरीकी डलार के हुए जबकि उसी अवधि के दौरान अमरीका को भारत के निर्यात क्रमश: 1202 मिलियन, 1404 मिलियन, 2190 मिलियन तथा 2552 मिलियन अमरीकी डालर के हुए।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि में वृद्धि

713. **श्री जी० जी० स्वैल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि में अत्यधिक वृद्धि हुई है जो इस वर्ष अप्रैल के महीने में 1000 करोड़ रुपये तक हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अमरीकी डालर को "हवाला" विनिमय दर में अत्यधिक कमी हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) चूंकि प्राधिकृत डीलर द्वारा वर्तमान नियमों के अन्तगत 10,000/-रुपए या उससे कम राशि के प्रेषणों की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को देने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए विदेशों में काम कर रहे केवल भारतीयों से प्राप्त प्रेषणों के बारे में ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी, चालू वर्ष के गत पांच महीनों के संबंध में निर्यात-भिन्न प्राप्तियों के तुरत तथा अनन्तिम अनुमानों के महीने-वार आंकड़े इस प्रकार हैं :—

जनवरी :	866.18 करोड़ रुपए
फरवरी :	748.31 करोड़ रुपए
मार्च :	889.68 करोड़ रुपए
अप्रैल :	571.31 करोड़ रुपए
मई :	693.82 करोड़ रुपए

(नवीनतम उपलब्ध आंकड़े)

उपर्युक्त आंकड़ों में सकल निर्यात-भिन्न प्राप्तियों के द्योतक हैं जिनमें "आवक प्रेषणों" से संबंधित प्राप्तियों के चार शीर्षों, अर्थात् (i) परिवार भरण-पोषण, (ii) अनिवासी बचतों, (iii) प्रवासी अन्तरण और (iv) मनी आर्डर प्राप्तियों के अलावा, नौवहन प्राप्तियों, बीमा प्राप्तियों, लाभांश प्राप्तियों, पर्यटन प्राप्तियों आदि के फलस्वरूप प्राधिकृत डीलरों के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

गेहूं का निर्यात करने के प्रयास

714. **श्री जी०जी० स्वैल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ के अलावा अन्य देशों को गेहूं बेचने के हमारे प्रयास असफल रहे हैं;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार गेहूं के जमा हो गये फालतू भण्डार को, जिसके पूरी तरह नष्ट हो जाने का खतरा है, निपटाने हेतु गेहूं के निर्यात के लिए उपयुक्त राजसहायता देगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने सोवियत संघ को 5 लाख मैं० टन गेहूं निर्यात करने के लिए एक्सपोर्टखैब, मास्को

के साथ एक संविदा की है। इसके अतिरिक्त, सूखा पीड़ित अफ्रीकी देशों को सहायता के रूप में 1 लाख मे० टन गेहूं की मात्रा भी सप्लाई की जा रही है। अन्य गेहूं आयातक देशों को गेहूं निर्यात करने की संभाव्यताओं का पता लगाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) सरकार गैर सरकारी व्यापारियों द्वारा गेहूं का निर्यात किए जाने को उपदान देने के बारे में विचार नहीं कर रही है।

भुगतान संतुलन की स्थिति

715. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) भुगतान संतुलन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा सातवीं योजना अवधि में भुगतान शेष को कम करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) हमारे भुगतान संतुलन की वर्तमान स्थिति संतोषजनक है।

(ख) सरकार भुगतन संतुलन की स्थिति की लगातार समीक्षा करती रहेगी और निर्यात को बढ़ावा दे तथा आयात प्रतिस्थापनों द्वारा आयात पर निर्भरता को कम करने के उपायों के माध्यम से इसे मजबूत बना के लिए संगठित उपाय करेगी।

बिहार के पुरुलिया और उसके निकटवर्ती जिलों में कोयले की चोरी

716. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या पुरुलिया से लगभग एक किलोमीटर दूर केतका में भीड़ द्वारा कोयले के वैगनों को खोला गया था और भारी मात्रा में कोयला उठा लिया गया था;

(ख) क्या बिहार में पुरुलिया और उसके निकटवर्ती जिलों में, अवैध कोयले के भण्डार बढ़ रहे हैं, यद्यपि कोयला उत्पादन क्षेत्र नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त मण्डल प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का 365,000 टन कोकिंग कोल का नुकसान हो जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा सूरत में कपड़ा बाजारों पर छापे

717. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह**
श्री ई० अय्यापु रेड्डी
श्री सी० डी० गामित } **: क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या 25 मई, 1985 को जब उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने उत्पादन शुल्क की चोरी रोकने के लिए सूरत के कपड़ा बाजारों में छापे मारे थे तो केन्द्रीय सरकार की कर अपवंचन रोधी शाखा के अनेक आसूचना अधिकारी लापता हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो छापों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में कोई गिरफ्तारियां हुई हैं और उत्पादन शुल्क की चोरी करने वालों के विरुद्ध मुकदमे चलाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूरत में नकली रेशम के वस्त्रों की प्रक्रिया करने वाले 16 कारखानों के परिसरों और 40 दुकानों की दिनांक 24 मई, 1985 को अपवंचन निवारण (केन्द्रीय उत्पादन शुल्क) निदेशालय के अधिकारियों द्वारा ली गई तलाशियों के दौरान, तलाशियां ले रहे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों पर कपड़ा बाजार और 11 कारखानों के परिसरों में हमला किया गया और उन्हें घायल कर दिया गया था। तथापि, कोई भी अधिकारी लापता नहीं पाया गया था। ये तलाशियां दिनांक 31 मई, 1985 तक जारी रहीं। इन तलाशियों के दौरान लगभग 6.50 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य का कपड़ा, जिसे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रिकार्डों में नहीं दिखाया गया था, और अनेक अपराधारोपणीय दस्तावेज पकड़े गए थे।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानून के उपबंधों का उल्लंघन किए जाने पर छः व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। जांच-पड़ताल, जो कि अभी जारी है; के पूरा हो जाने पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानून के उपबन्धों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० को हुई हानि

718. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अप्रैल, 1985 के "इकनोमिक टाइम्स" में "सी० आई० एल० कोस्ट-कट्रलो ड्राइव" शीर्षक से तथा 9 मई, 1985 के "फाइनेंसिएशल एक्सप्रेस" में "प्राइस हाइक इस्सेंसिएल टू प्रेसवयू सी० आई० एल०" शीर्षक से प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० में गत वर्ष 250 करोड़ रुपए का घाटा होने के क्या कारण हैं;

(ग) इन एककों के लाभप्रद कार्यकरण के लिए इनके कार्यकरण को कारगर न बनाने के क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई और यह मूल्यवृद्धि किन महीनों/वर्षों में की गई और इस मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कोल इण्डिया लि० तथा उसकी सहायक कंपनियों के वर्ष 1984-85 के खाते अभी अंतिम रूप से तैयार नहीं हुए हैं फिर भी, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० को क्रमशः रु० 13.51 करोड़ और रु० 51.74 करोड़ (धारण कीमत के समंजन के बाद) का घाटा वर्ष 1984-85 में होने की आशा है। ई० को० लि० और भा० को० को० लि० को घाटा होने के मुख्य कारण यह हैं कि उन्हें कठिन भू-खनन दशाओं में काम करना पड़ता है तथा उनके क्षेत्रों में अपर्याप्त और रुक-रुक कर होने वाली बिजली सप्लाई, कानून और व्यवस्था, अनुपस्थित की प्रवृत्ति आदि समस्याएं लगातार बनी हुई हैं।

कोयला खानों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उनका आर्थिक आधार सुदृढ़ हो सके और वे आने वाले वर्षों में कोयले की बढ़ती हुई मांग

पूरी करने के लिए भली-भांति तैयार हो सकें। कोयला कंपनियों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं उनमें यह बातें शामिल हैं : नई खानों में पूंजी-निवेश, पहले ही उत्पन्न खनन क्षमता का पूर्णतर उपयोग, उपकरणों का अधिक कुशल प्रयोग और बेहतर अनुरक्षण, भंडार सामग्री पर अधिक नियंत्रण और उसके प्रयोग में किफायत, अनुपस्थित की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करके और अनुशासन कड़ाई से लागू करने तथा बेशी कामगारों का पता लगाकर उन्हें समुचित प्रशिक्षण के बाद अन्यत्र फिर तैनात करने आदि उपायों के जरिए जनशक्ति का बेहतर प्रयोग, विस्फोटक पदार्थ/लकड़ी आदि दुर्लभ उत्पादन सामग्रियों की बेहतर उपलब्धि कराना, कोयले की तेजी से ढुलाई और बेहतर वितरण के द्वारा खान मुहाना स्टाक में कमी करना, नई परियोजनाओं का तेजी से विकास और उन्हें समय से पूरा करना तथा बिहार-बंगाल कोयला क्षेत्रों में माफिया तत्वों की दादागिरी पर नियंत्रण।

(घ) पिछले तीन वर्षों में कोयले की कीमतों में दो बार अर्थात् 27-5-1982 और 8-1-1984 से संशोधन किए गए। कोयले की कीमतों में वृद्धि उत्पादन की लागत में वृद्धि के कारण आवश्यक हो गई थी। उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण ही श्रम, बिजली, भंडार सामग्री विस्फोटक पदार्थ, पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई पदार्थों जैसी उत्पादन सामग्रियों की कीमत में वृद्धि, मूल्यह्रास में वृद्धि और ब्याज की दरों में वृद्धि आदि।

[हिन्दी]

डेबलघाल में भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड के संयंत्र के निर्माण कार्य में हुई प्रगति

719. श्री हरीश रावत : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेबलघाल में भारत रिफेक्ट्रीज लिमिटेड के एक संयंत्र के निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण सम्बन्धी औपचारिकताएं इस बीच पूरी कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय अथवा रिफेक्ट्रीज बोर्ड को उक्त संयंत्र के निर्माण के लिए योजना प्राक्कलन आदि मिल गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है और निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) कारखाने तथा बस्ती के निर्माण के लिए 46.94 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। इसमें से 23.13 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। सरकारी भूमि का अधिग्रहण करने के लिए कार्यवाही चल रही है।

(ख) परियोजना के मूल लागत अनुमानों को सरकार द्वारा वर्ष 1982 में अनुमोदित किया गया था। संशोधित अनुमान समीक्षाधीन हैं।

(ग) मेगनेसाइट की वर्तमान लागत तथा इसकी मांग और उपलब्धता की समग्र स्थिति के आधार पर परियोजना की सक्षमता को ध्यान में रखते हुए ही परियोजना के संशोधित अनुमानों के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

चमोली में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलना

720. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1985-86 के दौरान चमोली (उत्तर प्रदेश) में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे प्रायोजित करने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1985-86 के दौरान उत्तर प्रदेश के चमोली और पौड़ी गढ़वाल जिलों में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के प्रस्ताव का सरकार ने पहले ही अनुमोदन कर दिया है।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक है।

[हिन्दी]

काले धन के सम्बन्ध में उच्चस्तरीय समिति का गठन

721. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काले धन की समस्या पर विचार करने और उसके लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने हेतु एक नई उच्चस्तरीय समिति गठित करने का कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा शाखाएं खोलना

722. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 1985-86 के दौरान पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा कुल कितनी नई शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) प्रस्तावित स्थलों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने आठ केन्द्रों में शाखाएं खोलने के वास्ते लाइसेंसों के लिए आवेदन किया है।

(ख) पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्रस्तावित इन आठ केन्द्रों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

1. पलेटा
2. चम्पावत टाउन
3. गुर्नी
4. बलुवाकोट
5. धूना घाट
6. धार चुला
7. लोहाघाट
8. मोवानी

उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले में कताई मिल की स्थापना

723. श्री राजकुमार राय : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक कताई मिल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति तथा वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऋण शिविर

724. श्री राज कुमार राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1985 से अब तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितने "ऋण शिविर" लगाए गए हैं; और

(ख) इन ऋण शिविरों से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए और इनमें कितनी धनराशि वितरित की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) यथाउपलब्ध सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलना

725. श्री राज कुमार राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की अब तक कितनी शाखाएं खोली गई हैं;

(ख) वर्ष, 1985-86 के दौरान आजमगढ़ जिले में इन शाखाओं को खोलने के लिए कौन-कौन से स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) ये शाखाएं कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) फरवरी, 1985 के अन्त में उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 480 शाखाएं कार्यरत थीं;

(ख) और (ग) फरवरी, 1985 के अन्त में आजमगढ़ जिले के निम्नलिखित ग्रामीण स्थानों पर शाखाएं खोलने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास 15 लाइसेंस लम्बित पड़े थे :—

बैंक का नाम	केन्द्र का नाम
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	1. समसाबाद, 2. शाजहापुर, 3. लोहरा, 4. चित्तेपुर, 5. बिशन, 6. शंकरपुर, 7. अलियाबदकटइ, 8. उकरौंर, 9. हीरापट्टी, 10. शाहपुर, 11. नसीरपुर, 12. ज्योली, 13. उपरौली, 14. कठिहारी
पंजाब नैशनल बैंक	1. कंधा

बैंकों को लम्बित लाइसेंसों के उपयोग के लिए 30-8-85 तक का समय दिया गया है ।

वाणिज्यिक बैंक को जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में शाखाएं खोलना

726. श्री राज कुमार राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 1984-85 के दौरान विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में कितनी शाखाएं खोलीं;

(ख) वहां वर्ष, 1985-86 के दौरान कितनी शाखाएं खोलने का विचार है; और

(ग) यह शाखाएं कब तक कार्य करना प्रारंभ कर देंगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जनवरी, 1984 से फरवरी, 1985 की अवधि से संबद्ध प्राप्त सूचना के अनुसार, वाणिज्यिक बेंकों द्वारा जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में 36 शाखायें खोली गई थीं; बेंक-वार ब्योरा नीचे दिया गया है :—

बेंक का नाम	खोली गई शाखाओं की संख्या
भारतीय स्टेट बेंक	4
इलाहाबाद बेंक	6
पंजाब नेशनल बेंक	2
यूनियन बेंक आफ इण्डिया	12
संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बेंक	८
बनारस स्टेट बेंक	4
कुल	36

जिले में कार्यालय खोलने के लिये वाणिज्यिक बैंकों के पास 43 प्राधिकार पत्र लंबित पड़े थे। बेंको को इनका जल्दी उपयोग करने के लिये कह दिया गया है। आजमगढ़ जिले में और बेंक कार्यालय खोलने के प्रस्ताव पर सातवीं पंचवर्षीय आयोजना की अवधि के लिये शाखा लाइसेंसिग नीति के अनुसार, जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है, भारतीय रिजर्व बेंक द्वारा विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

निर्यात बढ़ाने की योजना और फंक्शनल केंद्रों का स्थान

727. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 22-6-1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में एक्शन प्लान टू बूस्ट एक्सपोर्ट शीर्षक से प्रकाशित समाचार को देखा है;

(ख) यदि हां, तो निर्यातों को बढ़ाने के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्योरा क्या है;

(ग) निर्यात ससाधन जोनों जैसे फंक्शनल केंद्र कहां हैं और उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक जोन की निर्यात क्षमता कितनी है;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश में कुछ फंक्शनल केन्द्र स्थापित करने का विचार है, यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें उक्त मदों का निर्यात किया जायेगा और प्रत्येक मद कितने मूल्य का होगा; और

(च) निर्यातकों को दिये जाने वाले प्रोत्साहनों का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) वर्ष 1985-86 के लिये निर्यात लक्ष्य 117·7 करोड़ रु० निर्धारित किया गया है। 1985-86 के लिये गैर-तेल निर्यातों के लिए लक्ष्य 11266 करोड़ रु० है।

(ग) से (च) कान्डला और बम्बई में सान्ताक्रुज में दो विद्यमान मुक्त व्यापार जोनों के अलावा, मद्रास, फाल्टा (पश्चिम बंगाल) कोचीन और नोएडा (उत्तर प्रदेश) में चार नये जोन स्थापित किये जा रहे हैं। इन चारों जोनों के निष्पादन पर आन्ध्र प्रदेश सहित किसी और नये जोन की स्थापना से पूर्व निगाह रखी जाएगी। 1984-85 के दौरान, कान्डला मुक्त व्यापार जोन में स्थित एककों ने 236 करोड़ रु० (लगभग) मूल्य के माल का निर्यात किया और सान्ताक्रुज इलैक्ट्रानिक्स, निर्यात प्रोसेसिंग जोन ने 95.80 करोड़ रु० का निर्यात किया। निर्यात प्रोसेसिंग जोनों में स्थित एकक किसी भी देश के अपने तैयार उत्पादों का निर्यात करने के लिये स्वतन्त्र हैं। निर्यात प्रोसेसिंग जोनों में स्थित एकक अपने लाभों जैसे कि पूंजीगत माल तथा कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात और कर अवकाश के हकदार है।

आंध्र प्रदेश में तम्बाकू के लिये नीलामी प्रणाली आरम्भ करना

728. श्री वी० तुलसी राम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू के लिये नीलामी प्रणाली आरंभ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है तथा यह राज्य के किसानों और तम्बाकू उत्पादकों के लिये कहां तक लाभदायक है;

(ग) इस प्रणाली के कब तक आरंभ किये जाने की आशा है; और

(घ) यह वर्तमान प्रणाली से किस सीमा तक बेहतर होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) से (घ) आन्ध्र प्रदेश में वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री के लिये नीलामी प्रणाली 1985 के विपणन मौसम से, तम्बाकू बोर्ड द्वारा स्थापित किये गये 8 जिलों में फैले 21 नीलामी मंदों के माध्यम से चरणों में लागू की गई थी। इस राज्य में नीलामियों द्वारा लगभग 93 करोड़ रु० मूल्य के लगभग 90 मिलियन कि०ग्रा० वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री की गई।

नीलामी प्रणाली ने उपजकर्ताओं को स्वयं तम्बाकू बोर्ड द्वारा उचित समय के भीतर भुगतान को सुनिश्चित किया है। इससे पहले, व्यापारी तथा बिचौलिये उपजकर्ताओं को भुगतान करने में काफी समय लेते थे।

नीलामी प्रणाली से यह भी सुनिश्चित हुआ है कि सभी वर्जीनिया तम्बाकू उचित समय के भीतर बिक जाए और उचित रूप से ग्रेड किया हुआ वर्जीनिया तम्बाकू नीलामी मंदों पर लाया जाए। उपजकर्ताओं को भी गत वर्ष की तुलना में उनके उत्पाद के लिए औसत कीमत अधिक मिली है।

तांबे की सम्पूर्ण व्यवस्था को खनिज और धातु व्यापार निगम को सौंपने का प्रस्ताव

729. श्री के० प्रधानी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास तांबे की सम्पूर्ण वितरण व्यवस्था को खनिज और धातु व्यापार निगम को सौंपने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम वितरण व्यवस्था को प्रभावी ढंग से चला सकने में समर्थ है और यदि हां, तो किस पृष्ठभूमि पर; और

(ग) इस संबंध में की गई अथवा की जा रही व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) से (ग) एम०एम०टी०सी० द्वारा देश में उत्पादित तांबे के विपणन/वितरण हेतु प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आंध्र बैंक द्वारा दिये गये ऋण

730. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में 30 जून, 1985 तक पिछले दो वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री के 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आन्ध्र बैंक द्वारा कितनी राशि के ऋण दिए गए हैं;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान ही उद्योगपतियों और बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों को कुल कितनी राशि के ऋण दिए गए हैं;

(ग) उक्त दोनों के बीच असमानता के क्या कारण हैं; और

(घ) प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) नये बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन प्रत्येक बैंक के संबंध में वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से राज्यवार सूचना नहीं प्राप्त होती। अलबत्ता, सबसे हाल की उपलब्ध सूचना के अनुसार मार्च, 1985 के अन्तिम शुक्रवार को समाज के कमजोर वर्गों को दिये गये अग्रिमों के संबंध में आंध्र बैंक की अखिल भारतीय स्थिति इस प्रकार थी :—

खातों की संख्या	बकाया राशि
5.20 लाख	111.32 करोड़ रुपये

दिसम्बर, 1984 के अंत में एक करोड़ रुपये या उससे अधिक की ऋण सीमाओं के संबंध में आंध्र प्रदेश में पंजीकृत औद्योगिक एककों को आंध्र बैंक द्वारा मंजूर किये गये ऋणों की बकाया राशि 3082.34 लाख रुपये थी।

(ग) और (घ) बैंक ऋण सीमाओं की मंजूरी सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समूची नीति के ढांचे के आधार पर देते है। बैंक केवल आवश्यकता पर आधारित वित्त की व्यवस्था करते हैं चाहे ऋणकर्ता कोई भी हो। बैंकों से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और समाज के कमजोर वर्गों को अधिक ऋण देने के लिए कहा गया है और इस दिशा में आंध्र बैंक का कार्य इस प्रकार है :—

(कुल अग्रिमों का प्रतिशत)
(मार्च, 1985 के अन्त में)

	लक्ष्य	उपलब्धि
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम	40%	40.3%
समाज के कमजोर वर्गों को अग्रिम	10%	13.3%

बैंक ड्राफ्ट जारी करने के लिये समान दरें

731. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा ड्राफ्ट जारी करने के लिए समान दर पर शुल्क लिए जाने के लिए कोई निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ड्राफ्ट जारी करने के लिए कमीशन की समान दरों के बारे में बैंकों को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किए हैं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लेखन सामग्री की खरीद

732. श्री कमल प्रसाद सिंह : क्या वित्त मन्त्री राष्ट्रीय बैंकों द्वारा लेखन सामग्री की खरीद के बारे में 17 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7044 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी निकायों द्वारा लेखन सामग्री, बिजली और सेनेटरी का सामान तथा अन्य वस्तुएं केन्द्रीय भंडार से खरीदना अनिवार्य बनाने संबन्धी गृह मंत्रालय के दिनांक 14 जुलाई, 1981 के आदेश के उपबन्ध सरकारी क्षेत्र के बैंकों और जीवन बीमा निगम तथा ऐसे ही अन्य संगठनों पर लागू न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) उपरोक्त वस्तुओं की खरीद में संभावित अनियमितताओं/कदाचारों की रोकथाम के लिये उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : चूंकि गृह मन्त्रालय द्वारा जारी किये गये दिनांक 14 जुलाई 1981 के परिपत्र का संबन्ध स्थानीय खरीद से है इसलिये यह उन संगठनों के लिये प्रासंगिक है, जिनकी लेखन-सामग्री संबन्धी आवश्यकताएं सरकार की केंद्रीय खरीद से पूरी की जाती हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंक इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इसके अलावा बैंक, रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए लेखन सामग्री की वस्तुएं थोक में खरीदते हैं। जब कभी बैंकों द्वारा टेंडर आमंत्रित किये जाते हैं, उस समय केंद्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि० बैंकों की लेखन सामग्री संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपने टेंडर भेज सकती है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

ड्यूटी पर तैनात उत्पादन शुल्क और आयकर कर्मचारियों को संरक्षण

733. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत में उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा मारे गये छापे के मामले को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उत्पादन शुल्क और आयकर कर्मचारियों को किस प्रकार संरक्षण प्रदान करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की घटना की रोकथाम के लिये सूरत के संबन्धित निर्माताओं को निवारक दण्ड देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों को पहले ही अनुरोध किया जा चुका है कि वे जिला/पुलिस प्राधिकारियों को कहें कि वे सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पादन शुल्क के कर्मचारियों को, तस्करों और कर अपवंचकों के विरुद्ध उनकी कार्यवाईयों के लिये पर्याप्त सशस्त्र पुलिस कार्मिक उपलब्ध कराके और उन्हें तैनात करके पूर्ण सहयोग प्रदान करें। छापे मारने के समय उत्पादन शुल्क तथा आयकर अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए जब भी आवश्यक होता हो, पुलिस की सहायता ली जाती है।

(ख) और (घ) केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये छः व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध हिंसा करने के लिये पुलिस द्वारा 128 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। जांच पूरी होने के पश्चात्, जो अभी चल रही है संबन्धित नियमों उपबन्धों के अंतर्गत उपयुक्त कानूनी कारंवाई की जायेगी।

काले धन का पता लगाने के लिये उपाय

734. श्री आर० एम० भोये
श्री शांति धारीवाल } : वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काले धन का पता लगाने के लिए हाल ही में कुछ प्रभारी उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार, कर अपवंचकों और काले धन की वृद्धि के खिलाफ जोरदार उपाय करने के लिए पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। काले धन के चलन को रोकने और उसके और आगे होने वाले प्रसार के निवारण के लिए समय-समय पर सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं। इन उपायों में प्रशासनिक, विधायी और संस्थानिक उपाय शामिल हैं।

जीवन बीमा निगम के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में संशोधन

735. श्री थम्पन थामस : क्या वित्त मंत्री जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों और जीवन बीमा निगम के संघों के प्रतितिनिधियों के बीच समझौते के बारे में 17 मई, 1985 के तारांकित प्रश्न संख्या 9८4 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 अप्रैल, 1985 को प्रबन्धकों और कर्मचारी संघों के बीच हुए समझौते से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में संशोधन हो गया है;

(ख) यदि हां, तो सेवा शर्तों में क्या मुख्य संशोधन किये गये हैं; और

(ग) क्या इन संशोधनों में एक बार लाभ लेकर पुनः कायम न किए जाने के सिद्धान्त का अनुकरण किया गया था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जीवन बीमा निगम के प्रबंधकों और कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के आधार पर, सरकार ने तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में संशोधन करते हुए 11 अप्रैल, 1985 को एक अधिसूचना जारी की थी।

(ख) और (ग) सेवा शर्तों में किए गए परिवर्तनों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

(i) वेतनमानों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 100 बिन्दु से बढ़ाकर 332 बिन्दु तक करना।

(ii) 332 से ऊपर सूचक—अंक में प्रत्येक 4 बिन्दु की वृद्धि होने पर तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन के 1 प्रतिशत की दर से और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन के 1 प्रतिशत की दर से चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन के 1.2 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते की अदायगी करना, जिसकी अधिकतम सीमा 15.80 रुपए होगी।

(iii) मकान किराया, नगर प्रतिपूर्ति तथा पहाड़ी क्षेत्र भत्तों की राशि में वृद्धि करना।

(iv) तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की कुल मासिक परिलब्धियों की उच्चतम सीमा को 2750 रुपये से बढ़ा कर 3500 रुपए तक और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की 1600 रुपये से बढ़ा कर 2100 रुपये प्रतिमाह करना।

(v) भविष्य निधि और उपदान जैसे सेवांत लाभों की राशि में वृद्धि।

मौजूदा लाभभोगियों को जो सेवा की संशोधित शर्तों के परिणामस्वरूप मकान किराया, नगर प्रतिपूरक और कार्यात्मक भत्तों जैसे लाभों को पाने के हकदार नहीं रह गए थे, इन लाभों को आगे भी दिया जाना।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देने के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

736. श्री शांति धारीवाल
श्री विष्णु मोदी } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उद्योगों को ऋण देते समय ऋणों के आवंटन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों की संख्या कितनी है जिन पर बैंक ऋण बकाया है और जो भाग रुग्ण उद्योगों की श्रेणी में हैं;

(ग) क्या वर्तमान संकेतों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उपर्युक्त रुग्ण उद्योगों को दिये गये ऋणों को बट्टे खाते में डाले जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इस प्रकार के रुग्ण उद्योगों को दिए गये ऋणों का ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले में कोई जांच कराने का है; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों से, उद्योगों को ऋण देते समय, निर्धारित मानदण्डों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का कड़ाई से पालन करने की अपेक्षा की जाती है। बैंकों ने अपने संगठनों के विभिन्न स्तरों पर ऋण मंजूर करने के लिये प्रक्रियाएं भी निर्धारित की हैं इन प्रक्रियाओं और शाखाओं द्वारा जारी किए गये अनुदेशों के अनुपालन पर बैंकों के प्रधान कार्यालय/नियंत्रक कार्यालयों द्वारा नजर रखी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का पता लगाने के लिये कि क्या निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है अथवा नहीं, राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों का नियमित निरीक्षण करता है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसमें यह संकेत मिलता हो कि राष्ट्रीयकृत बैंक उद्योगों को ऋण देते समय निर्धारित प्रक्रियाओं का प्रायः कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं।

(ख) से (च) जून, 1984 के अन्त में राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक व उसके अनुषंगी बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त औद्योगिक इकाइयों में से 82,968 इकाइयां रुग्ण बतायी गयी

जिनके नाम 3143.86 करोड़ रुपये के बैंक ऋण बकाया थे। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के नाम बकाया रकम के बहुत बड़े भाग को बट्टे खाते डाल दिया जायेगा। सरकार इस मामले की जाँच करना कोई जरूरी नहीं समझती।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में घाटा

737. श्री शांति धारीवाल : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में बढ़ते हुए घाटे के बारे में स्थानीय लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस संबन्ध में अब तक कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) राजस्थान में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के कार्यों के बारे में समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं।

(ख) तथा (ग) एन० टी० सी० के अन्तर्गत मिलों के कार्य निष्पादन की सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती रही है। इन मिलों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उठाए गए/उठाये जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(i) विभिन्न उपलब्ध माध्यमों से रुई की समय पर अधिप्राप्ति के लिये व्यवस्थाएं की जाती हैं;

(ii) पावर कमी पर काबू पाने के उद्देश्य से स्वतः पैदा करने की क्षमता को बढ़ाया गया है;

(iii) कार्यपूंजी की प्रतिपूर्ति की गई है ताकि नकद हानियों को पूरा किया जा सके;

(iv) परिणाम अभिमुख लाभों के लिये चुनिन्दा आधुनिकीकरण कार्यक्रम नीतियां अपनाई गई हैं;

(v) सभी स्तरों पर लागतों में कमी के लिये लागत नियंत्रण विधियां शुरू की गई हैं; और

(vi) गैर संचालन संबन्धी प्रशासनिक खर्चों को कम करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। अप्रैल, और मई, 1985 को वित्तीय परिणामों से 84-85 के दौरान हुई औसत मासिक हानियों की तुलना में हानियों में काफी कमी का पता चलता है।

राष्ट्रीयकृत तथा अनुसूचित बैंकों में पड़ी ग्राहकों की अप्रवृत्त जमा राशि का इस्तेमाल

738. श्री शांति धारीवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत तथा अनुसूचित बैंकों के ऐसे खातों मे कितनी राशि पड़ी है जो लम्बे समय से ग्राहकों द्वारा अप्रवृत्त है;

(ख) क्या सरकार ने इस राशि का इस्तेमाल देश के विकास कार्यों के लिये करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 31 दिसम्बर, 1983 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों में अप्रवृत खातों में जमाराशि 3563.41 लाख रुपए थी।

(ख) और (ग) चूंकि अप्रवृत खातों की राशियां बैंकों की जमाराशियों के समूचे स्रोतों का हिस्सा होती है, अतः देश के विकास कार्यों के लिए उनके अलग इस्तेमाल का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री की वित्त मन्त्री के साथ बैठक

739. श्री रेणुपद दास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री के नेतृत्व में विधान सभा सदस्यों का एक सर्व-दलीय प्रतिनिधि मण्डल अभी हाल ही में नई दिल्ली में उनसे मिला था;

(ख) क्या उन्होंने उनसे बातचीत की है और एक ज्ञापन दिया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक उन्होंने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातों में, रुग्ण तथा बन्द पड़ी इकाइयों को पुनरुज्जीवत करने में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की भूमिका, किसी औद्योगिक इकाई का राष्ट्रीयकरण किए जाने की सूरत में देय रकमों की सुरक्षा संबन्धी नीति की समीक्षा भाड़ा समीकरण नीति पर पुनर्विचार , रैल के वैगन उद्योग में संकट, पटसन उद्योग का राष्ट्रीय-करण और कपड़ा मिलों का पुनरुद्धार दार्जिलिंग में बन्द पड़े चाय—बगानों को फिर से खोलने, दुर्गापुर इस्पात कारखाने का आधुनिकीकरण और विस्तार आदि जैसी बातें शामिल हैं।

(घ) चूंकि ज्ञापन में उठाये गये मुद्दे विभिन्न मंत्रालयों/संगठनों से संबन्धित हैं। इसलिए ज्ञापन की विषय-वस्तु संबधित मंत्रालयों/संगठनों को उचित जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिये भेज दी गयी है।

तालचेर उर्वरक सयन्त्र को सप्लाई किये जा रहे कोयले की किस्म में सुधार के लिये कदम

740. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जून, 1985 के "टेलीग्राफ" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड द्वारा सप्लाई किए जा रहे कोयले की किस्म सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाये गए तो तालचेर उर्वरक संयंत्र में उत्पादन के प्रभावित होने की संभावना है;

(ख) क्या एक या दो वर्ष के पश्चात् साउथ बलांडा और नंदिरा खानों से सप्लाई किए जा रहे कोयले की किस्में और खराब होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या एहतियाती उपाय किए गये हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) दिनांक 16 जून 1985 के 'टेलीग्राफ', में "तालचेर के लिये अतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की सहायता मांगी गई" शीर्षक से जो समाचार प्रकाशित हुआ है उसमें तालचेर उर्वरक संयत्र को सप्लाई किए जा रहे कोयले की किस्म का कोई उल्लेख नहीं है। परन्तु इस संबन्ध में 18 जून, 1985 के "बिजनेस स्टेंडर्ड" में एक रिपोर्ट" प्रकाशित हुई है। इस मामले पर 28.5.1985 को एक अन्तर-मंत्रालयी बैठक में विचार किया गया। इस बैठक में अन्य लोगों के साथ-साथ उर्वरक संयंत्रों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्ध मंडल ने उर्वरक संयंत्र के लिये अपेक्षित किस्म के कोयले की सप्लाई सुनिश्चित कराने के लिए कोयला कपनी से संपर्क किया है। अब वर्तमान सप्लाई स्रोतों अर्थात् साउथ बलन्डा और नंदिरा खानों से सप्लाई होने वाले कोयले की किस्म में सुधार हुआ है।

इस संयंत्र के लिये अपेक्षित किस्म के कोयले की अपेक्षित मात्रा में स्वीकार्य सीमाओं के अनुसार पूर्ति कराने के लिए भारतीय उर्वरक निगम और कोयला कंपनियां एक दूसरे से लगातार संपर्क रखे हुए हैं।

खनन की प्रक्रिया में भविष्य में संभावना है पत्थर के मोटे बैंड सामने आएं और तब किस्म को ठीक रखने के लिए गीली या सूखी धुलाई करने के अतिरिक्त साधन अपनाने पड़ेंगे, भारतीय उर्वरक निगम ने रांची के केंद्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लि० को अपना परामर्श-दात्रा नियुक्त किया है और उन्हें उर्वरक संयंत्र को कोयले की सप्लाई का अध्ययन करने तथा संयंत्र को कोयले की सप्लाई की किस्म और मात्रा में सुधार करने के लिये दीर्घकालीन उपाय सुझाने का काम सौंपा है।

राजस्थान में अफीम की खेती के अधीन क्षेत्र

741. श्री जुझार सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में जिलेवार अफीम की खेती के अधीन कितना क्षेत्र है;

(ख) क्या झालावाड़ जिले में अफीम की खेती के अधीन क्षेत्र पिछले वर्षों की अपेक्षा बहुत कम है तथा अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिये तथा और कृषकों को देने के लिये कृषकों ने इस क्षेत्र में वृद्धि करने की मांग की है; और

(ग) क्या सरकार का इस क्षेत्र में अफीम की तस्करी रोकने के लिये कृषकों को अधिक प्रोत्साहन मूल्य देने के बारे में विचार करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान राजस्थान में जिले-वार अफीम की काश्त का रकबा इस प्रकार था :—

जिला	अफीम की काश्त का रकबा		
	1982-83	1983-84	1984-85
कोटा	1779.08	1419.64	1425.64
बूंदी	3.05	1.92	1.92
झालावाड़	2082.19	1689.77	1708.71
चित्तौड़गढ़	5354.22	4229.60	4255.00
उदयपुर	182.54	160.19	160.05
भीलवाड़ा	245.75	196.75	201.81
बांसवाड़ा	1.56	1.17	1.17

(ख) हालांकि झालवाड़ जिले में पोस्त का काश्त का रकबा, जो वर्ष 1982-83 में 2082.19 हेक्टेअर था, वर्ष 1983-84 में कम होकर 1689.77 हेक्टेयर रह गया था, परन्तु वर्ष 1984-85 में यह बढ़कर 1708.71 हेक्टेयर हो गया। काश्तकारों ने पोस्त की काश्त का रकबा बढ़ाने तथा और अधिक काश्तकारों को लाइसेंस देने की मांग की है।

(ग) काश्तकारों को देय अफीम के मूल्य प्रश्न की वार्षिक विभागीय नारकोटिक सम्मेलन द्वारा जांच की जाती है जिसमें उन्हें पोस्त की काश्त वाले क्षेत्र में उगाई जाने वाली अन्य नकदी फसलों से होने वाली आय की तुलना में पोस्त की फसल से होने वाली आय, अफीम के संबन्ध में अन्तरर्राष्ट्रीय बाजार स्थिति आदि को ध्यान में रखना होता है। तदनुसार वर्ष 1985-86 के लिये, काश्तकारों को देय अफीम के मूल्य के प्रश्न की जांच सभी संगत बातों को ध्यान में रखकर यथा-समय की जायेगी।

सातवीं पंचवर्षीय के दौरान उड़ीसा में दैतारी में दूसरे इस्पात संयंत्र की स्थापना

742. श्री गिरिधर गोमांगो
श्री एस०एम० गुरड्डी
श्री चिंतामणि जेना : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में दैतारी में दूसरी इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) यह प्रस्ताव योजना आयोग द्वारा कब स्वीकृत किया गया था;

(ग) छठी योजना में उक्त परियोजना के निष्पादन में किन कारणों से विलम्ब हुआ; और

(घ) उनके मंत्रालय ने परियोजना को प्रारम्भ करने के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध की गई और वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) उड़ीसा में दैतारी इस्पात कारखाने के प्रथम चरण के लिए "मेकन" द्वारा तैयार की गई शक्यता रिपोर्ट परियोजना प्राधिकारियों को प्राप्त हो गई है। राज्य सरकार ने भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। मिट्टी की जांच तथा जल-सप्लाई की उपलब्धता के बारे में भी अध्ययन कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रस्तावित कारखाने के लिए अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में कुछ अन्य अध्ययन किए जा रहे हैं।

(ख) इस कारखाने के बारे में पूंजी-निवेश सम्बन्धी निर्णय अभी नहीं लिया गया है। योजना आयोग सहित विभिन्न मूल्यांकन अभिकरणों के विचार प्राप्त कर लेने के पश्चात् ही पूंजी-निवेश संबंधी निर्णय लिया जाएगा।

(ग) परियोजना को कार्यान्वित करने में विलंब मुख्यत: परंपरागत धमन भट्टी प्रौद्योगिकी के विकल्प के रूप में लागत की दृष्टि से मितव्ययी प्रौद्योगिकी का पता लगाने की आवश्यकता के कारण हुआ है।

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए 100 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

उड़ीसा को जी० आई० पाइपों की सप्लाई

743. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1984-85 और 1985-86 में नलकूप लगाने के लिए जी०आई० पाइपों की सप्लाई हेतु उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा पी० एच० ई० ओ० द्वारा दिए गए मांग पत्र का ब्यौरा क्या है और अब तक इस्पात संयंत्रों द्वारा कितनी सप्लाई की गई; और

(ग) इन वर्षों में प्राथमिकता के आधार पर पेयजल हेतु नलकूप लगाने के लिए उड़ीसा पी० एच० ई० ओ० की कच्चे माल की सप्लाई करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग) सिन्किंग नलकूपों के लिए जी० आई० पाइपों की सप्लाई करने के लिए 1984-85 तथा 1985-86 के वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में जी० आई० पाइपों का निर्माण नहीं किया जाता है। जी० आई० पाइपों का निर्माण तथा सप्लाई करने का कार्य मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है।

छठी योजना अवधि में निर्यात

744. श्री चित्त महाटा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि में देश का कुल निर्यात कितना हुआ; और

(ख) सातवीं योजना अवधि में निर्यात का क्या लक्ष्य है और चालू पंचवर्षीय योजना में निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, 1984-85 के दौरान भारत का कुल निर्यात, छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के अंतिम वर्ष तक कुल 11297.4 करोड़ रु० का हुआ। इस आधार पर, छठी पंचवर्षीय योजनावधि (1980-85) में, चालू कीमतों पर, भारत के कुल निर्यात 44594 करोड़ रु० के थे।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है और इसलिए सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए अभी निर्यात लक्ष्य को अंतिम रूप दिया जाना है।

कृषि क्षेत्र से संसाधनों को जुटाया जाना

745. श्री चित्त महाटा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र से अधिक संसाधन जुटाने का निर्णय लिया है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सुधार सरकार की प्रस्तावित दीर्घावधि वित्त नीति का भाग होगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) कृषि आय पर कर राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस समय कृषि क्षेत्र से अधिक संसाधन जुटाने के लिए विशिष्ट रूप में कोई प्रस्ताव नहीं है। दीर्घावधि राजस्व नीति की रूप रेखा अभी तैयार की जा रही है।

घटिया किस्म की चाय के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आमदनी

746. श्री गुरुदास कामत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान घटिया किस्म की चाय के न्यूनतम निर्यात मूल्य क्या थे;

(ख) इन दोनों वर्षों के दौरान घटिया किस्म की चाय के निर्यात से, वर्ष-वार, कितनी विदेशी मुद्रा की आमदनी हुई;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में चाय के न्यूनतम निर्यात मूल्यों का पुनरीक्षण किया है; और

(घ) यदि यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) चाय के विभिन्न ग्रेडों के लिए अलग-अलग न्यूनतम निर्यात कीमतें निर्धारित नहीं की गई हैं। इसके अलावा

1983-84 के दौरान चाय के लिए कोई न्यूनतम निर्यात कीमत नहीं थी। 1984-85 के दौरान नीलामी में खरीदी गई चाय की आरंभिक न्यूनतम निर्यात कीमत उत्तर भारतीय चाय के लिए 35/-रु० प्रति किग्रा० तथा दक्षिण भारतीय चाय के लिए 33/-रु० प्रति किग्रा० निर्धारित की गई थी। 11 मार्च, 1985 से उत्तर तथा दक्षिण भारतीय चाय दोनों के लिए न्यूनतम निर्यात कीमत घटाकर 31/-रु० प्रति किग्रा० कर दी गई। न्यूनतम निर्यात कीमत 29 अप्रैल, 1985 से और कम करके 26/-रु० प्रति किग्रा० कर दी गई

विभिन्न ग्रेड की चाय के निर्यातों के लिए विदेशी मुद्रा आय के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के अधोमुखी रुख के कारण न्यूनतम निर्यात कीमतों में संशोधन आवश्यक हो गए थे।

काफी निर्यात पर अधिक शुल्क लगाने के विरुद्ध अभ्यावेदन

747. प्रो० पी० जे० कुरियन
श्री वी० एस० विजयराघवन } : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी उत्पादकों ने निर्यात की जाने वाली काफी पर अधिक शुल्क वसूल करने के संबन्ध में कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कोटा निर्धारित देशों और सोवियत संघ की काफी के निर्यात पर भी उसी दर पर निर्यात शुल्क वसूल किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसमें परिवर्तन करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) 29 अप्रैल, 1985 को काफी पर निर्यात शुल्क 720/-रु० प्रति क्विटल से घटाकर 570 रु० प्रति क्विटल कर दिया गया था और 10 जून, 1985 को इसे और कम करके 415 रु० प्रति क्विटल किया गया। इस प्रकार के शुल्क निर्यात के स्थान का विचार किये बिना सामान्यतः समान दरों पर लगाए जाते हैं।

निर्यात की प्रवृत्ति

748. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात में वृद्धि की दर क्या रही है;

(ख) उन मदों के नाम क्या हैं जिनके निर्यात में उक्त अवधि के दौरान कमी आई है; और

(ग) इन मदों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) निर्यातों में 1982-83 में 14.1%, 1983-84 में 10.8% तथा 1984-85 में 20.2 प्रतिशत की, पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में बढ़ोत्तरी हुई।

(ख) 1982-83, 1983-84 तथा अप्रैल, दिसम्बर, 1984 के वस्तु वार अनन्तिम आंकड़े उपलब्ध हैं। उपर्युक्त उल्लिखित अवधि के दौरान काफी तथा काफी स्थानापन्न वस्तुओं, खली, समुद्री उत्पादों, कॉयर तथा कॉयर से बनी वस्तुओं में निरन्तर गिरावट आई है।

(ग) भारत के निर्यातों को बढ़ाने के लिए नीति उपायों का बराबर पता लगाया जा रहा है। इनमें उत्पादन बढ़ाने तथा विविधीकरण करने, अपने निर्यातों को अधिक प्रतियोगी बनाने, हमारे उत्पादों के लिए नए बाजारों का पता लगाने तथा अधिक मूल्य अधिप्राप्ति के लिए वस्तुओं का संसाधन करने के उपाय शामिल हैं। इस उद्देश्य के लिए सरकार के उपलब्ध नीति के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जा रहा है और जब कभी आवश्यक होता है, समायोजन किया जाता है।

निर्यात व्यापार में सार्वजनिक क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिये कार्यवाही योजना

749. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात व्यापार में सार्वजनिक क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिये एक कार्यवाही योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य व्यापार संगठन जैसे एस०टी०सी०, एम०एम०टी०सी० और पी० ई०सी० निर्यात व्यवसाय में लगे हैं।

हथकरघा बुनकरों के लिये वर्कशेड-कम-हाउसिंग स्कीम की योजना का कार्यान्वयन

750. श्री सोडे रमैया : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित "वर्कशेड कम-हाउसिंग फार हैण्डलूम वीवर्स" नामक परियोजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना का ब्यौरा क्या है और इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु किन केन्द्रों को चुना गया है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 50,000 वर्कशेडों और मकानों को कवर करने के उद्देश्य से 7वीं योजना बजट के दौरान 950.00 लाख रु० के प्रस्तावित बजट आबंटन के साथ यह योजना केंद्र प्रायोजित योजना है। राज्य सरकारों से योजना की कुल लागत को ध्यान में रखते हुए, हुडको के विचार के लिए नमूना एककों तथा डिजाइनों की सिफारिश करने का अनुरोध किया गया है। योजना में क्रमशः आवास तथा नक्शों के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए 6 हजार रुपये तथा 3 हजार रु० तथा शहरी क्षेत्र के लिए 12,000/-रु० एवं 3,000/-रु० के लागत अनुमान से वर्कशेड की व्यवस्था है। हुडको ग्रामीण और शहरी आवास के लिए 3,000/-रु० तथा 9,700/-रु० का ऋण देगा और उसकी तुलना में केंद्र तथा राज्य द्वारा क्रमशः प्रति 1500/-रु० तथा 1,000/-रु० का समान अंशदान किया जाएगा। शहरी आवास के मामले में शेष 300 रु० का अंशदान लाभभोगी द्वारा किया जाएगा।

योजना में यह भी व्यवस्था है कि यदि स्थान हो तो नए बनाए गए मकानों अथवा वर्तमान एककों का साथ लगे हुए वर्कशेड बनाए जा सकते हैं। 3,000 रु० जोकि वर्कशेड बनाने के लिए अनुमोदित लागत है, अनुदान के रूप में होंगे जिसको राज्य और केन्द्र द्वारा बराबर वहन किया जाएगा।

सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखे गए हैं जिनमें उनसे ग्रामीण और साथ ही शहरी क्षेत्रों के लिए, आवास-सह-वर्कशेड तथा वर्तमान रिहायसी एककों के साथ लगने वाले वर्कशेड बनाने के

लिए परियोजना/योजनाएं तैयार करने का अनुरोध किया गया है। प्रत्येक योजना में एक विशेष शहर/गांव में कम से कम शहरी मकानों के 50 एकक और ग्रामीण मकानों के 20 एकक कवर होने चाहिए। तथापि, गुणावगुण के आधार पर पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों की परियोजनाओं के संबंध में विशेष रियायत दी जाएगी। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि स्थानों का चयन करते समय हथकरघा प्रधान क्षेत्रों पर जोर दिया जाए।

योजना में केंद्रीय अंशदान राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के रूप में होगी।

[हिन्दी]

भारतीय इन्जीनियरिंग सामान के बारे में शिकायतों के लिए विशेष सेल

751. **श्री विष्णु मोदी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग संघ द्वारा आयातकों द्वारा आयात किए गए भारतीय इंजीनियरिंग के सामान के स्तर के बारे में की गई शिकायतों को सुनने के लिए एक विशेष सेल स्थापित करने के निर्णय की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का देश से निर्यात किए गए इन्जीनियरिंग के सामान के स्तर और गुणवत्ता को बचाए रखने में इस संघ की किस प्रकार सहायता करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) इन्जीनियरी माल की क्वालिटी के संबंध में समस्याओं तथा शिकायतों से निपटने के उद्देश्य से भारतीय इन्जीनियरी उद्योग की एसोसिएशन ने एक क्वालिटी आश्वासन बोर्ड स्थापित किया है।

(ख) और (ग) सरकार हमारे निर्यातों की क्वालिटी के स्वयं विनियमन के लिए उद्योग द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रयास का हमेशा स्वागत करती है और जहां कहीं आवश्यक होता है सभी संभव सहायता प्रदान करती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा राजस्थान में ब्यावर और विजय नगर में अधिगृहीत की गई कपड़ा मिलों का नवीकरण और विस्तार

752. **श्री विष्णु मोदी** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा राजस्थान में ब्यावर और विजय नगर में अधिगृहीत की गई कपड़ा मिलों के नवीकरण और विस्तार पर केंद्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया है और उसका मिल-वार तथा वर्ष-वार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या ये मिलें अधिगृहीत किये जाने के समय से ही घाटे में चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह): (क) 31 मार्च, 1985 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में ब्यावर और विजय नगर में स्थित एन० टी० सी० के अधीन तीन मिलों में 701·25 लाख रु० की आधुनिकीकरण/नवीनीकरण/विस्तार योजनाएं कार्यान्वित की जा चुकी थीं। मिल-वार और वर्ष-वार ब्योरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) 1974-75 से इन तीन एककों द्वारा उठाये गये लाभ/हानियां संलग्न विवरण-2 में दी गई हैं। अप्रैल तथा मई, 1985 में हुआ सुधार भी उसी में दर्शाया गया है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन मिलों के कार्य निष्पादन की सरकार द्वारा समय-समय पर निरन्तर समीक्षा की जाती है तथा उसके कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए कारगर कदम उठाए जाते हैं। इन मिलों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(i) विभिन्न उपलब्ध माध्यमों से रुई की समय पर अधिप्राप्ति के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं;

(ii) पावर कमी पर काबू पाने के उद्देश्य से स्वतः पैदा करने की क्षमता को बढ़ाया गया है;

(iii) कार्य पूंजी की प्रतिपूर्ति की गई है ताकि नकद हानियों को पूरा किया जा सके;

(iv) परिणाम अभिमुख लाभों के लिए चुनिन्दा आधुनिकीकरण कार्यक्रम नीतियां अपनाई गई हैं;

(v) सभी स्तरों पर लागतों में कमी के लिए लागत नियन्त्रण विधियां शुरू की गई हैं; और

(vi) गैर संचालन संबंधी प्रशासनिक खर्चों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण-1

राजस्थान में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में लाभ और हानि की स्थिति

(लाख रुपयों में)

वर्ष	विजय कॉटन मिल्स, विजयनगर	महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर	एडवर्ड मिल्स, ब्यावर
1974-75	—34.52	—26.92	—1.54
1975-76	—24.74	—74.50	—63.05
1976-77	—11.49	—31.87	—37.68
1977-78	—18.10	—61.33	— 74.35
1978-79	—26.63	—48.02	—32.84
1979-80	+20.04	—43.35	—41.58
1980-81	+1.19	—41.57	—59.96
1981-82	—57.74	—41.54	—36.66
1982-83	—31.52	—24.51	—73.99
1983-84	—62.78	—58.19	—77.97
1984-85	—99.81	—164.99	—196.98
84-85 में औसत मासिक घाटा	8.33	13.75	16.42
अप्रैल 1985 में कुल घाटा	4.49	9.57	11.32
मई 1985 में कुल घाटा	4.42	7.41	10.25

विवरण-2

गत 5 वर्षों में एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल और श्री विजय काटन मिल के आधुनिकीकरण/नवीकरण/विस्तार के लिये वर्ष-वार निवेश

(मूल्य लाख रु० में)

वर्ष	एडवर्ड मिल, ब्यावर	महालक्ष्मी मिल ब्यावर	श्री विजय काटन मिल विजयनगर
छठी योजनावधि से पहले (1974-75 से 1979-80)	120.69	117.11	128.27
1980-81	37.80	17.58	330.62
1981-82	92.58	15.48	59.95
1982-83	11.02	4.10	7.78
1983-84	2.91	2.84	26.46
1984-85	4.84	10.26	10.96
कुल	269.84	167.37	264.04

बजट प्रस्तुतीकरण के बाद मूल्यों में वृद्धि

753. श्री अमल दत्त
श्री एस० एम० भट्टम
श्री पी० के० गढवी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केंद्रीय बजट के प्रस्तुतीकरण के बाद खुदरा मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं; जबकि थोक मूल्यों में कुछ हद तक स्थिरता आई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(ग) उपरोक्त उपायों से यदि अब तक कुछ परिणाम निकले हैं, तो वे क्या हैं;

(घ) क्या सरकार उक्त परिणामों से सन्तुष्ट है;

(ङ) यदि हां, तो उसका आधार क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो स्थिति में सुधार करने के लिए अन्य क्या उपाय किए जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च) खुदरा मूल्यों में जैसाकि औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचक अंकों द्वारा प्रकट होता है, मार्च में, 0.2%, अप्रैल में 1.4% और मई, 1985 में 1.0% की वृद्धि हुई है। उपभोक्ता मूल्य सूचक अंकों में घट-बढ़ आमतौर से थोक मूल्य सूचक अंकों में घटबढ़ होने के पश्चात् होती है किन्तु इसमें कुछ समय लगता है। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, थोक मूल्य सूचक अंक की वृद्धि की दर में कुछ हद तक स्थिरता आई है जिसका कुछ समय में उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ना चाहिये।

सरकार मूल्य स्थिति पर सावधानी पूर्वक नजर रखे हुए हैं और उसने मांग और पूर्ति प्रबंध के लिए अनेक कदम उठाये हैं जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना, राजकोषीय अनुशासन लागू किया जाना और अर्थव्यवस्था में हुए नकदी बाहुल्य को नियंत्रण में रखना शामिल हैं। केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे मुनाफाखोरी, जमाखोरी और चोरबाजारी करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कड़ी कारंवाई करें।

मूल्यों को काबू रखने में इन उपायों का अच्छा प्रभाव पड़ा है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान थोक मूल्य सूचक अंक में 3.9% की वृद्धि हुई है जबकि इसकी तुलना में 1984-85 में 5.8% की वृद्धि हुई थी। वास्तव में यह पिछले 7 वर्षों के दौरान न्यूनतम वृद्धि है।

प्रबन्धग्रहीत एककों की प्रबन्धग्रहण से पूर्व की देनदारियां

754. श्री अमल दत्त
श्री बसुदेव आचार्य } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रबन्धग्रहीत एककों की प्रबन्धग्रहण से पूर्व की देनदारियों संबंधी धारा की वांछनीयता पर जल्दी ही निर्णय लेने की सोच रही है;

(ख) क्या उन्होंने इसका आश्वासन नई दिल्ली में हाल ही में आए पश्चिम बंगाल के सर्वदलीय विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल को दिया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन्होंने इस बारे में अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत अधिकार में ली गई औद्योगिक इकाइयों के राष्ट्रीयकरण के मामले में, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की अधिग्रहण पूर्व ब्याज सहित सभी देयताओं के संबंध में, इकाई का राष्ट्रीयकरण करने वाली सरकार द्वारा पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी होती है। देय रकमों की जिनमें अधिग्रहण पूर्व देय रकमें भी शामिल हैं, सुरक्षा सम्बन्धी नीति पर फिर से विचार किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्यों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की थी और उन्हें एक ज्ञापन दिया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिग्रहण पूर्व देय रकमों को सुरक्षा प्रदान करने की शर्त हटाने की भी मांग की गई है।

गुजरात में कोयला भंडारों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण

755. श्री अमर सिंह राठवा : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कोयला भण्डारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे हैं;

(ग) इन क्षेत्रों से कोयला निकालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) गुजरात में सर्वेक्षण के दौरान पाए गए अन्य खनिजों का क्या ब्यौरा है और उन्हें निकालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार, गुजरात के काम्बे बेसिन में 1000-1800 मीटर की

गहराई के बीच लगभग 63,000 मिलियन टन कोयला-भंडार का पता चला है। फिलहाल कोल इण्डिया लि० का इतनी अधिक गहराई पर स्थित भण्डारों और कोयला सीमों का दोहन करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) गुजरात में प्रमुख खनिज भंडारों के अनुमानित निक्षेप नीचे दिए गए हैं :—

	मिलियन टन
लिग्नाइट	165.02
मैंगनीज अयस्क	2.96
चूना पत्थर	10.792
डोलोमाइट	245.31
तांबा अयस्क	7.57
सीसा-जस्ता अयस्क	7.44
बाक्साइट	90.34
फास्फोराइट	0.50
जिप्सम	7.20
बेन्टोनाइट	43.08
सिलिका रेत	8.22
ग्रेफाइट (20% निश्चित कार्बन तक)	2.04
अग्नि मिट्टी	44.82
चीनी मिट्टी	67.43
फ्लोराइट	8.35

जहां तक वर्ष 1984-85 फिल्ड सीजन में समन्वेषण कार्य का सवाल है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण बनासकाठा जिले की कुइ-चित्रासानी पट्टी में खनिज संभावनाओं का निर्धारण कार्य कर रहा है। वह साबरकाठा और पंचमहल जिलों में टिन-टंगस्टन तथा सम्बन्धित खनिजों के संबंध में अन्वेषण कार्य भी कर रहा है। गुजरात के विभिन्न भागों में भूवैज्ञानिक-मानचित्रण कार्य भी किया जा रहा है।

केरल में हथकरघा क्षेत्र में संकट

756. श्री के० कुञ्जम्बु : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में हथकरघा उद्योग उपयुक्त दरों पर धागा और अन्य कच्चेमाल के उपलब्ध न होने के कारण संकट का सामना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उचित दरों पर इन मदों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात के लिये किये गये सौदे

757. डा० जी० विजय रामाराव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने गेहूं के निर्यात के सौदों को अन्तिम रूप दिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) गेहूं का निर्यात किन-किन देशों को किस मूल्य पर किया जाता है;

(ग) क्या यह निर्यात मूल्य भंडारण मूल्य और भंडारण हानियों सहित देश में गेहूं के प्रवृत्त मूल्य से कम है अथवा अधिक है; और

(घ) क्या देश में और विश्व में गेहूं की अधिकता के कारण उत्पादन में भिन्नता लाने की कोई योजना है ?

वाणिय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा सोवियत संघ को 5 लाख मे० टन गेहूं की आपूर्ति के लिए संविदा की गई है। इसके अतिरिक्त एक लाख मे० टन गेहूं की मात्रा की आपूर्ति सूखे से प्रभाव ग्रस्त अफ्रीकी देशों को सहायता के रूप में की जा रही है।

(ग) गेहूं का निर्यात करने के लिए सौदों की बातचीत करते समय अंतर्राष्ट्रीय कीमत प्रवृत्ति को भी उचित रूप से ध्यान में रखा जाता है।

(घ) जी नहीं।

चमड़े के निर्यात लक्ष्यों में वृद्धि

758. डा० जी० विजय रामाराव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1984-85 के दौरान किये गये चमड़े के अधिक निर्यात को ध्यान में रखते हुए चमड़े के निर्यात लक्ष्यों को बढ़ाने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चमड़ा निर्यात परिषद् चमड़े का निर्यात लक्ष्य और बढ़ाने के पक्ष में नहीं है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि अधिक निर्यात के बावजूद भारत चमड़ा निगम को गत तीन वर्षों के दौरान भारी घाटा हुआ है और यदि हां, तो घाटे का ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां। 1985-86 के लिए लक्ष्य निम्नलिखित अनुसार संशोधित किये गए हैं :

		(करोड़ रुपये)
1.	अर्ध साधित चमड़ा	60
2.	तैयार चमड़ा	220
3.	चमड़े के फुटवियर	35
4.	फुटवियर संघटक	210
5.	चमड़े का माल तथा निर्मित उत्पाद	80
	योग	605

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं। उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग के अनुसार वर्ष के दौरान निर्यातों में वृद्धि से हानियों में कमी होती रही है।

सूरत में कृत्रिम रेशम उद्योग पर छापा

759. श्री मोहम्मद महफूज अली खां
श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री सोडे रमैया } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत में कृत्रिम रेशम उद्योग पर हाल में मारे गये छापे में अपवंचन विरोधी निदेशालय के कर्मचारियों पर हमला किया गया तथा उन्हें घायल कर दिया गया और कई को गम्भीर चोटें लगीं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और छापे के दौरान कितने मूल्य का ऐसा तैयार कपड़ा पकड़ा गया, जो लेखों में नहीं दिखाया गया था तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूरत में नकली रेशम के वस्त्रों की प्रक्रिया करने वाले 16 कारखानों के परिसरों और 40 दुकानों को दिनांक 24 मई, 1985 को अपवंचन-निवारण (केंद्रीय उत्पादन शुल्क) निदेशालय के अधिकारियों द्वारा ली गई तलाशियों के दौरान, तलाशियां ले रहे केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों पर कपड़ा बाजार और 11 कारखानों के परिसरों में हमला किया गया और उन्हें घायल कर दिया गया। ये तलाशियां दिनांक 31 मई, 1985 तक जारी रहीं। इन तलाशियों के दौरान लगभग 6.50 करोड़ रुपये से अधिक के मूल्य का कपड़ा, जिसे केंद्रीय उत्पादन शुल्क रिकार्डों में नहीं दिखाया गया था, और अनेक अपराधारोपणीय दस्तावेज पकड़े गये थे। केंद्रीय उत्पादन शुल्क कानून के उपबन्धों के अधीन छः व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए समान वेतन ढांचा

760. श्री एस० एम० भट्टम : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के समान वेतन ढांचे के प्रस्तावों पर विचार कर रही है;

(ख) क्या ऐसे कुछ प्रस्ताव कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत किये हैं; और

(ग) इस मामले पर किस स्तर पर विचार किया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ऐसे ठोस प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

भारतीय चाय व्यापार निगम की वित्तीय स्थिति

761. श्री एस० एम० भट्टम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चाय व्यापार निगम को वित्तीय स्थिति कैसी है;

(ख) उपर्युक्त निगम ने किस सीमा तक तथा कितना व्यापार किया;

(ग) क्या पिछले चार वर्षों से निगम घाटे में चल रहा है और यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(घ) इस निगम में अब तक कितना पूंजी निवेश किया गया है और इसके द्वारा कुल कितनी राशि का व्यापार किया जाता है तथा इसकी वर्तमान आर्थिक स्थिति क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) 1980 से पहले भारतीय चाय व्यापार निगम को लाभ होता रहा था। तथापि, 1980-81 से निगम को वित्तीय घाटे होते रहे हैं। 31 मार्च, 1985 तक अनुमानित संचित घाटे, 12.67 करोड़ रु० के थे। 1984-85 में निगम का कारोबार अनुमानतः 46 करोड़ रु० है। 1984-85 में निगम की प्रदत्त अंश पूंजी 8.14 करोड़ रु० है। सरकार ने 1983-84 में निगम को 1.62 करोड़ रु० भी रिलीज किए थे।

चार राष्ट्रीयकृत चाय यूनिटों को निजी अथवा अन्य संगठन को सौंपने का प्रस्ताव

762. श्री एस० एम० भट्टम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाल ही में राष्ट्रीयकृत (अप्रैल, 1985 में) चार चाय यूनिटों को निजी अथवा किसी अन्य संगठन को पट्टे पर देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) इस पुनर्विचार के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या अन्तिम निर्णय लिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

763. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मंजूर करने में किस मानदंड का अनुसरण किया जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार पहाड़ी क्षेत्रों में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले भत्ते के अनुपात से भत्ते मंजूर करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे केंद्रीय सरकार के कर्मचारी केंद्रीय सरकार को समान दरों पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तस्करों और कर अपवंचकों की संख्या जिनके परिसरों पर छापे मारे गए

764. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी
श्री डी० बी० पाटिल } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तस्करों और कर अपवंचकों जैसे समाज विरोधी तत्वों की संख्या का, जिनके परिसरों पर पिछले एक वर्ष के दौरान छापे मारे गए, राज्य-वार ब्योरा क्या है तथा ऐसे कितने छापे मारे गए और उनसे कितना काला धन बरामद हुआ ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) प्रत्यक्ष कर कानूनों, सीमा शुल्क अधिनियम तथा केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत पिछले एक वर्ष के दौरान (1-4-1984 से 31-3-1985 तक) समस्त देश में तस्करों तथा कर अपवंचकों के यहां मारे गए छापों की संख्या

तथा प्रत्यक्ष कर कानूनों के अन्तर्गत पकड़ी गई परिसम्पत्तियां, सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े गए निषिद्ध माल का मूल्य तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत केंद्रीय उत्पादन शुल्क की रकम, जिसका अपवंचन किए जाने की मंशा थी संलग्न विवरण में दी गई है। राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं तथा वे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

अधिनियम	वर्ष 1984-85 के दौरान मारे गये छापे/ली गई तलाशियां	पकड़ी गई परिसंपत्तियों का/निषिद्ध माल का/अपवंचन की गई केंद्रीय उत्पादन शुल्क का मूल्य (लाख रुपयों में)
प्रत्यक्ष कर अधिनियम	4345	2507.59 (लगभग)
सीमा शुल्क अधिनियम	20521	2625.41 (लगभग)
केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम	5484	7982.00 (लगभग)

टिप्पणी 1 : आकड़े अनन्तिम हैं। सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत मारे गए छापों की संख्या तथा पकड़े गए निषिद्ध माल के मूल्य के आंकड़ों में सीमा शुल्क मूल्यांकन संबंधी मामलों में न्यून मूल्यांकन का पता लगाने के लिए मारे गए छापे/ली गई तलाशियां शामिल नहीं हैं।

टिप्पणी 2 : केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए आंकड़े पता लगाए गए मामलों की संख्या तथा केंद्रीय उत्पादन शुल्क के अपवंचन की अनुमानित राशि से सम्बन्धित हैं और इसमें छापों तथा तलाशियों के आंकड़े शामिल हैं।

[अनुवाद]

गैर-योजनाबद्ध ढंग से कोयला निकाले जाने के कारण रानीगंज शहर का धंसना

765. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गैर-योजनाबद्ध ढंग से कोयला निकाले जाने के कारण पैदा हुई भूमि के धंसने की समस्या को देखते हुए रानीगंज शहर को सरकारी तौर पर असुरक्षित घोषित कर दिया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को उक्त शहर को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो कब और उक्त योजना सम्बन्धी मुख्य मुद्दे क्या हैं;

(घ) इस योजना के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अब इस योजना को कार्यान्वित करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आसनसोल-दुर्गापुर विकास प्राधिकरण ने इस स्थान को स्थिर करने के लिए एक पायलट अध्ययन परियोजना तैयार की है। इस योजना को भारत सरकार ने विज्ञान और तकनालाजी अनुदानों के अधीन कुल रु० 44.84 लाख की संशोधित लागत पर मंजूर किया है।

इस परियोजना का कार्यान्वियन हो रहा है तथा रामजीवनपुर कोलियरी में अध्ययन कार्य शुरू कर दिया गया है। यह अध्ययन करने के लिए लगभग 220 मीटर × 120 मीटर क्षेत्रफल का एक विकसित पैनल चुना गया है। परियोजना क्षेत्र को बांधों के जरिए अलग किया जाएगा और सभी उपलब्ध स्रोतों से पानी पम्प करके इसको भरा जाना है। जल से भरे गए अलग-अलग कार्यस्थलों में रेत की भराई बोरहोलों के जरिए की जाएगी। इन उपायों के काम, उपयोगिता और क्षमता का प्रणालीबद्ध अध्ययन किया जाएगा।

पटसन मिलों का बन्द होना/तालाबन्दी/छंटनी

766. श्री अजीत कुमार साहा : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पटसन मिलों द्वारा भारतीय पटसन निगम से कच्चे पटसन की खरीद से इन्कार किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार है कि कच्चे माल के तर्क पर मिल मालिकों द्वारा मिलें बंद करने, तालाबंदी, छटनी की कोई संभावना नहीं है;

(ग) यदि हां, तो मिल मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) इस प्रकार की कार्यवाही कब तक की जाएगी; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की जानी है तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ङ) हालांकि भारतीय पटसन निगम ने, नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन की तरफ से, एन०जे०एम०सी० से सम्बन्धित बेची कच्चा पटसन गैर-सरकारी क्षेत्र स्थित मिलों को प्रचलित बाजार कीमत पर तीन बार बिक्री के लिए आफर किया था लेकिन उन मिलों ने उन आफरों के सम्बन्ध में वस्तुत: कोई उत्तर नहीं दिया।

यह उल्लेखनीय है कि पटसन मिलों की बन्दी/तालाबन्दी कच्चे माल की कमी तथा उसकी ऊंची कीमतों की वजह से ही नहीं की गई है बल्कि प्रतिकूल व्यापार स्थितियां, मिलों का वित्तीय अभाव, श्रमिक विवाद आदि भी इसके सहयोगी कारण हैं। चालू पटसन मौसम 1985-86 के दौरान पटसन की भरपूर फसल होने की सम्भावना एवं कच्चे पटसन की कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति तथा पटसन माल की अपेक्षाकृत ऊंची कीमतों से यह समझा जाता है कि कच्चे माल की किसी प्रकार की कमी की वजह से इस वर्ष और पटसन मिल बन्द नहीं होने चाहिए बल्कि इसके विपरीत इस बन्द पड़ी मिलों के पुन: खुलने की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है।

पटसन मिलों के बन्द होने के सम्बन्ध में जो कारण बताया गया है वह औद्योगिक विवाद है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत, राज्य सरकार ऐसे मामलों को निपटाने के लिए समुचित प्राधिकरण हैं। यह समझा जाता है कि कई पटसन मिलों के मामले में द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय समझौता सम्बन्धी कार्यवाही प्रगति पर है और ये मिलें शीघ्र ही पुन: खुल सकती है।

सार्वजनिक उपक्रमों में उच्च स्तर के पदों में रिक्त स्थान

767. श्री यशवंत राव गडाख पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक सार्वजनिक उपक्रमों में बहुत से उच्च स्तर के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रिक्त पदों को न भरने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 210 केंद्रीय सरकारी उद्यमों में से मुख्य कार्यपालकों के 38 पद तथा कार्यकारी निदेशकों के 46 पद रिक्त हैं। सरकारी उद्यम चयन मंडल ने मुख्य कार्यपालकों के 20 पदों और कार्यकारी

निदेशकों के 30 पदों को भरने के लिए उम्मीदवारों की संस्तुतियां भेज दी हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण एक और दो में दिया गया है।

(ग) सरकारी उद्यम चयन मण्डल की संस्तुतियों पर संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा कारंवाई की जाती है और नियुक्तियां केवल मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति की स्वीकृति से ही की जाती हैं। वहां विलम्ब हो जाता है, जहां चुने गये व्यक्ति देरी करते हैं अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करते अथवा ऐसी स्थिति में जहां विशिष्ट कार्यकुशलता सम्पन्न व्यक्ति खोजने पड़ते हैं।

विवरण-1

210 केंद्रीय सरकारी उद्यमों में (आज की तारीख तक) मुख्य कार्यपालकों (पूर्णकालिक अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक) के रिक्त पद

क्र० सं०	उद्यम का नाम	पद रिक्त होने की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	दामोदर सीमेंट एण्ड स्लेग लि०	22-9-83	नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये हैं। नियुक्त व्यक्तियों ने अभी कार्य-भार ग्रहण करना है।
2.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि०	18-1-85	
3.	नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि०	21-4-85	
4.	भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण	1-11-83	उद्यमों का सम्भावित पुनगंठन हो जाने तक आस्थगित रखा गया है।
5.	बीको लारी लि०	18-2-84	
6.	स्कूटर्स इण्डिया लि०	7-4-84	
7.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लि०	1-5-84	
8.	हिन्दुस्तान प्रीफैब लि०	1-6-84	
9.	टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो० आफ इण्डिया लि०	14-8-85	
10.	इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लि०	17-1-85	
11.	नेशनल टैक्सटाइल कारपो० (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि०	7-5-84	सरकारी उद्यम चयन मंडल ने उम्मीदवारों के विषय में संस्तुतियां भेज दी हैं।
12.	मंडया नेशनल पेपर मिल्स लि०	31-10-84	
13.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि०	7-11-84	
14.	भारतीय सड़क निर्माण निगम लि०	1-1-85	
15.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०	21-1-85	
16.	साइकिल कारपो० आफ इण्डिया	31-1-85	
17.	भारतीय पटसन निगम	31-1-85	
18.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि०	1-3-85	
19.	रद्दी धातु व्यापार निगम लि०	1-4-85	
20.	भारतीय चाय व्यापार निगम लि०	15-4-85	
21.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि०	15-4-85	
22.	नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपो० लि०	1-5-85	
23.	मे०टे०का० (गुजरात) लि०	27-5-85	

1	2	3	4
24.	इण्डो बर्मा पेट्रोलियम कं० लि०	1-6-85	सरकारी उद्यम चयन मण्डल ने उम्मीदवारों की संस्तुतियां भेज दी हैं।
25.	भारतीय राज्य फार्मेस निगम	12-6-85	
26.	हास्पिटल सर्विसेज कन्सलटेंसी कारपो० लि०	नया पद	
27.	इन्जीनियर्स इण्डिया लि०	1-6-84	सरकारी उद्यम चयन मण्डल के विचाराधीन है।
28.	दिल्ली परिवहन निगम लि०	5-7-84	
29.	भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण लि०	19-10-84	
30.	राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०	1-1-85	
31.	हिन्दुस्तान एण्टिबायोटिक्स लि०	18-1-85	
32.	गोआ शिपयार्ड लि०	30-3-85	
33.	महाराष्ट्र एण्टिबायोटिक्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०	12-4-85	
34.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह वन विकास निगम लि०	29-5-84	
35.	नागालेंड पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि०	9-6-85	
36.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि०	14-6-85	
37.	माडर्न फूड इंडस्ट्रीज लि०	24-6-85	
38.	भारतीय उर्वरक निगम	16-7-85	

विवरण-2

210 केंद्रीय सरकारी उद्यमों में कार्यकारी निदेशकों के रिक्त पदों का विवरण

क्र० सं०	उद्यम का नाम	पद रिक्त होने की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	निदेशक (वित्त), फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि०	1-12-84	नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये हैं। नियुक्त व्यक्तियों को अपना कार्यभार ग्रहण करना है।
2.	निदेशक (विपणन एवं विविधीकरण), ब्रेथवेट एंड कं० लि०	आस्थगित रखा गया पद पुन: प्रवर्तित किया गया	
3.	निदेशक (कार्मिक), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	1-2-82	
4.	निदेशक (वित्त), कुद्रेमुख आयरन ओर कं०लि०	24-8-84	
5.	निदेशक (कार्मिक), भारी इंजीनियरी निगम	1-12-84	
6.	निदेशक (वित्त), भारत कोकिंग कोल लि०	1-3-85	

1	2	3	4
7.	निदेशक (तकनीकी), स्कूटर्स इंडिया लि०	4-1-84	पद आस्थगित रखे गये हैं।
8.	निदेशक (इंजीनियरी), राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि०	16-4-84	
9.	निदेशक (उत्पादन), टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो० आफ इण्डिया	19-11-84	
10.	निदेशक (वित्त), पेट्रोफिल्स कॉपरेटिव लि०	22-10-84	सरकारी उद्यम चयन मंडल ने उम्मीदवारों के विषय में संस्तुतियां भेज दी हैं।
11.	निदेशक (विपणन), परियोजना एवं उपस्कर निगम	2[illegible]-1-85	
12.	निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	11-4-85	
13.	निदेशक (विपणन), इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०	10-4-85	
14.	निदेशक (खनन कार्य), हिन्दुस्तान जिंक लि०	14-4-85	
15.	सदस्य (वित्त), भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण	1-3-85	
16.	निदेशक (कार्मिक), नेशनल जूट मैन्यु० कारपो० लि०	10-5-84	
17.	निदेशक (कार्मिक), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	5-1-85	
18.	निदेशक (प्रचालन), हिन्दुस्तान कॉपर लि०	12-1-85	
19.	निदेशक (वाणिज्य एवं विपणन), भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि०	20-2-85	
20.	निदेशक (वित्त), हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०	30-3-85	
21.	निदेशक (परियोजना), इन्जीनियर्स इं० लि०	1-6-85	सरकारी उद्यम चयन मण्डल ने उम्मीदवारों के विषय में संस्तुतियां भेज दी हैं।
22.	निदेशक (रसायन), आई०बी०पी० कं० लि०	नया पद	
23.	निदेशक (तेल), आई०बी०पी० कं० लि०	नया पद	
24.	निदेशक (उत्पादन), भारत अर्थ मूवर्स लि०	नया पद	
25.	निदेशक (विपणन), भारत अर्थ मूवर्स लि०	नया पद	
26.	निदेशक (कार्मिक), भारत अर्थ मूवर्स लि०	नया पद	
27.	निदेशक (कार्मिक), गैस अथारिटी आफ इण्डिया	नया पद	
28.	निदेशक (चिकित्सा सेवा) हास्पिटल सर्विसेज कन्सलटेंसी कारपो० आफ इण्डिया लि०	नया पद	
29.	निदेशक (कार्मिक), एण्ड्रयू यूले एण्ड कं० लि०	नया पद	
30.	निदेशक (इन्जीनियरिंग), मेटार्लाजिकल एंड इन्जीनियरिंग कन्सलटेंट्स (इं०) लि०	नया पद	
31.	निदेशक (विपणन) —तदैव—	नया पद	
32.	निदेशक (परियोजना) —तदैव—	नया पद	
33.	निदेशक (कार्मिक), बोंगाईगांव रिफायनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स कारपो० लि०	नया पद	

1 2	3	4
34. निदेशक (विपणन), माइनिंग एंड एलायड मशीनरी कारपो० लि०	1-9-83	सरकारी उद्यम चयन मंडल के विचाराधीन है।
35. निदेशक (योजना), एण्ड्रयू यूले एण्ड कं० लि०	9-7-84	
36. निदेशक (क्रय एवं विक्रय), भारतीय रुई निगम	22-9-84	
37. निदेशक (तकनीकी), इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नालाजी डिवेलप० कारपो० लि०	11-11-84	
38. निदेशक (अनुसंधान एवं विकास), भारत अर्थ मूवर्स लि०	8-2-85	
39. निदेशक (प्रणालियां एवं परियोजना), इन्स्ट्रूमेंट्स लि०	1-3-85	
40. निदेशक (निर्माण), राष्ट्रीय इस्पात निगम लि०	1-4-85	
41. निदेशक (उत्पा०) इन्स्ट्रूमैंटेशन लि०	आस्थगित रखा गया पद पुनः प्रवर्तित किया गया है।	
42. कार्यपालक निदेशक (पोत सेवा) भारतीय नौवहन निगम	17-4-85	
43. निदेशक (कार्मिक), नेवेली लिग्नाइट कारपो० लि०	1-5-85	
44. निदेशक (वाणिज्य), माझगांव डाक लि०	30-6-85	
45. निदेशक (क्षेत्रीय इंजीनियरी) कम्प्यूटर मेंटीनेंस कारपो०	1-7-85	
46. निदेशक (वित्त), हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन	8-7-85	

कम्पनियों का उचित कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका

768. श्री यशवंत राव गडाख पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल० आई० सी०, जी० आई० सी०, आई० डी० बी० आई०, आई० एफ० सी० आई० तथा अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं के पास देश का आधा निगमित क्षेत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों का उचित कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने में वित्तीय संस्थाएं क्या भूमिका अदा कर रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) वित्तीय संस्थाएं अपने द्वारा सहायता प्राप्त कम्पनियों का संस्थाओं के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करवा कर तथा कम्पनी के निदेशक-मण्डल में, मनोनीत निदेशकों की नियुक्ति करके, यह सुनिश्चित करती है कि कम्पनियों का काम सुचारू रूप से चले। प्रगति रिपोर्टों की जांच और

मनोनीत निदेशकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, ये संस्थाएं, कम्पनियों के कार्यकारण में सुधार लाने के वास्ते उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करने के लिए संबधित कम्पनियों के साथ मामले को उठाती हैं।

सरकारी क्षेत्र के बंकों की विदेश स्थित शाखाओं के कार्यकरण को सुचारू बनाना

969. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि सेंट्रल बेंक आफ इंडिया की लन्दन स्थित शाखा में भी घाटा चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धो ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के बेंकों की विदेश स्थित शाखाओं के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) चूंकि, व्यापक जनहित में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सुचारू संचालन में जनता का विश्वास बनाए रखना अत्यावश्यक माना जाता है, इसलिए खास-खास अवधियों के लिए बेंकों की अलग-अलग शाखाओं के कार्यचालन परिणाम प्रकट करना वांछनीय नहीं समझा जाता।

(ग) भारतीय रिजर्व बेंक ने सरकारी क्षेत्र के बेंकों की विदेशी शाखाओं के कार्यचालन को सुचारू बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। संक्षेप में ये हैं—

(i) तिमाही विवरणियों की व्यापक संशोधित सूचना प्रणाली लागू करना जिनमें विदेशी शाखाओं के संबन्ध में विदेशी कार्यालयों की परिसम्पत्तियों और दायित्वों की स्थिति दिखाई गई हो ताकि सतत आधार पर उनके परिचालनों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) विदेशी शाखाओं के पर्यवेक्षण के बारे में संबद्ध बंकों के प्रधान कार्यालयों के वरिष्ठ कार्यपालकों की रिजर्व बेंक के उप गवर्नर के साथ समय-समय पर बैठकें।

(iii) विभिन्न भारतीय बेंकों की विदेशी शाखाओं के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित करने के लिए परामर्शदाता मंच स्थापित करना।

(iv) विदेशी शाखाओं का पहले से जल्दी निरीक्षण किए जाने के अलावा भारतीय रिजर्व बेंक द्वारा इन बंकों के प्रधान कार्यालयों में भारत में इनके नियंत्रक कार्यालयों का निरीक्षण किया जाता है।

(v) विभिन्न परिचालनात्मक पहलुओं पर बंकों को निदेश/सूचना भेजना, गम्भीर चूक और अनियमितताओं के सभी मामलों में स्टाफ को जिम्मेदार ठहराने के लिए भी कहा गया है।

इस्पात क्षेत्र में भारत-वियतनाम सहयोग

770. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क क्या यह सच है कि भारत और वियतनाम ने इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) व (ख) इस्पात क्षेत्र में वियतनाम के साथ सहयोग करने की संभावनाओं का पता लगाने का मामला इस समय विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल को सोफ्ट कोक की सप्लाई

771. श्री नारायण चौबे : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य को सोफ्ट कोक की सप्लाई में भारी कटौती की है;

(ख) क्या कोल "इंडिया लिमिटेड ने मई 1985 में 100,000 टन कोयले की सप्लाई का वादा किया था लेकिन वस्तुत: पश्चिम बंगाल को केवल 40,000 टन सोफ्ट कोक सप्लाई किया गया;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य में कलकत्ता तथा अन्य केन्द्रों के कोयला भंडारों को कोयले की सप्लाई अत्यधिक अनियमित है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा राज्य के कोयला भंडारों को सोफ्ट कोक की नियमित सप्लाई के लिए सरकार का क्या व्यावस्थाएं करने का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि० ने पश्चिम बंगाल को 75,000 टन साफ्ट कोक प्रतिमाह सप्लाई करने का प्रस्ताव रखा था। तद्नुसार मई, 1985 के लिए को० इं० लि० ने पश्चिम बंगाल को 75,000 टन साफ्ट कोक देने का प्रस्ताव किया किन्तु इसकी तुलना में उस राज्य ने केवल 51,400 टन माल उठाया। इसके अलावा को० इं० लि० ने इसी महीने के लिए पश्चिम बंगाल को 25,000 टन प्राकृतिक साफ्ट कोक देने का भी प्रस्ताव किया था किन्तु उसमें से भी इस राज्य में केवल 11,000 टन माल उठाया।

साफ्ट कोक के उत्पादन में गर्मी के और मानसून के महीनों में मौसमी उतार-चढ़ाव होता है। इस अवधि में जरूरत भी कम हो जाती है। इसलिए जुलाई, 1985 के महीने के लिए कोल इंडिया लि० ने राज्य सरकार को 58,000 टन साफ्ट कोक और 25,000 टन प्राकृतिक साफ्ट कोक देने का प्रस्ताव किया है।

(घ) और (ङ) पश्चिम बंगाल के डीलरों और डिपो होल्डरों को साफ्ट कोक की सप्लाई स्टाकयार्डों से या सीधे कोलियरियों से ही की जाती है। स्टाकयार्डों से सप्लाई में कोई बाधा पड़ने पर कोलियरियों से साफ्ट कोक की सीधी सप्लाई का आबंटन बढ़ा दिया जाता है। पश्चिम बंगाल की साफ्ट कोक मुख्यत: सड़क से ले जाया जाता है लेकिन सप्लाई बढ़ाने की दृष्टि से समय-समय पर इसे रैल से ही पहुंचाया जाता है।

खान सुरक्षा के महानिदेशक द्वारा निवास के लिये असुरक्षित घोषित किये गये क्षेत्र

772. श्री नारायण चौबे
श्री पूर्ण चन्द्र मलिक } : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान सुरक्षा के महानिदेशक ने बर्दवान जिले में रानीगंज, बरकार, कुल्टी और जमेरिया कस्बों और अन्य 24 गांवों को रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त घोषणा कब की गयी थी;

(ग) सरकार ने उक्त क्षेत्रों के लोगों की रक्षा और सुरक्षा के लिए इस बीच क्या कार्यवाही की है; और

(घ) उक्त क्षेत्रों को असुरक्षित घोषित करने के क्या कारण हैं और इस प्रकार की स्थिति के लिए कौन उत्तरदायी है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) खान सुरक्षा महानिदेशक ने 1950 से बर्दवान जिले के कुछ क्षेत्रों को आबादी के लिए असुरक्षित घोषित कर रखा है और उन क्षेत्रों में प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्र शामिल हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने अक्तूबर, 1979 में लागू अधिनियम 25 क्षेत्रों में निर्माण कार्य करने का निषेध कर रखा है और इन क्षेत्रों में रानीगंज, जमरिया आदि शामिल हैं।

(घ) इन क्षेत्रों को निम्नलिखित कारणों से असुरक्षित घोषित किया गया है—

1. कम गहराई पर ही ऐसे पुराने कार्य-स्थल हैं जिनसे ऊंचाई में पूरा-पूरा कोयला निकाल लिया गया है और बहुत चौड़ी गैलियां छोड़ दी गई हैं। इन कार्य स्थलों में कई सीमें थीं और अनेक कार्य अनुभाग थे।

2. रेत भराई के जरिए निकाले गए विकसित सीम भी यहां हैं।

3. यह क्षेत्र ऐसे छोटे-छोटे कोयला स्तंभों/स्टाकों पर खड़े या टिके हैं जिनमें संभव है कि पानी भरा हो।

4. यहां छोड़े गए स्तंभों या पिलरों के आकार का पता नहीं चलता क्योंकि त्यक्त कार्य स्थलों के आफ सेट प्लान उपलब्ध नहीं हैं।

5. इन क्षेत्रों के नीचे के कार्य-स्थलों को स्थिर करना केवल कठिन ही नहीं है बल्कि ऐसे प्रयासों की प्रभावकारिता भी संदेहजनक ही होगी।

छठी पंचवर्षीय योजना में पटसन का उत्पादन

773. श्री अमर राय प्रधान : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में पटसन का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उपरोक्त अवधि में भारतीय पटसन निगम ने कितना पटसन खरीदा; और

(ग) भारतीय पटसन निगम द्वारा उपरोक्त अवधि में उत्पादित सारा पटसन न खरीदने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में उत्पादित कच्चे पटसन-मेस्टा की मात्रा तथा उसी अवधि के दौरान भारतीय पटसन निगम द्वारा अधिप्राप्त कच्चे पटसन/मेस्टा की मात्रा इस प्रकार है—

वर्ष (जुलाई-जून)	उत्पादन*	जे० सी० आई० द्वारा अधिप्राप्ति
1980-81	82.00	10.60
1981-82	74.00	17.61
1982-83	63.00	8.60
1983-84	66.00	8.39
1984-85	73.00	10.16

*जैसा कि व्यापार/उद्योग/जे० सी० आई० द्वारा अनुमान लगाया गया है।

(ग) मुख्य रूप से जे० सी० आई० पटसन उपजकर्ताओं के हित में मूल्य समर्थन कार्य करने के लिए उत्तरदायी है अर्थात यह कच्चे पटसन की उस सम्पूर्ण मात्रा को खरीदने का कार्य करता

है जोकि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कानूनी कीमत पर उसे आकर की जाती है। जे० सी० आई० एन० जे० एम० सी० मिलों तथा राज्य स्वामित्व और सहकारी मिलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एजेन्सी खरीद शर्तों पर तथा निजी क्षेत्र की मिलों की भुगतान का गारन्टी शुदा शर्तों के आधार पर जब कभी वे जे० सी० आई० को मांग पत्र भेजें, जरूरतों को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक कार्य भी करता है।

कच्चे पटसन का अधिकतम मूल्य सीमा

774. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कच्चे पटसन की अधिकतम मूल्य सीमा के सम्बन्ध में निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और पटसन उत्पादक राज्यों की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने 7 जून 15 जुलाई, 1985 तक की अल्पाविधि के लिए विभिन्न पटसन तथा मेस्टा उपजकर्ता राज्यों में कलकत्ता और विभिन्न देहाती बाजारों में डिलीवरी के लिए कच्चे पटसन तथा मेस्टा की विभिन्न किस्मों तथा ग्रेडों की साविधिक अधिकतम कीमतें निर्धारित कीं। डब्ल्यू-5 ग्रेड के कच्चे पटसन की कलकत्ता में अन्य राज्यों से निकलते समय की अधिकतम कीमत 600 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित की गई और पश्चिम बंगाल उद्भव की टी० डी०5 ग्रेड की 595 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित की गई। असम, मेघालय और त्रिपुरा में देहाती बाजारों में कच्चे पटसन के डब्ल्यू-5 ग्रेड की कीमत 488.50 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित की गई। अधिकतम कीमत के निर्धारण का पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री द्वारा एक बैठक में स्वागत किया गया क्योंकि उस समय पटसन उपजकर्त्ताओं के पास नहीं रह गया था।

[हिन्दी]

मेंढ़कों के निर्यात पर रोक लगाना

775. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेंढ़कों और उनकी टांगों के निर्यात के कारण देश में मेंढ़कों की भारी कमी हो गई है जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हाँ तो मेंढकों की टांगों को निर्यात रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) जीवित मेंढ़क के निर्यात राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक से प्राप्त विधिक आधिप्राप्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही किये जाते हैं। इस आशय का कोई प्रमाण नहीं है कि मेंढ़कों तथा मेंढ़क की टांगों के निर्यातों के परिणाम स्वरूप देश में मेंढ़कों की भारी कमी आई हो।

सरकार संसाधनों के संरक्षण के लिए किये गये विभिन्न उपायों में एक वर्ष में प्रजनन सीजन के 4 महीनों के दौरान मेंढ़क की टांगों की प्रोसेसिंग पर रोक, 80 प्रति कि० ग्रा० से अधिक काउन्ट की मेंढक की टांगों के निर्यात पर रोक, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत मेंढ़कों का वन्य जीव के रूप में वर्गीकरण और 1983-84 लाइसेंसिंग वर्ष से मेंढ़क की टांगों के निर्यातों पर अधिकतम सीमा लगाना शामिल है।

[अनुवाद]

भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदलने के कार्य में लगे लोगों के गिरोह का पकड़ा जाना

776. **श्री शरद दिघे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ऐसे लोगों के एक गिरोह को पकड़ा है, जो भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदलने तथा आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे। तथा हथियार प्रदान करने हेतु वित्तपोषण के लिए इस मुद्रा की विदेशों की तस्करी करने के कार्य में लगा हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र कपास उत्पादक विपणन महासंघ को अधिक उपज वाली किस्मों की रुई का निर्यात कोटा

777. **श्री शरद दिघे : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कपास उत्पादक विपणन महासंघ (रुई एकाधिकार योजना चलाने वाली महाराष्ट्र सरकार की मुख्य एजेन्सी) की अधिक उपज देने वाली किस्म की रुई की केवल 65,000 गाँठों का निर्यात कोटा मंजूर किया है जबकि महाराष्ट्र सरकार ने कम से कम तीन लाख गाँठों का निर्यात कोटा मंजूर करने का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) कुल मिलाकर देश में रुई की माँग तथा पूर्ति स्थिति तथा मूल्य प्रवृति का मूल्यांकन करने के पश्चात्, भारत सरकार, ने चालू रुई मौसम के दौरान निर्यात के लिए लम्बे तथा अधिक लम्बे स्टेपल वाली रुई की अभीतक 2.95 लाख गाँठे रिलीज की हैं। इसमें से लम्बे तथा अधिक लम्बे स्टेपल वाली रुई की 0.95 लाख गाँठों की अनुमति महाराष्ट्र से दी गई है। निर्यात के लिए रिलीज की गई 2.95 लाख गाठों की उपर्युक्त मात्रा विभिन्न निर्यात अभिकरणों के बीच उत्पादन तथा अधिशेष किस्मों की उपलब्धता और संचलन की सीमा/क्षेत्र के आधार पर वितरित की गई है।

अतिरिक्त केंद्रीय सहायता में वृद्धि के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध

778 **श्री शरद दिघे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केंद्र सरकार को विदेशी सहायता से चलाई जाने वाली परियोजनाओं को मिलने वाली अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की वर्तमान प्रतिशतता (70 प्रतिशत) को वितरित सहायता के 100 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिये राज्य सरकारों से अनुरोध मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा नीति में, जिसके अन्तर्गत विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए वितरित सहायता का 70 प्रतिशत भाग अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में राज्य सरकारों को दिया जाता है, परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

नयी कपड़ा नीति के कारण कपड़ा मिलों का बन्द होना

779. **श्री शरद दिघे** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) सरकार द्वारा घोषित की गयी कपड़ा नीति के परिणाम स्वरूप कितनी कपड़ा मिलें आंशिक अथवा पूरी तौर पर बन्द हो जायेंगी; और

(ख) सरकार का विचार श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए ऐसी मिलों के मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) नई वस्त्र नीति के परिणाम स्वरूप कपड़े का उत्पादन बढ़ने से रोजगार में वृद्धि होने की सम्भावना है। ऐसी आशा है कि मिलें अपने कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए नई वस्त्र नीति के प्रावधानों का लाभ उठाएंगी। इसके बावजूद, यदि कुछ मिलें क्षमता प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं तथा उन्हें पूर्ण या आंशिक रूप से बन्द होना पड़ता है, तो इसे नीति पर आरोपित नहीं किया जा सकता।

(ख) नई वस्त्र नीति में कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय हैं। इन रक्षापायों में विशेष रूप से वस्त्र उद्योग के कामगारों के लिए स्थापित किए जाने वाले पुनर्वास कोष में से अन्तिरिम अवधि के लिए राहत की व्यवस्था भी शामिल है।

समान भाड़ा योजना को धीरे धीरे समाप्त करने की कार्यवाही योजना

780 **श्रीमती गीता मुखर्जी**
श्री इंद्रजीत गुप्त } : क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या इस्पात राज्य मन्त्री ने कुछ समय पूर्व बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य महासंघ के समक्ष कहा था कि लोहा और इस्पात मदों की समान भाड़ा योजना को धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए सिद्धान्त रूप में पहले से स्वीकार किए गए निर्णय के कार्यान्वियन के लिए एक कार्यवाही योजना तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्यवाही योजना पहले से तैयार कर ली गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक तैयार की जाएगी ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) बंगाल नेशनल चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री के अध्यक्ष से प्राप्त एक पत्र के उत्तर में मैंने यह कहा था कि लोहा और इस्पात के सम्बन्ध में भाड़ा-समीकरण योजना को धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए एक कार्य-योजना तैयार की जा रही है।

(ख) और (ग) जी, हां,। एक कार्य योजना तैयार कर ली गई है। भाड़ा समीकरण योजना को वापस लेने की प्रक्रिया का कार्य अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों के परामर्श से किया जा रहा है। योजना को समाप्त करने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करते समय इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि जब यह योजना समाप्त की जाए तब सर्वत्तोमुखी इस्पात कारखानों से दूर स्थित उपभोक्ताओं/उद्योगों को न्यूनतम अतिरिक्त लागत देनी पड़े।

खुली चाय के खुदरा मूल्य

781. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि खुली चाय के खुदरा मूल्य पुन: इतने अधिक बढ़ने शुरू हो गए हैं कि मई महीने के अन्तिम सप्ताह में और जुलाई महीने में प्रथम सप्ताह में

कलकत्ता के बाजारों में पिछले सप्ताह (मई मही । के अन्तिम सप्ताह) की तुलना में सी० टी० सी० ब्रोकन और फेनिंग का मूल्य 3/ रुपये प्रति किलोग्राम तथा सी० टी० सी० सामान्य चाय का मूल्य 5/-रुपये प्रति किलोग्राम अविधक हो गया;

(ख) क्या उपभोक्ता चाय के मूल्य ऐसे समय बढ़ रहे हैं जबकि सामान्य चाय के निलामी मूल्य गिरकर 1983 के स्तर पर पहुंच गए हैं, जिनके परिणामस्वरूप अनेक मामलों में पैकेट वाली चाय के मूल्य वर्ष 1983 की तुलना में 16/-रुपये प्रतिकिलोग्राम अधिक हो गए हैं;

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर सकारात्मक है तो सरकार उपभोक्ताओं के लिए चाय के मूल्य कम करने हेतु क्या उपाय कर रही है; और

(ग) क्या इन उपायों में से एक उपाय चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश के माध्यम से चाय के मूल्य कम करना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) से (घ) चाय की खुदरा कीमतों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में चाय के विशिष्ट ब्रेंडों के स्थानीय अल्पावधि कीमत परिवर्तनों का चैक करना सम्भव नहीं है। तथापि, सरकार ने प्रमुख रूप से उत्पादन बढ़ाकर, चाय निर्यातों को विनियमित करके और चाय विपणन नियंत्रण आदेश के माध्यम से नीलामियों में चाय की उपलब्धता को बढ़ाकर घरेलू बाजार में खपने वाली चाय की औसत कीमत पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न किया है। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यापारियों के साथ सतत आधार पर विचार विमर्श भी किया जाता है।

उत्पादन तथा नीलामी बिक्रियों में रिकार्ड वृद्धि के फलस्वरूप नीलामियों में कीमतें गिरी हैं। इसके परिणाम स्वरूप पिछले दो महीनों में सामान्य ब्रांडों का पैकेट चाय की खुदरा कीमतों में गिरावट आई है। इन ब्रांडों की खुदरा कीमतों और नीलामी कीमतों में जुलाई, 1983 में जो अन्तर था, उसकी तुलना जुलाई, 1985 में विद्यमान अन्तर से की जा सकती है, जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है—

रु० प्रति कि० ग्रा

	जुलाई, 1983	जुलाई, 1985
कलकत्ता में औसत सी० टी० सी० नीलामी किमतें	22.62	26.17 (जुलाई के पहले सप्ताह तक)
निम्नलिखित की मूल कीमतें —		
(क) रेड लेबल (500 एमजी पैकेट)	31.15	33.85
(ख) ए वन डस्ट (" ")	29.05	29.70
(ग) यलो लेबल (" ")	31.65	33.87
(घ) गोल्डन डस्ट (" ")	28.90	29.62

(इन कीमतों में व्यापारी का कमीशन 4% और स्थानीय कर 7% शामिल नहीं है)

गुजरात और महाराष्ट्र में खुली चाय के व्यापारियों ने भी मार्च, 1985 तक चल रहे

कीमत स्तरों में कटौती करने की घोषणा की है। खुदरा कीमतों के रुख की बराबर समीक्षा की जा रही है और जब आने वाले महीने में उत्तरी भारत का अधिकांश उत्पादन बाजार में आयेगा तब इनमें और गिरावट आने की सम्भावना है।

पटसन से बनी वस्तुओं में बल्क चाय की पैकिंग करना

782. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वदेशी बाजारों के लिए बल्क चाय की पैकिंग हेतु लकड़ी के स्थान पर पटसन उत्पादों का प्रयोग करने के किसी प्रस्ताव पर कभी विचार किया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार के परिवर्तन से एक ओर तो बन संसाधनों की बचत होगी और दूसरी ओर पटसन उत्पादों के बाजार का विस्तार होगा, जोकि पटसन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है; और

(ग) यदि (क) भाग का उत्तर 'नहीं' में है तो क्या सरकार का विचार इस पर अब विचार करने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयकर छापे

783. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा वर्ष 1983-84 और 1985 के पहले छः महीनों में सम्बन्धित कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कितने प्रमुख छापे मारे गए और इन मामलों में कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त थी ;

(ख) इन छापों के परिणामस्वरूप वास्तव में कुल कितनी धनराशि सरकार के खजाने में जमा हुई ;

(ग) कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया; और

(घ) उन 20 प्रमुख व्यक्तियों तथा अथवा कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध कर-अपवंचन की दृष्टि से मुकदमे चलाए गए थे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष 1983, 1984 तथा 1985 के पहले छः महीनों के दौरान संगत कानूनों के उपबन्धों के उल्लंघन करने के लिए आयकर और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा मारे गये छापों की संख्या और आयकर के अन्तर्गत जब्त की गई सम्पत्तियों की राशि-सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े गए निषिद्ध माल का मूल्य तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की राशि, जिसका अपवंचन किए जाने की मंशा थी, तथा इन अधिनियमों के अन्तर्गत आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या संलग्न विवरण 1 में दी गई है—देखिए विवरण-1।

(ख) इन छापों के परिणाम स्वरूप अन्तिम रूप से सरकारी खजानों में आने वाली वास्तविक शुद्धराशि का पता केवल मामलों पर उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा न्याय निर्णयन किए जाने के बाद ही लगेगा।

(घ) प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत चोटी के 20 निर्धारितियों के नाम तथा उनके द्वारा छिपाई गई अनुमानित राशि विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

वर्ष	छापों/तलाशियों की संख्या	पकड़ी गई परिसंपत्तियों का, निषिद्ध माल का/के०उ०शु० जिसका अपवंचन किए जाने की मंशा थी, मूल्य (लाख रु० में)	चलाये गये अभियोजनों की संख्या
प्रत्यक्ष कर अधिनियम			
1983-84 (वि०व०)	4332	2799.12	1756
1984-85 (वि०व०)	4345	2507.59	2111
1985-86 (वि०व०) (30-6-85 तक)	1246	653.93	19
सीमा शुल्क अधिनियम			
1983 (कलेंडर वर्ष)	19791	1277.00	1615
1984 (यथोपरि)	19095	1827.00	1830
1985 (यथोपरि) (30-6-85 तक)	10423	2043.00	969
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम			
1983 (कलेंडर वर्ष)	6173	5515.99	46
1984 (यथोपरि)	5433	6448.96	80
1985 (यथोपरि) (30-6-85 तक)	3051	5759.00	178

टिप्पणी:(i) वित्तीय वर्ष 1985-86 तथा कलैंडर वर्ष 1985 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ii) सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए आंकड़ों में सीमा शुल्क मूल्यांकन संबंधी मामलों में न्यून मूल्यांकन का पता लगाने के लिए मारे गये छापे/ली गई तलाशियां शामिल नहीं हैं।

(iii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत दिखाए गए आंकड़े पता लगाये गये मामलों की संख्या तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अपवंचन की अनुमानित रकम से संबंधित है तथा इसमें छापों/तलाशियों के आंकड़े शामिल हैं।

विवरण 2

क्र०सं०	कर निर्धारिती का नाम	छिपाई गई अनुमानित राशि
1	2	3
1.	मै० बराय आयल इंडस्ट्रीज, गुजरात	1.16 करोड़ रु०
2.	श्री ओ०पी० गुप्ता, दिल्ली	1.09 करोड़
3.	श्री रतन लाल के० डिडवानिया, बम्बई	1 करोड़ से अधिक
4.	मै० नेशनल होटल ग्रुप आफ केसिस, कोयम्बटूर	37 लाख

1	2	3
5.	श्रीमती ऊषा गुप्ता, लुधियाना	34 लाख
6.	श्री पी०सी० गुप्ता, लुधियाना	30 लाख
7.	मै० बम्बई मेरिन इंजीनियरिंग वर्क्स लि० बम्बई	28.8 लाख
8.	श्री जतिन्द्र के० चोक्शी, बम्बई	23.85 लाख
9.	श्रीमती हेमा मालिनी, बम्बई	22 लाख
10.	श्री बलवीर चन्द मैनी, लुधियाना	18.12 लाख
11.	मै० एस०एम०के० एंड संस और मै०एस०एम०के० एजेन्सी, मद्रास	18 लाख
12.	श्री अनिल कुमार डिडवानिया, बम्बई	15 लाख
13.	श्री विजय एस० सवंगौड, बम्बई	15 लाख
14.	श्री अमजद खां बम्बई	15 लाख
15.	श्री सज्जन कुमार सराफ, कलकत्ता	13.3 लाख
16.	मै० सोवासरिया मोटर्स पार्टस एंड अक्सेसीरि, शिलांग	12.94 लाख
17.	मै० आशा ट्रेडिंग कम्पनी, बम्बई	12.76 लाख
18.	श्री कुंवर मानकलाल शाह, गुजरात	12.64 लाख
19.	श्री धामजी कल्याणजी चोटलिया, गुजरात	11.3 लाख
20.	कुमार जया प्रदा रौर उसके भाई, मद्रास	11 लाख से अधिक

शीतल पेय और मिठाई बनाने वाली फर्मों द्वारा कृत्रिम चीनी का आयात

784. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शीतल पेय और मिठाई बनाने वाली कई फर्मों को उनके उत्पादों के लिए कृत्रिम चीनी का आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की चीनी का वर्ष-वार कितना आयात किया गया;

(ग) इस प्रकार के आयात की अनुमति कैसे दी जा सकती है जबकि भारत अपनी चीनी को विदेशों को नहीं बेच पा रहा है; और

(घ) इस समय निर्यात करने तथा देश में खपत के लिए पृथक-पृथक अतिरिक्त चीनी का कितना भंडार है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) निर्यात के लिए फिलहाल चीनी की कोई बेशी मात्रा नहीं है।

7.7. 1985 की स्थिति के अनुसार चीनी कारखानों में चीनी के स्टाक 28.30 लाख मे० टन के थे जिनका घरेलू खपत के लिए उपयोग किया जायेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ में कमी

785. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि में वृद्धि के बावजूद उनके लाभ कम हो रहे हैं;

(ख) किन-किन बैंकों में यह प्रवृत्ति प्रकाश में आई है

(ग) उपर्युक्त प्रत्येक बैंक देश में और देश के बाहर उनके कार्यचालन में लाभ की दर क्या है;

(घ) लाभ में कमी किस सीमा तक राज्य उपक्रमों द्वारा ऋणों की अदायगी न किए जाने के कारण हैं और किस सीमा तक घोटाले के कारण हैं; और

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत वर्ष, 1983 और 1984 के लिए 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से प्रत्येक के प्रकाशित लाभ के आंकड़े दिये गये है। उन्हें देखने से यह पता चलता है कि 1983 की तुलना में 1984 में केवल 6 बैंकों का लाभ कम हुआ है ये 6 बैंक हैं :—बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सैण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, देना बैंक, न्यू बैंक ऑफ इण्डिया और यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया।

(ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में निर्धारित तुलन-पत्र और लाभ हानि लेखा के प्रपत्र में समूचे आधार पर बैंकों से अपने निर्गमित परिचालनों के लेखाओं को प्रकाशित करने की अपेक्षा की गयी है। इसलिए बैंकों की शाखाओं के विशिष्ट समूहों के परिचालनों के संबन्ध में अलग से आंकड़े प्रकाशित नहीं किये जाते।

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों की लाभप्रदता पर कई बातों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए समूचे प्रभाव को अलग-अलग कारणों में बांटना व्यवहार्य नहीं है।

(ङ) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ को बढ़ाने के सवाल की बराबर समीक्षा की जाती है। बैंकों को रोकड़ और निधियों के कुशल प्रबन्ध की ओर विशेष ध्यान देने, अपनी परिचालन लागत को कम करने और उधार की क्वालिटी में सुधार करने, प्रचार व्यय और अपने कर्मचारियों को दिये जाने वाले समयोपरि भत्ते में कटौती करने, वसूली तंत्र को सक्रिय बनाकर निष्क्रिय अग्रिमों में भारी कटौती करने आदि का परामर्श दिया गया है। सरकार द्वारा हाल ही में बैंकों को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कुछ रियायतें दी गयी हैं। सरकार ने बैंकों की शेयर पूंजी में अभिदान करके राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत बनाने का भी निर्णय लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने खाद्य ऋणों और नकदी प्रारक्षित अनुपात राशियों के ब्याज की दर भी बढ़ा दी है।

विवरण

बैंक का नाम	प्रकाशित लाभ रुपये करोड़ में 1983	1984
1. इलाहाबाद बैंक	1.70	1.80
2. आन्ध्र बैंक	2.48	2.64
3. बैंक आफ बड़ौदा	8.60	7.01
4. बैंक आफ इण्डिया	5.11	5.30
5. बैंक आफ महाराष्ट्र	1.93	1.20

1	2	3	4
6.	केनरा बैंक	4.96	5.51
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	3.99	3.06
8.	कारपोरेशन बैंक	0.93	1.10
9.	देना बैंक	1.20	0.81
10.	इण्डियन बैंक	1.40	1.41
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	4.73	4 82
12.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	0.72	0.26
13.	आरियन्टल बैंक आफ कामर्स	0.72	0.82
14.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	0.62	0.65
15.	पंजाब नेशनल बैंक	8.53	9.01
16.	सिंडीकेट बैंक	4.94	5.08
17.	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	2.90	3.11
18.	यूनाइटिड बैंक ऑफ इण्डिया	1.36	1.18
19.	यूनाइटिड कमर्शियल बैंक	2.36	2.36
20.	विजया बैंक	0.05	0.06

विदेशों को भारतीय गेहूं के निर्यात के कारण मूल्यों में कमी आना

786. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों/पड़ोसी देशों को होने वाले भारतीय गेहूं के निर्यात को, कुछ गेहूं उत्पादक पश्चिमी देशों द्वारा मूल्य में भारी कमी करने से उत्पन्न कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या हम किसी देश के साथ सुदृढ़ सप्लाई अनुबन्ध कर पाए हैं और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) गेहूं के निर्यात के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा है। भारतीय खाद्य निगम ने सोवियत संघ को 5 लाख मे० टन गेहूं की पूर्ति के लिए 9.4.1985 को एक्सपोर्ट खलैब, मास्को के साथ एक संविदा की है। इस संविदा के आधार पर 15.7.85 तक सोवियत संघ को 1.26 लाख टन मे० टन की मात्रा का लदान पहले ही किया जा चुका है। इसके अलावा सूखाग्रस्त अफ्रीकी देशों को सहायता के रूप में सप्लाई की जाने वाली 1 लाख मे० टन गेहूं की मात्रा में से 72,903 मे० टन की मात्रा पहले ही भेजी जा चुकी है।

विदेशों से भारतीयों द्वारा प्रत्यावर्तित धन

787. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाले धन में अकस्मात वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले चार महीनों के दौरान भेजे गए धन में महीना-वार किस दर से वृद्धि हुई है;

(ग) इसके क्या युक्तिसंगत कारण हैं; और

(घ) इसका तस्करी पर यदि कोई प्रभाव पड़ेगा तो क्या ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) चूंकि प्राधिकृत डीलरों द्वारा वर्तमान नियमों के अन्तर्गत 10,000/- रुपये या उससे कम राशि के प्रेषणों की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को देने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए विदेशों में काम कर रहे केवल भारतीयों से प्राप्त प्रेषणों के बारे में ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी, चालू वर्ष के गत पांच महीनों के संबन्ध में निर्यात-भिन्न प्राप्तियों के तुरन्त तथा अनन्तिम अनुमानों के महीने-वार आंकड़े इस प्रकार हैं :—

जनवरी :	866.18 करोड़ रुपये
फरवरी :	748.31 करोड़ रुपए
मार्च :	889.68 करोड़ रुपए
अप्रैल :	571.31 करोड़ रुपए
मई :	693.82 करोड़ रुपए

(नवीनतम उपलब्ध आंकड़े)

उपर्युक्त आंकड़ों में, सकल निर्यात-भिन्न प्राप्तियों के द्योतक हैं जिनमें से "आवक प्रेषणों" से संबन्धित प्राप्तियों के चार शीर्षों, अर्थात् (i) परिवार भरण-पोषण, (ii) अनिवासी बचतों, (iii) प्रवासी अन्तरण और (iv) मनी आर्डर प्राप्तियों के अलावा, नौवहन प्राप्तियों, बीमा प्राप्तियों, लाभांश प्राप्तियों, पर्यटन प्राप्तियों आदि के फलस्वरूप प्राधिकृत डीलरों के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि शामिल है।

(घ) विदेशों से प्राप्त होने वाले प्रेषणों में वृद्धि होने अथवा कमी होने से उसका तस्करी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात का निर्धारण करना कठिन है।

मैंगलौर में कुद्रेमुख के पैलेट बनाने के संयंत्र चालू किया जाना

788. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर में कुद्रेमुख स्थित पैलेट बनाने के संयंत्र को कब तक चालू किए जाने की संभावना है;

(ख) पैलेट्स का निर्यात कब तक आरम्भ किए जाने का विचार है;

(ग) इन पैलेट्स का निर्यात किन-किन देशों को किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संयंत्र की अनुमानित लगात लागत कितनी है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) मैंगलौर में पैलेट प्लांट के सितम्बर, 1985 के अन्त तक चालू हो जाने की संभावना है।

(ख) परीक्षण के तौर पर पैलेटों का पोत लदान नवम्बर, 85 में शुरू हो जाने की संभावना है।

(ग) मैसर्स कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि० ने पैलेटों की सप्लाई के लिए इंडोनेशिया की मैसर्स पी० टी० के० एस० के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। अन्य देशों को पैलेटों का निर्यात करने की सम्भावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।

(घ) इस पैलेट प्लांट की स्वीकृत लागत 103.50 करोड़ रुपए है।

कम कीमत के कपड़े के उत्पादन को मिल क्षेत्र से हथकरघा क्षेत्र में अंतरित करना

789. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम कीमत के कपड़े के उत्पादन का दायित्व मिल क्षेत्र से हथकरघा क्षेत्र में अन्तरित किया है;

(ख) क्या इससे इस प्रकार के कपड़े के उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाएगी;

(ग) इस परिवर्तन से सरकार को कितनी अतिरिक्त राज सहायता का भार वहन करना पड़ेगा; और

(घ) हथकरघा क्षेत्र में रोजगार पर इसके प्रभाव सहित इस निर्णय के अन्य क्या प्रभाव होंगे ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जून, 1985 में घोषित वस्त्र नीति में यह व्यवस्था है कि सातवीं योजना के अन्त तक नियंत्रित कपड़े का उत्पादन मिल क्षेत्र से हथकरघा क्षेत्र को सौंप दिया जाय।

(ख) इस कदम के फलस्वरूप इस किस्म के कपड़े की उत्पादन लागत बढ़ने की आशा नहीं है।

(ग) चूंकि धोतियों और साड़ियों के संबन्ध में जनता कपड़े और एन० टी० सी० नियंत्रित कपड़े के लिए आर्थिक सहायता की दर एक समान है अतः इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कोई अतिरिक्त आर्थिक सहायता नहीं होगी।

(घ) इस निर्णय के प्रभाव निम्नोक्त प्रकार हैं—

(I) अर्ध रोजगार और बेरोजगार बुनकरों को ज्यादा सतत रोजगार; और

(II) स्थानीय उपभोक्ता पसन्दों को ध्यान में रखते हुए कपड़े की सस्ती किस्मों का उत्पादन।

कस्टम अधिकारियों द्वारा मैसर्स तितली एक्सपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का माल पकड़ा जाना

790. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क अधिकारियों ने जून, 1985 के अन्तिम सप्ताह के दौरान मैसर्स तितली एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का लाखों रुपए का माल रोक लिया है;

(ख) क्या यह सच है कि मैसर्स तितली एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को आयात-निर्यात लाइसेंस का उल्लंघन करते पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो की गई जांच-पड़ताल का ब्यौरा क्या है और सरकार का मैसर्स तितली एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के विरुद्ध क्या अग्रेतर कार्यवाई करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) :(क) और (ख) निर्यात (नियन्त्रण) आदेश, 1977 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के संदिग्ध उल्लंघन के कारण, सीमा शुल्क अधिकारियों के पालम हवाई अड्डे पर स्थित कार्गो वेअरहाउस से मैसर्स तितली एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली की 99,000 रु० मूल्य की सूती बिजलीकरघा तैयार खुदा पोशाकें पकड़ी हैं।

(ग) मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है और जांच-पड़ताल पूरी होने पर अगली कार्यवाही की जाएगी।

मैसर्स एयरो ट्रेडर्स (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा नकली माल का निर्यात

791. **डा० गौरी शंकर राजहंस :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स एयरो ट्रेडर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली को असली माल के स्थान पर नकली माल निर्यात करते हुए पाया गया है, जैसाकि 26 जून, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबन्ध में अब तक क्या कारंवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का इस फर्म का आयात-निर्यात लाइसेंस रद्द करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) यह पाया गया था कि मै० ऐरो ट्रेडर्स (प्रा०) लि०, नई दिल्ली ने जून, 1985 के दौरान एक जाली शिपिंग बिल पर 2,88,000 रुपए मूल्य को-एक्स-रे ट्यूबों की एक खेप का निर्यात किया था। जालसाजी का पता लगने पर, मै० एअर इंडिया के जरिए माल की डिलीवरी रोक ली गई थी और खेप जांच के लिये वापस मंगवा ली गई थी। माल घोषणा के अनुसार पाया गया किंतु दस्तावेजों की कथित जालसाजी के लिए उसे पकड़ लिया गया था।

(ग) और (घ) मामले में जांच-पड़ताल की जा रही है और इस मामले में अगली यथोचित कारंवाई आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक के साथ परामर्श करके की जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अवैध माल का पकड़ा जाना

792. **डा० गौरी शंकर राजहंस :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सीमा-शुल्क अधिकारियों ने गत 3 महीनों के दौरान भारी मात्रा में अवैध सामान, सोना और ड्रग्स आदि पकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो पकड़ी गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) इस प्रकार की तस्करी की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) इन मामलों में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा आगे क्या कारंवाई की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) देश में प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सीमा प्राधिकारियों द्वारा, अप्रैल-जून 1985 की अवधि के दौरान पकड़ी गई मुख्य मदों का विवरण और इस बारे में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है—

मूल्य : (लाख रुपये में)

सोना	घड़ियां	कपड़े	अनिष्टकर मादक द्रव्य	मुद्रा	अन्य	योग	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
700.08	25.89	87.97	32.07	55.33	68.26	969.60	295

आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ग) तस्करों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। सीमा शुल्क विभाग के निवारक तथा आसूचना तंत्र को कर्मचारियों और उपकरणों की दृष्टि से सुदृढ़ बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ-ताल-मेल स्थापित करके समुचित तस्करी निवारण उपाय किए जाते हैं। यथोपेक्षित समुचित उपचारी कार्यवाही करने के लिए तस्करी और अभिग्रहणों की प्रवृत्तियों की सतत् समीक्षा की जाती है।

(घ) तस्करों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही किए जाने के साथ-साथ न्यायालय में मुकदमें चलाकर भी सख्त कार्यवाही की जाती है। उपर्युक्त मामलों में, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन निवारक नजरबन्दी की कार्यवाही भी की जाती है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान को गेहूं का निर्यात

793. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पाकिस्तान को गेहूं का निर्यात करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और किस शर्त पर गेहूं का निर्यात किया जाएगा; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तान से कोई समझौता हुआ है?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) पाकिस्तान को गेहूं के निर्यात के प्रयास जारी हैं। तथापि पाकिस्तान को गेहूं के निर्यात के लिए कोई संविदा नहीं की गई है।

नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत

794. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य मुद्दे क्या हैं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) नार्कोटिक्स को रोकने के तरीकों के बारे में भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग की नई दिल्ली में दिनांक 2 से 4 जुलाई, 1985 तक आयोजित दूसरी बैठक में चर्चा की गई थी।

(ख) इस बात पर सहमति हो गई थी कि दोनों देशों के अपने-अपने आसूचना तथा प्रवर्तन अभिकरण, नार्कोटिक्स के अभिग्रहणों, गिरफ्तार व्यक्तियों और अन्य संगत ब्यौरों के बारे में आपस में एक-दूसरे को समुचित कारवाई के लिए जानकारी देंगे और समुद्री-बन्दरगाहों, हवाई अड्डों और स्थल मार्गों के जरिए पाकिस्तान और भारत के बीच नोर्कोटिक्स की तस्करी करने वाले सन्दिग्ध व्यक्तियों के बारे में अधिक-से-अधिक गुप्त सूचना एकत्र करेंगे।

[अनुवाद]

उड़ीसा से निर्यात में वृद्धि करने के लिये कदम

795. श्री चिंतामणि जेना : : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा से किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) उड़ीसा से वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान उक्त वस्तुओं का कितना निर्यात किया गया;

(ग) क्या उड़ीसा से निर्यात में 1984-85 में वृद्धि हुई है, यदि हां तो कितनी; और

(घ) उड़ीसा से निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) राज्य-वार निर्यात आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं। निर्यात संवर्धन उपाय सम्पूर्ण देश के लिए उत्पाद-वार विनियमित किए जाते हैं।

कोयले के मूल्यों में वृद्धि

796. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय करण के बाद कोयले के मूल्यों में छ: बार संशोधन किया गया है;

(ख) वर्ष 1974 में कोयले का प्रति टन मूल्य कितना था और वर्तमान मूल्य कितना है;

(ग) क्या सरकार का विचार कोयले के दाम बढ़ाने को है और यदि हां, तो कितना;

(घ) क्या सरकार को कोयले की खपत करने वाले उद्योग संघ की ओर से देश में कोयले के दामों में हुई वृद्धि के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस सबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1974 में, कोल इंडिया लि० द्वारा उत्पादित कोयले की औसत खान-मुहाना कीमत रु० 47.50 प्रति टन और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० द्वारा उत्पादित कोयले की खान मुहाना कीमत रु० 50.50 प्रति टन थी। कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० द्वारा उत्पादित कोयले की वर्तमान औसत खान-मुहाना कीमत क्रमश: रु० 183.00 और रु० 192.00 प्रति टन है।

(ग) से (च) कोयले की कीमतों में प्रत्यांशित वृद्धि के विरोध में उपभोक्ता क्षेत्रों से कुछ अभिवेदन प्राप्त हुए हैं। परन्तु इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तपोषित योजनाएं

797. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त-पोषित योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) इन योजनाओं को उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि प्रदान की गई है और इनकी प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सम्बद्ध ब्यौरा अनुबन्ध में प्रस्तुत है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1240/85]

विमान दुर्घटना और बाढ़ आदि के परिणामस्वरूप देय बीमा राशि

798. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान विमान दुर्घटनाओं, बाढ़, लूट-मार, उपद्रवों और तूफानों के परिणाम स्वरूप बीमे की देय धनराशि का क्रमश: ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन दुर्घटनाओं, उपद्रवों और प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों में से कितने प्रतिशत की बीमे की धनराशि की अदायगी कर दी गई है और कितने प्रतिशत लोग बीमा शुदा थे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1984-85 के दौरान देय कुल बीमा दावों का विभाजन निम्न प्रकार से हैं —

दुर्घटना का कारण	राशि
	(करोड़ रुपयों में)
वायुयान दुर्घटनाएं	168.07
बाढ़/तूफान	63.56
दंगे	103.10

(ख) दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों में से 93% को प्रतिपूर्ति दावे देय हैं। एयर इण्डिया के वायुयान "कनिष्क" के 307 यात्रियों के दावों के वास्तविक भुगतान का निर्धारण विभिन्न बातों पर, अर्थात् मृत यात्रियों की आमदनी क्षमता, आयु इत्यादि पर निर्भर करेगा। बाकी बचे 7% व्यक्ति एयर इण्डिया, इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मी दल के सदस्य हैं, जिनका साधारण बीमा निगम के पास दुर्घटना बीमा का कोई कवच नहीं है। इन वाहक कम्पनियों की अपने कर्मचारियों के लिए अपनी बीमा योजना है। साधारण बीमा निगम की सहायक कंपनियों को दंगों, बाढ़, तूफान इत्यादि में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के दुर्घटना दावों का भुगतान नहीं करना होता है जब तक कि इन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से अलग दुर्घटना बीमा कवच न प्राप्त किया हो। ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से दुर्घटना पालिसियां धारण की हुई थीं तथा जो व्यक्ति ऐसी दुर्घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त थे, उनका ब्यौरा फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

जिला ग्रामीण बैंक

799. श्री राम प्यारे पनिका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी जिलों में ग्रामीण बैंक खोलने का निर्णय किया है; यदि हां तो तत्सम्बन्धी लक्ष्य क्या है;

(ख) इन ग्रामीण बैंकों की स्थापना का उद्देश्य क्या है; और

(ग) देश में इस योजना को कार्यान्वित करने पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कम लागत वाली संस्थाओं के रूप में की गई है। ये बैंक अनिवार्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणों के मामले में अन्तर की पूर्ति करते हैं। ये बैंक छोटे छोटे और सीमांतक किसानों, भूमिहीन मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमकर्त्ताओं जैसे सीमित प्रकार के ग्राहकों को, जिनकी वार्षिक आय 6500 रुपये से अधिक नहीं होती, वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में, 322 जिलों में 183 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 106 नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की चुकता शेयर पूंजी 25 लाख रुपये होती है जिसमें भारत सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार और प्रायोजक बैंक का अंशदान 50: 51:35 के

अनुपात में होता है। इस प्रकार 183 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शेयर पूंजी में प्रत्येक अभिदाता के हिस्से की रकम इस प्रकार है—

	लाख रुपये
केन्द्रीय सरकार	2287.50
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	686.25
प्रायोजक बैंक	1601.25
जोड़	4575.00

बम्बई में 13 कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

800. श्री रामस्वरूप राम, श्री मुरलीधर माने : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने बम्बई क्षेत्र की 13 कपड़ा मिलों का प्रबन्ध ग्रहण किया है;

(ख) क्या सरकार का इन इकाइयों को अधिक सक्षम बनाने हेतु चलाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इन इकाइयों को चलाने का अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि सभी इकाइयों को सक्षम रूप से चलाने के लिए इनका तुरन्त अपेक्षित आधुनिकीकरण किया जा सके; और

(घ) क्या सरकार का विचार रुग्ण/बन्द इकाइयों का प्रबन्ध ग्रहण करने से पूर्व समुचित विधान बनाने का है जिससे कि स्वामित्व के बारे में पहले मालिकों के साथ कानूनी लड़ाई करने से बचा जा सके, जिससे अन्यथा इन इकाइयों के चलाने और इन्हें सक्षम बनाने हेतु उनके आधुनिकीकरण के काम में कोई व्यवधान पड़ेगा ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) :(क) जी हां।

(ख) तथा (ग) जी हां। जून 1985 मास के दौरान, अधिग्रहण किए गए वस्त्र उपक्रमों में से तीन ने लाभ दर्शाया। इन एककों का आधुनिकीकरण राष्ट्रीयकरण के बाद किया जाएगा। सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही की संभाव्यताओं की जांच कर रही है।

(घ) जब भी सरकार किसी एकक के अधिग्रहण के लिए विनिश्चय लेती है तब वह अधिग्रहण की कार्यपद्धतियों सहित सभी पहलुओं पर यथा संभव विचार करती है।

मणिपुर तथा आस-पास के राज्यों के बुनकरों को सस्ता धागा उपलब्ध होना

801. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मणिपुर और उसके आस-पास के राज्यों में हथकरघा बुनकर समाप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं क्योंकि उन्हें सस्ता धागा नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

(ग) क्या सरकार इस विषय पर विस्तृत रिपोर्ट मंगाने के लिए एक उच्च स्तरीय अध्ययन दल इम्फाल भेजने के बारे में विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं। सरकार के ध्यान में ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

मैसर्स सी० जे० इंटरनेशनल होटल्ज लिमिटेड को यूरो-डालर ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति

802. श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या वित्त मंत्री मैसर्स सी० जे० इंटरनेशनल होटल्ज लिमिटेड को यूरो-डालर ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति देने के बारे में दिनांक 3 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 514 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सी० जे० इंटरनेशनल लिमिटेड ने बन्धक पत्र प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो लीड बैंक के निदेशों का उल्लंघन करने के लिए कंपनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) :(क) कन्सार्शियम के अग्रणी (लीड) बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कंपनी द्वारा वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के पक्ष में सहायक इंग्लिश बन्धक-पत्र 12 जून, 1985 को निष्पादित किया गया था।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आंध्र प्रदेश में लौह अयस्क खनन पट्टे मंजूर किया जाना

803. श्री ई० अय्यापु रेड्डी : क्या इस्पात खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में लौह अयस्क के संबन्ध में कितने खनन पट्टे स्वीकृत किये गये;

(ख) वर्ष 1984-85 में कुल कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया गया; और

(ग) क्या सरकार आंध्र प्रदेश में लौह अयस्क खनन पट्टों का नवीकरण किया जाना स्थगित कर रही है और यदि हां, तो उसका क्या आधार है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार ने उस राज्य में छः खनन पट्टा अनुदानों का अनुमोदन किया।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान 25.32 मि० टन (अनन्तिम) लौह अयस्क का निर्यात किया गया।

(ग) जी, नहीं।

बैंकों में घोटाले

804. श्री ई० अय्यापु रेड्डी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 1984 से 31 मार्च 1985 के दौरान बैंक घोटालों के कितने मामले पकड़े गए जिनसे बैंकों को नुकसान हुआ;

(ख) बैंकों के इन मामलों में लगभग कितनी राशि का घोटाला हुआ;

(ग) कितने मामलों में अपराधियों को अपराध न्यायालयों द्वारा आरोप पत्र दिया गया; और

(घ) बैंक में हुए घोटालों का पता लगाने, जांच करने तथा मुकदमा चलाने के लिए क्या कोई जांच तंत्र है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 1 अप्रैल, 1984 से 31 मार्च, 1985 तक के वित्तीय वर्ष में सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित

किए गए घोटालों की संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि चाहे इन घोटालों के घटित होने की तारीख कोई भी हो का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

घोटालों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (करोड़ रुपये)
2339	40.25 (लगभग)

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यह जरूरी नहीं कि इन घोटालों में अन्तर्ग्रस्त राशि बैंकों की हुई हानि की राशि द्योतक हो, क्योंकि बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों के कवच के रूप में उनके पास प्रतिभूतियां भी होती हैं। इसके अलावा, बैंक उचित राहत प्राप्त करने के लिए दीवानी और फौजदारी मुकदमें भी दायर करते हैं।

(ग) ऐसे मामलों की संख्या की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है, जिनमें अपराधियों को फौजदारी अदालतों में चार्जशीट किया गया है। अलबत्ता, उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष, 1982, 1983 और 1984 (30 जून, 1984 तक) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 100 कर्मचारियों को घोटालों में अन्तर्ग्रस्त होने के कारण दोषी ठहराया गया है।

(घ) सभी बैंकों में आन्तरिक निरीक्षण किये जाते हैं और उनमें अपनी अपनी सतर्कता मशीनरी होती है। निरीक्षक समय-समय पर सभी शाखाओं का निरीक्षण करते हैं। जब बैंकों के सतर्कता तंत्र के नोटिस में अनियमितताएं लायी जाती हैं तब उनके द्वारा उन अनियमितताओं का निरीक्षण/जांच जाती है। जब कभी किसी बैंक को घोटाले का पता चलता है या कोई घोटाला उसके नोटिस में लाया जाता है तब बैंक प्रारंभिक जांच करता है और निष्कर्षों के आधार पर विभागीय जांच का निर्णय लेता है या मामले को स्थानीय पुलिस/केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप देता है विभागीय/केंद्रीय जांच ब्यूरो/पुलिस जांच के आधार पर बैंक अपने कर्मचारियों को दण्ड देता है या उनके खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं जिन्हें घोटालों के लिये जिम्मेदार पाया जाता है या जिनकी कोताही/असावधानी के कारण घोटाला/घोटाले हुआ हो/हुए हों।

मध्य प्रदेश में नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलना

805. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) और (ख) सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के ग्वालियर और दतिया जिलों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से जो इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक है, आवश्यक कार्रवाई करने के लिये कह दिया गया है।

बैंकों द्वारा गृह निर्माण ऋण दिया जाना

806. श्री सोभनाद्रीश्वरा राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों से कुल ऋण का एक प्रतिशत से अधिक आवास ऋण देने की अपेक्षा नहीं की जाती;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि यह निदेश आवास कार्यक्रम के द्रुत विस्तार में बाधा उत्पन्न कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सीमा को बढ़ाकर कम से कम तीन प्रतिशत करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) आवास ऋणों के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से पात्र श्रेणी के ऋणकर्ताओं को मकान बनाने के लिए गत वर्ष की किसी निर्धारित तारीख को कुल अग्रिमों के 0.5% तक ऋण मंजूर करने की अपेक्षा की जाती है । इस समय सरकार के पास कुल ऋणों में आवास-ऋणों के हिस्से को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

मैसर्स, इण्डियन टोबैको कंपनी के उत्पाद शुल्क के मामलों के बारे में विशेष सैल द्वारा निर्णय

807. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टोबैको कंपनी लिमिटेड के उत्पादन शुल्क के विभिन्न मामलों को निपटाने के लिये स्थापित किये गये विशेष सैल द्वारा इस कंपनी के उत्पादन-शुल्क के मामलों के बारे में निर्णय करना शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो कब से कार्य शुरू किए जाने की संभावना है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) मैसर्स आई०टी०सी० लि० द्वारा निर्मित सिगरेटों के शुल्क-निर्धारित मूल्य के निर्धारण के संबन्ध में उक्त कंपनी को जारी किये गये कुछ कारण बताओ नोटिसों से संबन्धित मामले न्याय-निर्णयन हेतु निरीक्षण तथा लेखा-परीक्षा महानिदेशक (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पादन शुल्क), नई दिल्ली को सौंपे गये थे । कंपनी से इन कारण बताओ नोटिसों के अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं । इसके अतिरिक्त, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह निदेश दिया है कि मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड द्वारा दायर की गई रिट याचिका के निपटान होने तक अथवा न्यायालय द्वारा और आदेश जारी किये जाने तक केंद्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय बंगलौर से सम्बन्धित मामले के संबन्ध में कोई अन्तिम आदेश पारित नहीं किया जाना है ।

कमी को पूरा करने के लिये छोटे रेशे की रुई का आयात

808. **श्री हरिहर सोरन** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटे रेशे की रुई की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कमी को दूर करने के लिये छोटे रेशे की रुई का आयात करने का है;

(ग) छोटे रेशे की रुई का आयात किस देश से किया जाएगा; और

(घ) वर्ष 1985-86 में छोटे रेशे की रुई की कुल कितनी गांठ आयात करने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) रुई परामर्शी बोर्ड द्वारा किए गए अद्यतन मूल्यांकन के अनुसार, चालू रुई मौसम के दौरान छोटे/मध्यम स्टेपल रुई की कमी होने की संभावना है । इसलिए सरकार ने चालू रुई मौसम के दौरान भारतीय रुई निगम की मार्फत छोटे/मध्यम स्टेपल रुई की एक लाख गांठें आयात करने का विनिश्चय किया है । वह देश/वे देश जहां से रुई का आयात किया जाएगा, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त रुई की उपलब्धता, कीमत आदि पर निर्भर करेगा ।

कपड़े की तस्करी रोकने के लिये उपाय

809. श्री हरिहर सोरन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कपड़े की तस्करी को रोकने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो देश में कपड़े की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

इस्पात के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत वियतनाम समझौता

810. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए वियतनाम के मशीन और धातु मंत्री के हाल ही के दौरे के समय किसी द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उस देश को इस्पात का निर्यात करने की संभावनाओं का पता लगाया गया था; और

(ग) तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

चीन के साथ व्यापार सम्बन्ध सुदृढ़ बनाने के लिये कार्यवाही योजना

811. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने चीन द्वारा अपनाई गई "खुले द्वार नीति" को देखते हुए उस देश के साथ व्यापार संबन्ध सुदृढ़ बनाने हेतु व्यापार की संभावनाओं पर विचार करने तथा एक कार्यवाही योजना तैयार करने के लिये कोई उच्च स्तरीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन के साथ व्यापार की संभावनाओं के बारे में समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) वाणिज्य मंत्रालय ने चीन के साथ व्यापार की संभाव्यताओं पर विचार करने के लिये उच्च स्तरीय समिति स्थापित करना अधिसूचित नहीं किया है। तथापि, चीन के साथ व्यापार बढ़ाने हेतु विचारों का, आदान-प्रदान करने के लिये समुचित संगठनों का एक अनौपचारिक समूह गठित किया गया है।

उड़ीसा में कोयले के भण्डार

812. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कोयले के भण्डारों के संबन्ध में अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में विभिन्न कोयला क्षेत्रों में कोयला भण्डारों की कुल कितनी मात्रा है;

(ग) उड़ीसा में कोयले के उचित उपयोग और उत्पादन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबन्धी ब्योरा क्या है ?

इस्पात खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उड़ीसा के कोयला क्षेत्रों में कुल 29.535 मिलियन टन कोयले के भंडार का अनुमान लगाया है। इन भंडारों में से 11145 मिलियन टन के भंडार इब घाटी कोयला क्षेत्र में और 18390 मि० टन के भंडार तालचेर कोयला क्षेत्र में हैं।

(ग) और (घ) कोयले की मांग पूरी करने के लिये, विद्यमान खानों के अतिरिक्त 6 कोयला खानें तालचेर कोयला क्षेत्र के लिए और 3 खानें इब घाटी कोयला क्षेत्र के लिए बनाई जा रही हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में वस्त्र उत्पादन के लक्ष्य

813. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना में संगठित क्षेत्र विद्युत करघा क्षेत्र और हथकरघा क्षेत्र में वस्त्र उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) सातवीं योजना में इन क्षेत्रों में उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा था और वास्तव में कितना उत्पादन हुआ;

(ग) उक्त योजनावधि में इन क्षेत्रों में कितनी धनराशि निवेश किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) छठी योजना में वस्त्रों की निर्यात स्थिति का ब्योरा क्या है तथा सातवीं योजना में इनका कितना निर्यात किए जाने की आशा है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) विद्युतकरघा तथा हथकरघा क्षेत्र सहित संगठित मिल क्षेत्र में 7वीं योजना के अन्तिम वर्ष 1989-90 में कपड़े के उत्पादन की प्रत्याशा नीचे दी जाती है :

मिल क्षेत्र

विद्युतकरघों सहित ....9900 मिलियन मीटर

हथकरघा क्षेत्र ....4600 मिलियन मीटर

(ख) 7वीं योजना के प्रथम वर्ष (1985-86) के प्रथम 5 महिनों के दौरान कपड़े का वास्तविक उत्पादन संकलित नहीं किया गया है और अतः जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) विद्युतकरघा तथा हथकरघा क्षेत्र सहित मिल क्षेत्र के लिए 7वीं योजना परिव्यय को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

निम्नलिखित तालिका सभी वस्त्रों (सूती वस्त्रों, हथकरघा वस्त्रों, सिले-सिलाए परिधानों तथा सभी रेशों के निटवियर, मानवनिर्मित वस्त्रों, ऊनी कालीनों (मशीन निर्मित तथा हाथ से गांठ लगे हुये), अन्य ऊनी वस्त्रों तथा सूती वस्त्रों के छठी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान हुए निर्यातों संबन्धी आंकड़े दर्शाती है :

वर्ष	निर्यात (मूल्य करोड़ रु० में)
1980-81	1150.58
1981-82	1374.65
1982-83	1413.58
1983-84	1494.18
1984-85	1799.52

सातवीं योजना संबन्धी कार्यकारी समूह ने जुलाई 1984 में अनुमान लगाया था कि 1989-90 तक मिलों तथा विद्युतकरघों से निर्यात 873 मिलियन मीटर पर पहुंच जाएंगे और हथकरघों के लिए 277 मिलियन मीटर पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा 50 मिलियन मीटर गैर-सूती और 100 मिलियन मीटर ब्लैंडिड/मिश्रित फैब्रिक्स के निर्यात होने की संभावना है। ये आशा है कि नई वस्त्र नीति के परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक राशियों के निर्यात संभव होने चाहिए।

कमजोर वर्गों के लोगों को सस्ते नियंत्रित कपड़े की सप्लाई में कदाचार

814. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही, श्री अमर सिंह राठवा : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को सस्ते नियंत्रित कपड़े की सप्लाई में कुछ व्यापारियों द्वारा कदाचार किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सस्ते कपड़े की बिक्री के सुधार करने और नियंत्रित कपड़े के बड़े पैमाने पर काला बाजार में जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) ग्रामीण निर्धन लोगों को सस्ते कपड़े की सप्लाई करने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) नियंत्रित वस्त्र अप्राधिकृत प्रेत्यावर्तन के कुछ उदाहरण आपके सामने आए हैं।

(ख) से (घ) नियंत्रित वस्त्र का वितरण करना मुख्यत: राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, उसका वितरण सुव्यवस्थित करने और प्रत्यावर्तन रोकने को, ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों से फुटकर अभिकरणों के पास नियंत्रित वस्त्र की आवकों के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रचार करने तथा निरीक्षण एवं जांच की समुचित प्रणालियां आरंभ करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण प्रबन्धों को सुदृढ़ करने तथा उनका विस्तार करने का भी अनुरोध किया गया है।

नई कपड़ा नीति

815. श्री एस० जी० घोलप : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा श्रमिक यूनियन ने नई कपड़ा नीति का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस यूनियन ने किन बातों के आधार पर इसका विरोध किया है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोयला श्रमिकों के लिये मकान तथा बस्तियों के निर्माण सम्बंधी नीति

816. श्री महेंद्र सिंह : : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला श्रमिकों के लिए मकान तथा बस्तियों के निर्माण के संबन्ध में क्या मानदण्ड तथा नीति निर्धारित की गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य में किए गये निर्माण कार्य का स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त नीति के अनुसार छिन्दवाड़ा जिले में पारसिया तथा खनन के योजनाबद्ध विकास के लिए कोई योजनाबद्ध विकास के लिए कोई योजना तैयार की गई है तथा क्या अगले पांच वर्षों के लिए उस बारे में कोई योजना है ताकि इस खनन क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित हो सके तथा श्रमिकों को अन्य क्षेत्रों के समान सुविधाएं उपलब्ध हो सकें ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे): (क) कोयला कामगारों के लिये मकानों और बस्तियों के निर्माण के संबन्ध में कोयला कंपनियां सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करती हैं। राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-III में मकानों की पूर्ति की जितनी व्यवस्था है उसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, हां। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा मकानों के निर्माण और अन्य कल्याण सुविधाओं के संबन्ध में जो कार्यक्रम बनाया गया है उसमें छींदवाड़ा जिले के परासिया और कन्हान क्षेत्र शामिल हैं। एक समेकित जलपूर्ति योजना मंजूर की गई है जो मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से पूरी की जाएगी। इस योजना से इन क्षेत्रों में खनिजों को ही नहीं बल्कि पास-पड़ोस के गांवों को भी पानी मिलेगा।

[अनुवाद]

जनता कपड़ा उत्पादन हेतु लक्ष्य

817. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता कपड़ा उत्पादन हेतु विभिन्न राज्यों के लिये कुछ लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्या उपाय किये गए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) राज्य सरकारों से, अन्य बातों के साथ-साथ, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का अनुरोध किया गया है :—

(i) बेकार करघों का पुनरुत्थान।

(ii) उन्नत करघों को आरम्भ करना।

(iii) कच्चे माल की पर्याप्त सप्लाई।

(iv) उत्पादन कार्यक्रम की नियमित निगरानी रखना।

विवरण

(मि० वर्ग मी० आंकड़े)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	उत्पादन का लक्ष्य
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	40.00
2.	आसाम	3.00
3.	बिहार	50.00
4.	गुजरात	8.00

(...जारी)

1	2	3
5.	कर्नाटक	22.00
6.	केरल	2.00
7.	मध्य प्रदेश	20.00
8.	महाराष्ट्र	55.00
9.	उड़ीसा	30.00
10.	राजस्थान	2.90
11.	तमिलनाडु	45.00
12.	त्रिपुरा	3.00
13.	उत्तर प्रदेश	100.00
14.	पश्चिम बंगाल	36.00
15.	पांडिचेरी	0.10
	योग	417.00*

*3.00 मिलियन वर्ग मी० नए भागीदारों के लिए आरक्षित।

[हिन्दी]

वर्ष 1984 के दौरान निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

818. **श्री लाला राम केन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दौरान भारत से कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया था और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) वे क्षेत्र कौन से हैं जहां निर्यात में वृद्धि करने की संभावना है और निर्यात बढ़ाने के लिए क्या नए उपाय किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) डी० जी० सी० आई० एण्ड एस० से उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान भारत के निर्यात 11,297.4 करोड़ रु० के थे।

(ख) भारत के सभी प्रमुख निर्यातों में वृद्धि की गुंजाइश है। भारत के निर्यातों को बढ़ाने के लिये निरन्तर नीति संबन्धी उपाय किए जा रहे हैं। इनमें उत्पादन को बढ़ाने तथा उसका विविधीकरण करने, अपने निर्यातों को और प्रतियोगी बनाने, अपने उत्पादों के लिए नए बाजार खोजने तथा उच्चतर मूल्य प्राप्ति के लिए वस्तुओं का संसाधन शामिल है। इस प्रयोजनार्थ सरकार को उपलब्ध नीति के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जा रहा है और आवश्यकतानुसार उनका समायोजन किया जा रहा है।

12.00 म०प०

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हां, क्या बात हो गई, तिवारी जी, क्या कहते हैं ?

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय,······(व्यवधान) श्री दत्त जी, आप व्यर्थ में अपनी शक्ति नष्ट कर रहे हैं। मुझे बोलने के लिए कहा गया है···(व्यवधान) महोदय,

सारी सभा एक अत्यन्त गंभीर घटना पर मेरे साथ चिन्ता व्यक्त करेगी। चीन और अमरीका में परमाणु समझौता हुआ है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस विषय पर 29 तारीख को चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा के लिए 29 तारीख निश्चित की गई है।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, क्या यह सच है ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : मैंने हमेशा इस पावन सभा को बताया है कि आप विचारार्थ जो भी विषय देंगे, उन पर हम बैठकर विचार करेंगे और प्राथमिकता निर्धारित करेंगे। यदि आपको किसी विषय विशेष पर स्पष्टीकरण चाहिए या आप समझते हैं कि कोई विषय महत्वपूर्ण है तो आप मेरे पास आइये और मैं आपकी बात मान लूंगा।

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : महोदय, प्रधान मंत्री के संवाददाता सम्मेलन के वीडियो टेप कृपया हमें उपलब्ध कराए जाएं······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्राप्त कर सकते हैं। वह सरलता से उपलब्ध हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : वह ग्रंथालय में उपलब्ध हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह उपलब्ध है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

श्री अमल दत्त : महोदय, यह उपलब्ध नहीं है। मैं एक अत्यन्त गंभीर कारण से इसे मांग रहा हूं। समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि प्रधान मंत्री ने राज्य सभा में कल कहा है कि लिप्यान्तरण शुद्ध नहीं थी, यह वीडियो टेप से ही······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह वहां पहले ही उपलब्ध है। कोई समस्या नहीं है······

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : वीडियो टेप उपलब्ध नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : सब कुछ उपलब्ध है। मेरे विचार में यह अध्याय समाप्त हो चुका है। इसमें कुछ नया नहीं है। आप सभा का समय नष्ट करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं ? ······

(व्यवधान)

श्री वी० सोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय, कपास अभी किसानों के पास ही है। भारतीय कपास निगम आन्ध्र प्रदेश में इसे नहीं खरीद रहा है······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे। आज का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यही है— किसानों को लाभकारी मूल्य। मैं पहले बता चुका हूं आप क्या पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं ?

श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव : हमने नियम 193 के अधीन सूचना दी थी। महोदय कृपया इस पर विचार कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : समय कहां है ?

श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव : महोदय अगले सप्ताह।

अध्यक्ष महोदय : समय कहां है ? कार्य मंत्रणा समिति में आपके जो सदस्य हैं उन्हें बता दीजिए······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप क्या चाहते हैं ? आप सब खड़े क्यों हैं ? क्या समस्या है ?

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि आंध्र प्रदेश में 6 हरिजनों की बहुत ही······(व्यवधान)······और कई जगह हरिजनों की हत्याएं हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है······।

(व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका : बहुत ही सीरियस मामला है अध्यक्ष महोदय।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार कर रहे हैं······बैठिए।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है इस पर सभा में वाद-विवाद होना चाहिए······

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है······ (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए······

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे कहने दीजिए। आप ठीक से सुनते क्यों नहीं ? श्री पनिका जी, कृपया बैठ जाइये······

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था बनाए रखिए। पनिका जी, बैठ जाइए। आप यहाँ क्या सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्रीमान, बैठ जाइये। माननीय सदस्य, बैठ जाइये। यह क्या है ? आप सब बैठ जाइये। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं सभा में यह वचन दे चुका हूं कि हम इस पर चर्चा करेंगे, फिर क्या समस्या है ? बार-बार सारी सभा खड़ी हो जाती है। आप ऐसा क्यों करते हैं ? मैं आपको अपनी बात बता चुका हूं। हमने इस पर कार्य मन्त्रणा समिति में विचार किया था। हम इस पर चर्चा करेंगे। आप यह हो हल्ला क्यों कर रहे हैं ? आप उल्लंघन करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं ?·········

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पनिका जी, बैठ जाइये·········

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको शोभा देता है यह सब कुछ करना ?

[अनुवाद]

आप बाहर जाकर झगड़ा कीजिए, सभा में नहीं······

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं सबकी बात कर रहा हूं । एक की बात नहीं कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सारा कर रहे हैं । मैंने क्या कहा है । आप सुनते क्यों नहीं । मैं सारी रात रोया, मरा पड़ौसियों का । आपको अभी तक समझ में नहीं आया ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, आपका क्या विनिर्णय है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय यह है कि हम इस समस्या पर चर्चा करेंगे ।

प्रो० के० के० तिवारी : आन्ध्र ?

अध्यक्ष महोदय : आन्ध्र पर विशेष रूप से नहीं, सब पर चर्चा करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम एक को दूसरे से कैसे अलग कर सकते हैं । अत्याचार तो अत्याचार ही है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: सारे मैम्बर पार्लियामेंट मुझे एक बात बताइए । सारे चुने हुए मैम्बर हैं । हमारी सबकी और देश की जिम्मेदारी है कि हरेक भले आदमी की इज्जत की जाए चाहे वह गरीब, हरिजन या पिछड़े वर्ग का हो । सबके लिए हमारा धर्म बनता है । फिर क्यों नहीं सारे मिलकर हम लोग काम करते हैं । एक जगह किसी को तकलीफ होती है तो इसका मतलब है दूसरी जगह किसी को सुख प्राप्त होता है । दुख होता है तो सबको होता है चाहे बिहार, आन्ध्र या कहीं भी हो । ऐसा कर । से काम नहीं चलेगा ।

[अनुवाद]

यह चाहे साम्प्रदायिक हो या कैसी भी हो हम सबको इसका विरोध करना चाहिए । हमें बुराई के साथ, चाहे वह कहीं भी हो संघर्ष करना चाहिए । हमें सब जगह इसका विरोध करना चाहिए ।

जहां कहीं भी मनुष्य वहशी बन गया है हम में कुछ—हमें इन लोगों को नियन्त्रित करना चाहिए । हमें उनके प्रति सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उचित स्थान देना चाहिए । हम यही करना चाहते हैं ।

[हिन्दी]

यह बापू का देश है ।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : उन्हें इकट्ठा कर दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, उन्हें न केवल इकट्ठा कर देना चाहिए बल्कि कुचल भी देना चाहिए ।

श्री ललित माकन (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, कल मैंने नियम 377 के अधीन एक मामला उठाया था ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । कोई प्रश्न नहीं होगा ।

श्री ललित माकन : मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री ललित माकन : महोदय मैं एक आश्वासन चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कोई आश्वासन नहीं । कोई प्रश्न नहीं । संशोधन के बारे में आप को स्वयं प्रस्ताव रखना होगा । या सरकार से कहिए या स्वयं रखिए ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए । मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको यह कहने का कल अवसर दिया गया था और आपने कहा भी था ।

श्री ललित माकन : मैंने मामला उठाया था । मुझे आश्वासन चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो ठीक है परन्तु अब यह चर्चा समाप्त हो गयी है और मन्त्री महोदय पर निर्भर करता है

श्री ललित माकन : महोदय, यह एक बड़ा ही गम्भीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय से होने वाले प्रभावों पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह एक निर्णय के प्रभावों के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मुझे खेद है ।

श्री ललित माकन : महोदय, आप इसे गाम्भीरता से नहीं ले रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे गम्भीरता से न लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है । प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न तो नियमों का है । आपको अपने गैर-सरकारी संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करना है और मैंने आपको नियम 377 के अधीन अनुमति दे दी है ?

श्री ललित माकन : महोदय, मैं सरकार से पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझ से न पूछकर सरकार से पूछिये । आपने अनुमति देने के बारे में पूछा था और मैंने अनुमति दे दी और अब आप अपना संशोधन पेश करने के लिए स्वतन्त्र हैं ।

श्री ललित माकन : अध्यक्ष महोदय, सरकार पहल क्यों नहीं करती है ? यहां सरकार आगे आ सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने इसे नियम 377 के अधीन रखा है और वही ठीक है ।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री ललित माकन : परन्तु आप सम्बद्ध मंत्रालय को निदेश दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं नहीं दे सकता हूं ।

श्री ललित माकन : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और आप निदेश दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं ?

आप कहना क्या चाहते हैं ?

[हिन्दी]

श्री विष्णु मोदी (अजमेर) : मैंने एक कालिंग अटेंशन दिया है । आज सुबह आपसे मिला भी हूं । राजस्थान के जो प्याज उत्पादक हैं, । उनकी स्थिति बहुत खराब है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बस यह ठीक है आप मुझ से आकर मिल सकते हैं ।

[हिन्दी]

एग्रीकल्चर प्राइस का कालिंग अटेंशन चल रहा है । मंत्री महोदय, इसको देखिएगा । प्याज उगाने वाले आदमी को पैसा नहीं मिलेगा तो वह कहाँ जायेगा ।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय से कह दिया है । वे इसको देख लेंगे ।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह इस पर ध्यान देंगे ?

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र चन्द्र चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जयपुर से प्रकाशित होने वाले राष्ट्रदूत दैनिक में एक तान्त्रिक की प्रेस कांफ्रेंस छपी है ।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए ।

श्री नरेन्द्र चन्द्र चतुर्वेदी : मैंने ध्यानाकर्षण भेज दिया है । इसमें कहा गया है की श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या में सोनिया जी का हाथ है ।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए ।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर गौर करूंगा ।

(व्यवधान)

12.08 म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कोयला खान भविष्य निधि संगठन का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ;

(1) कोयला खान भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 1161/85]

वस्त्र नीति के बारे में एक विवरण, केन्द्रीय रेशम बोर्ड का वर्ष 1983-84 का वार्षिकप्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

आपूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वस्त्र नीति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1162/85]

(2)(एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1984 की धारा 12-क के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1984 की धारा 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 1163/85]

संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का वर्ष 1983-84—संघ सरकार (रेल)—का प्रतिवेदन। विभिन्न बैंकों जैसे पंजाब नेशनल बैंक सिंडिकेट बैंक आदि के कार्यकरण संबंधी प्रतिवेदन, आदि, आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1983-84—संघ सरकार (रेल) के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1164/85]

(2) "वर्ष 1983-84 के विनियोग लेखे, रेल भाग—I—समीक्षा" की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1165/85]

(3) "वर्ष 1983-84 के विनियोग लेखे, रेल भाग —2 विस्तृत विनियोग लेखे" की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1166/85]

(4) "वर्ष 1983-84 के ब्लाक लेखे (ऋण लेखाओं, सम्बन्धी पूंजी विवरणों सहित) तुलन-पत्र और लाभ और हानि लेखे, रेल" की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1167/85]

(5) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबधी प्रतिवेधन लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1168/85]

(दो) बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1169/85]

(तीन) पंजाब नेशनल बैंक के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1170/85]

(चार) बैंक आफ बड़ोदा के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1171/85]

(पांच) यूनाइटिड कमर्शियल बैंक के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1172/85]

(छ) केनरा बैंक के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1173/85]

(सात) युनाइटिड बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1174/85]

(आठ) देना बैंक के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1175/85]

(नौ) सिंडिकेट बैंक के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1176/85]

(दस) यूनियन बैंक आफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1177/85]

(ग्यारह) इलाहाबाद बैंक के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1178/85]

(बारह) इण्डियन बैंक के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1179/85]

(तेरह) बैंक आफ महाराष्ट्र के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1180/85]

(चौदह) इण्डियन ओवरसीज बैंक के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1181/85]

(6) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आन्ध्र बैंक के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1182/85]

(दो) कारपोरेशन बैंक के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1183/85]

(तीन) न्यू बैंक ऑफ इण्डिया के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1184/85]

(चार) ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1185/85]

(पांच) पंजाब एंड सिंध बैंक के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1186/85]

(छः) विजया बैंक के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1187/85]

(7) भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सात समनुषंगी बैंकों, यथा, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, स्टेट बैंक आफ इन्दौर, स्टेट बैंक आफ मैसूर, स्टेट बैंक आफ पटियाला, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र तथा स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 1188/85]

भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय चाय व्यापार निगम सीमित, कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय चाय व्यापार निगम सीमित, कलकत्ता, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1189/85]

12.09 म०प०

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महा-सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 111 के उप-बन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 25 जुलाई, 1985 को अपनी बैठक में पारित कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक, 1985 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

कोयला खान (संरक्षण और विकास संशोधन) विधेयक, 1985

(राज्य सभा द्वारा यथापारित)

[अनुवाद]

महा-सचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथापारित कोयला खान (संरक्षण और विकास) विधेयक, 1985 सभा-पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों मेरा वक्त जाया कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : आप कम से कम पूरी न्यूज सुन तो लीजिये···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : सदस्यों ने नियम 193 के अधीन सरकार द्वारा एक संशोधन लाने की आवश्यकता के प्रश्न पर चर्चा हेतु सूचनाएं बड़ी संख्या में दी हैं···

अध्यक्ष महोदय : किसलिए ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : संविधान के अनुच्छेद 311 (2) में··। आप कृपया उस पर विचार करें।

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप करो···

(व्यवधान)

मैंने कभी किसी को नहीं रोका···

(व्यवधान)

मैंने गुप्ता जी कभी आपको भी नहीं रोका···

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सूचनाएं दे दी गई हैं। चर्चा हो सकती है। सभी पक्षों के सदस्यों की इसमें रुचि है।

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय : मैं कब कहता हूं कि मत करो।

[अनुवाद]

इसलिए मैंने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सुझाव किसने दिया है? आपने सुझाव दिया था और तदनुसार हमने सूचनाएं भेजी हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं सहमत हूं और मैं इसे कार्य मन्त्रणा समिति के समक्ष रखूंगा।

कोई बात नहीं। मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मैंने श्री माकन को भी बता दिया था और आपको भी बताता हूं। समस्या अब मेरी नहीं रह गई है। समस्या तो अब सभा की हो गई है।

अब श्री मलिक···

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय,···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा को यह बात अनुभव करनी चाहिये कि हमारे नियम क्या हैं और यदि आप नियमों का घोर उल्लंघन करना चाहते हैं तो मैं इसे कैसे चला पाऊंगा? आपको मेरी सहायता करनी होगी। अन्यथा आप मेरे मार्ग में अड़चनें पैदा करते हैं, पता नहीं क्यों? मैं आपकी बात सुनने के लिए सदैव तैयार हूं मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं इस सदन को वंचित करना चाहूंगा। यह तो अनावश्यक रूप से समय नष्ट करने का प्रश्न है। इसका उपयोग तो सार्थक कार्यों हेतु अधिक सुघड़ता से किया जा सकता है तो फिर आप ऐसा क्यों करते हैं?

श्री ललित माकन (दक्षिणी दिल्ली) : कुछ ऐसे भी मामले हैं जो समय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं?

अध्यक्ष महोदय : श्री माकन, जब मैं आपकी बात सुन चुका हूं और स्थिति स्पष्ट कर दी है तो फिर आप दुर्व्यवहार करने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं?

श्री ललित माकन : हमारा काम यहां विभिन्न प्रश्न उठाना है···

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। लेकिन मैं कल आपको बता चुका हूं कि आप किस सीमा तक वैसा कर सकते हैं और आपको उसे उठाने का अवसर भी दे चुका हूं। आप नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते।

श्री ललित माकन : मैं नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक आश्वासन चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस समय आप ऐसा ही कर रहे हैं।

श्री ललित माकन : अध्यक्ष महोदय, आप संबंधित मंत्री को निदेश दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष कोई निदेश नहीं देता।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक, बोलिए साहब आप···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : श्री माकन, आप यह प्रश्न कांग्रेस संसदीय दल में पूछिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को बातें नहीं करनी चाहिए।

[हिंदी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक, आप बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे लोगों के साथ क्या कर सकते हैं ? अब मैं इन लोगों के साथ क्या करूं ? क्या आप इन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं ? वे इस तरह से बातें कर रहे हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चौबे, आप बाहर जाकर उनसे बात कर सकते हैं। आप बाहर जाकर उनके साथ कुश्ती लड़ सकते हैं, सदन में नहीं।

श्री नारायण चौबे : आपको हमें भी कुछ समय देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं बिलकुल समय नहीं दे रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं। आप मेरा समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री नारायण चौबे : उन्होंने भी आपका समय नष्ट किया है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, वह भी मेरा समय नष्ट कर रहे हैं। यदि आप दोनों वाक्-युद्ध करना चाहते हैं तो बाहर जाकर कर सकते हैं। आप सदन का समय क्यों नष्ट कर रहे हैं ? आप दोनों गैर-जिम्मेदार होते जा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे आप दोनों को बाहर निकालने के लिए 'मार्शल' को कहना पड़ेगा। मैं यही करने जा रहा हूं।

श्री ललित माकन : आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है और आप उसके बारे में चिंतित हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री माकन, क्या आप ठीक तरह से व्यवहार नहीं करेंगे ?

[हिन्दी]

आप बाहर जाइए, अगर इनसे बात करनी है तो···

[अनुवाद]

···सदन में नहीं। यह आप दोनों के वाद-विवाद करने का स्थान नहीं है।

श्री मलिक।

12.18 म०प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों के मूल्यों में हाल ही में आई गिरावट तथा किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : मैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलंबीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"कृषि उत्पाद के मूल्यों में हाल ही में आई गिरावट तथा किसानों को कच्चे पटसन, तम्बाकू, धान, नारियल, गेहूं आदि उनकी कृषि उपज के लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : महोदय, माननीय सदस्यों ने कृषि उत्पादों, जिनमें कच्चा पटसन, तम्बाकू, धान, नारियल, गेहूं आदि शामिल हैं, के मूल्यों में हाल में आई कमी का उल्लेख किया है। तथापि, अप्रैल और 13 जुलाई, 1985 के बीच की अवधि, जिसके संबंध में नवीनतम थोक मूल्य सूचकांक उपलब्ध हैं, की मूल्य स्थिति की संवीक्षा करने पर पता चला है कि चावल के मूल्य लगातार बढ़े हैं और थोक मूल्य सूचकांक, जो कि अप्रैल में 272.4 था, 13 जुलाई को बढ़कर 287.4 पर जा पहुंचा। मौसमी तौर पर गेहूं के मूल्य में कमी छोड़कर, मई के पश्चात् इसके मूल्य में वृद्धि हुई तथा इस समय इसका मूल्य सूचकांक 216.9 है जबकि मई में सूचकांक 208.6 था। इसी अवधि के दौरान, बाजरा तथा मक्का की मूल्य सूची में भी लगातार बढ़ोत्तरी हुई है जबकि ज्वार की मूल्य सूची में उतार-चढ़ाव रहा है।

माननीय सदस्य जानते हो हैं कि कच्चे पटसन का उत्पादन कम होने के कारण 1984-85 के दौरान इसके मूल्य असाधारण रूप से काफी बढ़ गए थे। फरवरी, 1984 में कच्चे पटसन का मूल्य सूचकांक 262.3 था जो कि अप्रैल, 1985 में बढ़कर 695.8 तक पहुंच गया था। जनवरी, 1985 में कलकत्ता में डब्ल्यू-5 श्रेणी के कच्चे पटसन का मूल्य 975 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था। इससे साफ जाहिर है कि कच्चे पटसन के मूल्य युक्तिसंगत नहीं हैं तथा मूल्यों का इस प्रकार बढ़ा रहना किसानों के हित में नहीं होगा। इस साल पटसन की फसल की संभावनाएं काफी अच्छी हैं तथा इसकी वजह से कीमतों में कमी आनी शुरू हो गई है। फिर भी 13 जुलाई, 1985 को कच्चे पटसन का मूल्य सूचकांक 352.4 के स्तर पर काफी ऊंचा है जबकि जुलाई, 1983 में सूचकांक 280.8 के स्तर पर था। मौजूदा मूल्य स्तर भी सरकार द्वारा घोषित लाभकारी समर्थन मूल्य से काफी ऊंचे हैं। जहां तक तम्बाकू का प्रश्न है, यह पाया गया है कि केवल जून के महीने को छोड़कर जनवरी, 1985 से इसके मूल्य बढ़े हैं। जून के महीने में इसके मूल्य में कुछ कमी आई थी। तथापि, 13 जुलाई, 1985 को इसका नवीनतम मूल्य सूचकांक 196.5 है जबकि जुलाई, 1984 के अन्त में इसका मूल्य सूचकांक 181.3 था।

जहां तक तिलहनों का सम्बन्ध है, यह देखा गया है कि मई और जून में थोक मूल्य सूचकांक में कमी आई लेकिन अब इसमें 13 जुलाई, 1985 को समाप्त हुए सप्ताह से सुधार हुआ है। इस सप्ताह के दौरान सूचकांक 294.3 पर था जबकि अप्रैल, 1985 में सूचकांक 292.6 था। मार्च में बाजार में आने वाली तोरिया और सरसों के सम्बन्ध में भी यही रुख देखा गया। जून, 1985 में थोक मूल्य सूचकांक गिरकर 231.8 पर जा पहुंचा जबकि मार्च, 1985 में यह 241.9 था। तथापि, तब से अब तक मूल्यों में वृद्धि हुई है तथा 13 जुलाई, 1985 को सूचकांक 241.3 पर पहुंच गया।

हाल ही के महीनों में नारियल की कीमतों की प्रवृत्ति के बारे में कुछ चिन्ता हुई है। माननीय सदस्य जानते ही है कि मैंने पिछले सत्र मे बताया था कि 1982 में केरल को अभूतपूर्व सूखे का सामना करना पड़ा, जिसका प्रभाव 1983 और 1984 में नारियल की फसल पर महसूस किया गया। कम उत्पादन के कारण दिसम्बर, 1984 तक कीमतें बहुत ऊंची चढ़ गईं। जनवरी, 1985 में बेहतर फसल की संभावना से कीमतें, जो 1983 और 1984 में बहुत ऊंची चढ़ गई थीं, गिरनी शुरू हुईं। कोचीन मार्केट में 28 अप्रैल, 1985 को नारियल की कीमत 1950 रु० प्रति

हजार फल थी, जो 28 जून को गिरकर 1600 रु० हुई परन्तु 12 जुलाई, 1985 को फिर बढ़कर 1800 रु० हो गई। कोचिन और अलेप्पी में नारियल का मौजूदा मूल्य-स्तर 1982 की कीमत की तुलना में क्रमश: 33% और 27% अधिक है।

मैंने इस सदन में पिछले अवसरों पर उल्लेख किया था कि सरकार की कृषि मूल्य नीति का उद्देश्य मुख्य रूप से उत्पादकों को लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करना और हितों की रक्षा करना है। प्रत्येक मौसम में सरकार इस प्रयोजन के लिए समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी कीमतें मिलें तथा कई सार्वजनिक क्षेत्रों और सहकारी एजेंसियों के माध्यम से समर्थन खरीद की जाती है। माननीय सदस्यों को यह नोट करने से प्रसन्नता होगी कि चालू विपणन मौसम के दौरान भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा 19-7-85 तक 97.7 लाख मीटरी टन चावल की रिकार्ड खरीद की गई है। गेहूं में भी इस मौसम में की गई 103 लाख मीटरी टन (19-7-85 तक) की खरीद पिछले वर्ष की 93 लाख मीटरी टन रिकार्ड खरीद को पार कर चुकी है। इस वर्ष कच्चे पटसन की बेहतर फसल की सम्भावनाओं को देखते हुए भारतीय जूट निगम को मार्केट में महत्वपूर्ण तरीके से आने के लिए सतर्क कर दिया गया है। केरल में उन नारियल उत्पादकों की सहायता के लिए जो अधिकांशत: छोटे और सीमांत किसान हैं, केरल सरकार ने केरल राज्य सहकारी विपणन संघ के मार्फत विपणन समर्थन के लिए भी उपाय शुरू कर दिए हैं। संघ ने, जिसने 27 जून, 1985 से कोपड़ा की खरीद शुरू की, कोपड़ा के मूल्य को उपयुक्त स्तर पर स्थिर रखने के लिए 9 जुलाई, 1985 तक 5012 क्विंटल कोपड़ा की खरीद की।

सरकार ने तोरिया तथा सरसों और अन्य जिंसों, जिनका केन्द्रीय एजेंसी के तौर पर नेफेड तथा राज्य एजेंसियों के तौर पर राज्य सहकारी विपणन संघों के जरिए संचालन किया जा रहा है, को विपणन संबंधी सहायता देने के लिए भी योजना आरंभ की है। तोरिया तथा सरसों के संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि मूल्य समर्थन-स्तर से गिर जाने की स्थिति में वे अपने विपणन सहकारी संघों को विपणन कार्यों में लग जाने के लिए सचेत कर दें। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में इस जिंस की खरीद की जा रही है। 24 जुलाई, 1985 को नेफेड द्वारा समर्थन मूल्य संबंधी कार्यों के तहत 76,120 मीटर टन मात्रा की खरीद की जा चुकी थी। इससे पहले मध्य प्रदेश में सोयाबीन के सबंध में भी मूल्य समर्थन संबंधी कार्य किए गए थे।

मैं सदन को आश्वासन दिला सकता हूं कि सरकार किसानों की जरूरतों के बारे में पूरी तरह से सचेत हैं और इसके लिए भरसक कोशिश करेगी कि उन्हें उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त हों। वास्तव में, सरकार कई जिंसों के संबंध में केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के जरिए पहले से ही विपणन समर्थन संबंधी कार्य चला रही है। मुझे विश्वास है कि इन प्रयासों से हम किसान समुदाय को अपेक्षित सहायता देने में कामयाब होंगे।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी (कुरनूल) : महोदय, कपास के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : वे उस बारे में कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : माननीय स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमैंट में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह माना है कि टोबैको, आयल-सीड या कोकोनट की प्राइसेज में फाल हुआ है, उसकी वजह इम्पोर्ट रही हो, चाहे ड्राउट कन्डीशन रही हो या कुछ भी वजह रही हो।

भारत कृषि प्रधान देश है और इस देश के लगभग 80% लोग देहात में रहते हैं और उन सभी की जीविका किसान के धन्धे से चलती है। सरकार ने जिन्स की कीमत निर्धारित करने का जो फार्मूला अख्त्यार किया हुआ है, वह वास्तविकता से दूर है। जिन चीजों को जोड़कर किसान की जिन्स की कीमत निर्धारित करनी चाहिये, उसको मद्देनजर नहीं रखा जाता। एग्रीकल्चरल इम्पलीमैंट्स या ट्रैक्टर वगैरह की कीमत, या अनाज पैदा करने पर जो खर्च किया जाता है, उसको मद्देनजर रखते हुए अनाज की कीमत निर्धारित करनी चाहिए।

सरकार को इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिये कि जिस समय किसान की जिन्स मंडियों में आती है, जब वह किसान के पास होती है, तो उसे उस समय उसका पूरा भाव मिलना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो न्यूनतम कीमत निर्धारित की जाती है कुछ समय से यह अधिकतम कीमत बन चुकी है, क्योंकि उससे ज्यादा पर कोई बेचता नहीं है और कोई खरीदता नहीं है। हिन्दुस्तान में एक ही ऐसी चीज है जिसकी कीमत दूसरा लगाता है। कोई भी दुकानदार जब अपनी कोई चीज बेचता है तो उसकी कीमत वह खुद बताता है, लेकिन किसान की जिन्स ऐसी चीज है जिसकी कीमत खरीदने वाला लगाता है कि मैंने इतने पर खरीदना है। सरकार ने कोशिश भी की कि उसकी न्यूनतम कीमत रखी जाये, लेकिन उससे जितना किसान को फायदा होना चाहिये था, वह नहीं हुआ, बल्कि जैसे मैंने पहले कहा था कि वह अधिकतम कीमत में तबदील हो चुकी है, उससे ज्यादा कीमत किसान को मिलती नहीं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे महंगाई बढ़ती है और उसके मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ती हैं, उसी रेशियो में किसान को भी उसका लाभ मिलना चाहिये। किसान की जिन्स का भाव उसी ढंग से बढ़ना चाहिए।

आप देखें कि 1939, 1940 में गेहूं का भाव 2 रुपये या ढाई रुपये प्रतिमन था। यह भाव 1942 में सैकिंड वर्ल्ड वार में 8 रुपये मन हुआ और आज 1985 में यह 145 रुपये प्रति क्विंटल है और इस प्रकार यह कीमत 60 रुपये मन पड़ती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 1942 में गेहूं का भाव जो 8 रुपये मन था वह आज 8 गुना बढ़ा है। 1985 में क्योंकि 60 रुपये मन है। अगर तनख्वाहों और दूसरी चीजों को देखा जाये तो पता लगेगा कि 1939 में एक स्टेट का मुलाजिम 25 रुपये महावार तनख्वाह पर लगा था और 1985 में वही मुलाजिम 800-900 रुपये तनख्वाह लेता है। इस तरह से 32 गुना उसकी तनख्वाह बढ़ाई गई लेकिन किसान की जो कीमतें हैं वह सिर्फ 8 गुना ही बढ़ाई गई।

12.26 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

ट्रैक्टरों के बारे में आप देखें। 1947 से पहले ट्रैक्टर नहीं थे। 1948 में जब ट्रैक्टर आये तो मैसी-फर्गुसन और फोर्डसन मेजर जो बहुत अच्छे ट्रैक्टर माने जाते थे, की कीमत 6 हजार रुपये थी, लेकिन आज उसी ट्रैक्टर की कीमत 1985 में एक लाख रुपये है। इस तरह से यह कीमत 16 गुना बढ़ी है। इसी तरह से 1948 में जो व्हीट की कीमत 10 रुपये मन थी, आज वह 60 रुपये मन है। इस प्रकार आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कीमतें निरन्तर बढ़ती ही गई हैं। सरकार जितना सबसिडी देकर खर्च करती है, उससे कहीं कम कृषि पर सरकार का बजट होता है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस चीज के बारे में ब्यौरा दें कि सरकार कितना सबसिडी देती है और इरिगेशन को छोड़कर बाकी कृषि पर साल में कितना खर्च किया जाता है। क्या वह सबसिडी से कम नहीं बनता है?

जो कृषि विशेषज्ञों ने गेहूं की कीमत कम से कम 200 रुपये क्विंटल निर्धारित की थी, उसके विपरीत सरकार ने उसकी कीमत 154 रुपये निर्धारित की है। जो सरकार के द्वारा नामीनेटिड वैज्ञानिक और साइंटिस्ट हैं, उन लोगों की सिफारिश को मानकर सरकार को उनकी कीमत निर्धारित करनी चाहिए।

आज बीज महंगा है। जब तक वह किसान के पास रहता है, उसकी कीमत बहुत कम है, लेकिन जब वह उसी के द्वारा पैदा कर उसके पास आता है तो उसकी कीमत कम से कम 8-10 गुना बढ़ जाती है, जिससे उसको घाटा होता है।

खेत में जो लेबर काम करती है 1947-48 में चार आने शाम तक उसको मेहनत मजदूरी मिलती थी, आज उसको 16-17 रुपये पर-डे मिलते हैं। एक तरह से 64 गुना आज उस मजदूर को मिलते हैं। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि मैं किसी मुलाजिम या खेतिहार मजदूर के खिलाफ बोलना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब महंगाई बढ़ी है। चाहे उसका फायदा मजदूर या किसी सरकारी कर्मचारी को मिला है, लेकिन उसके साथ ही उसका फायदा किसान को भी मिलना चाहिए। जिस तरह से जनरल प्राइस इण्डैक्स बढ़ता है, और उससे दूसरे व्यक्तियों को उसका लाभ दिया जाता है तो किसान को भी उसका लाभ मिलना चाहिए।

इसके साथ ही सरकार की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसको आप सुदृढ़ करें। वहां वह जरूरी चीजें कम रेट पर बेचें ताकि वह गरीब हरिजन लोग अपना पेट भर सकें। आज हालात यह है कि किसान खुद दूसरों का पेट भरता है, लेकिन वह खुद भूखा रहता है, इसी कारण आज किसान हतोत्साहित हो गया है। उसका उत्साह तभी बढ़ाया जा सकता है जब उसको अपनी मेहनत मजदूरी के पूरे पैसे मिलें, उत्साहित होने से वह उत्पादन भी ज्यादा बढ़ायेगा।

आप, आप देखते होंगे कि वह जो अपने लिये जरूरी चीजें खरीदता है, उनके भाव आसमान को छूते जा रहे हैं और जो बेचता है उसके भाव कम होते जा रहे हैं और विशेष रूप से उन दिनों में जब वह वस्तु किसान के पास होती है, उससे उसको बहुत घाटा होता है। बेचारा किसान अन्धेरे में रहता है, गहरी नींद में सोता रहता है, उसका शोषण करके दूसरे लोग उनसे फायदा उठाते रहते हैं।

जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि सीड के इम्पोर्ट करने से भाव में गिरावट आई है। क्या आयल सीड को इम्पोर्ट किये बगैर हमारे देश के अन्दर इतना आयल सीड नहीं है जिससे हमारा काम चल सके ताकि भाव न गिरे और किसान को भी उसका उचित लाभ मिले। मैं निवेदन करूंगा कि किसान की आवश्यकता की चीजों और उसकी मेहनत मजदूरी का ख्याल रखते हुए, भाव निर्धारित किये जायें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

सरदार बूटा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत से सुझाव दिये हैं। यह सुझाव ऐसे हैं जो कि इस सदन के मान्यवर सदस्य समय-समय पर देते रहते हैं और सरकार की भी निरन्तर यह कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक मान्यवर सदस्यों के सुझावों को देखते हुए किसान को रैमयूनरेटिव प्राइसिस इन दी फॉम आफ सपोर्ट और प्रक्योरमेंट प्राइसिस किसान को इंशोर किये जायें। इससे पहले मान्यवर सदस्य ने उसका जिक्र किया, जिसके ऊपर किसानों की उपज की कीमत तय की जाती है। उन्होंने कहा कि किसान की उपज की कीमत कोई दूसरा तय करता है।

उपाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि यह तो मार्किट का उसूल है कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही चीजों की कीमतें निर्धारित होती हैं, परन्तु किसान को उपज का सही दाम मिले, उसके साथ बे-इंसाफी न हो, अन्याय न हो, किसान को एक्सप्लायट न किया जाये, यह निर्धारित करने के लिये एग्रीकल्चर प्राइसिस कमीशन निर्धारित किया जिसको कि आदेश दिये गये कि किसान की उपज की कीमतों को तय करते वक्त किन-किन चीजों का ध्यान रखा जाये, इसलिये यह कहना कि किसान की उपज की कीमत कोई दूसरा निर्धारित करता है, गलत है। इस प्राइसिस कमीशन में वह अनुभवी लोग रखे जाते हैं, जिनको किसान की खेती का पूरा ज्ञान होता है। इसमें वह सीनियर साइंटिस्ट और एक्सपर्ट रखे जाते हैं जिनको कि कृषि उत्पादन का अनुभव करता है। वही लोग इसमें बैठकर फैसला करते हैं।

जो कमीशन है वह जब सपोर्ट प्राइस या प्रोक्योरमेंट प्राइस निर्धारित करता है तो उसके सामने संपूर्ण नक्शा रखता है, लेकिन पूरी तस्वीर रहती है, अर्थ-व्यवस्था के समूचे ढांचे के संबंध में उनका बड़ा काम्प्रीहैंसिव ओवर-व्यू रहता है।

[अनुवाद]

वे केवल कृषि क्षेत्र को ही ध्यान में नहीं रखते अपितु अर्थ-व्यवस्था के समूचे ढांचे, उत्पाद विशेष को ध्यान में रखते है और अन्य कई बातें जैसे उत्पादन लागत, साज-सामान के मूल्यों में परिवर्तन, निवेश मूल्य और उत्पादन मूल्यों में समानता, मंडी के मूल्यों का रुख, मांग और पूर्ति की स्थिति, देश में पैदा हुई फसल के मूल्य में समानता, औद्योगिक लागत पर उसके प्रभाव, साधारण मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीवन-निर्वाह पर प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में मूल्य स्थिति, कृषि क्षेत्र द्वारा भुगतान किए गए तथा प्राप्त मूल्यों में समानता आदि पर भी ध्यान रखा जाता है। केवल इतना ही नहीं, इन सब बातों पर विचार करने के बाद, आयोग फिर कृषि लागत पर भी विचार करता है और इसमें लागत पर हुए खर्च जैसे मजदूरों की मजदूरी बैल गाड़ी-भाड़ा, मशीनों पर खर्च भूमि के पट्टे के लिए दिया गया किराया, नकद और वस्तु के रूप में खर्च, उर्वरक मूल्य, खाद मूल्य, कीटनाशक, सिंचाई लागत जिसमें पम्प सैट्र आदि चलाने के लिए डीजल और बिजली पर किया गया खर्च भी शामिल है, आदि सम्मिलित है। उत्पादन लागत के अतिरिक्त इसमें परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया श्रम भी शामिल है। इस लागत में फार्म मशीनरी और भवन का मूल्यह्रास भी शामिल है। इस तरह उत्पादन लागत में केवल भुगतान किया गया खर्च ही शामिल नहीं अपितु उनकी आस्तियों जिसमें भूमि और परिवार शामिल हैं जिनके लिए किसान नकद पैसा खर्च नहीं करता, का आकलित मूल्य भी शामिल है। समर्थन मूल्य या वसूली मूल्य निर्धारित करते समय प्राक्कलित उत्पादन लागत को भी ध्यान में रखा जाता है।

जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, वे अन्त:—उत्पाद मूल्य समानता अन्त: क्षेत्रीय मूल्य समानता प्रारंभिक-उत्पादन मूल्य समानता, किसान द्वारा वसूल मूल्यों एवं वस्तुओं की खपत पर खर्च मूल्यों में समानता आदि की भी जांच करते हैं। कृषि मूल्य आयोग की लागत और लेखा सेवाएं भारत सरकार के समक्ष अन्तिम सिफारिश से पूर्व इन सब बातों पर विचार करती हैं और फिर उनकी सिफारिश पुन: राज्य सरकार को भेजी जाती है और राज्य सरकारें उन सिफारिशों पर अपनी राय देती हैं और अंत में भारत सरकार किसी वस्तु विशेष का उस मौसम में मूल्य निर्धारित करती है।

इतना सब कुछ कहने के बाद, मैं माननीय सदस्य द्वारा बताए गए 1940 के मूल्यों के संबंध में कुछ कहना आवश्यक नहीं समझता क्योंकि वे वर्तमान स्थिति में संगत नहीं हैं। आप संदर्भ से

हटकर वर्ष 1940 के मूल्यों की बात नहीं कह सकते और न ही वर्तमान मूल्यों से उनकी तुलना कर सकते हैं। विकास होने के साथ-साथ स्थिति में परिवर्तन आया है। तेजी से विकास हुआ है। वर्ष 1940 में प्रति एकड़ भूमि पर जितना उत्पादन किया जा सकता था उतनी ही भूमि पर आज उससे कहीं अधिक उत्पादन किया जाता है। मुझे याद है जब हम बच्चे थे तो कुछ फसलें ऐसी थीं जो आज हमें दिखाई नहीं पड़तीं। अब अच्छी फसलें होती हैं, उनसे अधिक प्राप्ति होती है, एक ही फसल की कई किस्में उगाई जा रही हैं, और कृषि क्षेत्र में पूरी स्थिति बदल चुकी है और हमें गर्व है कि भारत में हमारे कृषक, हमारे वैज्ञानिकों, विस्तार सेवाओं तथा विश्वविद्यालयों की सहायता से केवल आज आत्मनिर्भर हो पाए हैं बल्कि उससे भी अधिक अच्छी स्थिति में हैं। निश्चय ही हमें अभी और विकास करना है। किसानों को अधिक लाभ मिलना चाहिए किंतु भारतीय कृषकों की वर्तमान स्थिति अधिक विकासशील देशों के कृषकों से अच्छी है और हम विश्व में किसी से उनकी तुलना किसी भी विकसित देश से कर सकते हैं।

अपने पूरक प्रश्न पूछते समय माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए, मैंने उन्हें नोट कर लिया और हम देखेंगे कि उनके सुझावों पर पर्याप्त विचार किया जाए।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : इस ध्यानाकर्षण के संबंध में कुछ कठिनाई है क्योंकि कई जिन्सें एक साथ जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए पटसन को लीजिए, जिसका संबंध वस्त्र मंत्रालय से है और दूसरी कृषि वस्तुओं का सम्बन्ध कृषि मंत्रालय से है। इसलिए मेरा अनुरोध है इसके लिए कुछ समय दिया जाए और इस बात पर ध्यान दिया जाए कि वस्त्र मंत्री वाद-विवाद में भाग लें अन्यथा हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पायेगा।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, मैं पटसन के संबंध में भी प्रश्नों का जवाब दूंगा। वस्त्र मंत्री भी यहां उपस्थित हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : यदि आप सब बातों का ध्यान रख सके तो इससे अच्छी क्या बात है ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, पटसन जो पश्चिम बंगाल और काफी हद तक पड़ोसी राज्य बिहार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, और जिसका हमारी अर्थ-व्यवस्था में महत्व-पूर्ण स्थान है, के बारे में बोलने से पहले मैं अन्य बातों के संबंध में पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूं।

सर्वप्रथम मैं यह कहूंगी कि मैं उनके इस कथन से सहमत नहीं हूं कि किसानों को लाभ-कारी मूल्य दिलाने के लिए जो कुछ किया जा सकता है, सरकार वह सब कर रही है। अपने मत के समर्थन में मैं सबसे पहले इस वक्तव्य के पैरा 3 के बारे में, जिसमें उन्होंने तिलहनों की बात कही है, कहना चाहती हूं। इसमें स्पष्ट कहा गया है; तिलहन मंडी में मार्च के महीने में आते हैं। फिर उनका दावा है कि मई और जून में इनके मूल्यों में कमी आई थी किन्तु 13 जुलाई 1985 को समाप्त होने वाले सप्ताह में इसके मूल्यों में सुधार हुआ है।

महोदय, फसल मार्च में आती है। मार्च से जून तक चार महीनों में किसानों को कुछ नहीं मिला। जुलाई में मूल्यों में वृद्धि हुई। क्या इसे आप किसानों को लाभकारी मूल्य देना कहते हैं ? क्या मैं इस पर विश्वास करूं ? जब किसानों ने यह फसल बेची तो उन चार महीनों में सरकार क्या कर रही थी ?

नारियल के संबंध में आपने दावा किया कि इसके मूल्य कम हुए हैं किन्तु इस समय कोचीन में इसके मूल्यों में वृद्धि हुई है। मेरे सुनने में यह आया है कि मूल्य केवल कुछ दिन ही अधिक रहे। पुन: उनमें गिरावट आई। बजट सत्र के दौरान, कृषि मंत्री ने यहां कहा कि वे नारियल के समर्थन

मूल्य की घोषणा नहीं कर रहे हैं। किन्तु केरल के मुख्यमंत्री यह आश्वासन दे रहे है कि उन्होंने यह मामला केन्द्रीय सरकार के समक्ष रखा है और केन्द्रीय सरकार समर्थन मूल्य की घोषणा करने के लिए सहमत हो गई है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार सचमुच नारियल के समर्थन मूल्य की घोषणा करेगी जो कि बहुत आवश्यक है क्योंकि 1,800.00 रुपए, यदि यह मूल्य भी रखा गया है, जो मैं समझती हूं कि नहीं है—लाभकारी मूल्य नहीं हैं ?

तम्बाकू के संबंध में मैं केवल एक निर्दिष्ट प्रश्न पूछना चाहती हूं। तम्बाकू के मूल्य कुछ बढ़े हैं किन्तु सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम निर्यात मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य में 230 रुपए से 250 रुपए का अन्तर है। इस समय निर्यात मूल्य 600 रुपए प्रति क्विंटल है। समर्थन मूल्य और निर्यात मूल्य में 230 रुपए से 250 रुपए तक का अन्तर है। हम इसे 250 रुपए मान लेते हैं। इस अन्तर से उत्पादक वंचित रह जाते हैं क्योंकि उन्हे समर्थन मूल्य बहुत कम मिलता है और निर्यातक को 600 रुपए प्रति क्विंटल मिलते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि इसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार तम्बाकू के समर्थन मूल्य पर पुनर्विचार करेगी ताकि इस अन्तर को कम किया जा सके और उत्पादकों को अधिक लाभ दिया जा सके। इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

महोदय, अब मैं पटसन पर आती हूं। महोदय, वक्तव्य के पैरा 5 में सरकार ने यह उल्लेख किया है कि इस साल कच्चे पटसन की फसल की संभावनाएं काफी अच्छी हैं। भारतीय जूट निगम को मंडी में तैयार होकर आने के लिए कहा गया है। फिर उन्होंने कहा है कि 13 जुलाई 1985 को कच्चे पटसन का मूल्य सूचकांक काफी ऊंचा अर्थात 352 रुपए हैं, आदि। वे कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है। सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि इस महीने की 20 तारीख को कलकत्ता से रवाना होने के बाद जब हम कूच-बिहार मंडी गए, वहां कच्चा पटसन 100 रुपए प्रति क्विंटल बेचा जा रहा था जबकि सरकार ने स्वयं इसका न्यूनतम मूल्य 223 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यह स्थिति इस समय भले नहीं हो और इसमें कुछ सुधार हुआ हो, लेकिन हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह अभी भी सरकार द्वारा घोषित सांविधिक मूल्य से काफी कम है। मैं जानना चाहती हूं कि इस संबंध में सरकार द्वारा भारतीय जूट निगम को निदेश देने के बारे में किया गया दावा कैसे उचित सिद्ध किया जा सकता है।

उन्हें यह अच्छी तरह से पता था कि उस पटसन मौसम में ······गत वर्ष की ऊंची कीमतों, आदि के कारण पटसन अच्छी फसल होगी।

अब, महोदय, प्रेस समाचार तथा अन्य समाचारों के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वर्ष पटसन की लगभग 1.2 करोड़ गाँठें उपलब्ध होंगी। इस आंकड़े में अप्रत्यक्ष तौर पर बंगला देश से आ वाला पटसन भी सम्मिलित है। अब अगर 1.2 करोड़ गाँठों को ध्यान में रखा जाये तो मैं यह बताऊंगा कि हमारी घरेलू आवश्यकता 75 लाख गाँठों की होगी। इसका अर्थ है यह वस्तु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी। अब, किसानों को बचाने के लिए, कोई अन्य रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि भारतीय पटसन निगम के माध्यम से पटसन का एक रक्षित भंडार बनाया जाये। आओ देखें कि इस मौसम में भारतीय पटसन निगम किस प्रकार से कार्य करेगा। अधिकारिक तौरपर पटसन का मौसम 1 जुलाई से शुरू होता है, क्योंकि उस समय उत्तर-बंगाल में बाजार में पटसन आना शुरू हो जाता है। यह मेरे पास पटसन आयुक्त, कलकत्ता द्वारा 9 जुलाई, 1985 को जारी की गयी एक अधिसूचना की प्रति है। यह उस अधिसूचना की फोटो प्रति हैं जिसमें उन्होंने न्यूमतम निर्धारित मूल्य की घोषणा की है। पटसन का मौसम 1 जुलाई से शुरू हुआ है और 9 जुलाई को पटसन आयुक्त मूल्य के बारे में अधिसूचना जारी करता है। इसके

बाद 12 तारीख को खरीद का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बोर्ड की बैठक होती है, उसके पश्चात् खरीद लक्ष्य को दिल्ली भेजा जायेगा और तब रिजर्व बैंक उसके लिए धन, आदि देगा। अगर अभी भी सरकार बड़ी तेजी से मान लो अगस्त से पहले कार्य करे तो वास्तव इससे अच्छी बात और क्यों होगी। परन्तु अभी तक, जहां तक मशीनरी स्थापित करने का संबंध है, कुछ भी नहीं हुआ है। पटसन आयुक्त का कहना है कि 25 प्रतिशत खरीदा जायेगा और मंत्री कहते हैं कि 33 प्रतिशत खरीदारी की जायेगी। महोदय, कब ? क्या यह खरीदारी मुख्य पटसन बाजारों में पटसन काफी मात्रा में आ जाने के बाद की जायेगी ? क्या यह मूल्यों के काफी गिर जाने के बाद की जायेगी ? क्या केवल तभी पटसन निगम इन सब बातों की स्वीकृति देने की बात सोचेगा ? क्या सरकार यही तत्परता दिखा रही है ? अत: पहले उन्हें कितनी खरीदारी करने की आशा है ? बड़ा रक्षित भंडार बनाने के बारे में वे क्या सोच रहे हैं ? क्या इसके लिए धनराशि स्वीकृत की जायेगी ? उनके विचार से वास्तव में लाभकारी मूल्य क्या है ? मैं दावे के साथ कहती हूं कि इस संबंध में जो मूल्य पटसन आयुक्त द्वारा निर्धारित किया गया है वह बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है। कलकत्ता में 248 रुपये तथा कुछ कर, मानलो 300 रुपये, पटसन उत्पादकों के लिए बिल्कुल भी लाभकारी मूल्य नहीं है। पटसन उत्पादकों को इतना कम मूल्य क्यों दिया जा रहा है ? मैं आपको इसके बारे में बताती हूं। यह 30 जून की 'डेली टेलीग्राफ' की खबर है। 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिड़ला पटसन उद्योग ने 4.9 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दिखाया है। अगर पटसन उद्योगपति, सबसे बड़ा उद्योगपति, बिड़ला इतना लाभ कमा सकता है, तो क्यों हमारे पटसन उत्पादक इस गलत तरीके से नुकसान उठायें ? हमारी मांग है कि पटसन के लिए न्यूनतम लाभकारी मूल्य 600 रुपये निश्चित किया जाना चाहिए और एक समर्थन-मूल्य के तौर पर उत्पादकों को दिया जाना चाहिए। हम माननीय मंत्री से निवेदन करते हैं कि कृषकों को बचाने के लिए सारी मशीनरी को व्यवस्थित करने के लिए बहुत ही कठोर उपाय किये जाने चाहिए। हमारे पटसन उत्पादक मुसीबत में हैं। अगर आमतौर पर यही स्थिति रही तो फिर से तीसरे वर्ष भी समूचा पटसन उद्योग संकट ग्रस्त हो जायेगा।

सरदार बूटा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 5 फसलों का मामला उठाया है। मैं तिलहनों से शुरू करूंगा। उन्होंने यह उल्लेख किया है कि यह वस्तु बाजार में मार्च के माह से आनी शुरू हुई थी। मैं जुलाई के आंकड़े दे रहा था और मेरे विवरण में, मैंने दर्शाया है कि मूल्य स्थिर हो गये हैं। परन्तु वह सदन को यह बताना भूल गई है कि यह किस प्रकार से हुआ है। मार्च के महीने में मार्च के अन्त में तथा अप्रैल के शुरू में ज्योंही हमें प्रतिवेदन प्राप्त हुआ कि तिलहनों, सरसों तथा अन्य फसलों के मूल्य निर्धारित समर्थन मूल्य से नीचे हैं, हमने संबंधित राज्यों को तुरंत आदेश जारी कर दिये थे। और हमने अपनी एजेंसी, नाफेड, के माध्यम से हमने बाजार में प्रवेश करके तिलहनों की खरीदारी शुरू कर दी थी जिससे रेप-सीड तथा सरसों का उत्पादन करने वाले राज्यों में बहुत सुधार आ गया। परिणाम यह हुआ है कि अब इस समय राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा तथा उत्तर-प्रदेश राज्यों में मूल्य समर्थन अथवा खरीद मूल्य से अधिक है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : यह स्वाभाविक है।

सरदार बूटा सिंह : यह स्वाभाविक है, क्योंकि हमने बाजार में प्रवेश किया। अगर हमने प्रवेश नहीं किया होता तो मूल्य नहीं बढ़ते (**व्यवधान**) शायद, माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि पहली बार भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने भी, इतनी शीघ्रता से कार्यवाही की है तथा किसानों को तिलहनों को मजबूरन कम मूल्यों पर बिक्री करने से बचाया गया।

मुझे सम्भावित सभा को यह सूचना देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस बार तिलहनों का उत्पादन बहुत ही आशाप्रद है। मैं खाद्य तेलों के आयात पर रोक लगाने का सुझाव देने पर गम्भीरता से विचार कर रहा हूं ताकि हमारे किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके।

माननीय सदस्य ने नारियल का उल्लेख किया था। हां; नारियल के मामले में भी मूल्य गिरे थे; और केरल सरकार को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जब खोपरा का मूल्य बाजार मूल्य से बहुत नीचे गिर गया था—आंध्र प्रदेश तथा केरल दोनों में। यद्यपि कोई प्रावधान नहीं था क्योंकि इन बागानों की स्थिति साधारण फसलों से भिन्न होती है—रबड़, इलायची, काली मिर्च तथा सुपारी की फसलें वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत आती हैं—यहां मैं औपचारिकता के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। जैसे ही केरल सरकार ने हमें बताया कि किसान मुसीबत में हैं, मैंने राज्य सरकार को खरीद करने की अनुमति दे दी थी।

सभा को यह सूचना देते हुए मुझे और हर्ष हो रहा है कि केरल स्टेट को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के हस्तक्षेप के कारण, कारपोरेशन ने खोपरा की खरीद बाजार मूल्य से कुछ अधिक मूल्य पर शुरू की थी ताकि एक उचित मूल्य पर खोपरा का मूल्य स्थिर हो सके।

27 जून को यह कार्यवाही शुरू की गई थी और 1 जुलाई तक उन्होंने 5012 क्विंटल खोपरा जिसका मूल्य 63 लाख रुपये था, खरीद लिया था। केरल राज्य में 60 केन्द्रों पर, जो कि सारे राज्य में फैले हुए हैं, खरीदारी की जा रही है। इस कार्यवाही से खोपरा के मूल्य में स्थिरता लाने में मदद मिली और इसके परिणामस्वरूप नारियल के मूल्य में भी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मेरा प्रश्न समर्थन मूल्य के बारे में था।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : केरल के मुख्यमंत्री बार बार यह कह रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार ने नारियल का समर्थन मूल्य देने का आश्वासन दिया है। स्थिति क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : सुरेश कुरुप जी, अगर आपको प्रश्न पूछना था तो आपको पहले अवसर चाहिए था, अन्यथा प्रत्येक सदस्य प्रश्न पूछेगा।

सरदार बूटा सिंह : इस वर्ग की फसल के लिए एक नीति होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले सभा को सूचित किया है, मैं औपचारिकता में विश्वास नहीं रखता। मैंने तुरंत केरल सरकार की सहायता की और केरल के मुख्य मंत्री से आगे कार्यवाही करने के लिए कहा, और कहा था कि हम राज्य सरकार की सहायता करने की कोशिश करेंगे······(व्यवधान) अभी तक कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने बताया कि यह एक अलग वर्ग था। इस प्रकार की फसलों के लिये, कोई समर्थन मूल्य तय नहीं है। अतः, खोपरा की खरीद करके, केरल सरकार मूल्य स्थिति करने में सफल हो सकी। अब, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, मूल्यों में वृद्धि हो गई है और किसान सन्तुष्ट हैं।

सुरेश कुरुप : किसने कहा कि किसान संतुष्ट हैं ?

सरदार बूटा सिंह : पटसन के बारे में भी, माननीय सदस्य ने जिक्र किया है। पटसन निगम समर्थन मूल्य संबन्धी कार्यवाही करने का प्रबन्ध करता है। सहकारी समितियों द्वारा संचालित 240 केंद्रों के अतिरिक्त, लगभग 183 खरीद केन्द्र सभी पटसन उत्पादक राज्यों में निगम ने खोल रखे हैं। 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान निगम ने समर्थन मूल्य संबन्धी कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि स्पष्टतः प्रचलित मूल्य समर्थन मूल्य से अधिक था। आज भी, जब कि माननीय सदस्य पटसन उत्पादकों की समस्याओं को सही रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं—मेरी सहानुभूति पटसन उत्पादकों के साथ है—इस समय भी, बाजार में मूल्य निर्धारित समर्थन मूल्य से अधिक है। अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही आगे मूल्य कम होंगे······

श्री इंद्रजीत गुप्त : आगे किससे ?

सरदार बूटा सिंह : इसका अर्थ है समर्थन मूल्य ।

श्री इंद्रजीत गुप्त : समर्थन मूल्य से नीचे ?

सरदार बूटा सिंह : समर्थन मूल्य पर भी । जब यह समर्थन मूल्य पर पहुंचेगा तो हम निश्चित ही बाजार में प्रवेश करेंगे । समर्थन मूल्य का मतलब यही है । (व्यवधान) समर्थन मूल्य के पीछे सिद्धांत यही है कि इसे वह स्तर समझा जाता है जिस पर किसान को परेशानी नहीं होगी ।

1.00 म०प०

इस समय मेरी जानकारी यह है कि बाजार मूल्य······ कलकत्ता में सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य से अधिक है, और साथ ही, मेरे माननीय मित्र, वस्त्र मंत्री, की सलाह से हमने वैकल्पिक प्रबन्ध किया है तथा निगम वाणिज्यिक खरीद करेगा, और हम एक रक्षित मंडी बनाने के हक में हैं माननीय सदस्य उत्पादकों में ऐसी धारणा पैदा न करें ·

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : भारतीय पटसन निगम के बारे में क्या स्थिति है ?

सरदार बूटा सिंह : जैसे ही यह महसूस करेगा कि उत्पादकों को भारतीय पटसन निगम की मदद की आवश्यकता है, वह उनकी सहायता करेगा; और वस्त्र मंत्री ने बताया है कि उन्होंने पहले से ही अनुदेश दे रखे हैं कि जैसे ही यह उस स्तर न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा 25 प्रतिशत मूल्य तक पहुंचते हैं यह निगम खरीदारी शुरू कर देगा, और हम तैयार हैं । मैं आपको यह बता दूं कि जैसे ही यह इस स्तर तक आएगा भारतीय पटसन निगम इसे खरीदने के लिए तैयार रहेगा और हम पश्चिम बंगाल के उत्पादकों को नुकसान नहीं होने देंगे ।

तम्बाकू के बारे में माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है कि निर्यात मूल्य तथा खरीद मूल्य के बीच अंतर है । यह अंतर तो होगा ही । निर्यात करने के लिए सदस्यों को पता होना चाहिए कि तंबाकू को पहले परिष्कृत करना पड़ता है; इसका ग्रेड निर्धारण करना पड़ता है । अत: स्वाभाविक ही है कि समर्थन मूल्य चुनी हुई, पत्तियों वाली तंबाकू, ग्रेड निर्धारित तंबाकू के अलग होने चाहिए ।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : सिर्फ 300 रुपये काफी है, परन्तु आप इसे 600 रुपये के अन्तर पर बेच रहे हैं ।

सरदार बूटा सिंह : मैं चाहता हूं कि और अधिक तम्बाकू का निर्यात किया जाये । इसी कारण इसके मूल्य अधिक रखे गये हैं । मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक अच्छी किस्म की तंबाकू पैदा की जाये तथा निर्यात की जाये । यह अन्तर तो बना रहेगा । यह चल रहा है । आंध्र प्रदेश में समर्थन मूल्य 9.75 रुपये प्रति किलोग्राम है; कर्नाटक में यह 11.50 रुपये प्रति किलोग्राम है । अब आंध्र प्रदेश में एक नई प्रणाली शुरू की गई है । किसानों को बिचौलियों से बचाया गया है । भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से पहले ही तंबाकू की नीलामी सार्वजनिक तौर पर शुरू कर दी है ।

आंध्र प्रदेश में, यद्यपि समर्थन मूल्य 9.75 रुपये था नीलामी के जरिये यह 10.30 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया, और कर्नाटक में यह 11.50 रुपये था और यह बढ़कर 13 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया । इससे आप स्वयं देखेंगे कि केरल तथा कर्नाटक के किसानों को वंचित नहीं किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक नीलामी प्रणाली द्वारा पर्याप्त उपाय करके उन्हें सहायता दी गयी है ।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया जा सकता है और यही किसानों का निवेदन है । अभी भी यह 200/-रुपये है ।

सरदार बूटा सिंह : प्रत्येक वर्ष, मूल्य आयोग, विभिन्न पहलुओं को, जिनका जिक्र मैंने अपने प्रथम प्रश्न के जवाब में किया है ध्यान में रखकर मूल्यों को कम या ज्यादा करता है और हम तम्बाकू की अगली फसल तक के लिए मूल्य आयोग का इन्तजार करेंगे और तब हम सदन को सूचित कर सकेंगे कि हम तम्बाकू का समर्थन मूल्य कितना बढ़ा सकते हैं।

माननीय सदस्या ने चार फसलों का उल्लेख किया है। मेरे पास जितनी जानकारी थी मैंने वह देने की कोशिश की है। मैं माननीया सदस्या का स्वागत करूंगा अगर वह पटसन के बारे में और अधिक सुझाव दे, क्योंकि जिस राज्य से वे आयीं हैं वह एक मुख्य पटसन उत्पादक राज्य है और हम बेहतर किस्म और किस्म में सुधार करने के लिए बेहतर बीजों तथा अपने देश में पटसन की उत्पादकता की उम्मीद कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 2 बजे म० प० पुन: समवेत होने तक के लिये मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है।

1.05 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे तक म०प० तक के लिये स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.07 म०प० पर पुन: समवेत हुई

2.07 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

***श्री अजीत कुमार साहा (विष्णुपुर)** : उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है लेकिन अर्थ व्यवस्था के निर्माता कृषक सबसे अधिक शोषित और वंचित वर्ग है। जब वह अपनी उपज को बाजार में ले जाते हैं तो उन्हें उसका उचित और लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। दूसरी ओर जब वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीदने बाजार जाते हैं तो उसे अधिक कीमत पर खरीदना पड़ता है। इस तरह दोनों तरफ से गरीब कृषकों का शोषण किया जा रहा है और उसकी बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। यहां माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि सरकार को कृषकों की आवश्यकताओं का पता है वह यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि उन्हें उनके उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो। कुछ समय पहले हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने बम्बई में कहा था, मैं 18 फरवरी 1985 के 'स्टेट्समैन' से उद्धृत कर रहा हूं। "प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने आज कृषकों को यह आश्वासन दिया कि कांग्रेस (आई) उनकी उपज का लाभकारी मूल्य निर्धारित करेगी और उन्हें सस्ती दर पर खाद तथा बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी"। महोदय इस तरह के आश्वासन बार-बार दिए गए हैं। इसके बावजूद कृषकों की आज क्या दशा है? प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य के बाद से जब आलू की कीमतें गिरनी शुरू हुईं और जब ये 15/-रुपए प्रति क्विंटल आ गयीं तो हमने संसद के पिछले बजट सत्र के दौरान मांग की थी कि सरकार को आलू की फसल की खरीद शुरू करनी चाहिए तथा इसके निर्यात के लिए प्रबंध करना चाहिए। लेकिन सरकार गरीब आलू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए आगे नहीं आई। दूसरी ओर केंद्रीय सरकार चीनी मिलों,

---

*मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

पटसन मिलों, आदि के करोड़पति मालिकों को करोड़ों रुपए राज सहायता के रूप में दे रही है और उनको उनके उत्पाद के निर्यात करने में सहायता कर रही है। परन्तु उसने आलू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कोई राज सहायता नहीं दी।

इस सदन में पिछले दिनों एक प्रश्न के उत्तर में उर्वरक और रसायन मंत्री श्री वीरेन्द्र पाटिल ने टायरों और ट्यूबों के निर्माण में काम आने वाली सामग्री के मूल्य में वृद्धि के कारण इनकी कीमतों में वृद्धि करने के लिए टायर निर्माताओं द्वारा दिए गए कारणों को उचित बताया और इसका समर्थन किया। परन्तु महोदय, बीज डीजल, उर्वरक कृत्रिम खाद आदि सामग्रियों की कीमत में भी कई गुना वृद्धि हुई है। परन्तु कृषकों के उत्पाद की कीमतें इसी अनुपात में नहीं बढ़ी हैं। उसे अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। माननीय मंत्री और सरकार इस मामले पर चुप बैठे हैं। हम इस सरकार के स्वभाव को जानते हैं वह हमेशा अमीर उद्योगपतियों तथा बड़े और अमीर किसानों के हित में कार्य करती है।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस वक्तव्य में कहा है कि "जनवरी 1985 में कलत्ता में डब्ल्यू 5 ग्रेड के कच्चे पटसन की कीमत 975 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। स्पष्ट रूप से यह ऊंची कीमत टिकने वाली नहीं है। और इस ऊंची कीमत का बराबर बढ़ना किसानों के हितों में नहीं होगा।" परन्तु मैं माननीय मंत्री के इस वक्तव्य को समझ नहीं पाया हूं। यदि कृषक अपनी उपज की ऊंची कीमत पाता है तो यह कृषकों के हित में क्यों नहीं हो सकता ? मैं माननीय मंत्री का आभारी हूंगा यदि वह इसका मतलब स्पष्ट करे। हम जानते हैं कि यह बहुत अच्छी बात है यदि गरीब कृषक अपनी उपज की अच्छी कीमत प्राप्त करे।

इसके बाद महोदय, मैं पटसन पर आता हूं। पिछले वर्ष पटसन की फसल अच्छी नहीं हुई और यह बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं था। इस बहाने पश्चिम बंगाल के कई पटसन मिलों ने तालाबन्दी की घोषणा यह कहते हुए की कि कच्चा पटसन उपलब्ध नहीं है। परंतु जैसा कि श्रीमती गीता मुखर्जी ने कुछ समय पहले ही बताया है कि बिड़ला पटसन मिल ने बाजार में ऊंची कीमत पर कच्चा पटसन खरीदने के बाद भी कुछ करोड़ रुपयों का मुनाफा कमाया।

अब पटसन मिल के मालिक एक और है। आ खड़ा कर रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार ने पटसन की कमी के देखते हुए पटसन की बोरियों के स्थान पर संश्लिष्ट धागे से बनी बोरियों के निर्माण के लिए लाइसेंस दिये हैं कुछ का आयात भी किया जा रहा है। इस बहाने भी वे कई पटसन मिलों में ताला बन्दी की घोषणा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वर्ष पटसन की फसल बहुत अच्छी हुई है। बंगला देश, आदि में यह कुछ मात्रा में चोरी छिपे ले जाता है। इसको मद्दे नजर रखते हुए हमारे कृषकों और पटसन उत्पादकों के हित की रक्षा के लिए मैं मांग करता हूं कि हमारे कृषकों को उनके पटसन के लिए लाभकारी मूल्य दिया जाना चाहिए। प्रत्येक गांव आदि में शोषण को रोकने के लिए सभी पटसन पैदा करने वाले क्षेत्रों में भारतीय पटसन निगम को अपने एजेंट भेजने चाहिए। सरकार को इसकी कीमत उस समय निर्धारित करनी चाहिए जबकि इसे बोया जाता है। कृषकों को यह पहले से मालूम होना चाहिए कि सरकार उनके पटसन को प्रति क्विंटल किस मूल्य पर खरीदेगी। कृषकों द्वारा उत्पादित पटसन का कम से कम 50% जे०सी० आई० को खरीदना चाहिए और उसे इस प्रकार एक रक्षित भंडार बनाना चाहिए ताकि मिल मालिक अपनी मिलों को बन्द न कर सके। और पटसन की उपलब्धता न होने के बहाने वे तालाबन्दी की घोषणा न कर सकें जैसा कि आजकल किया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं कि इस बारे में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है।

माननीय मंत्री के वक्तव्य में यह बताने की कोशिश की गई है कि थोक मूल्य सूचकांक बहुत अधिक बढ़ गया है। लेकिन इस वृद्धि की अवधि क्या है ? यह सभी स्थानों पर अप्रैल से जुलाई के बाद हुआ। मूल्य सूचकांक 4 महीनों के बाद बढ़ गया। क्या ये अधिक कीमतें कृषकों को मिलीं ? कृषकों ने अपनी उपज तुरंत बेची। उनमें से बहुतों को मजबूरन बिक्री करनी पड़ी। उन्होंने अधिक लागत और कठिन परिश्रम से फसल उगायी थी। लेकिन उन्हें बहुत कम कीमत मिली। परन्तु माननीय मंत्री कहते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक बहुत अधिक है। लाभ कौन उठा रहे हैं ? केवल कृषक ही पीड़ित नहीं हैं। सभी सामान्य लोग, निम्न श्रेणी के कर्मचारी आदि जो कोई बाजार जाता है उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दैनिक आवश्यकता की सभी उपभोक्ता वस्तुएं थोक विक्रेताओं और बिचौलियों के हाथों में हैं। आज के 'टाइम्स आफ इंडिया' में 'माउंटिंग स्ट्रेन आन फैमिली बजट' शीर्षक के अन्तर्गत एक लेख छपा है। उससे यह पता चलता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गरीब व्यक्ति बढ़ती हुई कीमतों का शिकोर होता है। महोदय, खाद्य मंत्री राव वीरेन्द्र सिंह ने कुछ समय पहले पिछली संसद में कहा था कि इस तरह के बजट के बाद इस प्रकार की वृद्धि अभूतपूर्व है। लेकिन आज के वक्तव्य में सरकार थोक मूल्य सूचकांक के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि कृषक अपनी उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य प्राप्त कर रहा है। इस तरह से लोगों को धोखा दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों से वास्तविक स्थिति से छुपाया जा रहा है। यह इस सरकार की विशेषता है।

महोदय, मैं पटसन के बारे में कुछ और बातें कहना चाहता हूं। हम जो पटसन पैदा करते हैं उसकी कई वर्षों से वही परंपरागत किस्म बनी हुई है। बढ़िया किस्म की पटसन के उत्पादन के लिए या अधिक उपज देने वाली किस्में शुरू करने के लिए अनुसंधान तथा विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है ताकि अच्छे किस्म के पटसन का उत्पादन किया जा सके जिससे अच्छी वस्तुयें बनायी जा सकें और केवल टाट की बोरियों के उत्पादन तक ही सीमित नहीं रहा जा सके। इस बारे में समय समय पर हमारे अनुसधांन केन्द्रों ने समय-समय पर विभिन्न प्रस्ताव दिए थे लेकिन सरकार ने उसकी जांच कर। के लिए कोई उल्लेखनीय कदम नहीं उठा। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने उत्पाद की उपज या किस्मों के सुधार करने के कोई विचार नहीं है। चीन, मलेशिया, इण्डो शिया आदि जैसे हमारे पड़ोसी देश बहुत अच्छी किस्म के पटसन का उत्पादन कर रहे हैं। हमारे देश में पटसन के पौधे की मुशिकल से ऊंचाई 3 फुट होती है जबकि इन देशों में इन पौधों की ऊंचाई 18 फुट है। और वे पटसन की बहुत अच्छी किस्म का उत्पादन कर रहे हैं। उसके साथ ही वे विभिन्न प्रकार की बढ़िया उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उन्हें बेच रहे हैं। हमारे देश में सरकार के पास उस सीमा तक योजना भी नहीं है। हमारे कृषक केवल पटसन के लिए ही नहीं बल्कि तम्बाकू, तिलहनों आदि के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि बुआई की ऋतु में इन उत्पादों के मूल्य निर्धारित किए जाएं। इससे कृषकों को लाभ होगा और वे यह निर्णय कर सकेंगे कि कौन सी फसल बेची जाये और इससे उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा।

सरदार बूटा सिंह : सबसे पहले मैं थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। माननीय सदस्य के प्रश्न से पहले मैंने कहा था कि हम खाद्य तेलों के आयात पर रोक लगा। की सलाह दे। पर विचार कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में मेरा मतलब यह था कि हम अप। देश की आवश्यकता के लिए इसका कम से कम आयात करेंगे। निस्सन्देह आयात बाजार को विनियमित करने और

उपभोक्ता की आवश्कताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। केवल उस सीमा तक आयात की अनुमति होगी।

माननीय सदस्य श्री अजित कुमार ने मुझ से एक प्रश्न पूछा है; मैं यह कैसे समझूं कि अधिक कीमत उत्पादकों के हित में नहीं होगी? जैसा कि आप जानते हैं कि अधिक कीमत हमेशा परिष्करण यूनिटों को प्रभावित करती है और वास्तव में इस बहाने पर यूनिटों के बन्द हो जाने की संभावना होती है। दूसरे, यदि हम अपने कच्चे पटसन के लिए अधिक कीमतें रखते हैं तो विश्व बाजार में संश्लिष्ट धागे से बनी वस्तुओं की भरमार हो जाएगी। यह तो विश्व व्यापी है। लोगों ने कृत्रिम चाय और कृत्रिम काफी के लिए भी प्रयास किया है क्योंकि उनकी कीमतें बहुत अधिक हो गयी हैं। इसी प्रकार उस व्यापक संदर्भ में मैं यह कह रहा हूं। यह बात नहीं है कि मुझे उत्पादकों के हित का पता नहीं है। उत्पादकों को अधिकतम मूल्य मिलना चाहिए। उन्हें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन मैंने इसे माल तथा उत्पादकों के समुचित हित के बारे में कहा है। इसलिए मैंने कहा है कि यह उत्पादकों के व्यापक हित में नहीं होगा।

महोदय, माननीय सदस्य ने वास्तविक रूप से आलू और पटसन के बारे में एक प्रश्न पूछा है। वह जानते हैं कि इस वर्ष आलू उत्पादकों को असामान्य स्थिति के कारण नुकसान उठाना पड़ा जब फसल वहां आई तो कीमतों में गिरावट आ गयी। पूरे देश में आलू उत्पादकों को स्थिति का सामना करना पड़ा··········

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : हर वर्ष वे नुकसान उठाते हैं।

सरदार बूटा सिंह : भारत सरकार हर वर्ष सहायता करने की कोशिश करती है। इस समय क्या किया गया वह यह है। बाजार में इस तरह की प्रवृति के लिए प्रतीक्षा करने की बजाय हमने राज्य सहकारी विपणन एजेंसियों तथा अपनी ऐंजसियों के माध्यम से भी अनुदेश जारी किए हैं। पहले भी निदेश दिए जाते थे। आलू तथा प्याज जैसी खराब होने वाली वस्तुओं स्वत: सरकारी खरीद या समर्थन मूल्य के अन्तर्गत नहीं आती हैं। हमने इन सभी राज्यों के जहां आलू और प्याज की पैदावार होती है। ये स्थायी आदेश दिए हैं कि जब वे यह महसूस करें कि आलू और प्याज तथा इस तरह की वस्तुओं के दाम हस्पक्षेप सीमा तक गिर गए हैं तो उन्हें तुरन्त हस्तक्षेप करना चाहिए और कृषकों को सहायता दी जाएगी।

हालांकि इस मौसम में आलू और प्याज जैसी वस्तुओं के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। उनकी कीमतें गिर गई। जैसा कि मैंने कहा था हमने बाजार में हस्तक्षेप किया। राज्य सरकारों की सलाह से इस वर्ष, आलू के लिए मूल्य 50 रुपए प्रति क्विटल निर्धारित किया गया और प्याज के लिए 60 रुपए प्रति क्विटल महाराष्ट्र में निर्धारित किया गया। मई के अन्त तक आलू की खरीद 33,478 टन तक की हुई। राज्य वार आंकड़े इस तरह हैं; पंजाब 5088 टन, उत्तर प्रदेश 18716 टन, हिमाचल प्रदेश 960 टन, पश्चिम बगाल 8714 टन, कुल 33,478 टन है मध्यस्थता करने का वास्तविक उद्देश्य यह नहीं था कि सारी उपज को खरीद लिया जाए। यह तो कृषकों को सहायता देना था जैसे ही स्थानीय मंडी में समर्थन मूल्य से कीमत ऊपर आती है तो वास्तविक रूप से हमारा उद्देश्य संपूर्ण सामग्री को खरीदना नहीं है। हमारा उद्देश्य यह देखना है कि कृषक मजबूरन मध्यस्थता द्वारा तय की गई कीमत से नीचे न देंगे। आप जानते हैं कि ये बहुत जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं। उसको रखना बहुत ही मुश्किल है। जब इसकी उपज होती है तो कृषकों के लिए समस्या बन जाती है हमारे पास इतनी तेज परिवहन प्रणाली होनी चाहिए कि हम वस्तुओं को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जा

सकें। केवल तभी शायद उत्पादकों के हित को बनाया जा सकेगा। मुझे याद है कि पहले भी हमने सेब, आलू तथा खराब होने वाली वस्तुओं के लिए विशेष गाड़ियां चलाई थीं। इस समय, 1985 में प्याज के क्षेत्र में 60 रुपए प्रति क्विटल के समर्थन मूल्य पर महाराष्ट्र राज्य एजेन्सी ने 1,98000 क्विटल प्याज खरीदा है। इस प्रकार भारत सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से विभिन्न राज्यों में आलू और प्याज के कृषकों तथा उत्पादकों की सहायता कर सकी। उसमें एक अंतर था पश्चिम बगांल में राज्य सरकार ने ऊंची कीमत की मांग की थी। लेकिन यह हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि एक राज्य में भिन्न मूल्य हो। और दूसरे राज्य में भिन्न मूल्य हो। परन्तु हमने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ प्रस्ताव किया कि जिस हदतक हम दूसरी संस्थाओं को वचन दिया है उस हद तक हम घाटे को पूरा करेंगे। यदि राज्य महसूस करता है कि वह अखिल भारतीय आधार पर निर्धारित मूल्य की अपेक्षा कुछ थोड़ा अधिक दे सकेगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे सदन के यह बताते हुए खुशी होती है कि बंगाल की राज्य सरकार उस राज्य के उत्पादकों की मदद के लिए आगे आई तथा उत्पादकों की कठिनाइयां दूर की गयी।

महोदय, पटसन के बारे में माननीय सदस्य ने बिलकुल ठीक कहा है कि जब कभी उत्पादन अधिक होता है, उत्पादकों को नुकसान होता है और जब कभी उत्पादन कम होता है, मूल्यों में वृद्धि हो जाती है और निजी मिल मालिक इससे धन कमाते हैं। पटसन बहुत पुरानी फसल है और पटसन और कपास जैसी रेशे वाली फसलों की कीमतों में अन्तिम उत्पाद स्तर पर बहुत अधिक घट-बढ़ होती है क्योंकि विश्व भर में उनका बाजार है और संसाधित माल कच्चे माल की अपेक्षा बहुत महंगा बिकता है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आन्ध्र प्रदेश में कपास का बहुत माल अनबिका पड़ा है।

सरदार बूटा सिंह : मैं इसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं परन्तु इस समय माननीय सदस्य के पटसन से संबन्धित प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। इस रेशेदार फसल-पटसन का जहां तक संबन्ध है, जब मौसम प्रतिकूल था और स्थिति खराब थी तब उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन हो गया था। इस वर्ष पटसन की अच्छी फसल होने का अनुमान है। वर्ष 1984-85 में कपास की 83 से 85 लाख गांठों का रिकार्ड उत्पादन होने की संभावना है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने थोक मूल्य सूचकांक का जिक्र किया है 19×3 मे कच्चे पटसन की कीमत समर्थन मूल्य से अधिक थी 1984 में कच्चे पटसन की कम उपलब्धता के कारण इसकी कीमतों में असाधारण वृद्धि हुई। जनवरी, 1984 के अन्त में कच्चे पटसन का थोक मूल्य सूचकांक 254.4 था। जब मैं थोक मूल्य सूचकांक की तुलना करता हूं तब मैं माननीय सदस्य की तुलना करता हूं तब मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत होता हू कि मंडी में आवक के समय कीमतें बहुत कम होती हैं और दो या तीन महीने बाद जब हम यहां सूचना देते हैं तो उस समय कीमतें बहुत बढ़ चुकी होती हैं। परन्तु महोदय, मैं तीन महीनों के अन्तराल पर तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं पिछले वर्ष के मूल्य सूचकांक की तुलना इस वर्ष की उस अवधि के मूल्य सूचकांक से करने का प्रयास कर रहा हूं। पिछले वर्ष 1984 में जैसा कि मैंने कहा है कि सूचकांक 254.4 था जबकि 1985 में फरवरी के अन्त में यह बढ़कर 695.5 हो गया था। उस समय से कीमतों में कमी आई है और अच्छी फसल की उम्मीद में 13 जुलाई, 1985 को सूचकांक 352.4 था। यह फिर भी जनवरी, 1984 तथा उससे पहले के सूचकांक से अधिक है। मूल्यों में गिरावट का कारण जूट मिलों

द्वारा उच्चतम मूल्य सीमा निर्धारण करने की घोषणा तथा व्यापारियों के पास स्टाक को नियन्त्रित करने के लिए किए गए कड़े उपाय हो सकते हैं। परन्तु महोदय थोड़ी देर पहले, वस्त्र मंत्री के सहयोग से, श्रीमती गीता मुखर्जी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए जैसा कि मैंने कहा है कि जब उत्पादकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो भारतीय पटसन निगम को बाजार में आने और सुरक्षित भण्डार बनाने के लिए तैयार रखा जाता है।

महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि फसल की किस्म में सुधार की गुंजाइश है। पिछले मौसम में मुझे याद है कि हमे बीज तक प्राप्त करने में कठिनाई हुई थी और और बंगलादेश के साथ हमारे संबन्ध ठीक नहीं चल रहे थे, वे हमें बीज देने के लिए तैयार नहीं थे। परन्तु अब मैंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को देश के अन्य भागों में और अधिक 'नर्सरियां' बनाने का अनुदेश जारी कर दिया है और मेरे विचार में पटसन के बीज राजस्थान उत्पादन किए जा सकते हैं। अत: हम विकसित बीजों की मदद से अधिक तथा अच्छी किस्म की फसल प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे माननीय सदस्य को उत्तर में यही कहना था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, दुर्भाग्यवश पटसन से मेरा भी मुख्य संबन्ध है और इस विषय पर पहले भी बहुत कुछ कहा गया है। अत: मैं संक्षेप में बोलूंगा परन्तु पटसन के प्रश्न से पहले मैं दो शब्द नारियल के बारे में भी कहूंगा। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि एक बड़ी मात्रा में नारियल का तेल विदेशों से आयात किया जा रहा है। हम मात्रा जानना चाहते हैं। हमें मात्रा के संबंध में ठोस आंकड़े दिये जाएं। कितना नारियल का तेल आयात किया गया है और किस कीमत पर? वे खोपरे का भी आयात कर रहे हैं। जहां तक मैं जानता हूं हमें नारियल के तेल की कुछ घरेलू आवश्यकताओं और कुछ औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरत है। घरेलू इस्तेमाल मुख्यत: केरल में किया जाता है। मेरे विचार में अन्य राज्यों में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। अन्य राज्यों में खाना पकाने के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। परन्तु केरल में होता है। इस बजट से घरेलू आवश्यकता सीमित है नारियल के तेल का औद्योगिक इस्तेमाल भी होता है। परन्तु मुझे पता चला है कि इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमारे अपने देश में पर्याप्त उत्पादन होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि यह सच है तो नारियल के तेल का आयात क्यों किया जा रहा है जिसकी वजह से केरल में नारियल की कीमतों में कमी आई हैं। सरकार हमें बताये कि क्या वह नारियल के तेल का आयात जारी रखना चाहती है या क्या वह नारियल उत्पादकों के हित को ध्यान में रखते हुए इसका आयात, जिसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और जो केवल कुछ निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों के हित में है बन्द करने जा रही है।

जहां तक पटसन का संबन्ध है, मैं एक बात अवश्य कहूंगा। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय हमारे पटसन कृषकों के ढंग से अवश्य ही परिचित होंगे। वही प्रक्रिया 100 से अधिक वर्षों से चल रही है। वह बता रहे थे कि फसल जब मंडी में आती है तो क्या होता है। परन्तु उन्हें पटसन की अवश्य ही जानकारी होनी चाहिए। इसके व्यापार की एक प्रमुख विशेषता है। पटसन बड़ी मात्रा में बाजार में आने से पहले ही बिक जाता है। वह बाजार में आता ही नहीं है। यह ठेके द्वारा, लिखित ठेके द्वारा नहीं, अथवा वायदे पर ही कृषक के घर से बिक जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात बहुत सी फसलों पर लागू होती है केवल पटसन पर नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप मुझे अन्य फसलों के बारे में बताइये।

सरदार बूटा सिंह : अधिकांश बागवानी फसलें ऐसी ही हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसका क्या अर्थ है ? इसका अर्थ है उसके पास कोई अधिकार नहीं है। जैसे ही कच्चा पटसन तैयार होता है, फसल तैयार होती है उसे वहीं उसी वक्त बेचनी पड़ती है। अन्यथा उनके पास जीवन निर्वाह के लिए अथवा अपने परिवार को जीवित रखने के लिए साधन नहीं होंगे। यदि एक मजबूत सहकारी प्रणाली हो, जो कि मुझे खेद है नहीं है, तो पटसन किसान आपस में मिलकर कुछ दिनों के लिए अपनी फसल बेचने से रोक सकते हैं और अच्छी कीमत के लिए सौदेबाजी कर सकते हैं। परन्तु से ऐसा करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। इनमें से अधिकांश फसल तैयार होने से पहले ही बेच दी जाती है। और इन बिचौलियों, व्यापारियों और मिलों के एजेंटों, जो एक गांव से दूसरे गांव के चक्कर लगाते हैं, के माध्यम से बहुत कम कीमत निर्धारित की जाती है। उत्पादकों के लिए सबसे बड़ा प्रलोभन यह होता है कि उन्हें तत्काल नकद राशि मिल जाएगी। उनकी फसल तैयार होते ही वे उन्हें यही पेशकश करते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली से कृषि मूल्य आयोग द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं उसका बंगाल या बिहार, आन्ध्र प्रदेश आदि के पटसन उत्पादक जिलों के दूरस्थ पटसन उत्पादकों के लिए कोई अर्थ नहीं है। यहां तक भी मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल के अधिकांश पटसन उत्पादकों को यह पता नहीं होता है कि यदि वे अपना पटसन को घर से नजदीक की मंडी में ले जाएं, जहां भारतीय पटसन निगम कार्यरत है, तो सरकार उसे किस कीमत पर खरीदेगी। मुझे आशंका है कि भारतीय पटसन निगम प्रगतिशील ढंग से काम नहीं करती है। उन्हे सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य की व्यापक रूप से जानकारी दी जाए। उन्हें बताया जाए कि भारतीय पटसन निगम किस मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार है। यह तो स्पष्ट है कि भारतीय पटसन निगम किसानों के घरों में तो जाएगी नहीं। इसलिए जिस नजदीक की मंडी में वे पटसन खरीद रहे हों उसकी सूचना किसानों को अवश्य दी जाए कि यदि वह अपनी वस्तु वहां लाएंगे तो भारतीय पटसन निगम इस मूल्य पर उसे खरीदेगी।

जहां तक मैं जानता हूं पश्चिम बंगाल के अधिकांश पटसन उत्पादक क्षेत्रों में यह तरीका नहीं अपनाया जा रहा है। अतः सरकार को इस संबंध में अधिक सक्रिय कदम उठाने चाहिए।

दूसरा, यह ज्ञात नहीं है कि कृषि मूल्य आयोग ने किस आधार पर मूल्य निर्धारित किया है। माननीय मंत्री महोदय, ने निस्सन्देह यह कहा है कि मूल्य निर्धारित करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है। यदि मैंने मंत्री महोदय को गलत नहीं समझा है तो मेरे विचार में उन्होंने यह भी कहा है कि अन्तिम रूप से मूल्य निर्धारित करते समय राज्य सरकारों से भी परामर्श किया जाता है। यदि ऐसी बात है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वर्ष 223-230 रुपये मूल्य निर्धारित करते समय पश्चिम बंगाल सरकार की क्या राय थी ? उन्होंने क्या सुझाव दिया ? यह तो स्पष्ट है कि किसी को भी पिछले वर्ष के मूल्य जारी रहने की आशा नहीं होती है। वह वर्ष कच्चे पटसन के उद्योग के इतिहास में एक असामान्य वर्ष था, बिल्कुल असामान्य। इसके कुछ विशेष कारण हैं जिन का उल्लेख मैं अब नहीं करूंगा। सब जानते हैं कि इस वर्ष वह स्थिति नहीं है। मूल्य तेजी से गिर रहे हैं। परन्तु कृषि मूल्य आयोग द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने से पूर्व पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और असम राज्य सरकारों ने क्या सुझाव दिये ? पटसन की निस्सन्देह कई किस्में हैं और उनके लिए अलग-अलग मूल्य निर्धारित करने होंगे। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मूल्य निर्धारित करने से पूर्व राज्य सरकारों की राय का कितना ध्यान रखा गया ?

माननीय मंत्री महोदय ने कलकत्ता में प्रचलित मूल्य का जिक्र किया है। कलकत्ता के मूल्य का किसानों से कोई संबंध नहीं है। कलकत्ता में प्रचलित कच्चे पटसन का मूल्य किसानों पर लागू नहीं होता। यह पटसन बिचौलियों और व्यापारियों द्वारा किसानों से खरीद कर बेचा जा रहा है।

इस प्रकार यदि समय पर कुछ उपाय न किए गए तो इस वर्ष स्थिति बहुत खतरनाक होगी। माननीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य में क्या कहा है?

> "भारतीय पटसन निगम को मण्डियों में महत्वपूर्ण तरीके से आने के लिए सतर्क कर दिया गया है।"

मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह अत्यन्त कूटनीतिपूर्ण वक्तव्य है। "सतर्क कर दिया गया है" इसका अर्थ है यह मण्डियों में नहीं आया है, और 'महत्वपूर्ण तरीके से' का क्या अर्थ है? मैं यह भी जानना चाहता हूं।

इस वर्ष 80-85 लाख गांठों का अच्छा उत्पादन होने की संभावना है जो कि उद्योग की वास्तविक आवश्यकता से अधिक है और पटसन निगम के अब तक के इतिहास में उसे कभी भी उपलब्ध पटसन के 10-15 प्रतिशत से अधिक नहीं मिला। शेष 85% या 75% पटसन मिलों के लिए उनके बिचौलियों और व्यापारियों आदि के माध्यम से खरीदे जाने के लिए खुले बाजार में आता रहा है। "भारतीय पटसन निगम को इस वर्ष महत्वपूर्ण तरीके से काम करने के लिए सतर्क करना" क्या इसका अर्थ कुछ और है? मैं नहीं जानता। माननीय वस्त्र मंत्री ने संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल को हाल ही में बताया था कि पटसन निगम इस वर्ष उपलब्ध पटसन का 33 प्रतिशत तक खरीद सकता है।

चन्द्रशेखर सिंह : यह 25 से 33% तक के बीच हो सकती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया हमें बताइये 'महत्वपूर्ण तरीके से' का क्या अर्थ है। यह पक्का किया जाना चाहिए कि वे वास्तव में किस कीमत पर खरीदने जा रहे हैं क्योंकि उनकी खरीद का कुछ हिस्सा राष्ट्रीयकृत पटसन मिलों अर्थात नेशनल जूट मैन्युफेक्चरर्स कारपोरेशन के लिए सुरक्षित रखा जाना है। परन्तु इसका अर्थ है कि उनकी खरीद का बड़ा हिस्सा इन पांच या छः मिलों को मिलेगा और वे इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से कुछ अधिक देने के लिए तैयार हैं।

जो मूल्य लगाया जा रहा है वह सम्भवत: न्यूनतम समर्थन मूल्य जमा पच्चीस रुपये है। वह संभवत: नेशनल जूट मैन्युफेक्चरर्स कारपोरेशन की मिलों के लिए है। मुझे शेष के बारे में जानकारी नहीं है। यह काम कब आरम्भ होगा और क्या कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है? क्या हम यह मान लें कि भारतीय पटसन निगम को उपलब्ध पटसन का 25 से 33 प्रतिशत खरीदने की अनुमति दी गई है और यही लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

क्या कोई नए क्रय केन्द्र खोले जा रहे हैं? कृपया बताएं कितने और कहां-कहां पर? क्या इस पटसन के लिए आपके पास गोदाम हैं क्योंकि भारतीय पटसन निगम हम से हमेशा भंडारण क्षमता कम होने की बात कहता आया है।

आपके अनुरोध और अनुनय आदि के बावजूद कुछ मिल बन्द ही रहेंगी। उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। यदि मिल बन्द रखना उनके व्यवसाय के हित में है तो वे मिल बन्द ही रखेंगे।

ऐसी स्थिति में कलकत्ता में इन मिलों के गोदाम भारतीय पटसन निगम द्वारा खरीदे गए पटसन के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाएं। अगर आपके पास भंडारण की सुविधा नहीं है तो इन बन्द मिलों के गोदामों की मांग की जानी चाहिए और वहां पटसन रखा जाना चाहिए।

जहां तक इस बात का संबंध है कि पटसन में ऐसे किस्में आ रही हैं जिनसे पैदावार अधिक होती है। यह बात पटसन पर लागू नहीं होती। जहां तक मुझे मालूम है खेती के वही पुराने तरीके हैं। पटसन में अधिक पैदावार देने वाली कोई किस्म नहीं आई।

मैं अपनी बहस इस दिलचस्प बात से खत्म करूंगा कि कच्चे पटसन की कीमतों में कमी आ रही है जबकि अभी भी लगभग 20 मिलें—17,18 या 20 मिलें बन्द है लेकिन आंकड़े कहते हैं कि जो पटसन मिलें चालू है वहां पटसन से तैयार होने वाले सामान का उत्पादन बढ़ रहा है। मैं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले स्टैट्समैन की आज की प्रति से हर सप्ताह प्रकाशित होने वाले बाजार समाचार, नगर समाचार से कुछ उद्धृत कर रहा हूं :

"खरीद समर्थन······"

वह पटसन से निर्मित सामान की खरीद की बात कर रहा है।

"घरेलू और विदेशी स्रोतों द्वारा पटसन की खरीद में तेजी से वृद्धि हो रही है। ध्यान देने योग्य बात है कि सीमेंट तथा चीनी उद्योग काफी संख्या में बोरियां खरीद रहे हैं। अमरीका ब्रिटेन तथा पश्चिम एशिया के देशों में टाट तथा पटसन धागे की मांग बढ़ रही है।"

अतः स्थिति उतनी धूमिल नहीं है जितनी मिल मालिक उसे बनाना चाहते हैं। उत्पादन के आंकड़ों से पता चलता है कि टाट का उत्पादन जो कि मई में 7,200 टन था जून में बढ़कर 18,000 टन हो गया। मई में 26,100 टन बोरी का उत्पादन हुआ जबकि जून में यह बढ़कर 30,000 टन हो गया। इतना तो तब हुआ जब 20 मिलें बन्द पड़ी हैं और उत्पादन एक तरह से ठप्प पड़ा है।

आगे स्टेट्समैन लिखता है :

"संकेत मिले हैं कि व्यापारिक संस्थान आगामी महीनों के दौरान अन्य देशों द्वारा और अधिक पटसन खरीदी जायेगी।"

तो यह स्थिति है और सरकार है कि इन लोगों को मिलें चालू करने के लिए बाध्य तक नहीं कर सकती। इनमें से ज्यादातर मिलें औद्योगिक विवाद के कारण बन्द नहीं हैं। मैं इस बात का खंडन करना चाहता हूं। तीन-चार मिलें ऐसी हैं जो मिल मालिकों तथा कामगारों के बीच औद्योगिक विवाद के कारण बन्द हैं। लेकिन अन्य बन्द मिलों को क्या हुआ है? वहां तो कोई औद्योगिक विवाद नहीं हैं। उन्हें मिल मालिकों ने स्वयं बन्द किया है और अब जूट की कीमतों को और कम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इसीलिए हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि भारतीय पटसन निगम को अविलम्ब घोषणा कर देनी चाहिए और पटसन उत्पादकों तक इसका प्रसारण किया जाना चाहिए तथा मंडी में आकर माल खरीदना चाहिए। अन्यथा मिल मालिकों का, कच्चे पटसन की कीमतें कम करने का षड्यंत्र सफल हो जाएगा। पीछे भी हमने यही सब होते देखा है। सरकार इस मामले में उस समय हस्तक्षेप करेगी जब पानी सिर से गुजर चुका होगा।

सरदार बूटा सिंह : महोदय मुझे अपने वरिष्ठ सहयोगी माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने मुझे पटसन की खेती के तरीके बताए। यह सही है कि इस

विभाग मे मैं नया हूं लेकिन मेरी पृष्ठ भूमि —भले ही पटसन की नहीं है—पर गांव की है । मुझे मालूम है कि पंजाब में कुछ सालों पूर्व तक फसलों का वही हाल होता था जो अब प० बंगाल में पटसन का हो रहा है । वास्तव में गलती राज्य सरकार की है । अगर हम पंजाब, हरियाणा या महाराष्ट्र में उत्पादकों को बिचौलियों से बचा सकते हैं तो मालूम नहीं मार्क्सवादियों के नेतृत्व में एक समाजवादी राज्य बिचौलियों तथा आढ़तियों को, उत्पादकों का इतने विशाल पैमाने पर शोषण क्यों करने दे रहा है । मार्क्सवादी सरकार द्वारा इस काम को करने का यही उचित मौका है । यह बड़े शर्म की बात है, जब मैं यह सुनता हूं कि फसल को पकने के समय ही खरीद लिया जाता है···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुश्किल यह है कि समाजवादी राज्य उन गैर समाजवादी राज्यों से घिरा हुआ है जो पटसन उत्पादन भी कर रहे हैं ।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य उल्लेख कर चुके हैं, यह सच है कि पटसन उत्पादकों की सहायता के लिए खासकर कीमतों के मामले में, सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों का पर्याप्त प्रचार नहीं किया गया । इसकी घोषणा की जानी चाहिए । इस सुझाव के बाद मैं अपने सहयोगी सूचना तथा प्रसारण मंत्री को यह बात जरूर कहूंगा कि पटसन तथा अन्य फसलों से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रचार माध्यमों में अधिक समय दिया जाए । यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि बिचौलिए किसानों को धोखा देते हैं । नारियल, सुपारी, रबड़ जैसी फसलों के लिए तो राज्य सहकारी समितियां हैं । नारियल का तो बहुत प्रचार किया जाता है, इसकी 'लाबी' भी महत्वपूर्ण है । वही मुख्य मंत्री बनाती तथा हटाती है । लेकिन पटसन के मामले में स्थिति ऐसी नहीं है । कपास तथा चीनी अपने-अपने क्षेत्रों में बहुत महत्व रखती है । महोदय, पटसन के मामले में मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं और मैं सदन को सूचित कर चुका हूं कि आई० सी० आर० की ओर से बीज में सुधार करके बढ़िया किस्म के पटसन की फसल विकसित करने तथा उत्पादन-वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है । महोदय, माननीय सदस्य बिक्री केन्द्रों की संख्या जानना चाहते हैं । इस समय भारतीय पटसन निगम के पास 183 बिक्री केन्द्र तथा सहकारिता विपणन समितियों के पास 240 बिक्री केन्द्र हैं । महोदय, मुझे वह सब दोहराने की जरूरत नहीं है जो मेरे सहयोगी वस्त्र मंत्री कह चुके हैं । जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, भारतीय पटसन निगम इस बार सतर्क है । मैं यह भी कहूंगा कि निगम तैयार है । माननीय सदस्य जानते ही हैं कि जब कीमतें समर्थन मूल्य तक पहुंचेंगी तो सरकार समर्थन मूल्य से भी 25 रुपए अधिक देने को तैयार है । निगम मंडी से खरीद करेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आपने उन्हें धनराशि दे दी है ?

सरदार बूटा सिंह : जी हां, उन्हें मंजूरी दे दी गई है । उससे वे सुरक्षित भण्डार भी तैयार कर सकते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक पर्याप्त धनराशि की मंजूरी दे चुका है और काम तभी शुरू किया जाएगा जब कीमतें समर्थन मूल्य तक पहुंच जाएगी और वस्त्र मंत्री द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से 25 रुपए अधिक दिया जाएगा । महोदय, भंडारण क्षमता की हमें अधिक चिन्ता नहीं है । हम जानते हैं कि भंडारण क्षमता का कैसे पता लगाया जाए । माननीय सदस्य द्वारा सुझाए उपाय को अपनाने में भी हमें कोई चिंता नहीं है । हम वह उपाय भी अपना लेंगे । महोदय, माननीय सदस्य ने नारियल के तेल का प्रश्न उठाया है । नारियल के तेल का बड़ी मात्रा में आयात नहीं किया जाता है । इस बार मैं, संसद के वर्तमान सत्र के दौरान, घोषणा कर चुका हूं कि नारियल के तेल का आयात नहीं किया जाएगा । सरकार ने नारियल उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए नारियल

के तेल का आयात नहीं करने का निर्णय लिया है। इस बारे में मुझ से केरल में एक प्रश्न पूछा गया था। पिछले साल महज कीमतों को स्थिर करने के लिए 9044 टन नारियल के तेल का आयात किया गया था। इस बार इसकी अच्छी फसल के बावजूद इसकी कीमतें गिर रही हैं। केरल सरकार कीमतों में स्थिरता लाने के लिए आरम्भिक कार्रवाई कर चुकी है। सम्माननीय सदन के समक्ष यह घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि कीमतों को उस स्तर तक ले आया गया है जिससे किसान संतुष्ट हैं। महोदय, जहां तक बन्द मिलों का सवाल है सम्बन्धित मन्त्री महोदय उस ओर ध्यान दे चुके हैं और वे इस समस्या पर विचार करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपके पीछे बैठे दोनों मन्त्री महोदयों ने नोट ही किया है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। मिलें बन्द पड़ी हैं। पटसन मिल मालिकों को इसकी चिंता नहीं है।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, जहां तक पं० बंगाल सरकार की समर्थन मूल्यों के बारे में राय का सम्बन्ध है, कृषि लागत तथा मूल्य आयोग सरकार को जो भी सिफारिश करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का मत प्राप्त होते ही आयोग के समक्ष रख दिए जाएंगे। फिलहाल, राज्य सरकार का मत आयोग के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री कमोदीलाल जाटव (मुरैना) : सरसों के भाव नीचे चल रहे हैं, इसके बारे में मन्त्री जी क्या कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को पत्र भेज सकते हैं।

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : पिछले वक्ता महोदय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ कृषि उत्पादों के बाजार-भाव बढ़ जाते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उस बढ़ी कीमतों का फायदा किसानों को मिलता है। यही तो सारी समस्या है। गरीब किसान कृषि उत्पाद को बहुत समय तक जमा करके नहीं रख सकते। अत: उत्पाद तैयार होते ही उसे बिक्री के लिए ले आया जाता है और उस समय जमाखोर, बिचौलिए तथा मिल मालिकों के ऐजेंट उनसे बहुत कम कीमतों पर कृषि उत्पाद खरीद लेते हैं क्योंकि उनके पास जमा करने के लिए भंडार होते हैं। उनके पास किसानों से खरीदे गए कृषि उत्पाद को अधिक समय तक जमा करने की क्षमता होती है। इसीलिए उन्हें उस पैदावार को बेहतर कीमतों पर बेचने का अवसर मिल जाता है। यही सारी समस्या है।

गन्ना-उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं। जबकि चीनी की कीमतों में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है। अन्य वस्तुओं की भी यही स्थिति है।

माननीय मंत्री ने पटसन और धान का उदाहरण दिया है और बताया है कि कलकत्ता में, जनवरी 1985 में पटसन की कीमतें 975 रुपए प्रति क्विटल तक पहुंच गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि जनवरी महीने में मंडी में पटसन लाया कौन था। बिचौलिए या जमाखोर। किसान अच्छी कीमत मिलने की आशा में 6-7 महीने अपना माल अपने पास नहीं रख सकता इसी तरह इस समय धान की कीमतें बढ़ी हुई है। लेकिन क्या धान-उत्पादक अपनी फसल को अधिक समय तक अपने पास जमा रख सकते हैं ?

इसीलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि मंडी में कृषि-उपजों के आते ही किसी सरकारी मशीनरी को कि वह उपज खरीद लेनी चाहिए। हर कृषि-उपज के मामले में ऐसा किया जा सकता है। कोई सरकारी मशीनरी होनी चाहिए जो सरकारी समर्थन मूल्य पर किसानों से सीधे उनकी उपज खरीद ले।

एक और बात । सरकार कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने में इतनी देरी क्यों कर रही है । मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक फसल की बुवाई से पूर्व सरकार द्वारा उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी जानी चाहिए । प्रत्येक फसल के लिए एक तिथि निर्धारित कर दी जानी चाहिए और यह काम किसानों नेताओं से विचार विमर्श करके किया । जाना चाहिए । कई किसान संगठन हैं । सत्तारूढ़ दल के भी अपने किसान संगठन हैं । प्रत्येक कृषि उपज के लिए कोई एक तिथि निर्धारित की जानी चाहिए और सरकार को हर साल उस तारीख को उसका समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए ।

मैं पहले भी यह बात कह चुका हूं कि देश में हर जगह सरकारी मशीनरी होनी चाहिए जो किसानों से सीधे उनकी उपज खरीदे ।

एक बात और है । आप कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे निर्धारित करेंगे ? माननीय मंत्री ने इस बारे में कुछ कहा लेकिन हमारा वास्तविक अनुभव यह है कि उत्पादन-लागत की उपेक्षा की जाती रही है । हमने देखा है कि इस बार कच्चे पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी उत्पादन लागत से कम है । माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे इस मुद्दे पर विभिन्न 'किसान' संगठनों के नेताओं से राय लें । इस साल कच्चे पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए ।

एक-दो साल बाद स्थिति ऐसी हो जाएगी कि सारा पटसन उद्योग तहस-नहस हो जाएगा क्योंकि मिल मालिक सरकार के निर्णय पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ।

उन्होंने अनेक मिलें बन्द कर दी हैं जिसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं । इस बार प० बंगाल, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, और आंध्र प्रदेश के किसानों ने बहुत बढ़िया फसल पैदा की है । अगर इस साल उन्हें उनकी उपज का वास्तविक मूल्य या समर्थन मूल्य नहीं मिला तो उन्हें पटसन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा । तब क्या होगा ? सारे उद्योग को नुकसान होगा ।

एक और खतरा है । अगर इस साल उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य या कोई प्रोत्साहन नहीं मिला तो वे अपनी जमीनों को बेचने को बाध्य हो जाएंगे और कोई और काम धंधा शुरू कर देंगे । जिससे बेरोजगारी और बढ़ेगी तथा अर्थव्यवस्था संकट में पड़ जाएगी ।

इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि अब तक भारतीय पटसन निगम ने क्या किया है ? मेरी सूचना के अनुसार निगम अगस्त के अन्तिम सप्ताह तक मंडी में खरीद कार्य शुरू नहीं करेगा ।

ऐसा लगता है कि उन्होंने अन्दर ही अन्दर यह निर्णय ले लिया है । लगता है कि यह निर्णय मिल मालिकों से विचार-विमर्श करके लिया गया है । मंडी में कच्चे पटसन के पहुंचते ही निगम खरीद कार्य क्यों नहीं शुरू करता है ? क्या मंत्री जी बताएंगे कि इस मौसम के दौरान निगम ने कितना कच्चा पटसन खरीदा है । इसमें इतनी देरी क्यों की जा रही है तथा इसका फायदा किसको मिल रहा है ।

सरदार बूटा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को हमेशा यह बात जहन में रखनी चाहिये कि बाजार में प्रचलित चीजों के बाजार भाव तथा समर्थन मूल्य में अन्तर होता है । समर्थन मूल्य का अर्थ है किसी एक विशेष स्थिति में वस्तु को बेचना । जब कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो समर्थन मूल्य तंत्र खरीदारी करता है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा

प्रारम्भ करने के समय से ही मैं यह कह रहा हूं कि पटसन मूल्य उस स्तर तक नहीं आये हैं जहां पर समर्थन मूल्यों की घोषण किये जाने की जरूरत है।

महोदय, मेरे माननीय सहयोगी ने इसमें 25 रुपये जोड़ दिये हैं। यह आज की चर्चा का सकल नफा है। और जैसे ही यह निर्धारित स्तर घूमेगा तो भारतीय पटसन निगम कच्चा पटसन खरीदारी करेगा। अगर सम्पूर्ण कृषि उत्पादों को खरीदने के लिए हमारे पास संसाधन होते मैं माननीय सदस्य से सहमत हो जाता और खरीद कर हम इसे अपने गोदामों में रखते तथा मूल्यों को नियंत्रित करते। तब यह अलग बात होती। परन्तु इस समय देश में प्रचलित प्रणाली है कि कुछ फसलों के लिए हम फसल मूल्य निश्चित करते हैं। और कुछ फसलों के लिए हम समर्थन मूल्य निश्चित करते हैं।

3.00 म०प०

खरीद मूल्य दो उद्देश्यों के लिये हैं। जब कभी भी बाजार में कमी आती है हमें लोगों को खाद्यान्न की पूर्ति करनी पड़ती है। और अगर किसी वजह से हमारा आन्तरिक उत्पादन इसकी पूर्ति नहीं कर पाता है तो हम इसका आयात करने में झिझकेंगे नहीं। परन्तु सौभाग्य से हमारे लिये ऐसी स्थिति समाप्त होती जा रही है। कुछ मामलों में तो हमारी स्थिति इतनी अच्छी है कि हम दूसरे देशों को पूर्ति कर सकते हैं। पिछले 30 वर्षों में भारतीय कृषकों ने विश्व को दिखा दिया है कि वैज्ञानिकों, तकनीशियनों तथा विशेषज्ञों की मदद से भारत खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर हो गया है और हमें इस पर गर्व है।

पटसन के बारे में, जिस बारे में माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, मैं बताना चाहूंता हूं कि जैसे ही मूल्य निर्धारित स्तर को छूएंगे तो भारतीय पटसन निगम अवश्य ही इसे खरीदेगा। मैं सदन को पहले ही बता चुका हूं कि हम सुरक्षित भण्डार बनायेंगे तथा भारतीय पटसन निगम को एकदम तैयार रखेंगे। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि हम मूल्यों को निर्धारित किस प्रकार करते हैं? किसान या उत्पादन कर्त्ता मूल्यों को निश्चित करने की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं या नहीं? उत्पादक कांग्रेसी या मार्क्सवादी अथवा अकाली या फिर जनता दल का सदस्य हो सकता है, परन्तु उत्पादक उत्पादक, ही है, किसान, किसान ही है। आखिरकार किसान, किसान ही हैं। आयोग जिसे यह जिम्मेवारी दी गई हैं, ने किसी निर्धारित फसल के लिए समर्थन मूल्य निकालने के लिए एक पद्धति-तैयार की है।

महोदय, आपकी इजाजत से मैं आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली पद्धति को पढ़ता हूं ताकि माननीय सदस्यगण जान सकें कि यह कितना विस्तृत कार्य है। वास्तव में खेती करने वाले, न कि राजनैतिक नेता, बल्कि किसान नेता, छोटे तथा सीमांत कृषकों की सलाह आयोग लेता है। अब मैं इससे सम्बन्धित हिस्से को पढ़ता हूं।

> "आयोग ने राज्य सरकारों, विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों तथा हितबद्ध संस्थाओं के साथ परामर्श करने की प्रथा अपनायी है। आयोग राज्य सरकारों, किसानों, व्यापारियों एवं उद्योगपतियों आदि की राय जानने के लिये, विभिन्न राज्यों का दौरा करता है तथा आयोग के साथ विस्तृत चर्चा करने के लिये विभिन्न संगठनों एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को नई दिल्ली में बुलाया जाता है। आयोग संबंधित जिन्सों की खेती पर आने वाली लागत की विस्तृत समीक्षा करता है। इस उद्देश्य के लिये, आयोग को विभिन्न राज्यों में शोध संस्थानों/कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा कृषि लागत का अध्ययन करने के लिए लागू की गई व्यापक योजना द्वारा निर्धारित कृषि उत्पादन लागत की अनुमानित मूल्य उपलब्ध

कराया जाता है। इस समय 9000 नमूनों का प्रति वर्ष इन विश्वविद्यालयों द्वारा सर्वेक्षण करके अनुमानित लागत की जानकारी हासिल करने के लिये अध्ययन किया जाता है। अध्ययन के पूरा होने के बाद कृषि संबंधी औजारों की लागत में हुई वृद्धि को भी आयोग ध्यान में रखता है, और अपनी मूल्य सिफारिशें निर्धारित करने से पहले इन परिवर्तनों को भी शामिल करता है।

समर्थन / खरीद मूल्यों की सिफारिश करते समय सी० ए० सी० पी० इन बातों को ध्यान में रखता है : (1) विकसित तकनीक अपनाने तथा अधिकतम उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता।

(2) भूमि, पानी व अन्य उत्पादक संसाधनों का तर्क संगत उपयोग और

(3) शेष अर्थ-व्यवस्था, विशेषतया जीवन निर्वाह, मजूरी का स्तर, औद्योगिक लागत आदि पर मूल्य नीति का संभावित प्रभाव।"

ये अध्ययन किये गए थे तथा नियम बनाये गये थे जिनका कि आयोग प्रतिवर्ष निर्धारित जिन्स के लिये समर्थन या खरीद मूल्य निश्चित करने के लिये बारीकी से अनुसरण करता है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं वे कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने खेतों में किसानों के साथ इनका अध्ययय किया है।

सरदार बूटा सिंह : मुझे पश्चिम बंगाल कृषि विश्वविद्यालय से यह जानकारी प्राप्त करनी होगी। मैं जानकारी एकत्र करूंगा तथा संबंधित व्यक्ति को दे दूंगा। मूल्यों की सिफारिश आयोग द्वारा भारत सरकार को की जाती है। तत्पश्चात भारत सरकार इन सिफारिशों को राज्य सरकारों को भेजती है, उनके विचार प्राप्त करती है तथा अन्त में, दी गई जिन्स के लिये मूल्य निर्धारित किया जाता है। इस तरह से हम समर्थन एवं खरीद मूल्य निकालते हैं। खरीद मूल्य निर्धारित करने के लिये हमारे दो उद्देश्य हैं। एक तो यह सुनिश्चित करना कि फसल की पर्याप्त मात्रा सरकारी एजेन्सियों द्वारा खरीद ली जाये। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कौन सा तंत्र कार्य कर रहा है। प्रत्येक राज्य में सहकारिता प्रणाली है जो कि किसानों को विपणन में मदद करती है हमारे यहां राज्य कृषि संघ मौजूद हैं और इसके अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने के लिये, भारत सरकार की तरफ से सहायता करने के लिये, हमारे यहां शीर्षस्थ निकाय, जैसे कि भारतीय कृषि संघ, भारतीय पटसन निगम, भारतीय कपास निगम आदि विद्यमान है। ये सभी संगठन किसानों को उनके लाभकारी मूल्य दिलाने में मदद करने के लिये हैं ताकि किसानों को मजबूत बिक्री न करनी पड़े ये सभी उपाय देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये किये गये हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यगण मेरे उत्तर से संतुष्ट होंगे।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : आन्ध्र प्रदेश में करोड़ों रुपये की कपास का स्टाक जमा पड़ा है। कपास निगम क्यों नहीं इसे खरीद सकता ?

सरदार बूटा सिंह : माननीय सदस्य इस संबन्ध में पत्र लिखें।

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 29 जुलाई, 1985 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) आज की कार्यसूची से बकाया किसी सरकारी मद पर विचार।

(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना :--

दंड विधि संशोधन (संशोधी)
विधेयक, 1985
काफी (संशोधन) विधेयक, 1985
बालक नियोजन (संशोधन)
विधेयक, 1985

(3) 1985-86 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान

(4) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप, में कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक, 1985 पर विचार तथा पारित करना।

(5) लोक सभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 193 के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों पर उनके सामने दिये गये दिन और तारीख को सांय 3.00 बजे चर्चा :—

(1) वस्त्र-उद्योग नीति पर
मंगलवार, 30 जुलाई, 1985 को

(2) मूल्य बढ़ोत्तरी पर गुरुवार,
1 अगस्त, 1985 को।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चंद्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 29.7.85 को शुरू होने वाले सप्ताह में मेरे निम्न विषय एजेन्डा में सम्मिलित किये जाये;

1. देश में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मरु विकास कार्यक्रम सन् 77 में शुरू हुआ था। केन्द्र सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम के लिये शत-प्रतिशत मदद दी जाती थी परन्तु 1.4.79 को उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सिर्फ 50 प्रतिशत मैंचिंग ग्रांट दी जाती है और राज्यों को उतना ही हिस्सा देना पड़ता है जबकि पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के लिए शत-प्रतिशत और दूसरे पहाडी क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत जिसमें यू० पी० के आठ जिले, पश्चिम बंगाल का दार्जलिंग जिला, आसाम का उत्तरी कचाट एवं पश्चिमी घाट का क्षेत्र आता है। 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत लोन दिया जाता है। मरु क्षेत्रों की जनसंख्या पहाड़ी क्षेत्र कार्यक्रम से आधी है और क्षेत्रफल भी अधिक है और मरु क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों से भी कम विकसित है के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में निधियां सुविधाएं तथा रियायतें देने के मामले में समानता रखी जाए।

2. नयी रेलों के निर्माण में उत्तरी पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों को केंद्र सरकार महत्ता दे रही है जबकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां आवागमन की बहुत कम सुविधाएं हैं और रेलों का विस्तार भी बहुत कम है उपेक्षा की नीति अपनाई जा रही है। अत: सातवीं पंचवर्षीय योजना में रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेलों का अधिक विस्तार करने के लिए और विशेषत: पठानकोट से कांडला तक ब्राडगेज रेलवे लाइन सातवीं पंचवर्षीय योजना में लिये जाने की आवश्यकता पर ध्यान दें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आसका) : अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय को शामिल किया जाये।

भारत ने कृषि उद्योग तकनीक आदि के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है तथा भारत खाद्य सामग्रियों, जैसे कि गेहूं आदि, का निर्यात करने में सक्षम है परन्तु हमारी उपलब्धियों का कोई लाभ नहीं अगर आबादी पर नियंत्रण नहीं किया जाता। देश की आर्थिक प्रगति में बढ़ती हुई आबादी सबसे बड़ी बाधा है। अगर नियंत्रित नहीं की जाती तो सन् 2020 तक यह 125 करोड़ हो जायेगी। भारत विश्व में पहला देश है जहां पर परिवार नियोजन का काम सरकारी स्तर पर किया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य है आबादी को नियंत्रित करना एवं स्वस्थ बच्चों को जन्म देना। इसकी विशेष आवश्यकतायें है—देर से विवाह करना कम परन्तु स्वस्थ बच्चे, तथा उनका बेहतर पालन पोषण, माताओं और शिशुओं के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र। चीन ने देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को कायम रखने के लिये एक बच्चा प्रति परिवार का मानदण्ड बनाया है ताकि इस सदी के अंत तक 1.2 बिलियन की आबादी के उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। परिवार नियोजन नीति यथार्थता, विवेकता तथा लोगों की स्वेच्छा पर विचार करते हुए तथा उनकी वास्तविक दिक्कतों को देखते हुये बनानी चाहिए ताकि विवाहित दंपत्ति पर इस आह्वान का सही असर हो। अगर मुमकिन हो तो हमारी नीति भी 'एक दंपत्ति एक बच्चा' हो। 14 वर्षों तक परिवार कल्याण मापदण्ड अपनाने वाले माता पिताओं को प्रोत्साहन के रूप में 25 रुपए प्रतिमाह दिए जा सकते है, मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा सुविधा आदि इसके अतिरिक्त हों। आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा कृषि एवं उद्योग को सालाना पैदावार बढ़ाने के लिए जनसंख्या कार्यक्रम को भी एक महत्त्वपूर्ण संघटक समझना चाहिए। आबादी रोकने की समस्या को दलगत विचारों से ऊपर समझना चाहिये चूंकि यह राष्ट्रीय समस्या है। परिवार कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये लोगों में जन जागृति पैदा करनी होगी।

[हिंदी]

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह के सरकारी कार्य के बारे में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा लोक सभा में दिए जाने वाले वक्तव्य में अनन्य विषयों के अतिरिक्त निम्नलिखित विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए।

हर राज्य में पैट्रोलियम पदार्थों तथा मिट्टी के तेल की आपूर्ति निरंतर बनाए रखी जानी जरूरी है। आपूर्ति में कमी आने से हाहाकार मच जाता है। हाल ही में 20 जून, 1985 से 3 जुलाई, 1985 तक मध्य प्रदेश में भारी कमी आ गई थी। विधान सभा में राज्य सरकार को जवाब देना मुश्किल हो गया था।

इसी प्रकार पेट्रोलियम पदार्थों में मिट्टी के तेल की मिलावट भी बहुत हो रही है। 1984-85 में मध्य प्रदेश से पैट्रोलियम विभाग की बम्बई स्थित प्रयोगशाला में मिलावट के 200 प्रकरण भेजे गए थे। यह आश्चर्य की ही बात है कि एक भी प्रकरण में मिलावट सिद्ध नहीं हुई। इन्दौर के एक मामले में तो जिलाधीश ने मिट्टी के तेल के एक टैंकर को डीजल टैंक में मिलावट करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, परन्तु प्रयोगशाला ने इसमें भी मिलावट न होने का सर्टिफिकेट दे दिया।

मध्य प्रदेश शासन ने चाहा है कि मध्य प्रदेश में ही तीन प्रयोगशालायें स्थापित की जाएं। केंद्र सरकार इसकी अनुमति प्रदान करे। किसी भी डीलर को डीजल और पैट्रोल के साथ मिट्टी के तेल का विक्रेता नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

गैस के डिलरों पर राज्य सरकार का भी नियंत्रण रहना जरूरी है, क्योंकि आज अधिकांश

डीलर भयंकर अनाचार करते हैं। इन डीलरों को लाइसेंस देने का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाए और नियुक्ति करते समय उसकी राय ली जाए।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्न दो विषयों का समावेश सदन में प्रस्तुत अगले सप्ताह की कार्य-सूची में किए जाने का अनुरोध करता हूं :—

(1) डी० डी० ए० द्वारा सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंतर्गत घटिया दर्जे के रिहायशी फ्लैट निर्मित किए जाने के समाचारों के कारण इस संस्था की विश्वसनीयता खतरे में पड़ गई है। इन फ्लैटों के आवेदन-कर्त्ताओं में गहरा असंतोष व्याप्त है। अतः इस प्रकरण पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

(2) पायरिला नामक बीमारी से उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। इसको समूल नष्ट करने व किसानों को उचित मुआवजा देने के प्रकरण पर भी सदन में चर्चा आवश्यक है।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मैं चाहता हूं कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाये :—

(1) छोटे सिक्कों एवं एक तथा दो रुपये के नोटों की कमी के कारण पूरे देश में लोगों को काफी दिक्कत है। बहुत से समाज-विरोधी व्यापारी छोटे सिक्कों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं इस अवैध व्यापार से उन्हें अत्यधिक मुनाफा हो रहा है। इन समाज विरोधी तत्वों को रोकने एवं इस समस्या को तुरन्त समाप्त करने के लिये सरकार को शीघ्र ही प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

(2) केंद्रीय सेवाओं में भर्ती पर निरन्तर रोक लगा देने से इन दिनों बेरोजगारी की समस्या काफी जटिल हो गई हैं। इससे सभी प्रतिष्ठानों में जनशक्ति में काफी कमी आई है तथा इसके फलस्वरूप सेवा तथा नौकरियों के स्तर में गिरावट आई है तथा सामान्य से ज्यादा काम करने की वजह से दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है और थकावट एवं गलतियां भी होती हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित करने का सुझाव देता हूं :

धारवी बम्बई में केंद्रीय वित्तीय सहायता से चलाई जा रही गंदी बस्ती सुधार योजना की जमीन को एक भवन निर्माता को हस्तांतरित करना

बंबई में धारवी एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है धारवी गंदी बस्ती सुधार योजना को केंद्र द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है इस योजना की भूमि को एक भवन निर्माता को हस्तांतरित कर दिया गया है और यह आरोप है कि इस भूमि के अन्तरण में काफी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। इस बारे में काफी चिंता व्यक्त की गई है। अतः मेरा सुझाव है कि इस विषय पर सदन में चर्चा की जानी चाहिये।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जाली आवंटन

बहुत से समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण जाली आवंटन कर रहा है तथा इसमें अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार व्याप्त है। मेरा सुझाव है कि इस विषय पर सदन में चर्चा की जाए।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित करवाना चाहता हूं।

सहारनपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी हैं। राजस्थान के कतिपय क्षेत्रों में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। हैदराबाद में भी निरंतर साप्रदायिक दंगे हो रहे हैं तथा गुजरात में तो सांप्रदायिक हिंसा की आग शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। जन और माल की बहुत ज्यादा क्षति हुई है। न तो जान और माल की सुरक्षा है और न ही इन लूटपाट और दंगा पीड़ितों के लिए पर्याप्त मुआवजा अथवा सहायता ही दी जाती है। राज्य की अर्थ-व्यवस्था भी बिगड़ गई है। इस गंभीर स्थिति पर सर्वांगीण चर्चा किये जाने की आवश्यकता है। अतः अगले सप्ताह की कार्य-सूची में इस मद पर चर्चा को शामिल किया जाना चाहिए।

श्री वो० शोभानाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : अगले सप्ताह को कार्य-सूची के संबंध में मुझे निम्नलिखित बातें कहने की अनुमती दी जाये :

1. आंध्र प्रदेश सरकार ने एक चार सदस्यीय समिति नियुक्त की थी जिसका कार्य किसानों की सभी आवश्यकताओं जैसे कि कृषि संबंधी औजार, ऋण दिलाना उपभोक्ता सेवाएं फसल संबंधी सुविधाएं एवं उसके विपणन सुविधाएं आदि सुलभ कराना तथा ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली को पुनर्गठित करने की सलाह देना है। राज्य मन्त्रिमंडल ने 1.6.1983 को समिति की सिफारिशों पर विचार करके सहमति प्रदान की थी तथा आंध्र सरकार ने उस योजना का प्रतिवेदन केंद्र सरकार के पास विचार करने तथा उसे स्वीकृत करने के लिए भेजा है। कृषि मंत्रालय बैंकिंग विभाग के परामर्श से प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने दो बार दिल्ली दौरे के दौरान प्रधान मंत्री जी के साथ इस विषय पर बात की थी। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आंध्र प्रदेश की एक ही स्थान पर सेवाएं उपलब्ध कराने संबंधी सहकारिता पुनः गठन योजना को तुरन्त स्वीकृति दे ताकि राज्य सरकार इसे तुरन्त लागू कर सके।

2. वर्तमान मुक्त व्यापार जोन के अंतर्गत पश्चिम तट तथा पूर्वी तट के दक्षिणी एवं उत्तरी भाग आते इसमें पूर्वी तट का महत्वपूर्ण मध्य भाग छूट गया है। अतः मेरा अनुरोध है कि पूर्वी तट के मध्य भाग को इसके अतर्गत लाने के लिए तुरंत ही विशाखापत्तनम में एक मुक्त व्यापार जोन स्थापित किया जाए।

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा बताए गए मुद्दों को मैंने सुना है; तथा मैं इन्हें कार्य-मंत्रणा समिति के ध्यान में लाऊंगा।

3.18 म०प०

बालक नियोजन (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मद संख्या 9 पर चर्चा की जाएगी। श्री टी० अंजैया।

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बालक नियोजन अधिनियम, 1983 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*दिनांक 26.7.1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2 खण्ड 2 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि बालक नियोजन अधिनियम, 1938 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री टी० अंजैया : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.20 म. प

(पंजाब) अनुदानों की मांगें 1985-86 (—जारी)

[अनुवाद]

श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि अंततः भारत सरकार और अकाली दल के अध्यक्ष संत लोंगोवाल के बीच एक समझौता हो गया है। आपको याद होगा कि जब पंजाब समस्या तथा पंजाब राज्य के बजट के संबंध में चर्चा हुई थी तो कई सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए थे। वास्तव में, कोई भी व्यक्ति खुले दिमाग से और विवेकपूर्ण विचार से यह कहेगा कि समझौते की वर्तमान शर्तें इस समस्या का एकमात्र विकल्प तथा ठोस समाधान है, क्योंकि लोकतांत्रिक समाज में, जबकि देश में कई संघ राज्य क्षेत्र तथा राज्य हों। जब कभी कुछ राज्यों के बीच कुछ विवाद हों, तो उनके लिए किसी ऐसे न्यायाधिकरण के पास जाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है, जिसे इस समस्या के संबन्ध में कुछ निर्णय देने की शक्ति प्रयास की जानी और हमारे यहां पानी का बंटवारा करने के लिए न्यायाधिकरण है। इसी तरह से जब किन्हीं राज्यों के बीच भौगोलिक सीमा और क्षेत्र के बारे में कुछ झगड़ा हो, तो कौन सा क्षेत्र किस राज्य को मिलना चाहिए, यह निर्णय करने के लिए एक आयोग बनाया गया है। मैं तो कहूंगा कि दुर्भाग्य से समझौते की शर्तें बहुत पहले स्वीकार की जा सकती थी जिससे कई ऐसी अप्रिय घटनाएं न हो पातीं जिनके परिणाम स्वरूप देश के विभाजन, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, के बाद पहली बार जान माल का इतना नुकसान हुआ।

मैं बड़े दुःख से अपनी बात कह रहा हूं कि सत्तारूढ़ दल ने जानबूझ कर समझौते की शर्तों के अनुसार इन मांगों को न मानकर ऐसी स्थिति बनाए रखी और यह समझौता अब विशेष रूप से लोगों का ध्यान मोड़ने और सरकार के कार्यों पर उनके असंतोष को छिपाने के लिये ही स्वीकार किया गया है। 1980 में वे कह रहे थे कि जनता सरकार का कार्य-निष्पादन अच्छा नहीं है और वे ऐसी सरकार बनाएंगे जो काम करने वाली होगी। दुर्भाग्य से करीब उन 4-5 वर्षों के दौरान अधिक प्रगति नहीं की जा सकी, निर्धनता बढ़ी है और विभिन्न वर्गों के लोगों में असंतोष है, बेरोजगारी बढ़ी है।

दुर्भाग्य से इन परिस्थितियों में अपने दल के हितों को सर्वोच्च मानते हुए तथा राष्ट्रीय हितों, राष्ट्रीय अखंडता तथा राष्ट्रीय एकता की उपेक्षा करते हुए—मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है - उन्होंने स्थिति को बिगड़ने दिया और आंतकवादियों को निर्दोष हिंदुओं को मारने का मौका मिल गया। इसके परिणामस्वरूप निर्दोष लोगों की हत्या हुई और उनकी संपत्ति आदि का नुकसान हुआ। ये सभी चीजें हुई हैं। किंतु जो भी हो, बीती ताहि बिसार दे और मैं खुश हूं। हम

सब को खुशी है कि कम से कम अब इसका समाधान हो गया है। मैं सरकार को बधाई देता हूं। जैसी कि कहावत है।—देर आए दुरुस्त आए।

अब आपके माध्यम से पंजाब के लोगों से मेरा अनुरोध है कि वे इसे स्वीकार करें तथा समझौते की शर्तों का समर्थन करें। इसी से मतभेदों को दूर किया जा सकता है तथा अकाली दल के नेताओं से मेरा अनुरोध है कि वे उग्रवादी अथवा आतंकवादी अथवा उन आतंकवादी तत्वों के समक्ष न झुकें और देश की एकता बनाए रखें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आर० जीवरत्नम।

***श्री आर० जीवरत्नम (आर्कोनम) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात तमिल के महान कवि तिरुवेल्लुवर के इस दोहे से आरंभ करना चाहता हूं। "जन्म से ही महान बनिये अन्यथा जन्म ही न लें।' मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हमारे युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जन्म से महान हैं।

अब मैं पंजाब बजट के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। पंजाब में राष्ट्रपति शासन समाप्त करने का मौका आ गया है। मुझे विश्वास है कि वहां शीघ्र ही चुनाव होंगे और पंजाब के लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने वाली सरकार बनाई जाएगी। पिछले 3 वर्षों से पंजाब में आंदोलन चल रहे थे। वहां आतंकवादी जमे हुए थे। 24 तारीख की शाम को 6 बजे पंजाब में अचानक स्थिति इस तरह बदल गई जैसे सूर्योदय के बाद बादल छंट जाते हैं। पंजाब के लोगों ने राहत की सांस ली है। हमारे प्रधान मंत्री और संत लोंगोवाल के बीच जिस समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, समूचे राष्ट्र ने उसका स्वागत किया। हमारे प्रधान मंत्री ने अपना पद संभालने के तीन महीने बाद ही आम चुनाव कराये जिसमें हमारे दल को अभूतपूर्व सफलता मिली। विश्व के नेताओं ने भारत में लोकतंत्र की बहाली की सराहना की। इसका श्रेय केवल श्री राजीव गांधी को जाता है। प्रधान मंत्री बनने के बाद उन्होंने यह घोषणा की कि पंजाब समस्या का समाधान करना और पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहाल करना उनका मुख्य कर्त्तव्य है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के दो दिन बाद ही श्री अर्जुन सिंह को प्रधान मंत्री ने पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया। विपक्षी सदस्यों तथा प्रेस ने इसकी कड़ी आलोचना की। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री दृढ़ रहे। उन्होंने बड़ी राजनैतिक दूरदर्शिता से संत लोंगोवाल के समक्ष अपने विचार रखे। समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उन्होंने विपक्षी नेताओं के साथ विचार विमर्श किया और उनकी राय मांगी। उसके बाद ही उन्होंने संत लोंगोवाल के साथ समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। पंजाब समस्या के समाधान होने से न केवल लोकतंत्र में उनकी अटूट आस्था का पता चलता है अपितु यह भी स्पष्ट होता है कि वह भारत में लोकतंत्र के प्रति उनकी कितनी दृढ़ता है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि वह मात्र राजनीतिज्ञ ही नहीं अपितु राजनेता है वह श्री मोतीलाल नेहरू वंश के प्रकाश-स्तंभ बन गए हैं। वह भारत की युवा पीढ़ी के लिये कल्याण संबंधी नीतियों को कार्यान्वित कर उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनकी मां, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राष्ट्र में ऐसी सरकार का गठन किया जो काम करने वाली है। श्री राजीव गांधी ने देश में ऐसी सरकार बनाई जो तेजी से काम करती है। मैं यह बात दोहरा रहा हूं कि पंजाब की समस्या का समाधान होने से ही हिंदु सिख एकता बनी रह सकती है और इसने देश को नया नेतृत्व दिया है जो देश की एकता की रक्षा करेगा।

*मूल तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर

मैं तमिलनाडु के अद्वितीय देश भक्त कवि श्री सुब्रामनिया भारतीय के गाने में से उद्धृत करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि महात्मा गांधी ने भारत में यह सुनिश्चित करने के लिये जन्म लिया कि स्वतंत्र होने तथा निर्धनता से छुटकारा पाने के बाद भारत राष्ट्र समुदाय में दीपस्तंभ बने। उनका गाना इस प्रकार है "महात्मा गांधी युग युग जियें जिससे देश की ख्याति बढ़े और राष्ट्र की एकता बढ़े।" अब देश की एकता हमारे युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के हाथों में सुरक्षित है। देश के आध्यात्मिक उत्थान में महात्मा गांधी ने जो भूमिका निभायी उसके लिए उन्हें सदा याद किया जाता रहेगा। श्री राजीव गांधी ने देश की एकता की सुरक्षा के लिये जो राजनैतिक दूरदर्शिता दिखाई है उसके लिये उनका नाम हमारे देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है।

महोदय, हम अपने युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के इस बात के आभारी हैं कि उन्होंने पंजाब समस्या का समाधान करके देश में शांति और सौहार्द बनाए रखा है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : द्रमुक दल तथा अपने नेता डा० करुणानिधि की ओर से मैं इस पंजाब समझौते का स्वागत करता हूं।

हमारे अध्यक्ष, डा० करुणानिधि ने इसका स्वागत करते हुए एक वक्तव्य दिया है। यह हमेशा कहा जाता रहा है कि देर आए दुरुस्त आये। इसे बहुत पहले स्वीकार कर लिया जाना चाहिए था जिससे इतनी अधिक हानि से बचा जा सकता था। मुझे आशा है, कि अगले बजट पर चर्चा पंजाब की नव निर्वाचित विधान सभा में होगी। समाचार पत्रों में कई बार यह खबर छपी है कि चुनाव अक्तूबर में हो सकते हैं। मैं सरकार से यह अपेक्षा करता हूं कि वह वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराये।

समझौते के खंड 8 (1) में कहा गया है कि शिरोमणि अकाली दल के अनुसार आनन्दपुर साहिब संकल्प पूर्णत: भारतीय संविधान के ढांचे के अनुरूप ही है। इसमें केंद्र-राज्य संबंधों की संकल्पना को इस तरह से बनाने का प्रयास किया गया है जिससे हमारे एकात्मक संविधान के वास्तविक संघात्मक स्वरूप को बनाए रखा जा सके और चूंकि अनेकता में एकता ही हमारी राष्ट्रीय एकता की आधारशिला है, अत: देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाने की बात को ध्यान में रखते हुए इस संकल्प का उद्देश्य राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना है। अनेकता में एकता की बात हमारे स्वर्गीय विद्वान प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। यदि ऐसा है तो इसे सरकारिया आयोग को क्यों सौंपा जा रहा है? आनंदपुर साहिब संकल्प सरकारिया आयोग को सौंपने की बजाय हमारे प्रधान मंत्री को मामले पर अकाली दल के साथ चर्चा करनी चाहिये थी और ऐसा हल ढूंढना चाहिये था जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। हमारे नेता, डा० करुणानिधि, जो केंद्र-राज्य संबंधों के मामले में आगे हैं, ने केंद्र राज्य संबंधों पर न्यायाधीश राजामन्नार समिति नियुक्त की है, जो देश में अपने ढंग की पहली समिति है। हमारे प्रधानमंत्री और संत लौंगोवाल का स्वागत करते हुए तथा उन्हें बधाई देते हुए वह सरकारिया आयोग को इसे सौंपे जाने की बात को स्वीकार नहीं कर सके।

ज्ञापन के खंड II में कहा गया है कि केंद्र सरकार पंजाबी भाषा के प्रसार के लिये कुछ कदम उठाये। 'उठाये' शब्द ठीक नहीं है 'उठाये' का अर्थ नहीं उठाये भी समझा जा सकता है। केंद्र सरकार को पंजाबी भाषा के प्रसार के लिये कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। इस संबंध में मैं

इस बात पर बल देना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को केवल हिंदी भाषा ही नहीं अपितु संविधान में मान्य अन्य 15 भाषाओं का भी विकास करना चाहिये।

धन्यवाद।

3.33 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

पहला प्रतिवेदन

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 24 जुलाई 1985 को सभा में पेश किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 24 जुलाई, 1985 को सभा में पेश किये गये गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.35 म०प०

विधेयक

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 248 और सप्तम अनुसूची में संशोधन)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं : कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नये अनुच्छेद 326क का अन्तःस्थापन)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

---

*दिनांक 26.7.1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 117 और 207 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री मूलचंद डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मूलचंद डागा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री मूल चंद डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मूल चन्द डागा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

काय-चिकित्सकों तथा शल्य चिकित्सकों का संरक्षण (दीवानी तथा फौजदारी कार्यवाही से उन्मुक्ति) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जीवनान्तक रोगों से ग्रस्त रोगियों तथा कतिपय प्रकार के नवजात शिशुओं को जीवित रखे रहने का चिकित्सीय उपचार बन्द करने वाले काय-चिकित्सकों तथा शल्य चिकित्सकों को दिवानी और फौजदारी कार्यवाही से उन्मुक्ति के लिये उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जीवनांतक रोगों से ग्रस्त रोगियों तथा कतिपय प्रकार के नवजात शिशुओं को जीवित रखे रहने का चिकित्सीय उपचार बंद करने वाले काय चिकित्सकों तथा शल्य

*दिनांक 26-7.85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

*दिनांक 27.7.85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

चिकित्सकों को दिवानी और फौजदारी कार्यवाही से उन्मुक्ति के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मूल चन्द डागा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

पब्लिक और प्राइवेट स्कूल (उन्मूलन) विधेयक*

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों के उन्मूलन का उपबध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों के उन्मूलन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

कृषि कर्मकार (न्यूनतम मजदूरी और कल्याण) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री सत्य गोपाल मिश्र (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी और कल्याण के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषि कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी और कल्याण के लिये उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

भवन तथा निर्माण कार्य कर्मकार (नियोजन की शर्तें) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भवन तथा निर्माण-कार्य कर्मकारों का संरक्षण करने और उनके लिये न्यूनतम मजदूरी, काम की सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा कल्याण संबंधी ऐसे अन्य उपायों के लिए जिनका उपबन्ध भारत में लागू विभिन्न श्रमिक तथा औद्योगिक विधियों में है, उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भवन तथा निर्माण-कार्य कर्मकारों का संरक्षण करने और उनके लिये न्यूनतम मजदूरी, काम की सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा कल्यण संबंधी ऐसे अन्य उपायों के लिए

*दिनाक 26-7-85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड-2, में प्रकाशित।

*दिनांक 28-7-85 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

जिनका उपबन्ध भारत में लागू विभिन्न श्रमिक तथा औद्योगिक विधियों में है, उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की सेवाओं में (समाज के आर्थिक दृष्टि स कमजोर वर्ग के लिए) पदों का आरक्षण विधेयक*

[अनुवाद]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की सेवाओं में पदों के आरक्षण करने के लिए उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की सेवाओं में पदों के आरक्षण करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित कर. की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

असंगठित श्रमिक कल्याण निधि विधेयक*

[अनुवाद]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल (कोपार गांव) मैं प्रस्ताव करता हूं कि असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु एक निधि स्थापित करने कि लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

छोटा परिवार (अभिवृद्धि तथा अभिप्रेरण) विधेयक *

[अनुवाद]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल (कोपार गांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में छोटे परिवारों की अभिवृद्धि करने तथा उनके लिए अभिप्रेरित करने के उपाय करने और परिवार नियोजन के उपायों को कानूनी आधार देने के लिए केन्द्रीय सरकार शक्ति प्रदान करने तथा इससे संबद्ध विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

*दिनांक 26-7-85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

"कि देश में छोटे परिवारों की अभिवृद्धि करने तथा उनके लिए अभिप्रेरित करने के उपाय करने और परिवार नियोजन के उपायों को कानूनी आधार देने के लिए केन्द्रीय सरकार को शक्ति प्रदान करने तथा इससे सम्बद्ध विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

राजनीतिक दल (वित्तीय सहायता) विधेयक *

[अनुवाद]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल (कोपार गांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजनीतिक दलों का प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित करने और सुदृढ़ लोक तान्त्रिक राज-व्यवस्था के संवर्द्धन के लिए उनको अपने प्रत्याशियों के निर्वाचन के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने तथा तत्संसक्त और तदानुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजनीतिक दलों का प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित करने और सुदृढ़ लोक तान्त्रिक राज-व्यवस्था के संवर्द्धन के लिए उनको अपने प्रत्याशियों के निर्वाचन के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने तथा तत्संसक्त और तदानुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आस्तियों और दायित्वों की घोषण विधेयक *

[अनुवाद]

श्री राजेश पाइलट (दौसा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आस्तियों और दायित्वों की घोषणा तथा तत्संबंधी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आस्तियों और दायित्वों की घोषणा तथा तत्संबंधी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

---

*दिनांक 26-7-85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राजेश पाइलट : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कर्मचारी राज्य शक्ति अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 79 में संसोधन *

[अनुवाद]

श्री एन० वी० रत्नम (तेनाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एन० वी० रत्नम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बोनस संदाय अधिनियम 1965 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शरद दिघे : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 79 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री एन० वी० रत्नम (तेनाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

* दिनांक 26-7-85 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम० बी० रत्नम : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक*

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे देश में बेरोजगारी का उन्मूलन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश से बेरोजगारी का उन्मूलन करने की योजना के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए अनुच्छेद 342(क) का अन्त:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

विवाह् विधेयक (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेंद्र नगर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह् अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दू विवाह् अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह् अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

*दिनांक 26-7-85 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

3.43 म०प०

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(...जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा 10 मई, 1985 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे :—

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अब श्री जी० एम० बनातवाला बोलेंगे।

3.44 म.प.

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं पहले ही प्रस्ताव कर चुका हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

मैंने अपना निवेदन इस बात से शुरू किया था कि उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय मुस्लिम स्वीय विधि के नियमों के विरुद्ध है, अतः यह आवश्यक हो गया है कि मुस्लिम स्वीय विधि को कायम रखा जाये।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में व्यवस्था है, कि तलाक की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उसका पूर्व पति तलाकशुदा महिला को उसके पुनः विवाह करने तक अथवा उसकी मृत्यु होने तक उसे भरण-पोषण भत्ता देने के लिए उत्तरदायी होगा।

अब, जैसा कि मैं पहले ही सभा में निवेदन कर चुका हूं जबकि इस विशेष उपबन्ध पर 1973 में चर्चा की जा रही थी, और जब दण्ड प्रक्रिया संहिता की समीक्षा की जा रही थी पूरे मुस्लिम समुदाय द्वारा यह भली प्रकार स्पष्ट कर दिया गया था कि यह उपबन्ध मुस्लिम स्वीय विधि के उपबन्धों के विरुद्ध है। शिष्टमण्डल भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से मिला। उनके आदेशानुसार मामला दोबारा सभा ने हाथ में लिया तथा खण्ड (ख) की धारा 127 की उप-धारा (3) में एक संशोधन सभा द्वारा किया गया। उसमें व्यवस्था की गई कि जब तलाकशुदा पत्नी को सभी देनदारियां दे दी गई हों, तब विभिन्न समुदायों की स्वीय विधियां लागू होंगी। इसका उद्देश्य जो सभा में अत्यन्त स्पष्ट किया गया था, मुस्लिम स्वीय विधि को संरक्षण देना था। विधान का यह उद्देश्य था। कुछ समय तक मामला चलता रहा। कुछ समय बीतने पर जैसा कि मैं पिछली बार बता रहा था, स्वीय विधि को स्पष्ट संरक्षण दिये जाने के बावजूद, उच्चतम न्यायालय ने, ताहिरा बी बनाम अली हुसैन के मामले में (ए० आई० आर० 1979, एस०सी० 362) निर्णय दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला, पुनर्विवाद अथवा मृत्यु पर्यन्त निर्वाह खर्चे का दावा कर सकती है, यदि स्वीय विधि द्वारा निर्धारित राशि उसके निर्वाह का कर्त्तव्य निभाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ अन्य मामले भी हुए। फिर अहमद खां बनाम शाह बानू बेगम के तथा अन्यों के मामले में [1981 की आपराधिक अपील संख्या 103], उच्चतम न्यायालय के पांच

न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि तलाकशुदा महिला को धारा 125 के अधीन प्राप्त अधिकार उस पर लागू मुस्लिम स्वीय विधि से अप्रभावित हैं। वास्तव में हाल के निर्णय में उच्चतम न्यायालय का मत है कि यदि मुस्लिम स्वीय विधि तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 और 127 में विवाद हो तो उस स्थिति में मुस्लिम स्वीय विधि की बात मानी जायेगी। आप इसे त्यागना अथवा रद्द करना अथवा ऐसा ही नाम रख सकते हैं। तथा दंड प्रक्रिया संहिता लागू होगी। उनका यह मत था।

अब आप समझ गये होंगे कि उच्चतम न्यायालय की धारा 127 की उपधारा (3) में खंड (ख) को सम्मिलित करने के संसद के अभिप्राय: को ही समाप्त कर दिया जायेगा। अत: इस निर्णय द्वारा मुस्लिम स्वीय विधि पर गम्भीर अतिक्रमण हुआ है। इससे भारत से शरियत समाप्त हो जाती है। मैं यहां यह दर्शाना चाहूंगा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय ने इस्लामी सोसाइटी के आधार को ही हिला दिया है जिसने मानवता तथा न्याय को उच्चतम स्थान दिया था। यह अति स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय ने संसद के इरादों की अवहेलना करते हुए निर्णय दिया है।

राज्य मंत्री श्री राम निवास मिर्धा ने धारा 127 की उपधारा (3) में खंड (ख) को जोड़ने के लिए संशोधन पेश किया था तो उन्होंने स्पष्ट रूप से लोक सभा को बताया था, तथा मैं 11 दिसम्बर, 1973 के लोक सभा डिबेट के कालम 317 से उद्धृत करता हूं जिसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार होगा :—

"जैसा मैंने बताया, कुछ समुदायों की परम्पराओं अथवा स्वीय विधियों के अधीन तलाकशुदा पत्नी को कुछ राशियां देय होती हैं। एक बार उसकी अदायगी कर दिये जाने पर निर्वाह व्यय दिये जाने सम्बन्धी मजिस्ट्रेट के आदेश रद्द समझे जा सकते हैं। अब निर्वाह व्यय युक्तियुक्त है अथवा नहीं यह प्रश्न ही नहीं उठता।"

उसी प्रकार राज्य मंत्री ने दूसरे सदन में और भी स्पष्ट शब्दों में आश्वासन दिया था, जब उन्होंने यह कहा था :

"दंड प्रक्रिया संहिता के माध्यम से मुसलमानों की स्वीय विधियों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है।"

इस विशेष बात को राज्य मंत्री श्री राम निवास मिर्धा ने अत्यन्त स्पष्ट कर दिया। अत: जब इस सभा द्वारा संशोधित दंड प्रक्रिया अंगीकार की जा रही थी तो इस सभा का स्पष्ट इरादा था कि मुस्लिम स्वीय विधि को संरक्षण दिया जाये तथा इस बात पर ध्यान दिया जाये कि दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा इसे रद्द न किया जा सके। उच्चतम न्यायालय ने न केवल संसद के इरादों की ही अवहेलना की है अपितु मुस्लिम स्वीय विधियों को भी रद्द कर दिया है। केवल संसद ही नहीं अपितु उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने भी यह माना है कि ताहिरा बी तथा अन्यों के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय सही नहीं हुआ। अत: उन्होंने मोहम्मद अहमद खां बनाम शाह बानू बेगम के मामले को अपने 3 फरवरी, 1981 के आदेश से एक बड़ी बेंच को सौंपने का निर्णय लिए जाने की सिफारिश की। जस्टिस मुर्तजा फजल अली और जस्टिस ए० वरदाराजन ने अपने आदेश में कहा था :

"हमारी राय में उन्होंने न केवल दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 127 (3) (ख) की स्पष्ट एवं असंदिग्ध भाषा का प्रत्यक्षत: उल्लंघन किया है, जो कि मुस्लिम

विधियों की अवहेलना करना तो दूर रहा उससे तो तलाकशुदा पत्नी को पति द्वारा देय राशि दे दी गई है तथा 'इद्दत' की अवधि का भी पालन किया गया है।

हमें यह प्रतीत होता है कि निर्णय मुस्लिम विधि के अधीन पति द्वारा पत्नी को तलाक देने और उसके परिणामों की मूलभूत संकल्पना के विरुद्ध है जिन्हें कि मुस्लिम स्वीय विधियां (शरियत) कार्यान्वयन अधिनियम, 1937 की धारा 2 द्वारा स्पष्टत: संरक्षण दिया गया है। उपर्युक्त निर्णयों के समय इस अधिनियम की ओर ध्यान नहीं दिया गया।"

महोदय, आप देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के वर्तमान निर्णयों में न केवल संसद के इरादों का उल्लंघन किया गया है अपितु न्यायपीठ के दो न्यायाधीशों ने धारा 127 के खंड (ख) उपखंड (3) के स्पष्ट अर्थ मुस्लिम स्वीय विधि के लागू होने को संरक्षण देना स्वीकार किया है।

इतने सारे साक्ष्य के होते हुए भी उच्चतम न्यायालय ने एकदम यह निर्णय लिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 अथवा 127 द्वारा मुस्लिम विधि संरक्षित नहीं है। यह निर्णय असमान्य है। दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं की 125 और 127 के इतिहास की तथा संसद के इरादों तथा धारा 127(3) (ख) शब्दों के स्पष्ट अर्थों की ओर अवहेलना की गई है।

महोदय, मुस्लिम स्वीय विधि के अधीन स्थिति को सभी न्यायवेत्ताओं ने बिना किसी मतभेद के स्वीकार किया है, जिनका सर्व-सम्मत मत है कि तलाक की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पति का उत्तरदायित्व इद्दत की अवधि तक भरण-पोषण के लिए पैसा देना होता है, सामान्यत: यह अवधि तलाक के तीन महीने बाद तक तथा गर्भवती स्त्री के मामले में बच्चे के जन्म तक है, न कि जीवन भर के लिए। इस सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान मुल्ला के "प्रिंसिपल आफ मोहम्डन ला" 18वां संस्करण पृष्ठ 301 पैरा 209 की ओर दिलाता हूं। उन्होंने बताया है :

"तलाक के बाद पत्नी को 'इद्दत' की अवधि तक भरण-पोषण का हक है।"

अब उच्चतम न्यायालय ने प्रश्न उठाया है, ठीक है उसे 'इद्दत' की अवधि तक भरण-पोषण पाने का हक है। परन्तु यह कहां कहा गया है कि वह उसके बाद भरण-पोषण की हकदार नहीं है? परन्तु महोदय, यह मामला अत्यन्त स्पष्ट है। मैं तैयबजी द्वारा लिखित "मुस्लिम ला" चतुर्थ संस्करण पृष्ठ 268, 269 पैरा 304 की ओर दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है :

"इद्दत" की अवधि समाप्त होने पर पत्नी का भरण-पोषण पाने का हक, चाहे वह 'मुस्लिम विधि' के अधीन हो अथवा दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन हो, समाप्त हो जाता है।"

अत: यह अति स्पष्ट है। चाहे आप मुस्लिम विधि की बात करें अथवा दंड-प्रक्रिया संहिता की बात करें, हक समाप्त हो जाता है। महोदय, जैसा कि मैंने बताया उसी पृष्ठ पर उन्होंने बहुत से मामलों का उल्लेख किया है। मैंने ताहिर बी के तथा अन्य प्रसिद्ध मामलों का उल्लेख किया है। उच्चतम न्यायालय ने डा० ताहिर मोहम्मद को अत्यन्त प्रगतिशील माना है। उच्चतम न्यायालय ने हाल के अपने निर्णय में डा० ताहिर मोहम्मद को बार-बार उद्धृत किया है। कई स्थानों पर मैं सहमत नहीं हो सकता। परन्तु हमें इस बात पर ध्यान देना है कि डा० ताहिर मोहम्मद का स्वयं क्या कहना है। पृष्ठ 132 पर उन्होंने बोहरा कानून तथा अन्यों के मामले का उल्लेख किया है। वह कहते हैं :

"ये निर्णय हमारी राय में सही नहीं है। वे संहिता की धारा 127 का उल्लंघन करते हैं।

4.00 म०प०

उनके द्वारा संहिता की धारा 127 के इतिहास की, सभा के इरादों की तथा प्रयोग किये गये शब्दों के अर्थ को तथा कानूनों का अर्थ लेने के साधारण नियमों की अवहेलना की गई है। हमारा नम्र निवेदन है कि दोनों ही निर्णयों में कुछ मुस्लिम विधियों के बारे में भ्रमित विचार एवं अज्ञानता प्रकट होती है।"

अत: हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में डा० ताहिर मोहम्मद के शब्दों पर विश्वास किया है। हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय की दृष्टि में इस विशेषज्ञ का भी पूरे मामले में यही विचार है।

शाह बानू के मामले में मेरे विधेयक में भी एक संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने इस विधेयक को ताहिरा बी के मामले पर निर्णय से पूर्व पुर:स्थापित किया था।

हाल के निर्णय के अनुसार मेरे विधेयक में एक और संशोधन की आवश्यकता है, मैंने नोटिस दिया था, अर्थात्

"हमें यह कहना है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसे इसमें इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 125 में :

(एक) भाग (ख) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये।"

"परन्तु पत्नी शब्द की व्याख्या मुसलमानों पर लागू नहीं होगी :

(दो) उप-धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा अन्त:स्थापित की जायेगी; तथा उसे सदा अन्त:स्थापित की गई माना जाएगा।"

इसका कारण यह है कि ताहिरा बी के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि :

"यदि तलाकशुदा स्त्री को दी जाने वाली मेहर की राशि भरण-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है तो उसके पुनर्विवाह तक भरण-पोषण का खर्च देने की जिम्मेवारी पति की होगी।"

परन्तु अब शाहबानो के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने एक कदम और आगे बढ़कर यह कहा है "कुछ नहीं करना है।" यदि मुस्लिम कानून के सिद्धान्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से मेल नहीं खाते तो मुस्लिम पति की यह जिम्मेवारी होगी कि वह तलाकशुदा को पुनर्विवाह अथवा मृत्यु तक भरण-पोषण का खर्चा दे। इस प्रकार हाल ही के इस निर्णय के कारण मुझे संशोधन की यह सूचना देने की आवश्यकता पड़ी।

उच्चतम न्यायालय ने अपने उत्साह में एक कदम और आगे बढ़ते हुए यह कहा कि पवित्र क़ुरान में तलाकशुदा का भरण-पोषण करने की तथा उसके पुनर्विवाह तक भरण-पोषण की अवधि बढ़ाने की व्यवस्था है। उन्होंने कुछ आयतों को संदर्भ से बाहर उद्धृत किया है। क़ुरान की इस आयत की व्याख्या उपलब्ध नहीं है। युगों से प्रत्येक न्यायविद ने निरपवाद रूप से अरबी के सीधे सादे शब्दों की वही व्याख्या की है जो उनका वास्तव में अर्थ है। अत: यह बिल्कुल स्पष्ट है। और मैं एक-एक करके न्यायविद की राय को पढ़कर सुनाने तथा यह बताने में कि उच्चतम

न्यायालय ने इन अरबी शब्दों की कहां-कहां गलत व्याख्या की है, इस सभा का समय नहीं लेना चाहता। परन्तु राय यही है कि भरण-पोषण की जिम्मेवारी इद्दत की अवधि तक है।

इसलिए यह निर्णय युगों से मुस्लिम न्यायविदों द्वारा दी जा रही सर्वसम्मत राय के विरुद्ध है। अत: सम्पूर्ण मुस्लिम समुदाय पवित्र ग्रन्थ के पाठ में अनावश्यक हेर-फेर किए जाने से स्तब्ध है। जिसमें तथाकथित सुधारकों के पूर्वाग्रहों के अनुरूप अर्थ निकाले गए हैं।

इस बात विशेष से तो सभी सहमत होंगे कि धारा 125 का उद्देश्य स्वेच्छाचारिता को रोकना है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति समाज के प्रति जिम्मेवार है। स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए व्यवस्था करना आवश्यक है। परन्तु मैं सभा को यह निवेदन करता हूं और करता रहा हूं कि मुस्लिम कानून में निराश्रित की, चाहे वह एक पुरुष हो या महिला हो, पत्नी हो या तलाकशुदा हो, वृद्ध पुरुष हो, या वृद्ध महिला हो, बच्चा हो या कोई भी हो, देखभाल की पर्याप्त व्यवस्था है। आप तैय्यब जी के मुस्लिम कानून को देखें आपको उसमें भरण-पोषण से संबंधित पूरा अध्याय मिलेगा। अत: मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुस्लिम स्वीय कानून में स्वेच्छाचार के प्रश्न को ध्यान में रखा गया है। मैं न्यायालय और उन सबकी चिन्ता में शरीक होता हूं जो स्वेच्छाचारिता और निराश्रिता को रोकना चाहते हैं। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है इस्लामी कानून में इस पहलू का पूरा ध्यान रखा गया है। इस्लाम की अपनी विचारधारा है जिसका मौलिक स्वरूप और व्याप्ति भिन्न है। इस्लाम विचारधारा सामाजिक न्याय और मानवता की समर्थक है। तदनुसार इसकी एक विशेष प्रणाली है और एक विशेष विधान है। स्वेच्छाचारिता और निराश्रिता के संबंध में उपबन्ध करने का प्रश्न एक व्यापक प्रश्न जिसे हमारे न्यायाधीशों द्वारा अपर्याप्त कानून को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक इंजीनियर की भूमिका स्वयं निभाने के चक्कर में किए जा रहे विलक्षण प्रयासों से हल नहीं किया जा सकता। यहां तक कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 मे निहित आधुनिक कानून भी, एक तलाकशुदा महिला को पत्नी मानने और इस प्रकार पति को उसके पुर्नविवाह तक भरण-पोषण हेतु खर्चा देने के लिए बाध्य करने में और स्वेच्छाचारिता तथा निराश्रिता की गम्भीर समस्या को हल करने में वास्तव में बुरी तरह असफल रहा है। स्वेच्छाचारिता के सम्बन्ध में मैं यह अवश्य कहूंगा कि मुस्लिम कानून को बिल्कुल गलत समझा गया है। जैसा कि मैंने कहा है कि मुस्लिम स्वीय कानून में निराश्रिता के भरण-पोषण के सम्बन्ध में एक पूरा अध्याय है आज सारी भ्रान्ति इस धारणा के कारण है कि शादी के बाद लड़की पति के परिवार की है और अपने माता-पिता के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। महोदय, मैं तैय्यब जी के मुस्लिम कानून से उद्धृत करता हूं। यह पृष्ठ 58 से है (जिसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है) :—

> "यह कहना कि लड़की की शादी के बाद, यहां तक कि तलाक के बाद भी लड़की के वास्तविक परिवार का लड़की के भरण-पोषण से कोई सम्बन्ध नहीं है, मुस्लिम कानून के शादी, तलाक और भरण-पोषण संबंधी सिद्धान्तों की अवहेलना करना है।"

एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब किसी महिला को तलाक दे दिया जाता है या बेसहारा बना दिया जाता है तो उसका भरण-पोषण कौन करेगा ? परन्तु महोदय, जैसा कि मैंने कहा है, इसका उत्तर मौजूद है। स्वेच्छाचारिता का ध्यान रखने में मुस्लिम स्वीय विधि दण्डप्रक्रिया संहिता की इस सीमित धारा 125 से बेहतर है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में किस बात का उल्लेख है ? इसमें यह उल्लेख है कि तलाकशुदा महिला के भरण-पोषण की व्यवस्था उसका पूर्व

पति करेगा। परन्तु अगर पूर्व पति दरिद्र हो, तो यहां पर यह कानून मौन है। समाज जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है और महिला को बेसहारा बना दिया जाता है। यह है धारा 125 जिसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। परन्तु मुस्लिम कानून महिला को इस प्रकार निराश्रित नहीं छोड़ देता। जैसा कि मैं कह रहा था मुस्लिम कानून में महिला द्वारा शादी के बाद अपने पैतृक परिवार से सम्बन्ध बनाए रखने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, मैं यह कह चुका हूं कि भरण-पोषण के बारे में पूरा एक अध्याय है। मुस्लिम कानून में किसी भी निराश्रित, पुरुष, महिला, बच्चे, वृद्ध व्यक्ति के भरण-पोषण की जिम्मेवारी स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। यह चूंकि व्यापक है, इसलिए इसे लागू किया जाना चाहिए। इसमें प्रत्येक स्थिति की कल्पना की गई है न कि केवल एक स्थिति की, जैसी कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में की गई है। जिसके बारे में बहुत होहल्ला किया जा रहा है। तैय्यब जी की मुस्लिम स्वीय विधि में पूरा एक अध्याय भरण-पोषण के बारे में है। यह अध्याय 8 है जो पूरा भरण-पोषण के बारे में है। मैं पृष्ठ 259, पैरा 291 से उद्धृत करता हूं (जिसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है) :—

> "एक जरूरतमन्द मुस्लिम के भरण-पोषण की जिम्मेदारी (क) हनाफी कानून के अन्तर्गत पहले बच्चों पर, फिर पिता पर, फिर माता पर, और इसके बाद संयुक्त रूप से दादा-दादी पर और पोते-पोतियों पर और उसके बाद गौण रिश्तेदारों पर आती है।"

इस प्रकार क्रम चलता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि किसी को सड़क पर नहीं फेंका जाता। आपके दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 महिला को वस्तुत: सड़क पर लाकर खड़ा कर देता है। क्योंकि इसमें व्यवस्था है कि पूर्व पति—केवल पूर्व पति ही तलाकशुदा महिला का भरण-पोषण करेगा। उस स्थिति में जिसमें पूर्व पति स्वयं दरिद्र हो इसमें कुछ नहीं कहा गया है। परन्तु इस विषय पर हमारा कानूनपूर्ण है। मैं निवेदन करता हूं कि इस दृष्टि से हमारा कानून श्रेष्ठ है। किसी भी महिला को श्रेष्ठ कानून से वंचित क्यों रखा जाए जबकि उसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित है कि निराश्रित होने पर भरण-पोषण की जिम्मेवारी किसकी होगी। इस व्यक्ति पर और यदि इस व्यक्ति की स्थिति भरण-पोषण करने लायक नहीं है तो अगले व्यक्ति की और यदि अगला व्यक्ति भी इस स्थिति में नहीं है तो उससे अगले व्यक्ति की इसमें उत्तराधिकार के क्रम की तरह पूरी व्यवस्था है और कोई निराश्रित नहीं होता है। इस संबंध में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए। मैं इस सभा से निवेदन करता हूं कि इसके विपरीत धारा 125 नारीत्व के लिए अपमानजनक है। धारा 125 में इस बात का उल्लेख है कि तलाकशुदा महिला को पत्नी समझा जाएगा। क्या यही आधुनिक कानून है कि तलाकशुदा महिला को भी पत्नी समझा जाता है। पूर्व पति उसके पुनर्विवाह तक भरण-पोषण करेगा। और शर्त क्या रखी गई है ? मैं धारा 125 की उपधारा 4 और 5 की ओर इस सभा का ध्यान आकर्षित करता हूं। आप अगर इनको पढ़ें तो आप पायेंगे कि इनमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है कि पूर्व पति तलाकशुदा महिला का इस शर्त पर भरण-पोषण करेगा कि वह तलाक के बाद भी उसके साथ रहेगी। यह हमारे देश में नारीत्व पर कलंक है और उसका अपमान है। आप एक महिला को नगण्य राशि देते हैं और कहते हैं कि इस नगण्य राशि के बदले तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा अन्यथा भरण-पोषण की व्यवस्था रद्द कर दी जाएगी। जैसा कि मैंने कहा है यह धारा 125 (4) और (5) हमारे देश में नारीत्व के लिए अपमानजनक है।

मुस्लिम स्वीय विधि बहुत ही स्पष्ट है। इस तथ्य के बावजूद कि महिला निराश्रित है या नहीं वह इद्दत की अवधि में भरण-पोषण का अधिकार मांग सकती है। यह बात नहीं है कि

किसी महिला को उसका पति उसे दयावश इसलिए भरण-पोषण का खर्चा देता है क्योंकि वह निराश्रित है। हमारे समाज में भरण-पोषण का खर्च देने का क्या यही अच्छा तरीका है। मुस्लिम स्वीय विधि के उपबन्धों के अनुसार महिला चाहे निराश्रित है या नहीं उसे इद्दत की अवधि तक भरण-पोषण का खर्चा पाने का अधिकार है और इद्दत की अवधि के बाद, जैसा कि मैंने तैय्यब जी के मुस्लिम कानून से पढ़कर सुनाया है, भरण-पोषण के लिए पूरा क्रम है।...

(व्यवधान)

मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया है। इस संबंध में पूरा अध्याय VIII है। मैंने अभी जो पैरा आपको पढ़ कर सुनाया है, वह जरूरतमंद मुस्लिम को, चाहे वह पुरुष हो या महिला, भरण-पोषण का खर्च देने की जिम्मेदारी के संबंध में है। आपका कानून केवल तलाकशुदा महिला के बारे में सोचता है। परन्तु कोई और व्यक्ति भी जरूरतमंद हो सकता है। मुस्लिम कानून में केवल तलाकशुदा महिला के बारे में ही नहीं अपितु ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में व्यवस्था है जो निराश्रित हो। उसमें भरण-पोषण की जिम्मेदारी का पूरा क्रम दिया हुआ है।

अत: मैं यह निवेदन करता हूं कि मैं आपके पास मुस्लिम महिलाओं के हित में आया हूं। उनकी और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ कानून मौजूद है। वह कानून नारीत्व का सम्मान करता है। महिला को इसीलिए जाकर नाक रगड़ने और भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह निराश्रित है। मुस्लिम कानून में उसके अपने अधिकार हैं।

(व्यवधान)

मैं और अधिक अभिव्यक्ति शक्ति कहां से लाऊं, मैं नहीं जानता। मैं बता रहा था कोई श्री 'क' हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है। उस तलाकशुदा महिला के साथ क्या बीतती है? एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम सबको यह देखना है कि उसे फुटपाथ पर न फेंक दिया जाए। मैं निवेदन करता हूं कि मुस्लिम स्वीय विधि में इस स्थिति का ध्यान रखा गया है। तीन महीनों तक जिसे इद्दत की अवधि कहा जाता है यह जिम्मेदारी पूर्व पति की है और तीन महीनों के बाद निराश्रित के भरण-पोषण की जिम्मेदारी यहां उल्लिखित सभी सगे संबंधियों की है और इसे कानून के द्वारा लागू भी करवाया जा सकता है।

महोदय, मैं यह कह रहा था कि ऐसी स्थिति होने पर उसका भरण-पोषण कैसे और कौन करेगा। उसमें पूरा क्रम दिया हुआ है। परन्तु जहां तक मुसलमानों का संबंध है, शिया और सुन्नी कानून में इसकी व्याख्या तैय्यब जी की पुस्तक के आठवें अध्याय में और विशेष रूप से पैरा 291 में, जो मैंने अभी पढ़कर सुनाया है, की गई है।

सभापति महोदय, एक प्रश्न उठ सकता है...

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार): महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। एक श्री 'क' को जिसने तलाक दे दिया है, तीन महीनों के बाद विवाह करने की आजादी है। इस प्रकार वह एक वर्ष में तीन बार तलाक दे सकता है, क्योंकि उसे एक तलाकशुदा बीबी का भरण-पोषण केवल तीन महीने के लिए करना है।

श्री जी० एम० बनातवाला: महोदय, आप देखिए कि माननीय सदस्य को कितनी गलत जानकारी है। एक वर्ष में तीन बार तलाक देने का प्रश्न ही नहीं है। मैं नहीं समझा कि वह क्या कहना चाहते हैं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी): यह कपोल कल्पना है।

श्री जी० एम० बनातवाला : कठिनाई तो यही है कि हमारे पास बिल्कुल गलत जानकारी है। मैं नहीं समझता कि वर्ष में तीन बार तलाक देने का प्रश्न कैसे उठा।

(व्यवधान)

इससे भी मुस्लिम कानून की अज्ञानता का पता चलता है। इसे हराम समझा जाता है। महोदय, मैं यहां इन सब असंगत बातों में नहीं जाना चाहता। मैं निराश्रिता के बारे में बता रहा था जिसका संबंध उच्चतम न्यायालय से है।

मैं इस सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने कुरान की विभिन्न आयतों की व्याख्या स्वयं कर डाली है। जैसा कि मैंने कहा है उन्होंने सारी व्याख्या गलत की है। मूल पाठ की व्याख्या इस प्रकार कैसे की जा सकती है? जैसा कि मैं आपको बता रहा था उच्चतम न्यायालय प्राचीन पाठ पर अपने पूर्व कल्पित विचार आरोपित नहीं कर सकता जैसा कि आज तक किसी न्यायाधीश ने नहीं किया है।

प्रिवी कौंसिल का एक मुकदमा है: बाकर अली बनाम अंजुमन (30 आई० ए० 94), जिसमें माननीय न्यायाधीशों ने यह विचार प्रकट किया :

> "एक सामान्य सिद्धान्त के रूप में यह स्वीकार करना अत्यन्त खतरनाक होगा कि कानून के नए नियम इसलिए लागू किए जाने चाहिए क्योंकि आजकल के वकील चाहते हैं कि प्राचीन पाठ का चाहे वह कितना कैसा भी प्रमाणित हो, तर्कसंगत ढंग से पालन किया जाना चाहिए जबकि स्वयं प्राचीन विधिवेत्ताओं ने ये निष्कर्ष नहीं निकाले हैं।"

यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारा उच्चतम न्यायालय न्यायालय की परम्पराओं से विपथगामी हो गया है। यह पहला मामला है जिसमें न्यायालयों की परम्पराओं में इस प्रकार का गंभीर अंतर आया है जिसके लिए मुझे मजबूर होकर सरकार से आग्रह करना पड़ रहा है कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के मामले 'शरीयत अदालतों' में भेजे जाने चाहिए जहां मुस्लिम न्यायाधीश होते हैं ताकि उन्हें वास्तविक भावना का पता चले। सभापति महोदय, प्रश्न यह उठता है कि भूतपूर्व पति के निर्वाह भत्ता देने में इतनी आपत्ति क्यों है? परन्तु जैसा कि मैंने कहा कि यह 'तलाक' या तलाक की संकल्पना के विरुद्ध है। जैसा कि मैंने एक तरफ कहा कि यदि आप वास्तविक तलाक के मामलों में कठिनाइयां पैदा करते हैं तो इसके परिणाम से समाज में व्यापक दुराचार बढ़ेगा और लोग अपनी पत्नियों से छुटकारा पाने के लिए उनको जलाकर मारना आदि घृणास्पद आपत्तिजनक तरीके अपनाने लगेंगे। हम अपने समाज में ऐसा दुराचार नहीं चाहते। अतः हम सुझाव देते हैं कि मौजूदा परिस्थिति में मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में निहित व्यवस्था ही सबसे अच्छी है।

जैसा कि मैंने कहा कि मैं महिलाओं के हितों का ही हिमायती हूं। यह महिलाओं के हित में है कि तलाक का प्रावधान होना चाहिए। जब तलाक वास्तविक रूप से आवश्यक समझा जाता है तो यह सुनिश्चित करना महिलाओं के हित में है कि अनावश्यक अवरोध पैदा न किए जाएं जिसके परिणामस्वरूप समाज में अनेक प्रकार के दुराचार पैदा हों। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून प्रत्येक विचारणीय स्थिति के लिए व्यवस्था करता है। इसलिए यह सभी लोगों की भलाई के लिए है। विशेषतया महिलाओं की भलाई के लिए। सैयद अमीर अली प्रसिद्ध पुस्तक 'दी स्पीरिट आफ इस्लाम' से कुछ उद्धरण मैं यहां प्रस्तुत करता हूं (जिनका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है) :—

"लेकिन एक समय जब वो समाज में महिला चाहे वह अविवाहित है या विवाहित है। मां है या पत्नी है, को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, जहां पुत्री के जन्म को अभिशाप समझा जाता था, महिला को नारी का अधिकार प्राप्त कराने के लिए आचार्य मानवता के आभार का पात्र है। जो अनिच्छापूर्वक और दबाव में बीसवीं सदी में सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकार किया जा रहा है यदि मुहम्मद ने और कुछ नहीं किया होता तो मानव के संरक्षक के रूप में उसका दावा निर्विवाद होता। वर्तमान कानून के अन्तर्गत भी जैसा कानून विदों की पुस्तिका के पृष्ठों में विद्यमान है, मुस्लिम महिलाओं की कानूनी स्थिति यूरोपीय महिलाओं की तुलना में श्रेयस्कर समझी जा सकती है।"

उन्होंने और आगे स्पष्ट किया है :—

"अविवाहिता नारी माता-पिता के संरक्षण होती है और जब व्यवस्था हो जाती है तो कुछ सीमा तक पिता के या उसके प्रतिनिधि के नियंत्रण में हो जाती है फिर अब वह पूर्ण व्यवस्था हो जाती है तो कानून उसे वे सभी अधिकार देता है जो स्वतंत्र व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।"

"वह अपने भाइयों के साथ अपनी पैतृक विरासत की हिस्सेदार होती है हालांकि उसका अनुपात भिन्न होता है। भाई और बहन की पारस्परिक स्थिति पर अन्तर होता है। ऐसी महिला से जो पूर्ण कानूनी कार्यकारी सामर्थ्ययुक्त होती है, उसकी इच्छा के बिना स्थिति में शादी नहीं की जा सकती।" यहां तक कि सुलतान भी नहीं कर सकता। अपने विवाह पर वह अपना व्यक्तित्व नहीं खोती है। वह समाज की एक अलग सदस्य नहीं होती है।"

वह और आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं :—

"एक मुसलमान विवाह दिवानी अधिनियम है जिसमें किसी काजी कोई उत्सव की आवश्यकता नहीं होती है। कानून की परिभाषा से बाहर विवाह का करार से महिला या और उसकी अपनी सम्पत्ति पर पुरुष का कोई अधिकार नहीं होता है। किसी न्यायाधीश की व्यक्तिगत विलक्षणता से मां के रूप में नारी के अधिकार की मान्यता की आवश्यकता नहीं है। अपने प्रयासों द्वारा प्राप्त उसकी कमाई को खर्चीला पति खर्च नहीं कर सकता। क्रूर व्यक्ति उससे छुटकारा पाने के लिए उससे दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। यदि वह पूर्ण कानूनी कार्यकारी सामर्थ्ययुक्त नारी है तो वह अपने सभी मामलों में अपनी सम्पत्ति के अधिकार में अपने पिता और पति के हस्तक्षेप के बिना अपने सभी कार्य कर सकती है। वह अपने पति के नाम के बिना या अपने किसी अन्य मित्र की सहायता के बिना वह खुली अदालत में अपने कर्जदारों पर मुकदमा चला सकती है। वह उन सभी अधिकारों का जो कानून ने पुरुषों को दिए हैं, उनका उपयोग अपने पिता के घर से अपने पति के घर आकर भी कर सकती है। महिला और पत्नी के रूप में उससे संबंधित सभी विशेषाधिकार उसके लिए सुरक्षित हैं, विनम्रता द्वारा नहीं जो "आओ और जाओ" बल्कि कानून की पुस्तक में वास्तविक संदर्भ द्वारा है।"

महोदय, मैं इस सदन को जो कुछ बता रहा हूं उसको संक्षेप में कहना चाहता हूं। उच्चतम न्यायालय का हाल में दिया गया निर्णय मुस्लिम व्यक्तिगत कानून का घोर उल्लंघन करता

है। सभी मुस्लिम न्यायविदों के सर्वसम्मत मत के विरुद्ध कुरान के एक या दो पदों की गलत ढंग से व्याख्या की गई है। मैं सदन में कोई नई चीज जोड़ने नहीं आया हूं अपितु इस सदन को उस राय को बहाल करना है जो धारा 127 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) में अन्तर्विष्ट की गई है ताकि परम्परागत मुस्लिम व्यक्तिगत कानून बना रहे। आवारागर्दी के प्रश्न पर पहले से विचार किया गया है। यदि स्थिति में परिवर्तन कर महिला को उसके भूतपूर्व पतियों पर आश्रित बना दिया जाता है तो समाज में अकथनीय दुराचार फैल जाएंगे और इससे हमारे देश में सभी मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। शरियत के बारे में सरकार ने हजारों तार, ज्ञापन और पत्र प्राप्त किए हैं। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून बोर्ड है जो मुस्लिमों में उनकी विभिन्न विचारधाराओं को प्रतिबिम्बित करता है और सर्वसम्मत संकल्प भी है। मैं यह बात स्पष्ट करता हूं कि कोई भी मुस्लिम शरियत का इस तरह घोर उल्लंघन कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस सदन में अपील करता हूं कि स्वयं महिलाओं के हित में सरकार को ये प्रावधान स्वीकार करने चाहिए जो मैंने पेश किये हैं और जो सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हैं तथा जिनकी मैंने इस सदन से सिफारिश की है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री मूलचंद डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर 15 नवम्बर, 1985 तक राय जानने के प्रयोजनार्थ उसे परिचालित किया जाए।"

श्री बृजमोहन महन्ती : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर 31 मार्च, 1986 तक राय जानने के प्रयोजनार्थ उसे परिचालित किया जाए।"

*श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद (मयूरम) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य जनाब बनातवाला ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 1985 प्रस्तुत किया है।

मूल अधिनियम 1898 में लागू किया गया था। 1973 में इसमें संशोधन किया गया था। मूल अधिनियम की धारा 488 में तलाक शुदा महिला और उसके बच्चों के लिए निर्वाह भत्ता के बारे में स्थिति प्रभावी रूप से स्पष्ट नहीं है। इसलिए सरकार ने धारा 488 को एक नई धारा 125 के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नई धारा 125 से हमारे देश में मुसलमान जिनका अपना मुस्लिम व्यक्ति गत कानून अतिसंवेदनशीलता को ठेस नहीं पहुंचे। सरकार ने स्वत धारा 127 (3) (ख) अन्तर्विष्ट की है।

महोदय, हमारा संविधान धर्म निरपेक्षता के विचार को समावेश करता है। हमने उस संविधान के नाम पर प्रतिज्ञान किया है और इस सदन के सदस्य बने हैं। 1973 में धारा 127 (3) (ख) को अन्तर्विष्ट करना सत्ताधारी कांग्रेस दल की धर्म निरपेक्षता के प्रतिबद्ध होने का प्रमाण बताती है।

लोकतंत्र की रचना विधान पालिका, कार्य पालिका, न्यायपालिका और प्रेस पर बनाई गई है। हम किसी व्यक्ति को न्यायालय में जाने के लिए उसके मूल अधिकार को रोक नहीं कर सकते

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

है। उच्चतम न्यायालय ने धारा 127 (3) (ख) की जो व्याख्या की है वह मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के उपबंधों के विरुद्ध जाती है। इससे हमारे देश के मुसलमानों के मन में शंका उत्पन्न हो गई है। मैं यहां बताना चाहता हूं जब एक व्यक्ति द्वारा धार्मिक कुरान को कलकत्ता उच्च न्यायालय में ले जाये जाने के मामले को इस सदन में उठाया गया तो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के इस सदन में निन्दा करने पर विवश होना पड़ा था।

मैं अपने माननीय दोस्त के सराहने योग्य उद्देश्य को इस विधेयक को आगे लाने के लिए प्रशंसा करता हूं। मैं इस विधेयक के पीछे जो उद्देश्य है उसका समर्थन करता हूं। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हू कि केन्द्रीय सरकार श्री बनातवाला के उद्देश्यों को शामिल कर एक संशोधन शीघ्र ही लाएगी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह हमारे युवा प्रधान मंत्री ने अपना अडिग विश्वास दिखाए कि उन्होंने पंजाब जैसी गम्भीर समस्या को हल करने में उनकी स्वाभाविक क्षमता है। मैं उनसे यह भी अपील करता हूं कि वह इस विधेयक को वापिस ले ले क्योंकि हमारे प्रधान मंत्री के हाथों में देश के मुसलमानों का भविष्य सही और सलामत है। भारत विश्व का दूसरा देश है जहां मुसलमानों की सबसे अधिक जनसंख्या है। केन्द्रीय सरकार धर्मनिरपेक्षता के प्रति वचनबद्ध है और वह इन निर्णयों से उत्पन्न होने वाली ऐसी किन्हीं आशंकाओं को दूर करने में संकेत नहीं करेगी। माननीय सदस्य इस तथ्य को जानते हैं कि भारत सरकार कई अवसरों पर न्यायालयों के निर्णयों द्वारा उत्पन्न हुई सरकारों को ठीक करने के लिए संविधान में संशोधन करती है। यह सदन सर्व श्रेष्ठ है, जहां भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं की छाप पड़ती है जिसमें विभिन्न जातियां और धार्मिक श्रेणियां शामिल है। विश्व में कई देशों द्वारा भारत की विविधता में एकता के विचार को ऊंचा स्थान दिया गया है। मैं अपने माननीय दोस्त श्री बनात-वाला को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे मुस्लिम भाइयों तथा उनके व्यक्तिगत कानून के हितों के साथ इस तरह की न्यायिक घोषणाओं से खिलवाड़ नहीं किया जायेगा। राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार, भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के किए प्रयास करेगी और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून प्रावधानों को कायम रखेगी। इस पृष्ठ भूमि में, मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि सरकार एक संशोधन लाएगी और उन्हें अपना विधेयक वापस ले लेना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : सभापति महोदय, माननीय बनातवाला अपने लम्बे भाषण में इस गरिमापूर्ण सभा के ध्यान में कई चीजें लाए हैं। उनका भाषण शांत और उत्तेजित विचारों का था। लेकिन महोदय, मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं और इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं करता हूं। इसके बहुत से कारण हैं। सदियों की गुलामी के बाद महिलाओं को अब स्वतंत्रता मिली है। वे स्वतंत्रता का अनुभव करती में। श्री बनातवाला का यह संशोधित विधेयक केवल एक विपरीत कदम है। यह किसी भी तरह से महिलाओं की सहायता नहीं करेगा। मनु ने कहा था कि "महिलाएं आजादी की पात्र नहीं हैं।" लेकिन सौभाग्य से मनु का समय बीत गया। मध्यकाल के वे दिन बीत गए जब महिलाओं को आजादी से वंचित रखा जाता था। अब समय में परिवर्तन हो गया है और महिलाएं जीवन के हर पहलू में अपना उत्साह साबित कर रही हैं वे सभी क्षेत्रों में समानता का आनन्द ले रही हैं। आधुनिक युग में इस प्रकार के संशोधन को लाना विचित्र सा लगता है।

* तेलगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

महोदय, यह विधेयक मध्यकाल के मनोविज्ञान को परिलक्षित करता है। उस समय महिलाओं को आनन्द का एक साधन समझा जाता था। उन्होंने कभी भी किसी भी महिला के गुणों को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने उसे समान व्यवहार का दर्जा नहीं दिया है। अब यह विधेयक भी उन्हीं विचारों और मानसिक अवस्था पर प्रभाव डालता है। महोदय, यही कारण है कि मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। आधुनिक युग में महिला आनन्द का साधन नहीं है। वह बराबरी के अधिकार को ही आनन्द महसूस करती है। उसके साथ-प्रतिष्ठा से व्यवहार किया जा रहा है। पति और पत्नि के बराबर के संबध हैं। पत्नि इस स्थिति पर है कि वह अपने पति का मार्ग दर्शन करती है। बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी या उसके द्वारा अपमानित या तलाक शुदा पत्नी के लिए 500 रुपए या कम राशि का निर्वाह भत्ता देने का उपबंध है। दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह उपबन्ध मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया है। अब इस विधेयक में जो दण्ड प्रक्रिया संहिता के इन उपबंधों में संशोधन करता है वे कुछ नहीं है बल्कि यह उलटा कदम है। इस विधेयक का प्रस्ताव करते समय श्री बनातवाला ने अपने तर्क के समर्थन में कुछ बातों का उल्लेख किया है। लेकिन यह करते समय वह इस तथ्य को भूल गए कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 किसी भी तरह मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के साथ कहीं भी मेल नहीं खाता है। एक कमी के हटाने का यह केवल एक सशोधन है। श्री बनातवाला ने कहा है कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के अधीन निराश्रित महिलाओं के बारे में पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था है। यदि ऐसा है तो यह उपबंध पूरक के रूप में मुस्लिम व्यक्तिगत कानून की व्यवस्था करता है। यह उपबंध मुस्लिम व्यक्तिगत कानून को किसी तरह से भी उल्लंघन नहीं करता है। वह कहते हैं कि एक महिला जिसको उसके पति द्वारा छोड़ दिया गया या तलाक दिया गया है उसकी देखभाल उसके पिता या माता या भाई द्वारा की जायेगी।

ऐसी महिलाओं के लिए मुस्लिम पर्सनल ला में यह सुरक्षा प्रदान की गई है। इस उपबंध से ऐसी औरतों की सुरक्षा के लिए एक और उपाय हो गया है। यह धारा उन पतियों पर लागू होती है जो काफी अमीर हैं, और अपनी पत्नियों का भरण-पोषण कर सकते हैं लेकिन ऐसा करने से इंकार करते हैं। यह धारा तत्काल लागू होगी। इस धारा के माध्यम से ऐसे पति को बाध्य किया गया है कि वह अपनी परित्यकता पत्नी को निर्वाह के लिए 500 या उससे कम रुपए दें। सही स्थिति यह है तथा यह स्पष्ट है कि यह किसी भी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ नहीं है। यह तो उसका पूरक है। दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन के लिए तर्क देते समय श्री बनातवाला ने कहा है कि तलाक शुदा पत्नी, अगर अपने पति के पास रहती है तभी उसे भरण-पोषण भत्ते के तौर पर 500 या उससे कम रुपए पाने का हक है। सही स्थिति यह नहीं है। उनकी जानकारी पूरी तरह सही नहीं है। उन्होंने इस कानूनी उपबंध को गलत समझा है। अगर अदालत डिग्री जारी करती है कि भरण-पोषण भत्ता प्राप्त करने के लिए पत्नी का पति के पास रहना अनिवार्य है और वह उसके पास रहने से इन्कार करती है और इस प्रकार डिग्री में लगायी गई शर्त का उल्लंघन करती है तभी वह मुआवजे के दावे से वंचित हो जाएगी। यह कहना सही नहीं है कि यह शर्त हर मामले में लागू होगी। श्री बनातवाला इस अन्तर को कृपया नोट करें। महोदय मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मुस्लिम महिलाओं को एक और सुविधा दिए जाने से मुसलमानों को क्यों दुःख पहुंचा है। तलाक के बाद इद्दत के दौरान एक मुस्लिम महिला 3 महीने तक अपने पति के पास रहती है। 3 महीने की यह अवधि यह जानने के लिए रखी गई

है कि उक्त महिला गर्भवती है या नहीं। इसका यह गलत अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि उक्त महिला केवल तीन महीने के लिए भरण-पोषण भत्ता पाने की हकदार है उसके बाद नहीं। मेरे विचार से इद्दत की यह बड़ी गलत व्याख्या है। मुझे समझ नहीं आता कि इसमें कौन सी गलत बात है कि अगर ऐसे सम्पन्न मुसलमानों को जो अपनी पत्नियों का भरण-पोषण कर सकते हैं, अपनी परित्यक्ता पत्नियों को तब तक भरण-पोषण भत्ता देने के लिए बाध्य किया जाए जब तक कि वे पुनः विवाह न कर लें। उनके लिए ऐसा करना कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए।

महोदय श्री बनातवाला द्वारा प्रस्तुत दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने से सबंधित विधेयक एक पश्चगामी उपाय है। इसका उद्देश्य पुरानी लीक पर चलना है। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं करता और श्री बनातवाला से अनुरोध करता हूं कि वह इसे वापस ले लें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : महोदय श्री बनातवाला चाहते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 और 127 में संशोधन किया जाए। ऐसा वह ताहिरा बनाम अली हुसैन (ए०आई०आर० 1979, उच्चतम न्यायालय, पृष्ठ 362) मुकदमे में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के कारण करना चाहते हैं। उक्त मुकदमे में यह निर्णय दिया गया कि इस मुस्लिम पर्सनल लॉ के होते हुए भी यदि दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 125 और 127 के अन्तर्गत आदेश दिया जाए तो एक मुसलमान पति को भी अपनी तलाकशुदा पत्नी को भरणपोषण भत्ता देना होगा क्योंकि इस धारा 127 के खण्ड (ख)या पैरा 3, खण्ड (ख) के अनुसार उक्त आदेश को जारी करने की तारीख से पूर्व या बाद में तलाकशुदा पत्नी को किसी रूढ़िजन्य या स्वीय विधि के अन्तर्गत देय समस्त या आंशिक रकम की प्राप्ति होने पर इस आदेश द्वारा रद्द कर दिया जायेगा अतः श्री बनातवाला के अनुसार खण्ड 3 के इस पैरा को मद्देनजर रखते हुए मुसलमान पतियों को दण्ड प्रक्रिया संहित की धारा 125 या 127 के अन्तर्गत भरण पोषण भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि लोक सभा तथा राज्य सभा में इस विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान यह आश्वासन दिया गया था कि यह धारा-विशेष इस संबंध में मुस्लिम पर्सनल की रक्षा करेगी।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इस निर्णय के बाद उच्चतम न्यायालय ने एक और निर्णय दिया था जिसे (ए०आई०आर० 1985, जुलाई, पृष्ठ 945) जिसमें न केवल ऐसा ही निर्णय दिया गया था बल्कि उस पर और अधिक विस्तार से मत व्यक्ति किया गया था। श्री बनातवाला के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय देकर न केवल मुस्लिम ला का अतिक्रमण किया है बल्कि यह निर्णय संसद द्वारा उस समय पारित धारा 127 के आशय के प्रतिकूल भी जाता है। इस उद्देश्य से वह अनुच्छेद 125 तथा 127 का संशोधन करना चाहते हैं। निस्सदेह कांग्रेस पार्टी का लगतार यही रवैया है कि संविधान के अनुच्छेद 44 के अन्तर्गत समान सिविल संहिता तैयार के नीति निर्देशक सिद्धांत के बावजूद वह ऐसा तब तक नहीं कर सकती जब तक मुसलमान समुदाय स्वयं इसके लिए पहल न करे। मेरा विचार है कि पिछली बार श्री बनातवाला द्वारा अनुच्छेद 44 को हटाने के बारे रखे गए विधेयक के समय भी सरकार ने यही बात कहीं थी।

अतः देखना यह है कि उच्चतम न्यायालय के ये निर्णय क्या वास्तव में मुस्लिम पर्सनल ला का अतिक्रमण कर रहे हैं अथवा नहीं और इसी बात को मद्देनजर रखकर इस संशोधन पर विचार किया जाना चाहिए।

मैं यह और कहूंगा कि यही दो निर्णय नहीं हैं बल्कि उच्चतम न्यायालय ने 1980 में भी ऐसा ही एक निर्णय दिया था। वह तीसरा निर्णय उतना विस्तृत नहीं था जितना 1985 में मुख्य न्यायाधीश चन्द्र चूड द्वारा दिया गया निर्णय।

श्री एन० वेंकट रत्नम (तेनाली) : कृपया पृष्ठ संख्या बताएं।

श्री शरद दिघे : ए० आई० आर० 1980 उच्चतम न्यायालय, पृष्ठ संख्या 1730 मुकदमे का नाम है फुजुलनी बनाम के खादरवली।

इस प्रकार इस मुददे पर उच्चतम न्यायालय ने तीन एक जैसे निर्णय दिए हैं। ऐसा नहीं है कि 1985 में पहली बार इस पर विस्त्रत निर्णय दिया गया हो। वस्तुतः. जैसा कि माननीय सदस्य श्री बनातवाला स्पष्ट कर चुके हैं, इस संबंध में दो निर्णय मौजूद थे। जब दो न्यायाधीशों को खण्ड पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए आया तो उनके विचार उक्त दो निर्णयों से भिन्न थे जिसके कारण इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के समक्ष देखना पड़ा। इस प्रकार इस मामले विशेष में तीसरा निर्णय दिया गया है।

अतद्यन निर्णय जिसका माननीय सदस्य श्री बनातवाला ने उल्लेख किया है और जिसकी मैं भी चर्चा कर चुका हूं, में मामले पर विस्तार पर विचार विमर्श किया गया है। अब मामले का पहला पहलू यह है कि क्या भरण पोषण भत्ते से संबंधित थे उपबन्ध किसी तरह मुस्लिम पर्स-नल लॉ के प्रतिकूल तो नहीं हैं, या क्या वे स्वंतत्र रूप से समस्त भारत के लिए बनाए गए हैं। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि 1973 में दंड प्रक्रिया संहिता के रूप में यह उपबंध बनाया गया हो। 1872 में तैयार की गई प्रथम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 में कुछ इस जैसा ही उपबंध है। धारा 488 तैयार करते समय तत्कालीन सरकार का उद्देश्य समाज के सब से कमजोर वर्गों के लिए कुछ व्यवस्थाए करता था। अत: दीवानी कानून में हिंदू कानून मुस्लिम कानून क्रिश्चिअन कानून, पारसी कानून जैसे प्रत्येक धर्म के पर्सनल लॉ के अलावा यह आवश्यक समझा गया कि फौजदारी कानून में कुछ उपबन्धों की व्यवस्था की जाए। यह दीवानी कानून बिलकुल नहीं है। आंकले मुस्लिम कानून में ही पत्नियों" तलाक शुदा पत्नियों बच्चों, माता-पिता आदि के लिए भरण पोषण भत्ते की व्यवस्था नहीं है बल्कि हर धर्म के कानून में भरण पोषण के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। इन सबके बावजूद फौजदारी कानून में भरण पोषण भत्ते की विशेष व्यवस्था की गई। भरण पोषण भत्ते के मामले में दीवानी कानून के अलावा भी विशेष उपाय करना ठीक समझा गया। बच्चों, पत्नी तकालशुदा महिला यहां तक की मां-बाप की उपेक्षा करने या उनके भरण पोषण की व्यवस्था न करने पर विशेष उपाय या यूं कहिए तत्काल उपाय की व्यवस्था की गई। मान लीजिए सायर्थ्य होने पर भी पति पत्नी का भरण पोषण नहीं करता सामर्थ्य होने पर भी पिता बच्चों का भरण पोषण नहीं करता या माता-पिता का भरण पोषण नहीं करता तो इसके लिए पसर्नल ला या दीवानी कानून में की गई व्यवस्था के अलावा तत्काल उपाय था विशेष उपाय करना ठीक समझा गया। इसी बात को मद्देनजर रखरक यह उपबंध रखा गया है। पहले इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए। मुस्लिम कानून में भरण पोषण संबंधी यह उपबंध पहले से है। एक अवधि विशेष तक के लिए मेहर देने संबंधी उपबंध बना हुआ था। इस रीति का सभी पालन तथा सम्मान कर रहे थे लेकिन इसके बावजूद इस कानून का पारित करने तथा पत्नियों, बच्चा तथा माता-पिता के लिए विशेष व्यवस्था, तत्काल व्यवस्था करने की जरूरत समझी गई। अत: विशेष व्यवस्था की गई जिसके तहत कोई भी व्यक्ति

दीवानी अदालत, में न जाकर जहां समय अधिक लगता है, मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में जा सकता है और धारा 488 के अन्तर्गत आवेदन देकर तत्काल राहत पा सकता है। निस्सदेह यह व्यवस्था की गई कि ऐसे मामले में 500 रुपए से अधिक नहीं दिया जाए। यह व्यवस्था भी की गई कि इस आदेश का पालन नहीं करने पर वही मैजिस्ट्रेट वारंट भी जारी कर सकता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आदेश ही तत्काल जारी नहीं किया जाए बल्कि उसका पालन भी तत्काल हो और इसके अलावा यह व्यवस्था भी है कि भरण पोषण भत्ता नहीं दिए जाने पर उसे जेल भेजा जायेगा। अत: फौजदारी कानून के अन्तर्गत कारगर उपाय, तत्काल उपाय की व्यवस्था है जोकि दीवानी,कानून या,पर्सनलों में की गई व्यस्था से भिन्न है

5.00 म.प.

1973 में उक्त संहिता के स्थान पर नई संहिता बनाई गई जिसमें धारा 488 तथा 489 के स्थान पर धारा 125 तथा 127 रखी गई। व्यवहारत: उन्हें शब्दश: ही रखा गया। अनुभव तथा भावी कठिनाइयों को ध्यान में रख कर कुछ संशोधन किए गए। इस बात को मद्देनजर रखकर में यह कहना चाहता हूं कि पत्नियों आदि के लिए पहली बार भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की जा रही है। उस समय भी यह सभी व्यक्तियों पर लागू होता था चाहे उनका धर्म, उनका पर्सनल लॉ कुछ भी क्यों नहीं हो। हिदु और पारसियों या इसाइयों की तरह मुसलमानों को भी धारा 48 के अतर्गत मैजिस्ट्रेट के आदेशों के अन्तर्गत भरण पोषण भत्ता देना होता था। अत: मैं यह कहना चाहता हूं कि धारा 125 फौजदारी कानून का हिस्सा है न कि दीवानी कानून का जो भिन्न-भिन्न धर्म के पक्षकारों के अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिभाषा करता है तथा उसका संचालन करता है। यह धर्म निरपेक्ष धारा है और यह किसी धर्म-विशेष पर लागू नहीं होती। उस दृष्टि से इससे किसी भी धर्म को छूट नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अजीज सेठ (धारवाड़ दक्षिण) : आप धारा 127 (3) (ख) क्यों नहीं पढ़ते ?

श्री शरद दिघे : उपर्युक्त समय पर में सब कुछ पढ़ूंगा। धारा 488 के अन्तर्गत यह व्यवस्था बहुत समय तक रही और अब इसका स्थान धारा 1·5 ने ले लिया है। उस समय भी यह सभी धर्मों पर लागू होता था। इसलिए मैंने कहा था कि यह धर्म निरपेक्ष धारा है···(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : वाद-विवाद होने के कारण मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा ताकि आप बोलने के दौरान उसका ध्यान रखें···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उन्हें पहले समाप्त करने दें।

श्री जी० एम० बनातवाला : अगर वह बैठ रहे हैं तो मैं कहूंगा। वकील होने के नाते वह मुझे भी स्पष्ट कर सकते हैं। आपने पत्नियों आदि को भरण-पोषण भत्ता देने के बारे में पिछली दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 का उल्लेख किया है। ठीक है। हमने इस पर कभी आपत्ति नहीं की क्योंकि मुस्लिम लॉ के अन्तर्गत समान व्यवस्था है और मुस्लिम लॉ का आपने विरोध नहीं किया। अत: हम बे वजह आपका विरोध क्यों करें।

17-03 म०प०

(श्री एम० वेंकट रत्नम पीठसीन हुए)

मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाये रखा गया और जहां तक पत्नी के भरण-पोषण का संबंध है तथा उस सीमा तक धारा 488 मुस्लिम लॉ का विरोध नहीं करती थी इसीलिए हमने इसके बारे में हल्ला

गुल्ला नहीं किया। लेकिन 1973 में धारा 488 के स्थान पर, जैसाकि आपने ठीक ही कहा है, धारा 125 लाई गई और उसमें यह कानूनी सुधार किया गया कि 'पत्नी' शब्द में तलाकशुदा औरत को भी शामिल होगी। यह एक नई बात थी जो मुस्लिम लॉ से मेल नहीं रखती थी। हमने श्रीमती इंदिरा गांधी जी से बात की थी और उन्होंने हमारा दृष्टिकोण स्वीकार किया था······

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्हें पूरा करने दें। यह चर्चा का मुद्दा नहीं है, यह तो वाद-विवाद का विषय है।

श्री जी० एम० बनातवाला : जी हां, महोदय यहां हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर आए हैं। उन्हें उस पर उन्हें अपने तर्क देने दें।

श्री शरद डिघे : मैं केवल यह कहना चाहता था कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत भरण पोषण भत्ता देने या विशेष तत्काल व्यवस्था करने के सिद्धांत को 1874 में ही मान्यता दे दी गई थी। और अब तक या खासकर उस समय तक, किसी धर्म ने उस बात को लेकर इसे चुनौती नहीं दी। आप बजा फरमाते हैं कि यह मुस्लिम विधि के विरुद्ध नहीं जाता था। अतः इसको चुनौती नहीं दी गई। ठीक है, मैं इस तर्क को मान लेता हूं।

1973 में इस प्रावधान को जोड़ दिया गया था। और जैसा कि आपने कहा है, राज्य सभा तथा लोक-सभा के तत्कालो मन्त्री श्री राम निवास मिर्धा ने कई वक्तव्य दिये थे।

अब हमें यह देखना है कि क्या यह धारा अथवा प्रावधान मुस्लिम स्वीय विधि के प्रतिकूल है, जिसका मेरे विद्वान मित्र श्री बनातवाला ने उल्लेख किया है तथा उच्चतम न्यायालय ने भी 1985 के अपने निर्णय में इस पर चर्चा की है।

मैं समझता हूं कि मेहर देने का रिवाज, तथा जैसा कि 1985 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में भी यह चर्चा की गई है, दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण-पोषण की धारण से भिन्न है। मेरे मित्र सहमत होंगे कि मेहर तलाक के प्रतिफल के रूप में नहीं दिया जाता है। यह तो शादीके लिये दिया जाता है। अतः जो शादी के लिए दिया जाता है उसे तलाक का प्रतिफल कहना या समझना ठीक नहीं है। चूंकि मैं थोड़ा बहुत मुस्लिम कानून के बारे में जानता हूं अतः मेरे अनुसार, यह मेहर भी आमतौर पर हिस्सों में दिया जाता है—तुरन्त भुगतान तथा आस्थगित भुगतान। तुरन्त भुगतान मांग करने पर किया जाता है; अतः यह शादी के समय नियत किया जाता है। परन्तु तुरन्त भुगतान पत्नी की मांग पर किया जाता है तथा आस्थगित भुगतान मृत्यु अथवा तलाक की वजह से शादी के विघटन हो जाने से किया जाता है। अतः मेहर देने की सम्पूर्ण धारणा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पत्नी को भरण-पोषण भत्ता देने से एकदम भिन्न है। मेहर शादी के विघटन पर नहीं दिया जाता परन्तु इसका कुछ हिस्सा मांग किये जाने पर तुरन्त दिया जाता है। और बाकी हिस्सा शादी के विघटन पर दिया जा सकता है।

शादी का विघटन मृत्यु की वजह से भी हो सकता है अथवा हो सकता है मेहर दिया ही न जाए। मुझे सब ब्योरा मालूम नहीं है परन्तु जो कुछ मैंने पढ़ा है उसका यही मतलब है। अतः यह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 अथवा 127 में आशयित धारणा से एकदम भिन्न है।

मेहर, जैसा कि मैंने कहा है यह शादी के प्रतिफल के रूप में अथवा जैसा कि कहा जाता है पत्नी को सम्मान देने के लिये, दिया जाता है। इसीलिए यह राशि दी जाती है, जबकि दण्ड

प्रक्रिया संहिता के तहत दी जाने वाली राशि पत्नी की उपेक्षा करने के लिए है। जब कोई पति अपनी पत्नी की उपेक्षा करता है तो पत्नी के भरण-पोषण के लिये यह व्यवस्था की गई है यदि वह उसकी देख-भाल करने में सक्षम है।

विवाह के दौरान उसे यह रकम देनी ही पड़ती है। और उसके द्वारा पत्नी को तलाक देने के पश्चात भी उसे इस धारा के अंतर्गत पत्नी के पुन: विवाह होने तक यह रकम देनी होती है। यह इस अधिनियम की योजना है। इस अधिनियम के तहत जब पत्नी पति के साथ रहने के लिए इन्कार कर दे तथा इसका पर्याप्त कारण हो तो इस स्थिति में भी पति को यह राशि पत्नी को देनी होती है और यह व्यवस्था शुरू से चली आ रही है। अगर पति दूसरी शादी करता है अथवा कोई रखेल रखता है तो पति के साथ न रहने का यह भी पर्याप्त कारण है तथा पत्नी भरण-पोषण के लिए दावा अथवा दबाव डाल सकती है। क्या पुरुषों की यह स्थिति है ? ये एकदम भिन्न बातें हैं। यह एकदम अलग व्यवस्था है। यह महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिये है, जिनकी उपेक्षा की जा रही है या जिन्हें सामाजिक निर्णय नहीं दिया जाता है। अगर पति रखेल रखता है तो वह उसे छोड़ सकती है तथा कहीं और जाकर रह सकती है तथा कह सकती है कि मुझे भरण-पोषण राशि चाहिये।

पति दूसरी पत्नी से विवाह करता है, तब भी वह दबाव डाल सकती है। क्या मेहर के तहत मुस्लिम कानून में यही अक्षम बताया गया है ? उसमें 4 पत्नियों की स्वीकृति दी हुई हैं तो दूसरी पत्नी से शादी करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अत: पहली पत्नी द्वारा भरण-पोषण राशि मांगना मुस्लिम पर्सनल लॉ के अधीन नहीं आता है। मेहर देने के संबंध में, इद्दत या फिर उससे गर्भवती होने की अवधि में वह बिलकुल भिन्न पर्सनल लॉ है और भिन्न व्यवस्था है। अत: मेरा कहना है कि यह धारा और ये प्रावधान तथा इनके अंतर्गत दिया गया निर्णय एकदम भिन्न है और एकदम भिन्न योजना के अधीन हैं। अत: जैसा कि मैं कह रहा था, सच तो यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 एवं 127 को जो व्याख्या उच्चतम न्यायालय ने की है वह मुस्लिम स्वीय विधि के प्रतिकूल नहीं है। मेहर, इद्दत, ये सभी एकदम भिन्न योजना व पृथक विचार धारा के अंतर्गत आते हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत विशेष परिस्थितियों में पत्नी बच्चों, माता-पिता को तुरन्त, विशेष राहत देने के लिए व्यवस्था की गई है और इस विशेष व्यवस्था का प्रावधान इसलिए भी किया गया ताकि रकम को जल्दी से वसूल किया जा सके। इन बातों पर निर्णय में भी विस्तार से चर्चा की गई है। मुस्लिम पति द्वारा पत्नी को भरण-पोषण राशि देने के सम्बन्धित निर्णय में कुरान से कई उद्धरण दिये गये हैं। यद्यपि श्री बनातवाला का कहना है कि वे प्राधिकृत नहीं हैं तथा ज्यादा प्राधिकृत व्याख्याएं कुछ और है सच तो यह है कि मुस्लिम पक्षकार ही इस मामले को अदालत में प्रस्तुत कर रहे थे। बहुत से मध्यक्षेप करने वाले व्यक्ति इसमें थे। सिर्फ इतना ही नहीं। सुनवाई के समय एक मुस्लिम समाज-सुधारक ने भी भाग लिया था जिसका उल्लेख भी निर्णय में किया गया है। अत: यह भी माना जाना चाहिए कि देश के इस उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्राधिकृत किताबें रखी गई थीं एवं तर्क दिये गये थे। इस प्रकार कौन सी किताबें तथा व्याख्यायें प्राधिकृत थीं उन पर पूरी तरह विचार कर लिया गया है। यह उस निर्णय के पैरा 15 में निम्न रूप से बताया गया है। इसमें अरबी में कुरान से कई कई उद्धरण दिये गये हैं जिनका अंग्रेजी अनुवाद भी साथ-साथ दिया गया है। मैं उनमें से कुछ हिस्सों को मैं उद्धृत करता हूं —

आयात संख्या 241

तलाकशुदा महिला को उपयुक्त स्तर पर भरण-पोषण व्यय दिया जाना चाहिये। यह धार्मिक व्यक्ति का कर्त्तव्य है।

आयात संख्या 242

इस प्रकार खुदा तुम्हें अपनी बात स्पष्ट कर रहा है ताकि तुम उसे समझ सको।

Apat No. 241

For Divorecd Women Maintenance should be provided on a reasonable scale. This is a duty on the righteous.

Ayat No. 242

Thus doth God Make Clear His signs To you in order that you may understand

इसमें आगे कहा गया है कि :

तुममें से जो मर जाते हैं और अपने पीछे विधवा पत्नियों को छोड़ जाते हैं उन्हें वसीयत लिखनी चाहिये कि उनका एक वर्ष के लिए भरण-पोषण किया जायेगा तथा उन्हें घर से नहीं निकाला जायेगा। परन्तु अगर वे अपनी इच्छा से घर छोड़ती हैं तो जो कोई भी रास्ता वे अपने लिए चुनती हैं उसके लिये आप उत्तरदायी नहीं होंगे; अल्लाह सर्व शक्तिशाली है सर्व-ज्ञानी है। इसी तरह से तलाकशुदा महिला को भी उचित मानदण्डों के आधार पर कुछ न कुछ दिया जाना चाहिये। यह अल्लाह से डरने वाले व्यक्तियों का कर्त्तव्य है।"

मैं कुछ अनुवाद हैं जिन्हें निर्णय में शामिल किया गया है। जिनके आधार पर विद्वान न्यायाधीशों को यह कहना पड़ा कि पत्नी अथवा तलाकशुदा पत्नी का भरण-पोषण राशि देना मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए नया अथवा बिलकुल अनजाना नहीं है। परन्तु इसके पीछे नेक इरादा है कि भरण-पोषण राशि दी जानी चाहिए तथा महिलाओं का सम्मान करना चाहिये। उनकी देख-भाल करनी चाहिये तथा उन्हें उचित भरण-पोषण राशि दी जानी चाहिए। अतः मैं यह कहता हूं कि रहन-सहन के लिए खर्चा देने की बात मुस्लिम स्वीय विधि में कोई नई नहीं है। हां इतना जरूर है कि इसके भुगतान का तरीका दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इसी प्रकार रहन-सहन का खर्चा दिलाने के तरीके से अवश्य भिन्न है। निःसंदेह यह मुस्लिम समुदाय का आपसी मामला है। उन्हें मिलकर इस संबंध में निर्णय लेना चाहिए। यदि मुस्लिम समुदाय कोई संशोधन करना आवश्यक समझता है तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि ऐसा किया जाना चाहिए और ऐसे संशोधन के विरोध का कोई कारण नहीं दिखता। लेकिन जहां तक इस निर्णय का संबंध है मुसलमानों की वास्तविक राय जानना बहुत जरूरी है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने ऐसे अभ्यावेदन भेजे है कि कुछ विशेष मुद्दों को एक विशिष्ट ढंग से निपटाया जाए अर्थात् उनके संबंध में फैसला करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाए तथा इसकी व्यवस्था भी एक विशिष्ट ढंग से की जाए। फैसले के बाद भी हमें समाचार पत्रों में यह पढ़ने के लिए मिल रहा है कि कुछ विशेष सम्मेलनों का आयोजन करके इस बात की मांग की जा रही है कि कोई भी ऐसा संशोधन न किया जाए जिससे उच्चतम न्यायलय का यह फैसला, जो उसने 1985 में दिया है, रद्द हो जाए। माननीय सदस्य श्री बनातवाला ने बहुत ही रोचक वाद-विवाद उठाया है। संसद के समक्ष ही नहीं अपितु मैं यह कहूंगा कि समूचे देश के लिए यह चर्चा का विषय है। समूचे देश में इस सम्बन्ध में चर्चा कराई जानी चाहिए कि क्या इस निर्णय के सदर्भ में कोई संशोधन आवश्यक है और यदि सम्पूर्ण मुस्लिम समुदाय या उसके अधिकांश सदस्य यह महसूस करते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस दृष्टि से उस पर विचार करे और अपनी वचन बद्धता के अनुसार

यदि 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' में कुछ संशोधन करना है तो उनकी सहमति लेनी होगी जब तक मुस्लिम समुदाय द्वारा अगुवाई नहीं की जाती तब तक कुछ नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में भी यही रुख अपनाना चाहिए। इस दृष्टि से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले पर बहुत सावधानी पूर्वक विचार करे, मुस्लिम समुदाय की राय ले और अगर वह इसके हक में है तब इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। तब तक, मैं इस विधेयक के प्रस्तुतकर्ता श्री बनातवाला से आग्रह करता हूं कि वह अपने विधेयक पर इस समय जोर न डालें बल्कि वह सरकार पर इसे छोड़ दें ताकि वह मुस्लिम समुदाय के अधिकांश लोगों की राय जान ले और तदनरूप कार्रवाई कर सके। इस विधेयक के संबन्ध में मेरा यही निवेदन हैं।

श्री अजीज सेट (धारवाड़ दक्षिण) : माननीय सभापति महोदय, मैंने चर्चा को सुना है जोकि बहुत ही दिलचस्प है। सर्वप्रथम हमें धर्मनिरपेक्षता की धारणा को स्वीकार करना होगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है एक दूसरे के धर्म का आदर करना। परन्तु मेरे माननीय मित्र जब सदन को संबोधित कर रहे थे तो उनके विचार मिश्रित थे। अंततः मैं उनके भाषण के अन्तिम हिस्से का स्वागत करता हूं। मैं उनके भाषण के ब्यौरों में नहीं जाना चाहूंगा।

महोदय, मेरे मित्र उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में बोल रहे थे। यह बात वास्तव में हमसे संबंधित है। फैसले में कुरान के अंशों का उल्लेख किया गया है। यह सुरा-ए-बकरा में से लिया गया संबंधित है जो न सिर्फ तलाक से संबंधित हैं अपितु किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसके बच्चों को सम्पत्ति का हिस्सा दिये जाने के बारे मे भी है। अभी-अभी कहे गये पैरे में तलाक के बारे में भी बताया गया है : मैं सुर-ए-बकरा को उद्धृत करता हूं।

आयत संख्या 240 देखिए :—

"तुम में से जो व्यक्ति मर जाते हैं तथा विधवाओं को छोड़ जाते हैं उन्हें अपनी विधवाओं के लिये एक वर्ष के लिए भरण-पोषण राशि देने एवं जिम्मेदारी के बारे में वसीयत करनी चाहिए परन्तु अगर वे (जिम्मेदारी) को छोड़ देती हैं तो इसका दोष तुम पर नहीं लगेगा क्योंकि जो कुछ वे करती हैं अपनी मर्जी से करती हैं, बशर्ते कि वह उचित हो और भगवान सर्वशक्तिमान है।"

"Those of you
Who die and leave widows
Should be queath
For their widows
A Year's maintenance
And responsibility;
But if they leave
(The responsibility),
There is no blame on you
For what they do
With themselves,
Provided it is reasonable
And God is exalted in power wise."

आयत संख्या 241 में कहा गया है :—

"तलाकशुदा महिला के लिये भरण-पोषण भत्ता (प्रदान किया जाना चाहिए) उचित (स्तर पर) यह धार्मिक व्यक्ति का कर्तव्य है।"

"For divorce woman
Maintenance (should be provided)
On a reasonable (scale)
This is a duty
On the righteous."

ये दो तर्जुमे सुर-ए-बकरा में से उद्धृत किये गये हैं। परन्तु मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि विद्वान् न्यायाधीशों को सुरा-ए-तलाक पर भी ध्यान देना चाहिये। यह एकदम स्पष्ट है; इसका अर्थ है तलाक। इसके ब्यौरे में जाने के लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और न ही मैं सदन का ही ज्यादा समय लूंगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने सुरा-ए-तलाक तथा हदीस के ब्यौरों को नहीं देखा है। विधि मंत्री जी के ध्यान में भी मैंने यह बात लाई है। हमारे कुछ मित्र भरण-पोषण राशि देने के बारे में बात कर रहे थे इसके लिये इद्दत का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि तलाकशुदा महिला गर्भवती तो नहीं है। अगर वह गर्भवती है तो बच्चे के जन्म होने तक उसे खर्चा दिया जाएगा। इद्दत की अवधि के दौरान पैदा हुआ लड़का अथवा लड़की भी अपने पिता की सम्पत्ति के हिस्सेदार होते हैं। इस उद्देश्य के लिए इद्दत का उल्लेख किया गया है। एक प्रश्न है, तलाकशुदा महिला को बाकी जीवन-यापन के लिए क्या करना होगा। कुरान में इसके बारे में लिखा गया है। इसका उत्तरदायित्व माता-पिता, भाई-बहनों, चाची आदि पर डाला गया है। उसे एकदम से सड़क पर नहीं खदेड़ दिया जायेगा। परन्तु धारा 125 के अनुसार भरण-पोषण खर्चा उसके विवाहित होने अथवा उसकी मृत्यु तक होना चाहिये।

धारा 125 में इस बात का उल्लेख है कि किसी पत्नी को, जिसे तलाक भी दिया जा चुका है अपने पूर्व पति से भरण-पोषण पाने तथा उसके पास रहने का हक है। इन संबंधों को समझा जाना चाहिए। विवाह से पूर्व उसका कोई संबन्ध नहीं था। तलाक के बाद कोई संबन्ध नहीं रहेगा। तलाक के बाद वह अनजानी बन जायेगी। मान लीजिए कि तलाकशुदा पत्नी के दो अथवा तीन बच्चे हैं – शरीयत कानून पर्याप्त है जिसके अनुसार वह लड़की के लिए 14 वर्ष की आयु तक तथा लड़के के लिए 18 वर्ष की आयु तक भरण-पोषण लेने की हकदार है। पुत्री की देखभाल उसकी दादी करेगी तथा पुत्र की उसका पिता। यदि तलाकशुदा पत्नी विवाह करती है तो नाबालिग लड़कियों की देखभाल मां द्वारा की जाएगी।

मेरे पास विवरण है तथा मैं तलाक के मामले में विभिन्न अधिनियम तथा शरीयत की आपको जानकारी दूंगा :—

"शरीयत अधिनियम, 1937 (1937 का अधिनियम बीस) 7-10-1937 को लागू हुआ था। धारा 2 : निर्वसीयती उत्तराधिकार, स्त्रियों की विशेष सम्पत्ति, जिसमें विरासत में मिली या संविदा या दान या स्वीय विधि के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन प्राप्त हुई स्वीय सम्पत्ति आती है, विवाह, विवाह विघटन, जिसमें तलाक, इला, जिहार, लियान,

खुला तथा मुबारात आते हैं, भरण-पोषण, मेहर, संरक्षकता, दान, न्यास तथा न्यास संपत्ति और वक्फ (जो पूर्त तथा पूर्ण संस्थाओं तथा पूर्त तथा धार्मिक विन्यासों से भिन्न हों) से संबन्धित (कृषि भूमि से संबद्ध प्रश्नों के सिवाय) सभी प्रश्नों में तत्प्रतिकूल किसी रूढ़ि या प्रथा के होते हुए भी, ऐसे मामलों में जहां पक्षकार मुसलमान हैं, वहां विनिश्चय का नियम मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) होगा ।"

"अध्याय चार प्रिंसिपिल्स आफ मोहम्मदन ला" (अठारवां संस्करण लेखक श्री एम॰ हिदायतुल्ला) ।

इसके चार स्रोत हैं (एक) कुरान, (दो) हदीस अर्थात्, मोहम्मद साहिब के निदेश, कृत्य तथा कथन (तीन) इजामास अर्थात्, हजरत मोहम्मद तथा उनके शिष्यों की राय पर सहमति (चार) विन्यास ।

स्वीय विधि को लागू करते समय पवित्र कुरान को आधार माना जायेगा । न्यायालय कुरान मजीद के आशयों पर टिप्पणी नहीं करेगा जैसा कि इस समय उच्चतम न्यायालय ने किया है । उच्चतम न्यायालय द्वारा उद्धृत स्रोत मोहम्मदन ला की महान् पुरातनता के आस्याता नहीं हैं : जैसे अब्बू हनीफ तथा उनके दो शिष्य । अब्बू यूसुफ और इमाम मोहम्मद ।

(3) धारा 36 : नई विधि नहीं बनाई जायेगी, यदि वे ऐसा करते हैं तो वे अल्लाह के रोष का पात्र होंगे । सुराई निसा आयत 13 व 14 अनुवाद : अल्लाह ने (तथा उसके दूत) सीमाएं निर्धारित की हैं तथा (14) जो व्यक्ति अल्लाह तथा उसके दूत की सीमाओं का अतिलंघन करता है और उसकी सीमाओं को तोड़ता है, वह उसे दोजख में भेजेगा । कुरान मजीद में निर्धारित सीमाओं का अधिलंघन तथा उल्लंघन करना खटकता है । परन्तु उच्चतम न्यायालय का निर्णय कुरान मजीद के साथ मेल नहीं खाता ।

(4) कुरान मजीद की सुराई बक्कर की आयत 241 और 242 का अर्थ उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं किया जाना चाहिए । परन्तु सुराई तलाक के साथ ही इस पर ध्यान दिया जाना था, सुराई तलाक में तलाक तथा इद्दत की स्थिति स्पष्ट की गई है, पति द्वारा पूर्व पत्नी के इद्दत की अवधि के दौरान भरण-पोषण का दायित्व स्पष्ट किया गया है । उसके बाद पति पर भरण-पोषण का बोझा नहीं लादा जा सकता ।

(5) सुराई तलाक की आयत 6 : इद्दत की अवधि में अपनी तलाकशुदा पत्नी को अपने निवास पर अपनी समर्थ के अनुसार रखें । उन्हें तंग मत करो ताकि उनका जीवन दूभर न बने । यदि वे गर्भवती हैं तब बच्चे तथा पत्नी का भरण-पोषण करो । यदि वे आपके बच्चे को (अपना) दूध पिलाती है तो उनको उसकी रकम दो । इस आयत से प्रकट होता है कि इद्दत के दौरान, तीन मासिक-धर्म की अवधियों अथवा गर्भावस्था के दौरान अपनी तलाकशुदा पत्नियों का भरण-पोषण करें । "उजुर हुन्ना" शब्दों का प्रयोग किया गया है (उजर्त व्यय) जिसका अभिप्राय है उन्हें खर्च दिया जाये । इसलिए इद्दत के बाद पति का भरण-पोषण का कोई दायित्व नहीं है ।

उच्चतम न्यायालय को तलाक के प्रभावों से अवगत नहीं कराया गया । वे मुल्ला के 'मोहम्मदन ला' की धारा 336 में दिये गये हैं ।

श्री एड्आर्डो फलीरो (मारमागाओ): यह आप क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री अजीज सेट : यह शरीयत विधि है ।

श्री एडुआर्डो फलीरो : उच्चतम न्यायालय ने क्या किया है ?

श्री अजीज सेट : उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया है।

मैं सभा में निवेदन कर रहा था कि उच्चतम न्यायालय ने केवल सुरा बाकुरा पर ध्यान दिया है, सुरा तलाक तथा हदीस पर ध्यान नहीं दिया है। धारा 125 के बाद धारा 127 (3 ख) का दंड प्रक्रिया संहिता में अन्त:स्थापन मुस्लिम संसद सदस्यों तथा मुस्लिम उलमाओं द्वारा अभ्यावेदन दिये जाने पर भूतपूर्व प्रधान मंत्री के कहने पर किया गया था। यह कार्यवाही न केवल मुस्लिम अपितु, फारसी, ईसाई यहूदियों इत्यादि के स्वीय कानून के संरक्षण के लिए किया गया है। हमने धर्म-निरपेक्षता को स्वीकार किया है तथा जब सभी समुदायों को अपने धार्मिक अधिकारों की स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म से असंबद्ध लोग तुच्छ आधार पर जो चाहे बोल देते हैं। इस बारे में एक संगत बात की ओर मैं सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके लिए हम प्रधान मंत्री तथा विधि मंत्री का आभारी हूं। हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मामला था जिसमें पवित्र कुरान के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। तब विधि मंत्री तथा प्रधान मंत्री ने उस समस्या का समाधान करा दिया। इसका अर्थ है कि कुरान कोई साधारण प्रकाशन नहीं है। यह एक पवित्र पुस्तक है। यह माना हुआ तथ्य है कि यह अल्लाह की पुस्तक है। इसीलिए विधि मंत्री ने स्वयं कलकत्ता जाने का कष्ट किया और उन्होंने न्यायाधीश को पवित्र कुरान पर निर्णय देने की अनुमति नहीं दी। मुझे हैरानी है कि पूरे पाठ को जाने बिना सदस्य कैसे उसकी व्याख्या करते हैं। यदि उन्हें पता होता कि शरीयत क्या है, हदीस क्या है तथा कुरान क्या है, तब मैं उनकी टिप्पणी का स्वागत करता। इन्हें पूरी तरह जाने बिना वे मामलों को उलझा कर वक्तव्य देते हैं। हम यह नहीं कहते कि विवाह के समय दी गई मेहर तलाक के समय भरण-पोषण का अंग बन जाती है। शरीयत कुरान के तर्जुमा का परिणाम है। हम शरीयत तथा कुरान को अलग नहीं कर सकते ताकि यह कहा जा सके कि यह विधि स्वीकार्य है। अत: मैं श्री बनातवाला को इस विधेयक को सभा में विचारार्थ पेश करने के लिए धन्यवाद देता हूं। इस पर कोई दो राय नहीं हो सकतीं। दो और दो, चार होते हैं, पांच अथवा तीन नहीं। कुरान मुसलमानों की पवित्र पुस्तक है, न केवल मुसलमानों की अपितु हरेक समुदाय की।

आज समाज में जो अनैतिकता है वे अधिकांशत: सिनेमा के कारण है।

मैं बताना चाहता हूं कि 1400 वर्ष पहले किसी लड़की का कोई सम्मान नहीं था। उसे जिन्दा जला दिया जाता था। मोहम्मद साहब ने ही कन्याओं के लिए प्रेम की भावना पैदा की तथा उन्हें सम्मान का जीवन दिया। अत: मैं विधि मंत्री से अपील करता हूं कि यदि वह इन सभी बातों को जानते हैं, और यदि वह स्वीकार करते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि तलाक क्या है ? इस पर उच्चतम न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया है। उन्हें तत्कालीन विधि मंत्री द्वारा धारा 127 3(ख) में संशोधन किये जाने के उद्देश्य का पता नहीं है। अत: यह आवश्यक हो गया है कि मंत्री महोदय आश्वासन दें कि वह व्यापक विधेयक लायेंगे तथा इसको क्रियान्वित करेंगे। यह कुछ दिनों से मुसलमानों के लिए ज्वलन्त प्रश्न बन गया है। पिछले कुछेक महीनों से यह एक चर्चा का विषय बन गया है। इसका निर्णय होना चाहिए। दंड विधि की 125 और 127 धाराओं को भली प्रकार पढ़ा नहीं जाता तथा तलाक पर हदीस के अनुसार ध्यान दिया जाता है। मैं नहीं समझता कि यह लोकतांत्रिक है। कहीं कोई गलती है। उच्चतम न्यायालय ने कानून में जो निवृत्ति ला दी है सरकार उसमें सुधार लाये और एक ऐसा विधान पेश करे जिससे प्रत्येक समुदाय खुश रहे।

धन्यवाद, श्रीमान् ।

सभापति महोदय : अभी भी बहुत से वक्ता हैं । अतः मैं सभा से पूछता हूं कि क्या समय बढ़ाया जाये अथवा नहीं । उनके लिए आवंटित समय समाप्त हो गया है ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव : केन्द्रीय कक्ष में भाड़े के सिपाही के प्रशिक्षण पर एक 'शो' हो रहा है ।

श्री अजीज सेट : चर्चा अगले किसी दिन भी की जा सकती है ।

श्री जी० एम० बनातवाला : अगले शुक्रवार को हम बैठ सकते हैं । परन्तु उस पर हमें विस्तृत चर्चा करनी चाहिए, जितना भी समय आवश्यक हो जाना चाहिए ।

सभापति महोदय : हम एक घण्टा बढ़ा सकते हैं । परन्तु आज सभा 6 बजे स्थगित होगी ।

[हिंदी]

श्री मूल चंद डागा (पाली) : सभापति जी, शाह बानो के केस में जो फैसला हुआ है उसने एक नया विचार लोगों के सामने पैदा कर दिया है । अगर कोई बेसहारा औरत हो···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री डागा, क्या मैंने आपको बुलाया था । मुझे आश्चर्य है ।

श्री एडुआर्डो फलीरो : प्रत्येक विधेयक पर बोलना उनका मूल अधिकार है ।

सभापति महोदय : श्रीमान डागा जी, मुझे इसका विरोध नहीं करना । आप अपनी बात जारी रख सकते हैं ।

[हिन्दी]

श्री मूल चंद डागा : सभापति जी, अगर किसी मुस्लिम भाई के दिमाग में यह बात आ जाती है कि तलाक, तलाक, तलाक तीन बार कह दिया, तो तलाक हो गया । ऐसी स्थिति में वह बेसहारा औरत कहां जाएगी । आपने एक बात कही है—"मेहर", लेकिन मैं अभी तक यह नहीं समझ पा रहा हूं कि मेहर क्या चीज है । मेहर का मतलब मैं यह समझता हूं कि 100 या 50 रुपए में शादी होती है । मुझे इस बात को कहने के लिए क्षमा करेंगे । भारत के मुसलमान गरीब हैं और पीड़ित हैं । मैं चाहता हूं कि उनकी आर्थिक हालत सुधर जाए । यह पहला अवसर है कि मुस्लिम औरतें बुरके में से बाहर निकल कर बोलने लगी हैं । यह भारत की धरती का सौभाग्य है कि इन बुरकों में लिपटी हुई औरतें अब बुरके से बाहर निकल कर अपनी दुखभरी कहानी कहने लगी हैं । इन औरतों ने अब अपनी संस्था भी बनाई है और अपनी आवाज बुलन्द कर रही हैं । मेरी यह बात समझ में नहीं आई कि मेहर की बात कह कर सौ रुपये में शादी करते हैं । मेहर के नाम पर रुपए देकर क्या वे अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं, लेकिन ऐसी बात बम्बई के एक महान सज्जन कह रहे हैं । आज के जमाने में एक बड़ी अच्छी बात कही कि रिश्तेदार निभायेंगे और ये शब्द मुस्लिम भाई कह रहे थे । मैं जानता हूं कितने मुस्लिम भाई इन औरतों को घर से निकाल देने के बाद निभाते हैं । इसने आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर कानूनी हमला किया है । सवाल है, हिन्दुस्तान के नागरिक यानि इन औरतों को हक देना । हिन्दू लॉ में हमारे मनू महाराज ने जो कहा, हम लोग उन बातों से चिपके हुए हैं—विमैन इज नॉट डिजर्व इण्डिपैंडेंस । यह भारत का सौभाग्य है कि

भारत की प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, ने एक साल नहीं 15 साल तक हिंदुस्तान की 70 करोड़ जनता पर एक छत्र राज किया है। लेकिन पता नहीं आप लोग क्या कहलाना चाहते हैं। श्री बनातवाला साहब वैज्ञानिक युग में 1985 में हम आपका धर्म ही नहीं हर एक धर्म की इज्जत के साथ देखना चाहते हैं। धर्म को मानना मन की चीज है, दिल की चीज है। आपने क्या उन औरतों के भाषणों को देखा है, जिन्होंने जगह-जगह इसके बारे में भाषण दिए हैं। कौन आपके मुस्लिम ला पर हमला करना चाहता है ? एक छोटा सा सवाल है—क्रिमनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 और 127 का और जैसा मेरे पूर्व-वक्ता बतला रहे थे, पहले वह क्लाज 488 था, जिस के अन्तर्गत मेंटेनेन्स का सवाल था। आप इन धाराओं को देखिये, हम कहां आपके बीच में आते हैं।

आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं—यहां आप शरियत की बात कहते हैं, लेकिन शरियत में यह कानून भी है कि अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दो, अगर कोई बलात्कार करता है तो उसको चौराहे पर खड़ा करके उसको पत्थरों से मार दो, क्या आप इस कानून का पालन करते हैं ? आई० पी० सी० में इन गुनाहों के लिये पनिशमेंट है, वहां आप मुस्लिम ला को लागू क्यों नहीं करते हैं ? पहले जमीन के मामले में पिता और पुत्री दोनो का हक होता था, लेकिन अब पिता का हक रह गया है। आज अलग-अलग देशों में मुसलमानों के लिए अलग-अलग कानून हैं—इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं।

हम किसी के पर्सनल लॉ पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ताकि हमारी जिंदगी में, हमारे समाज में, एक सुधार पैदा हो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा—हम उस मुल्क के रहने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है—उसकी क्या वजह है ? जो जज कुर्सी पर बैठ कर फैसला करता है, वह सिर्फ न्याय ही नहीं करता है, बल्कि एक सुधारक का काम भी करता है आप कहते हैं कि तलाक के बाद उस औरत के रिश्तेदार उस औरत की मदद करेंगे। आप मुझे क्षमा करें, आप मेरे से बहुत ज्यादा समझदार और विद्वान हैं, लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा कि एक दफा आप मेरे साथ मेरे शहर में चलें, मैं आपके सामने उन महिलाओं को पेश करूंगा, जो मुस्लिम महिलायें हैं, और जिनके लिये आप कहते हैं कि उनके रिश्तेदार उनकी मदद करेंगे। इससे आपको उनकी हालत का अन्दाजा हो जाएगा। मेहरबानी करके प्रैगमैटिक एप्रोच लीजिये। धारा-125 बिल्कुल साफ कहती है, उसमें कहां झगड़ा है ?

"यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति यह घोषणा करता है······"

कितनों के पास पैसा है ? एक वकील का बहुत अच्छा काम था, जब बुढ़ापा आया और जवानी ढलने लगी, तो उसने बीवी को कह दिया की बाहर जाओ। एक औरत जो 59 साल की हो गई है और उसको कहा जाए कि वह बाहर जाए तो वह कहां जाएगी। जरूरी नहीं है कि उसका कोई रिश्तेदार जिंदा हो, जो उसकी मदद कर सके।

[अनुवाद]

"यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति—

(क) अपनी पत्नी का, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या

(ख) अपनी धर्मज या अधर्मज या अव्यस्क संतान का, चाहे विवाहित हो या न हो, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं; या

(ग) अपनी धर्मज, या अधर्मज संतान का (जो विवाहित पुत्री नहीं है) जिसने व्यस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है; या

(घ) अपने माता या पिता का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से इंकार करता है;

तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा या इन्कार के साबित हो जाने पर, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी······के भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता दे।"

[हिन्दी]

इसमें आप यह बताइये कि यह कहीं मुस्लिम ला को एक बार भी इन्फ्रिंज करता है। श्री राम निवास मिर्धा ने बहुत अच्छी बात कही और उसकी तारीफ कर दी लेकिन आप सेक्शन 127 को ले लीजिये। इसमें सिर्फ एक सवाल मेंटीनेंस का है और जब यह सवाल आएगा, तो जज उसके अंदर आएगा। सेक्शन 127 यह कह रहा है :

[अनुवाद]

(1) "धारा 125 के अधीन मासिक भत्ता पाने वाले या यथास्थिति, अपनी पत्नी या संतान, पिता या माता को उसी धारा के अधीन मासिक भत्ता देने के लिए आदेश प्राप्त किसी व्यक्ति की परिस्थितियों में तबदीली साबित हो जाने पर मजिस्ट्रेट भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकता जो वह ठीक समझे।"

[हिंदी]

इसमें न पारसी है, न ईसाई है। जो कानून है, वह हिंदुस्तानियों के लिए है और इसमें और कुछ नहीं है और उसकी जो गरीबी है, वह उसका मापदंड है। अगर आप यह एमेंडमेंट लेकर आते कि जिन लोगों को निकाल दिया गया है, उन लोगों को सरकार मदद दे, तो मैं उसको मान लेता कि आपने अच्छा किया। अब आप यह देखिये कि समाज कल्याण विभाग और सोशल वेल्फेयर बोर्ड इसीलिये बने हुए हैं। इसमें आगे यह लिखा है :

[अनुवाद]

धारा 127 (2) और (3)

"जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि धारा 125 के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी सक्षम सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणाम स्वरूप रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए, वहां वह, यथास्थिति, उस आदेश को तदनुसार रद्द कर देगा या परिवर्तित कर देगा।

जहां धारा 125 के अधीन कोई आदेश ऐसी स्त्री के पक्ष में दिया गया है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है वहां यदि मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि—

(क) उस स्त्री ने ऐसे विवाह-विच्छेद की तारीख के पश्चात् पुन: विवाह कर लिया है, तो वह ऐसे आदेश को उसके पुनर्विवाह की तारीख से रद्द कर देगा; ······"

(ग) में कहा गया है—"उस स्त्री ने अपने पति से तलाक ले लिया है और उसने अपने तलाक के पश्चात् अपने भरण-पोषण के अधिकारों का स्वेच्छा से अभ्यार्पण कर दिया था, तो वह आदेश को उनकी तारीख से रद्द कर देगा।

[हिन्दी]

इसमें एक शब्द भी ऐसा बताइये, कृपया उस सेन्टेंस को पढ़िये, जिसमें मुस्लिम ला को टच किया हो, इन्फ्रिंज किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटेस्ट जजमेंट दिया है, उसको अगर आप पढ़ें, तो यह पाएंगे कि जजों ने बहुत पेन्स ली हैं, उन्होंने बहुत तकलीफ की है और मेरे ख्याल से सारे कोटेशन्स देने के बाद उन्होंने एनेलाइज किया है। दे हैव सेड दिस कि मुस्लिम ला के अन्दर क्या है। यह जो इन्होंने लिखा हुआ है, उसी में से मैं कोट कर रहा हूं और क्या पता आप के अन्दर भी कोई लरनेड आदमी हो, जो अच्छी बात कहेगा। उन्होने यह कहा है। मैं कोट कर रहा हूं :

[अनुवाद]

उन्होंने अपने निर्णय में कहा है :

डा० पारस दीवान के अनुसार :

"जब तलाक के जरिये विवाह विच्छेद हो जाता है, तो इद्दत की अवधि के दौरान पत्नी को पति से भरण-पोषण का खर्च लेने का अधिकार है। इद्दत की अवधि समाप्त होने पर पत्नी को किन्हीं भी परिस्थितियों में भरण-पोषण का खर्च लेने का अधिकार नहीं रह जाता। मुस्लिम कानून के अनुसार पति जिस पत्नी को तलाक दे चुका है, उसके भरण पोषण का उत्तरदायित्व उस पर नहीं है।"

वह कहां आये ?

[हिन्दी]

मेंटीनेंस के बारे में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 448 में है। आप तो काफी बड़े वकील रहे हैं, हमने तो छोटे-छोटे मुकदमें लड़े होंगे। हम तो जानते हैं कि गुजारे के लिए क्या क्या करना पड़ता था। वे तो इतने बड़े वकील थे, हजारों की कमाई थी। अगर कोर्ट ने यह कह दिया कि गुजारा दो और आप लोग यह कहने लगे कि यह तो परसनल लॉं के खिलाफ है।

उन्होंने आखिर में अपने जजमेंट में कहा है। आप इस जजमेंट को देखें और सोचें। वे कहते हैं कि क्लाज 19 में तो मुझे हक है। कोई मुझ से कहे कि मनु महाराज ने कहा था कि स्त्री को गुलाम समझना चाहिए, मैं उनसे कहूंगा कि मनू महाराज बैठे रहें, आपका तो भूत भी मुझे दिखाई न दे। आखिर इतनी पुरानी बात को कौन मानेगा ? उस समय की बात आज 1985 के वर्ष में जबकि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, कौन मानेगा।

आपने देखा कि आज विज्ञान कहां पहुंच गया है। हमारा हवाई जहाज कनिष्क गिरा दिया गया और उसके मलबे को कितनी गहराई से निकाला जा रहा है। आप तो उससे भी ज्यादा गहराई में चले गये हैं कि आप अपने परसनल लॉं की बात करते हो। आप इसे देखिए—

[अनुवाद]

मैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अंतिम पृष्ठ से पहले पृष्ठ के बारे में बता रहा हूं :

"बहुत संख्या में जिन अधेड़ स्त्रियों को बिना वजह तलाक दिया जा रहा है, उन्हें घर से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए······"

[हिंदी]

उन्होंने अपने जजमेंट के लास्ट पैराग्राफ में लिखा है। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। उन्होंने यह बताया है कि कांस्टीच्युशन का जो आर्टिकल 44 है, उसको भी एन्डेवर करिये। जब तक कोई धर्म वाले कोई एतराज करेंगे हम लोग नहीं करेंगे। हमने तो अपना कामन कोड भी बदल दिया है, उसमें सक्सेशन राईट को बदल दिया है लेकिन हम आपको टच नहीं करना चाहते। उन्होंने आखिर में यह जजमेंट दिया है:--

[अनुवाद]

"अपनी बात समाप्त करने से पूर्व हम आपका ध्यान विवाह और पारिवारिक कानून संबंधी आयोग, जिसका गठन पाकिस्तान सरकार ने 4 अगस्त 1955 को एक संकल्प के माध्यम से किया गया था, के प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 5 (प्रतिवेदन का पृष्ठ 1215) के संबंध में आयोग ने यह उत्तर दिया" :

"जिन अधिकांश अधेड़ महिलाओं को बिना किसी कारण तलाक दिया जा रहा है उन्हें तथा उनके बच्चों को जीवित रहने की सुविधा दिए बिना बेसहारा घर से नहीं निकाल देना चाहिये।"

[हिन्दी]

अब कोई किसी को एक ठंडी रात में यह कह दे कि घर से भाग जाओ तो उसका क्या हश्र होगा। बनातवाला साहब उन्होंने इस बात पर अपने जजमेंट में लिखा है—

[अनुवाद]

"अल्लामा इकबाल के शब्दों में, भविष्य में मुस्लिम देशों को इस बात का सामना करने की संभावना है कि क्या इस्लाम का कानून विकास कर पाएगा—यह प्रश्न ऐसा है जिस पर अत्यधिक बुद्धिमानी से प्रयास करने की आवश्यकता होगी तथा हमें आशा है कि हमें इसका उत्तर हाँ में मिलेगा।"

6.00 म०प०

[हिन्दी]

आपने यह बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। इससे भारत की संसद को, देश की सर्वोच्च संस्था को सोचने का, विचार करने का अवसर मिला है, इसलिए मैं आपका अहसानमंद हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्रीमान डागा, आप अपनी बात समाप्त कर रहे हैं या इसे जारी रखेंगे ?

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : आप मुझे अगली बार समय दीजिये, आपका बड़ा अहसान होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है, आप अपनी बात अगली बार जारी रख सकते हैं।

6.01 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

"केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 175/85-के० उ० शु० [सा० का० नि० 607 (अ)] की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 26 जुलाई, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो (एक) उर्वरकों के विनिर्माण में फीडस्टॉक और (दो) विनिर्दिष्ट विद्युत उपक्रमों द्वारा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग करने हेतु प्राकृतिक गेंस से निकाली गई कृश गैस को, उस पर उदग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में हैं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1190/85]

सभापति महोदय : सभा सोमवार 29 जुलाई, 1985 के 11 बजे तक के लिये स्थगित होती है।

6.02 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 29 जुलाई, 1985/7 श्रावण, 1907 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिये स्थगित हुई।

मुद्रक : एस० नारायण एण्ड सन्स, पहाड़ी धीरज, दिल्ली-6